




2016 - 2017

मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण



आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश



मध्यप्रदेश
का
आर्थिक सर्वेक्षण

2016-17



आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय,
मध्यप्रदेश

प्राक्कथन

"मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17" नामक प्रकाशन में प्रदेश की समाजार्थिक अर्थ-व्यवस्था, राज्य शासन की नीतियों/ उपलब्धियों/ घोषणाओं एवं कार्यकलापों का विश्लेषणात्मक विवेचन करने का प्रयास किया गया है ।

प्रस्तुत प्रकाशन हेतु संबंधित विभागों, निगमों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा समयावधि में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिसके लिये मैं उनका आभारी हूँ । यह प्रकाशन आर्थिक विश्लेषण संभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के सतत् प्रयासों, संचालनालय के अन्य तकनीकी संभागों एवं कम्प्यूटर संभाग के सहयोग से ही समयावधि में तैयार किया जाना संभव हो सका है ।

आशा है प्रस्तुत प्रकाशन राज्य की वर्तमान समाजार्थिक स्थिति एवं प्रदेश की विकासात्मक गतिविधियों/उपलब्धियों का आंकलन करने के अपने उद्देश्य में सफल होगा । उक्त प्रकाशन राजनीतिज्ञों, योजना निर्माताओं, सांख्यिकी विदों एवं शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा । प्रकाशन को और अधिक उपयोगी एवं सार्थक बनाने हेतु प्राप्त सुझावों का स्वागत है ।

भोपाल 18 फरवरी, 2017

डॉ. राजेन्द्र मिश्रा

आई.पी.एस.

आयुक्त

आर्थिक एवं सांख्यिकी

मध्यप्रदेश

**प्रकाशन को तैयार करने में सहयोग देने वाले
अधिकारी/कर्मचारी**

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. श्री आर. एस. राठौर | अपर संचालक |
| 2. डॉ. एस. महाले | संयुक्त संचालक |
| 3. श्रीमती सविता शुक्ला | सहायक संचालक |
| 4. श्री अतुल आनंद अग्रवाल | सहायक संचालक (सू.प्रौ.) |
| 5. श्री एस. के. मालवीय | सहायक सांख्यिकी अधिकारी |
| 6. श्री राजकुमार कड़वे | सहायक सांख्यिकी अधिकारी |
| 7. चिरंजय मानेश्वर | सहायक सांख्यिकी अधिकारी |
| 8. श्रीमती गुंजन मिश्रा | अन्वेषक |
| 9. श्री शंकर तायडे | वरिष्ठ कलाकार |
| 10. श्रीमती कलावती सोंधिया | सहायक ग्रेड-3 |

अनुक्रमणिका

विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1 आर्थिक स्थिति - एक समीक्षा	1-19
2 लोक वित्त	20-24
3 बचत एवं विनियोजन	25-33
बैंकिंग	25
बीमा क्षेत्र	32
4 भाव, खाद्यान्न उपार्जन एवं वितरण	34-45
भाव स्थिति	34
खाद्यान्न उपार्जन एवं वितरण	37
5 कृषि	46-95
कृषि	46
मौसम एवं फसल की स्थिति	46
वाणिज्यिक फसलें	51
कृषि विकास योजनाएं	52
कृषि यंत्रीकरण	58
उद्यानिकी	59
कृषि विपणन	67
भंडारण सुविधा	71
पशुधन एवं डेयरी विकास	73
पशुधन एवं कुक्कुट विकास	76
मत्स्य पालन से विकास	86
वानिकी	90
6 उद्योग	96-115
उद्योग विनिर्माण	96
अधोसंरचना विकास	99
हाथकरघा उद्योग	102
संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास	103

विवरण		पृष्ठ क्रमांक
	रेशम उद्योग	107
	खादी तथा ग्रामोद्योग विकास	108
	पर्यटन	109
	खनिज	111
7	अधोसंरचना	116-139
	ऊर्जा	116
	नवीन एवं नवकरणीय उर्जा	124
	परिवहन	127
	पंजीकृत वाहन	128
	लोक निर्माण विभाग की सड़क	131
	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क	132
	सिंचाई	134
	कमांड क्षेत्र (आयाकट)	137
	एकीकृत जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन	138
8	सामाजिक क्षेत्र	140-227
	प्रारम्भिक शिक्षा	140
	माध्यमिक शिक्षा	146
	उच्च शिक्षा	150
	तकनीकी शिक्षा	152
	स्वास्थ्य	155
	पेयजल व्यवस्था	162
	श्रम	164
	रोजगार	166
	प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन	167
	कारखानों की संख्या एवं नियोजन	167
	ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार	167
	स्वच्छ भारत मिशन	170
	शहरी क्षेत्रों में रोजगार	170
	महिला एवं बाल विकास	174
	महिला सशक्तिकरण	177
	महिला वित्त एवं विकास	191

विवरण	पृष्ठ क्रमांक
अनुसूचित जातियों का विकास	192
अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	195
पिछड़ा वर्ग का कल्याण	215
अल्पसंख्यक वर्ग का कल्याण	219
सामाजिक न्याय	212
नगरीय विकास	226
9 सुशासन एवं कानून व्यवस्था	228-260
होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की योजनाएं	228
गृह (पुलिस) विभाग की योजनाएं	231
10 मानव विकास	261-267

परिशिष्ट की सूची

परिशिष्ट क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1	मध्य प्रदेश एवं भारत के चुने हुए समाजार्थिक विकास संकेतांक	268
2	महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन	270
3	महत्वपूर्ण उत्खनित खनिजों का मूल्य	271
4	महत्वपूर्ण खनिजों का प्रतिटन औसत मूल्य	272
5	रोजगार समंक	273
6	सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार	274
7	मध्यप्रदेश में प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन	275

सांख्यिकीय तालिकाएं

तालिका क्रमांक	तालिकाओं का विवरण	पृष्ठ क्रमांक
2.1	राजकोषीय घाटा	20
2.2	राज्य सरकार की कुल प्राप्ति	21
2.3	राजस्व प्राप्ति की संरचना	21
2.4	राज्य की मुख्य कर राजस्व मदों में वृद्धि	22
2.5	राज्य के करेतर राजस्व की वृद्धि	22
2.6	आयोजना तथा आयोजनेतर व्यय	23
2.7	शुद्ध लोक ऋण	24
3.1	बैंक शाखा नेटवर्क का विस्तार	25-26
3.2	बैंकिंग व्यवसाय के मुख्य सूचकांक	27
3.3	राष्ट्रीय मानक से प्रदेश के सूचकांकों की तुलना	27
3.4	वार्षिक साख योजना की उपलब्धि	28
3.5	कमजोर वर्ग को साख अंतर्गत उपलब्धि	29
3.6	बैंक द्वारा वितरित गृह निर्माण अग्रिम का विवरण	30
3.7	किसान क्रेडिट कार्ड वितरण	30
3.8	आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत नाबार्ड द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण	31
3.9	व्यक्तिगत बीमा पॉलिसियों की उपलब्धियाँ (मध्य क्षेत्र)	32
3.10	पेंशन समूह एवं सामाजिक सुरक्षा योजना	33
4.1	कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक	34
4.2	औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	35
4.3	कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	36
5.1	वर्षा की स्थिति	47
5.2	प्रमुख खाद्यान्न फसलों का क्षेत्राच्छादन	48
5.3	प्रमुख खाद्यान्न फसलों का उत्पादन	48

तालिका क्रमांक	तालिकाओं का विवरण	पृष्ठ क्रमांक
5.4	दलहनी फसलों का क्षेत्राच्छादन	49
5.5	दलहनी फसलों का उत्पादन	49
5.6	प्रमुख तिलहनी फसलों का क्षेत्राच्छादन	50
5.7	प्रमुख तिलहनी फसलों का उत्पादन	50
5.8	प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का क्षेत्राच्छादन	51
5.9	प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन	52
5.10	बी.टी.काटन का क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन	53
5.11	रासायनिक उर्वरकों का वितरण	53
5.12	पौध संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्र	54
5.13	प्रमुख मसालों का क्षेत्राच्छादन	63
5.14	प्रमुख मसालों के उत्पादन	63
5.15	प्रमुख साग, सब्जी फसलों का क्षेत्रफल	64
5.16	प्रमुख साग, सब्जी फसलों का उत्पादन	64
5.17	प्रमुख फलों के अंतर्गत क्षेत्राच्छादन	65
5.18	प्रमुख फलों का उत्पादन	65
5.19	भण्डारण शाखाओं की संख्या एवं कुल भण्डारण क्षमता	71
5.20	भण्डारण शाखाओं की वित्तीय स्थिति	71
5.21	पशुधन वृद्धि	73
5.22	म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट योजनाओं की प्रगति	76
5.23	दुग्ध संकलन एवं संबद्ध गतिविधियां	81
5.24	सघन डेयरी विकास परियोजना	81
5.25	(अ) भौतिक प्रगति सघन डेयरी विकास झाबुआ, छिन्दवाड़ा तथा बालाघाट	82
5.26	(ब) सघन डेयरी विकास हरदा, बड़वानी, नीमच, श्योपुर तथा सिवनी	82
5.27	(स) सघन डेयरी विकास बैतूल, देवास, धार, खंडवा	82
5.28	वनोत्पादन का विवरण	90

तालिका क्रमांक	तालिकाओं का विवरण	पृष्ठ क्रमांक
5.29	तैदूपत्ता का संग्रहण एवं निर्वतन	93
5.30	काष्ठ बांस उत्पादन (विक्रय एवं प्राप्त राजस्व)	95
6.1	इण्डस्ट्रियल एंटरप्रिन्योर मेमोरेन्डम	98
6.2	रेशम उत्पादन	108
6.3	प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन	112
6.4	प्रदेश में स्थित खनिज भण्डार	114
6.5	प्रदेश में खनिज भण्डार	115
7.1	उपलब्ध विद्युत क्षमता	118
7.2	विद्युत उपलब्धता वृद्धि योजना	118
7.3	विद्युत प्रदाय	119
7.4	राजस्व प्राप्ति	123
7.5	सकल राज्य मूल्य वर्धन में परिवहन का अंश	127
7.6	पंजीकृत वाहनों की संख्या	128
7.7	प्रदेश में लोकनिर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों की लम्बाई	131
7.8	सिंचाई के स्रोत द्वारा कुल सिंचित क्षेत्रफल	135
7.9	सिंचाई क्षमता एवं उपयोग	136
7.10	प्रमुख फसलों के अंतर्गत कुल सिंचित क्षेत्र	137
8.1	राज्य शिक्षा केन्द्र की योजनाएँ	140
8.2	प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शालाओं में नामांकन	142
8.3	प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शुद्ध नामांकन अनुपात	142
8.4	शाला त्यागी दर	143
8.5	शालाओं की संख्या की स्थिति	146
8.6	कुल नामांकन की स्थिति	146
8.7	कुल नामांकन में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं की नामांकन की स्थिति	147
8.8	कुल नामांकन में अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं की नामांकन की स्थिति	147
8.9	समस्त शासकीय शालाओं में शिक्षकों की संख्या की स्थिति	148

तालिका क्रमांक	तालिकाओं का विवरण	पृष्ठ क्रमांक
8.10	तकनीकी शिक्षण संस्थायें	152
8.11	शासन द्वारा अनुदान प्राप्त परियोजना संस्थाओं का विवरण	153
8.12	शहरी रोजगार आजीविका मिशन की प्रगति	172
8.13	अनुसूचित जाति विकास द्वारा संचालित आवासीय संस्थाएं	193
8.14	आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाएं	196
8.15	अनुसूचित जाति राज्य छात्रवृत्ति की वार्षिक दरें	198
8.16	प्रोत्साहन राशि	216
10.1	मानव विकास सूचकांक	262

चित्रों की सूची

चित्र क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.1	राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) भावों पर	1
1.2	विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर	2
1.3	विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न सकल राज्य मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण स्थिर (2011-12) भावों पर	3
1.4	प्रति व्यक्ति शुद्ध आय प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) भावों पर	4
3.1	राष्ट्रीय मानक की तुलना में राज्य की स्थिति	28
3.2	वार्षिक साख योजना की उपलब्धि	29
5.1	फसल क्षेत्र में विकास दर	46
5.2	दुग्ध उत्पादन	74
5.3	अंडों का उत्पादन	75
5.4	मांस का उत्पादन	75
6.1	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना	97
6.2	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में पूंजी निवेश करोड रूपये	97
6.3	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में निर्मित रोजगार	98
7.1	विद्युत विक्रय	120
7.2	अधिकतम विद्युत मांग की आपूर्ति	120
7.3	विद्युत पारेषण प्रणाली में इनपुट	121
7.4	विद्युत का उपयोग	122

बाक्स की सूची


बाक्स क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
5.1	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	54
6.1	खनिज उत्पादन	112
6.2	खनिज नीति एवं खनिज प्रशासन	113
7.1	उर्जा विभाग	117
7.2	मार्गों का चयन	133
8.1	प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण	141
8.2	विभाग की गतिविधियां एवं उद्देश्य	191
8.3	कन्या साक्षरता प्रोत्साहन	198

आर्थिक स्थिति - एक समीक्षा

1.1 मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में नवीन आधार वर्ष 2011-12 पर वर्ष 2015-16 (त्वरित) की तुलना में वर्ष 2016-17 (अग्रिम) में सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भावों पर 12.21 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित रही जबकि वर्ष 2015-16 (त्वरित) के दौरान यह वृद्धि 7.97 प्रतिशत दर्ज की गई थी। प्रचलित एवं स्थिर भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद चित्र 1.1 में प्रदर्शित किया गया है।

चित्र 1.1


राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) भावों पर




उक्त चित्र से स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भावों पर आधार वर्ष (2011-12) की तुलना में 315561 करोड़ रुपये थी जो वर्ष 2015-16 (त्वरित) एवं 2016-17 (अग्रिम) में क्रमशः 31.39 प्रतिशत एवं 47.42 प्रतिशत वृद्धि के साथ क्रमशः 414607 करोड़ रुपये एवं 465212 करोड़ रुपये अनुमानित है।

1.2 सकल राज्य मूल्यवर्धन के वृहद क्षेत्रवार निष्पादन में आधार वर्ष 2011-12 की तुलना में तृतीयक क्षेत्र के अंश में वृद्धि हुई है तृतीयक क्षेत्र का अंश वर्ष 2011-12 में 39.06 प्रतिशत था जो वर्ष 2015-16 (त्वरित) एवं 2016-17 (अग्रिम) में बढ़कर 42.51 प्रतिशत एवं 41.20 प्रतिशत स्थिर (2011-12) भावों पर रहा । जबकि प्राथमिक क्षेत्र का अंश वर्ष 2011-12 में 33.85 प्रतिशत था । जो वर्ष 2015-16 (त्वरित) एवं 2016-17 (अग्रिम) में क्रमशः 33.86 प्रतिशत एवं 36.34 प्रतिशत स्थिर (2011-12) भावों पर रहा । जो चित्र 1.2 एवं 1.3 में प्रदर्शित है ।

चित्र 1.2
विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न सकल राज्य मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण
प्रचलित भावों पर




चित्र 1.3
विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न सकल राज्य मूल्यवर्धन का क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण
स्थिर (2011-12) भावों पर



1.3 वर्ष 2016-17 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2015-16 (त्वरित) की तुलना में प्रचलित भावों पर 17.74 प्रतिशत तथा स्थिर भावों पर 12.21 प्रतिशत की वृद्धि रही। वर्ष 2016-17 (अग्रिम) के दौरान विगत वर्ष से प्राथमिक क्षेत्र में 20.42 प्रतिशत की वृद्धि आंकलित की गई है। इसी प्रकार द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में क्रमशः 6.68 प्रतिशत की एवं 8.76 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित रही।

1.4 स्थिर भावों (वर्ष 2011-12) के आधार पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2015-16 (त्वरित) में 46783 रुपये थी जो बढ़कर वर्ष 2016-17 (अग्रिम) में रुपये 51852 हो गई जो गतवर्ष की तुलना में 10.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। प्रचलित भावों के आधार पर राज्य की शुद्ध प्रति व्यक्ति आय (वर्ष 2015-16) में 62334 रुपये से बढ़कर वर्ष 2016-17 (अग्रिम) में 72599 हो गई, जो 16.47 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

चित्र 1.4
प्रति व्यक्ति शुद्ध आय प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) भावों पर



1.5 प्रदेश में सकल जिला उत्पाद के अनुमान वर्ष 2004-05 आधार वर्ष पर तैयार किये गये जिसके अनुसार वर्ष 2004-05 से 2012-13 के लिये सकल जिला उत्पाद में वृद्धि दर भोपाल, जबलपुर, बड़वानी, तथा हरदा जिलों में 10 प्रतिशत से अधिक पाई गई, जबकि शहडोल, नरसिंहपुर, बालाघाट एवं दमोह में यह वृद्धि दर 7 प्रतिशत से कम पाई गई। इसी प्रकार जिला स्तर पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2012-13 में प्रचलित भावों पर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन में सर्वाधिक रही। जबकि झाबुआ, उमरिया, रीवा, टीकमगढ़, एवं मण्डला जिलों में न्यूनतम स्तर पर रही है।

1.6 लोक वित्त : वित्तीय वर्ष 2004-05 से मध्यप्रदेश राजस्व आधिक्य प्रदेश रहा है। ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 10 प्रतिशत के भीतर रहा है। वर्ष 2016-17 (बजट अनुमान) में राजस्व प्राप्तियां 126095.14 करोड़ रुपये अनुमानित है जो गत वर्ष से 19.51 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2016-17 के मध्य कुल प्राप्तियों का अनुपात 77.37 तथा 79.51 प्रतिशत के मध्य परिवर्तित होता रहा है। वर्ष 2015-16 में राज्य का प्राथमिक घाटा (-) 5973.83 करोड़ रुपये था। वर्ष 2016-17 में प्राथमिक घाटा (-) 14680.26 करोड़ रुपये अनुमानित है। राज्य के कर राजस्व में वृद्धि 12.76 प्रतिशत रही है। राज्य का आयोजना पूंजीगत व्यय वर्ष 2016-17 में 30615.63 करोड़ रुपये

अनुमानित है, जो गत वर्ष से 83.56 प्रतिशत अधिक है । जबकि आयोजना राजस्व व्यय 81344.49 करोड़ रुपये है, जो गत वर्ष से 19.07 प्रतिशत अधिक है । 31 मार्च 2016 के अनुसार राज्य का शुद्ध लोक ऋण 70263.62 करोड़ रुपये अनुमानित है ।

1.7 बचत एवं विनियोजन : प्रदेश में कुल बैंकों की शाखाओं में निरंतर वृद्धि देखी गई है । बैंकों की शाखाओं में वृद्धि के साथ-साथ बैंकों के अग्रिम एवं जमा राशि में भी वृद्धि हो रही है । वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 की प्रथम नौ माही के दौरान कुल जमा राशि में 9.86 प्रतिशत तथा अग्रिम ऋण राशि में 10.41 प्रतिशत की दर से वृद्धि परिलक्षित हुई । दिसम्बर, 2016 की स्थिति में प्रदेश में शाख-जमा अनुपात 65.66 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय मानक 60 प्रतिशत से अधिक है । कुल अग्रिम से कृषि क्षेत्र में सीधे कृषि को दिये गये अग्रिम का अंश मार्च, 2014 से लगातार बढ़कर वृद्धि दर दिसम्बर, 2016 में 12.81 प्रतिशत की रही । इसी अवधि में लघु उद्योग क्षेत्र को दिये गये अग्रिम में 17.54 प्रतिशत की वृद्धि दर रही है । कृषि क्षेत्र में अग्रिम में से सीधे कृषि हेतु दिया गया अग्रिम का अंश वर्ष 2013-14 में 91.87 प्रतिशत था जो 0.27 प्रतिशत कम रहकर वर्ष 2016-1 के प्रथम नौ माह 91.60 प्रतिशत हो गया ।

1.8 किसान क्रेडिट कार्ड : बैंकों द्वारा प्रदेश के किसानों को उनकी साख सुविधा की सुगमता से पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2015-16 में 9.17 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये हैं। वर्ष 2016-17 में 7.39 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये हैं ।

1.9 स्वाईल हेल्थ कार्ड : इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के कृषकों को उनके खेतों की मिट्टी का परीक्षण उपरांत संतुलित उर्वरक के उपयोग हेतु मृदा स्वास्थ्य पत्रक उपलब्ध कराना है । जिससे किसानों को अधिक पैदावार मिल सके । प्रदेश में वर्ष 2016-17 हेतु लक्षित नमूना 23.14 लाख के विरुद्ध 21.25 लाख नमूने एकत्रित किये जिसमें से 10.64 लाख नमूने का विश्लेषण कर दिनांक 5.01.2017 तक 31.91 लाख कृषकों को कार्ड वितरित किये गये। वर्ष 2015-16 में भारत सरकार से उपलब्ध राशि में से रु. 468.48 लाख रु. व्यय किया जाकर 1793.37 लाख आवंटन उपलब्ध है ।

1.10 फिशरमेंट क्रेडिट कार्ड : मछुआरों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर का मार्ग प्रशंस्थ करने के साथ ही मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिशरमेंट क्रेडिट कार्ड वर्ष 2012-13 से शून्य प्रतिशत से वार्षिक ब्याज पर फिशरमेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे हैं । वर्ष 2015-16 में 7809 फिशरमेंट क्रेडिट कार्ड पर 377.60 लाख रु. जारी किये गये । वर्ष 2016-17 में 10 हजार फिशरमेंट क्रेडिट कार्ड दिये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर 2016 तक 4937 फिशरमेंट क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं ।

1.11 कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक : वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 में भावों में बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गई । यह वृद्धि कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों दोनों में ही परिलक्षित रही । राज्य स्तरीय समस्त कृषि वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक (आधार वर्ष 1991-92 से 1993-94=100) में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2015-16 में 8.73 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई । इसी अवधि में खाद्यान्न के थोक भाव सूचकांक में 17.60 प्रतिशत तथा अखाद्यान्नों के सूचकांकों में 0.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई ।

1.12 औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक : राज्य में भाव स्थिति के अंतर्गत औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में विगत वर्षों से बढ़ने की प्रवृत्ति देखी गई । औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में खाद्य समूह सूचकांकों में वृद्धि सामान्य समूह सूचकांकों से अपेक्षाकृत अधिक रही । यही स्थिति कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के सूचकांकों में दृष्टिगोचर हुई है । वर्ष 2015 में गत वर्ष से औद्योगिक कामगारों के अंतर्गत खाद्य एवं सामान्य समूह सूचकांकों में सर्वाधिक वृद्धि जबलपुर केन्द्र में क्रमशः 9.12 एवं 6.67 प्रतिशत देखी गई । कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के सामान्य समूह के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में गत वर्ष से वर्ष 2015 में क्रमशः 2.88 तथा 4.74 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई वहीं इन्हीं समूहों के खाद्य एवं सामान्य समूह सूचकांक गत वर्ष से क्रमशः 1.88 एवं 4.74 प्रतिशत हैं ।

1.13 शासकीय उचित मूल्य की दुकानें : राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अधिक प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में वर्तमान में 22.42 हजार शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं, जिनमें 4.14 हजार शहरी एवं 18.28 हजार ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं ।

1.14 समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का उपार्जन : राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न (गेहूँ, धान एवं मोटा अनाज) का उपार्जन ई उपार्जन परियोजना अंतर्गत किया जाता है जिसके तहत उपार्जन केन्द्रों पर किसानों द्वारा बोये गये रकबे तथा उनके खातों की कम्प्यूटराइज, आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर की जानकारी संकलित की जाती है । प्रदेश में रबी एवं खरीफ विपणन वर्षों से लगातार उपार्जन बढ़ रहा है। वर्ष 2015-16 में गेहूँ रबी विपणन 73.10 लाख मिट्रीक टन तथा जो वर्ष 2016-17 में 39.92 लाख मिट्रीक टन हो गया। इसी प्रकार खरीफ धान उपार्जन में गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2015-16 में 12.65 लाख मिट्रीक टन हुआ है।

1.15 उचित मूल्य दुकानों का ऑटोमेशन: प्रदेश की सभी उचित मूल्य दुकानों पर प्वाइंट ऑफ सेल मशीन लगाई गई है। इस हेतु विभाग द्वारा मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक

डिजिटल कापोरेशन के माध्य से निविदाएं जारी की जाकर दो सेवा प्रदाताओं डी.एस.के. डिजिटल प्रा.लि. तथा लिंकवेल टेली सिस्टम प्रा.लि. का चयन किया गया है। इन सेवा प्रदाताओं द्वारा राज्य में 22409 उचित मूल्य दुकानों पर पी.ओ.एस. मशीन लगाई गई है।

1.16 मौसम की स्थिति : प्रदेश की सामान्य औसत वर्षा 1026.4 मिली मीटर की तुलना में वर्ष 2015 में 804.3 मिली मीटर तथा वर्ष 2016 में 1037.6 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई जो सामान्य औसत वर्षा से क्रमशः 21.64 प्रतिशत कम एवं 1.9 प्रतिशत अधिक रही ।

1.17 प्राकृतिक आपदायें एवं राहत : राज्य में 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य आपदा मोचन निधि एवं क्षमता निर्माण अनुदान हेतु वर्ष 2015-16 में 877.00 करोड़ रुपये आवंटित हुए तथा वर्ष 2017 में 921.00 करोड़ रुपये प्राप्त हुये।

वर्ष 2015-16 में प्रदेश में ओलावृष्टि तथा बाढ़ की आपदा भिन्न-भिन्न अवधि में घटित हुई । इन आपदाओं का प्रदेश के अलग-अलग जिलों में प्रभाव पडा है, सुखे की स्थिति में वर्ष 2016 में अल्प वर्षा खरीफ फसल की आनावारी एवं रबी की औसत बुआई के आधार पर वर्तमान में प्रदेश के कुल 4 जिलों की 10 तहसीलें सुखा प्रभावित घोषित की गई है एवं 43 जिलों में अतिवृष्टि बाढ़ की स्थिति निर्मित हुई है।

14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार वर्ष 2016-17 के लिए राज्य आपदा मोचन निधि रुपये 921.00 करोड़ निर्धारित की गई, जिसमें रुपये 690.75 केन्द्रांश एवं रुपये 230.25 राज्यांश शामिल है । वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभिन्न आपदाओं में अब तक पेयजल परिवहन के लिए ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के लिए राशि रुपये 30.41 करोड़, अग्नि मद में राशि रुपये 26.16 करोड़, आर.बी.सी 6 (4) में राशि रुपये 48.42 करोड़, बाढ़ एवं अतिवृष्टि मद में रुपये 205.08 करोड़, ओला मद में राशि रुपये 141.47 करोड़, पुर्नस्थापन के लिए आर्थिक सहायता, सूखा पाला, कीट प्रकोप एवं वन्य प्राणियों मद में राशि रुपये 6.42 करोड़ एवं सर्पदंश मद में राशि रुपये 12.99 करोड़ रुपये इस प्रकार कुल राशि रुपये 1027.96 करोड़ आवंटित की गई है ।

1.18 कृषि : प्रदेश में कृषि अभी भी परम्परागत है तथा कृषि की मानसून के ऊपर निर्भरता है । प्रदेश के जिन जिलों में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं एवं कृषि विकास की दृष्टि से अपेक्षाकृत विकसित जिले रहे हैं । उन जिलों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हो रही है। राज्य की अर्थ व्यवस्था में (सकल मूल्य वर्धन) वर्ष 2015-16 के त्वरित अनुमानों के अनुसार फसल क्षेत्र का योगदान 23.90 प्रतिशत है ।

1.19 कृषि विकास योजनाएं : कृषि विकास की विभिन्न योजनाओं यथा-रासायनिक उर्वरकों का वितरण, पौध संरक्षण, प्रमाणित बीजों का वितरण आदि के माध्यम से प्रदेश में कृषि की पैदावार बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं । वर्ष 2015-16 में 19.65 लाख मीटरिक टन रसायनिक उर्वरकों का वितरण किया गया था जबकि वर्ष 2016-17 में 31 दिसम्बर 2016 तक 21.26 लाख मीटरिक टन रसायनिक उर्वरकों का वितरण किया गया ।

वर्ष 2015-16 पौध संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 220.27 लाख हेक्टर क्षेत्र लाया गया है । वर्ष 2015-16 में 34.68 लाख क्विंटल प्रमाणित बीजों का वितरण किसानों को किया गया था । वर्ष 2016-17 माह दिसम्बर, 2016 में रबी हेतु 19.26 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित किया जा चुका है ।

1.20 उद्यानिकी : प्रदेश में उद्यानिकी फसलें फल, साग-सब्जी मसाले आदि के अन्तर्गत अधिकाधिक क्षेत्र लाया जाकर उत्पादन बढ़ाने के प्रयासों के तहत वर्ष 2016-17 में प्रमुख साग-सब्जी फसलों का उत्पादन 158.01 लाख मीटरिक टन प्रमुख फलों के उत्पादन में 59.17 लाख मीटरिक टन रहा साथ ही मसालों का उत्पादन 41.53 लाख मीटरिक टन अनुमानित है ।

1.21 सिंचाई : प्रदेश के सिंचित क्षेत्र में विगत वर्षों में सामान्य वृद्धि देखी गई है । विशेषकर यह देखा गया है कि सिंचाई हेतु भू-जल के दोहन पर निर्भरता बढ़ रही है । प्रदेश में सिंचाई जलाशयों के माध्यम से जल संग्रहण क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है ।

1.22 निर्मित सिंचाई क्षमता एवं उपयोग : वर्ष 2015-16 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 9284 हजार हेक्टर है जो गत वर्ष के 9584 हजार हेक्टर से 3.12 प्रतिशत कम रहा । वर्ष 2015-16 में 2870 हजार हेक्टर में क्षमता का उपयोग किया गया है।

1.23 मत्स्योत्पादन : वर्ष 2015-16 (त्व.) की अपेक्षा वर्ष 2016-17 (अ.) में सकल मूल्यवर्धन के त्वरित अनुमानों के अनुसार 13.03 प्रतिशत की वृद्धि रही है । वर्ष 2016-17 में समस्त स्रोतों से 1.30 लाख टन लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2016 तक 87.00 हजार टन मत्स्य उत्पादन किया गया जो लक्ष्य का 66.92 प्रतिशत है । प्रदेश में दिसम्बर 2016 तक स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्योत्पादन 10716.57 लाख मीटरिक टन रहा ।

1.24 वानिकी : वर्ष 2016-17 (त्व.) में सकल राज्य मूल्यवर्धन में वानिकी क्षेत्र का अंश 1.97 प्रतिशत रहा है । वर्ष 2016-17 (त्व.) की तुलना में ईमारती लकड़ी के उत्पादन में 13.75 प्रतिशत की कमी हुई । वर्ष 2016-17 में 1298.00 करोड लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरुद्ध 1081.31 करोड रु. का सकल राजस्व प्राप्त हुआ ।

1.25 उद्योग : द्वितीयक क्षेत्र की विकास दर में वर्ष 2015-16 (त्व.) से वर्ष 2016-17 (अ.) में 6.68 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है । प्रदेश की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है जिसे विकास के उच्च स्तर पर ले जाने के लिये औद्योगीकरण नितांत आवश्यक है । प्रदेश की अर्थ व्यवस्था ग्रामीण है जो कृषि से निकटता से जुड़ी है फलस्वरूप ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के विकास में सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों की विशेष भूमिका है । वर्ष 2015-16 में कुल 48.18 हजार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई तथा 5172 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ एवं 1.95 लाख रोजगार उपलब्ध हुये । वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर, तक 60.38 हजार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई जिसमें 6926 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ तथा 2.67 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया । केन्द्र शासन की औद्योगिक उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप प्रदेश में उद्योगों की स्थापना हेतु वर्ष 2011 से वर्ष 2016 तक की अवधि में आई.ई.एम. की संख्या 640 तथा प्रस्तावित पूंजी निवेश 229740 करोड़ था, जो वर्ष 2014 से 2016 (दिसम्बर 2016) की अवधि में 294 (संख्या) तथा 42048 (निवेश) करोड़ रुपये हो गया ।

1.26 पर्यटन : वर्ष 2015-16 में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को 10869.65 लाख रुपये की आय प्राप्त हुई है वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर 2016 तक 7956.71 लाख की आय प्राप्त हुई इस दौरान 13.18 करोड़ पर्यटक मध्यप्रदेश में विभिन्न पर्यटन स्थलों पर भ्रमण हेतु आये ।

1.27 खनिज : खनिज संपदा की दृष्टि से मध्यप्रदेश के आठ प्रमुख खनिज सम्पन्न राज्यों में से एक है । वर्ष 2012-13 (तेल एवं प्राकृतिक गैस को छोड़कर) प्रदेश में कोयला के सकल उत्पादन में राष्ट्र में चौथा स्थान है । राज्य की अर्थ व्यवस्था में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र की योगदान वर्ष 2014-15 (प्रा.) के प्रचलित भावों के अनुमानों के अनुसार 3.52 प्रतिशत एवं वर्ष 2015-16 (त्वरित) अनुमानों के अनुसार 3.26 प्रतिशत है ।

1.28 ऊर्जा : राज्य शासन द्वारा विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि हेतु किये गये सतत प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2013-14 में प्रदेश विद्युत आधिक्य की स्थिति में आ गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल विद्युत प्रदाय 64149 मिलियन यूनिट किया गया, जिसमें इन्दिरा सागर परियोजना से 1940 मिलियन यूनिट, सरदार सरोवर परियोजना से 1194 मिलियन यूनिट उत्पादन तथा म.प्र. विद्युत उत्पादन कम्पनी व्दारा कुल विद्युत प्रदाय 18960 मिलियन यूनिट है । वर्ष 2015-16 में वर्ष 2014-15 की तुलना में 11.74 प्रतिशत अधिक विद्युत विक्रय की गयी । इस अवधि में प्रदेश में सर्वाधिक विद्युत उपयोग 41.5 प्रतिशत का कृषि क्षेत्र में किया गया । इसके पश्चात घर-निवास हेतु 23.00 प्रतिशत विद्युत उपभोग रहा । विद्युत उत्पादन क्षमता तथा पारेषण क्षमता में लगातार वृद्धि से प्रदेश में उद्योग तथा कृषि दोनों ही क्षेत्रों में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहने की संभावना है। वर्ष 2014-15 में मध्य प्रदेश पावर

जनरेटिंग कम्पनी की उत्पादन क्षमता में वृद्धि तथा दीर्घकालीन विद्युत क्रय अनुबंध के कारण विद्युत की उपलब्धता मांग के अनुरूप हो गयी हैं तथा प्रदेश विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की स्थिति में आ गया है । ग्रामीण विद्युतीकरण की नवीन अवधारणानुसार प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण का औसत 85 प्रतिशत हो गया है ।

1.29 ऊर्जा क्षेत्र में राजस्व प्रबंधन : प्रदेश में राजस्व प्रबंधन के सुधार हेतु उठाये गये कदमों के फलस्वरूप राजस्व में वृद्धि हुई है फलस्वरूप प्रदेश में गतवर्ष की तुलना में वर्ष 2015-16 में राजस्व में 13.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

1.30 परिवहन : राज्य की अर्थ व्यवस्था में परिवहन क्षेत्र (भंडारण सहित) में वृद्धि वर्ष 2014-15 (प्रा.) में 11.35 प्रतिशत एवं वर्ष 2015-16 (त्व.) में 12.13 प्रतिशत है । प्रचलित भावों पर वर्ष 2015-16 (त्व.) में सकल राज्य मूल्यवर्धन में इस क्षेत्र में 3.18 प्रतिशत अंश की भागीदारी रही है । स्थिर भावों पर (2011-12) राज्य मूल्यवर्धन में की भागीदारी का अंश वर्ष 2015-16 (त्व.) में 3.57 रहा ।

मध्यप्रदेश राज्य के सकल मूल्यवर्धन में वर्ष 2014-15 के प्रावधिक अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर रेल्वे का अंश 1.08 प्रतिशत रहा जबकि स्थिर भावों (2011-12) पर 1.18 प्रतिशत अंश है। वर्ष 2015-16 के त्वरित अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर रेल्वे का अंश 1.13 प्रतिशत तथा स्थिर भावों पर 1.23 प्रतिशत है । मध्यप्रदेश में सकल मूल्यवर्धन के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के प्रावधिक अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर संचार क्षेत्र का अंश 1.97 प्रतिशत एवं वर्ष 2015-16 (त्व.) के अनुसार 2.14 प्रतिशत है जबकि स्थिर भावों (2011-12) पर वर्ष 2014-15 में 2.12 प्रतिशत एवं वर्ष 2015-16 (त्व.) में 2.42 प्रतिशत अंश परिलक्षित है ।

1.31 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना : प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रारंभ से दिसम्बर, 2016 तक 63.61 हजार किलोमीटर लम्बाई की 15343 सड़के 131 बड़े पुलों का निर्माण कार्य करते हुए 17716 करोड रुपये व्यय किये गये ।

1.32 लोक निर्माण विभाग की सड़क : वर्ष 2016-17 में माह जनवरी, 2017 तक लोक निर्माण विभाग द्वारा संधारित कुल सड़कों की लम्बाई 63.64 हजार राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 7.81 हजार तथा प्रांतीय राज मार्गों की लंबाई 11.06 हजार किलोमीटर रही । प्रदेश में सड़कों के निर्माण/उन्नयन के साथ-साथ पंजीकृत वाहनों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है ।

1.33 पंजीकृत वाहन : पंजीकृत वाहनों की संख्या वर्ष 2014-15 के 11141 हजार से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 12129 हजार हो गई जो गत वर्ष से 8.87 प्रतिशत अधिक रही ।

1.34 शिक्षा : राज्य में साक्षरता दर में विगत दशक में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश में साक्षरता दर 70.6 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत 74.04 प्रतिशत से कुछ ही कम है । सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य में प्रारंभिक स्तर की शिक्षा के नामांकन में वृद्धि रही एवं शाला त्यागी दर में भी कमी आई है । वर्ष 2015-16 की स्थिति अनुसार प्रदेश में लगभग 83.89 हजार शासकीय प्राथमिक तथा 30.34 हजार शासकीय माध्यमिक शालायें हैं । इन शालाओं में नामांकन क्रमशः 86.62 लाख एवं 48.14 लाख है । कुल नामांकन में बालिकाओं के नामांकन का प्रतिशत क्रमशः 38.28 एवं 22.61 प्रतिशत है । प्रदेश में बालिका शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । वर्ष 2016-17 में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों की संख्या 16.22 हजार है जिनमें नामांकन 38.99 लाख है । वर्ष 2015-16 में कक्षा 1 से 5 तक के छात्र तथा छात्राओं की शाला त्यागी दर क्रमशः 6.2 एवं 6.1 प्रतिशत रही, तथा कक्षा 6 से 8 तक के छात्र-छात्राओं की शाला त्यागीदर क्रमशः 8.2 एवं 11.0 रही । प्रदेश में विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश वितरण, साइकिल प्रदाय, मध्याह्न भोजन आदि की योजनाओं का क्रियान्वयन कर शालाओं में उपस्थिति बढ़ाने के प्रयास उपयोगी रहे हैं ।

1.35 निःशुल्क सायकिल वितरण : प्रदेश में कक्षा नौवीं में दूसरे ग्राम में अध्ययन हेतु जाने वाले बालिकाये/बालकों को निःशुल्क सायकिल वितरित वर्ष 2016-17 में 4.16 लाख से अधिक बालक/बालिकाओं को इस योजना अंतर्गत लाभान्वित होंगे । इसी तरह मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना में कक्षा 12 वीं 85 प्रतिशत तथा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को कम्प्यूटर क्रय करने हेतु 25.00 हजार रुपये प्रति विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाती है। वर्ष 2016-17 में 17.90 हजार विद्यार्थियों को 4.47 करोड़ रुपये वितरित कर लाभान्वित हुये ।

1.36 गांव की बेटा : राज्य शासन ने "गांव की बेटा" योजना के माध्यम से ग्रामीण लड़कियों को उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयास सुनिश्चित किये हैं । योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर, 2016 तक 28.25 हजार छात्रायें लाभान्वित हुई हैं ।

1.37 प्रतिभा किरण : शहरी क्षेत्रों की गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण बालिका को प्रतिभा किरण योजनान्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है । वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर, 2016 तक 3.38 हजार छात्रायें लाभान्वित हुई हैं ।

1.38 तकनीकी शिक्षा : वर्तमान में तकनीकी शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में वर्ष 2016-17 में 641 संस्थाएँ संचालित हैं जिनमें वार्षिक प्रवेश क्षमता 1.37 लाख विद्यार्थी है ।

1.39 स्वास्थ्य : राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2002 के अनुसार सभी के लिये स्वास्थ्य के राष्ट्रीय उद्देश्य को स्वीकार करते हुये प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढीकरण किया गया है । विगत वर्षों में प्रदेश के स्वास्थ्य सूचकांकों में उल्लेखनीय बदलाव परिलक्षित हुये हैं तथा प्रदेश को बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर लाने के प्रयासों के तहत कामयाबी हासिल हुई है । नगरीय क्षेत्रों में औषधालयों एवं चिकित्सालयों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है ।

वर्ष 2006 से संचालित दीनदयाल चलि अस्पताल योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में 16.71 लाख वर्ष 2016-17 में माह अक्टूबर 2016 तक कुल 5.93 लाख हितग्राहियों को निःशुल्क सेवाएँ प्रदान कर लाभान्वित किया गया है । प्रदेश में टीकाकरण, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन तथा पुनरीक्षण क्षय नियंत्रण कार्यक्रम क्रियान्वित कर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया कराई जा रही हैं । मातृ मृत्यु दर एवं नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाने तथा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिये राज्य शासन द्वारा प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना, संचालित की गई वर्ष 2016 माह नवम्बर तक 7.05 लाख गर्भवती महिलाओं को योजना का लाभ दिया जा चुका है।

प्रदेश में 61.04 हजार आशा कार्यकर्ता कार्यरत है । नेशनल एम्बुलेंस सर्विस अन्तर्गत राज्य में आपातकालीन सेवाओं के प्रबन्ध हेतु संजीवनी 108 एम्बुलेंस वाहन संचालित किये गये हैं । वर्तमान में 606 एम्बुलेंस संचालित है । वर्ष 2015-16 में 9.26 लाख तथा वर्ष 2016-17 में माह नवम्बर 2016 तक 5.93 लाख मरीजों को इस सेवा द्वारा लाभान्वित किया गया है ।

1.40 मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना : इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के 0,15 वर्ष के बच्चों जो हृदय रोग से पीडित हैं का उपचार/आपरेशन किया जाता है इस योजना अंतर्गत 1 लाख रु. तक की स्वीकृति का प्रावधान है वर्ष 2015-16 में 138 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें 1576 लाख बच्चे 4-डी धनात्मक पाये गये शेष 9.6 लाख बच्चों का उपचार प्रदान किया गया एवं 13.58 हजार बच्चों की सघन शल्य क्रिया की गई।

1.41 जीवनांक : न्यादर्श पंजीयन प्रणाली (एस.आर.एस.) के आधार पर प्रदेश में वर्ष 2015 माह मार्च 2015 की स्थिति में प्रति हजार व्यक्तियों पर जन्म दर एवं मृत्यु दर क्रमशः 25.7

एवं 7.8 रही । इसी अवधि में प्रति हजार जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर 52 रही । प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर एवं शिशु मृत्युदर राष्ट्रीय स्तर से अभी भी अपेक्षाकृत अधिक है। प्रदेश में संस्थागत सुरक्षित प्रसव की सुविधा उपलब्ध कराकर मातृ मृत्यु दर एवं नवजात शिशु मृत्युदर को कम करने के प्रयास किये गये जिसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

1.42 पेयजल व्यवस्था : नई नीति अनुसार 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल व्यवस्था की गई है । ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में माह नवम्बर, 2016 तक 4.98 हजार बसाहटों में हैंडपंप योजनाओं द्वारा पेयजल की व्यवस्था की गई है । इसी अवधि में 621 ग्रामीण शालाओं, 552 आंगनबाडियों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी है ।

1.43 रोजगार की स्थिति : वर्ष 2016 के अंत में प्रदेश में स्थित रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजी पर कुल 3.45 लाख व्यक्ति दर्ज रहे । राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में लगे व्यक्तियों की 2014-15 की अवधि में संख्या में 8.41 लाख रही, इसी अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में लगी महिलाओं की संख्या भी 1.19 लाख है ।

1.44 प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन : राज्य में प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन की गणनानुसार 31 मार्च 2016 में कुल कर्मचारियों की संख्या 7,44,137 रही जो गत वर्ष से 0.61 प्रतिशत की कमी रही । शासकीय कर्मचारियों (नियमित) की संख्या में 2.33 प्रतिशत की कमी रही, इसी प्रकार विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में 0.40 की प्रतिशत कमी रही ।

1.45 कारखानों की संख्या एवं नियोजन : वर्ष 2016-17 में दिसम्बर, 2016 तक 178 नये कारखाने पंजीकृत हुए हैं तथा राज्य में कारखानों की संख्या 16.69 हजार तथा कुल नियोजन क्षमता 8.5 हजार हो गयी है ।

1.46 औद्योगिक विवाद : वर्ष 2015-16 में औद्योगिक अशांति के कारण विवादों की संख्या 14 रही जिसमें 53.35 हजार मानव दिवसों की हानि हुई । वर्ष 2015-16 में सितम्बर 2015 तक औद्योगिक विवादों की संख्या 6 रही तथा 25.17 हजार मानव दिवसों की हानि हुई है ।

1.47 हाथ ठेला एवं साइकिल रिकशा चालक कल्याण योजना : प्रदेश के शहरी में मुख्यमंत्री हाथठेला एवं सायकल रिकशा चालक कल्याण योजना वर्ष 2009 से प्रारंभ की गई है । इस योजना अन्तर्गत पंजीकृत सदस्यों को स्वरोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाती है । वर्तमान

तक 53102 सदस्यों को सहायता उपलब्ध करा दी गई है। प्रसूति सहायत, छात्रवृत्ति, विवाह सहायत, चिकित्सा सहायता अनुग्रह सहायता, जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।

1.48 मुख्यमंत्री मानव श्रम रहित ई-रिक्शा एवं ई-लीडर योजना : शहरी गरीबों के शारीरिक श्रम को न्यूनतम कर उच्च आय अर्जित करने के युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जनवरी 2017 से मुख्यमंत्री मानव रहित ई-रिक्शा एवं ई-लीडर योजना प्रारंभ की गई है। उक्त योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत अतिरिक्त घटक के रूप में वित्त पोषित होगी।

1.49 मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना : योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए स्वरोजगार स्थापित करने के हेतु परियोजना लागत 50,000 रु. तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान तथा बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर में 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर की अन्तर राशि की ब्याज अनुदान के रूप में अधिकतम 7 वर्ष तक दिया जायेगा। यह योजना वर्ष 2015-16 से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर तक 6308 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया।

1.50 राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन : इस योजना अंतर्गत स्वरोजगार कार्यक्रम तथा कौशल प्रशिक्षित एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना भारत शासन के सहयोग से प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में क्रियान्वित की जा रही है जिसमें केन्द्र एवं राज्य शासन का अंशदान क्रमशः 75 एवं 25 प्रतिशत है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करके गरीबी उन्मूलन करना है। वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर 2016 तक 7483.39 लाख रु. अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए गए जिससे 52620 हितग्राही लाभान्वित हुए।

1.51 महिला एवं बाल विकास : प्रदेश में बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण, उन्नति एवं सर्वांगीण विकास हेतु एकीकृत बाल विकास परियोजनाएँ संचालित की जा रही हैं। बच्चों के शारीरिक मानसिक एवं बौद्धिक विकास एवं कुपोषण से मुक्ति कराने हेतु 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिए महिला एवं बाल विकास परियोजनाएं तथा 73 शहरी बाल विकास परियोजनाएं सहित प्रदेशमें कुल 453 समेकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन परियोजनाओं में कुल 84.47 हजार आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 12.67 हजार मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं।

इस परियोजना के माध्यम से 80.00 लाख बच्चों तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं को पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक आहार की व्यवस्था हेतु व्यय की जाने वाली राशि में 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2016-17 में पोषण आहार अन्तर्गत राशि रुपये 1126.07 करोड रुपये का प्रावधान रखा गया है तथा सबला योजनान्तर्गत राशि रुपये 136.64 करोड रुपये का पृथक से प्रावधान किया गया है।

1.52 लाइली लक्ष्मी योजना : बालिका के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधार शिला रखने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी योजना **"लाइली लक्ष्मी योजना"** आरंभ की गई है। इस योजना के तहत दिनांक 1 जनवरी, 2006 के बाद जन्मी बालिकाओं को लाभ दिया जा रहा है। 18 वर्ष आयु होने तक यह योजना लागू होती है। योजनान्तर्गत बालिका के नाम पंजीकरण के समय से लगातार पांच वर्ष तक 30.00 हजार रुपये मध्यप्रदेश लाइली लक्ष्मी निधि में जमा किये जायेंगे। बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर 2000 रुपये, कक्षा 9 वीं में प्रवेश लेने पर 4000 रुपये और कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने पर 6000 रुपये एक मुश्त भुगतान किया जावेगा। कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने के पश्चात आगामी 6000 रुपये का भुगतान बालिका को किया जावेगा। बालिका की आयु 21 वर्ष की होने पर 1.00 लाख रुपये प्रदाय जाते हैं। इस योजनान्तर्गत अब तक 21.00 लाख बालिकाओं को इसका लाभ दिया जा चुका है।

1.53 शौर्यादल योजना : प्रदेश में महिलाओं/बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा, अपराध, उत्पीडन, योन शोषण की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शौर्य दल योजना के तहत राज्य में अभी तक 60,000 शौर्यादलों का गठन किया गया है। शौर्यादलों द्वारा अर्जित की गई सफलता को प्रशंसा राष्ट्रीय व अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे IFAD, UN, WOMEN, UNDP के द्वारा की गई है।

1.54 लाडो अभियान : समाज में प्रचलित बाल विवाह जैसी कुरीतियों से बच्चों का शारीरिक मानसिक, बौद्धिक एवं आर्थिक शक्तिकरण बाधित हुआ है। मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल (गरीबी उन्मूलन, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिककरण, लैंगिंग समानता को बढ़ावा देने बच्चों के जीवन की सुरक्षा महिला स्वास्थ्य में सुधार को) प्राप्त करने के लिए बाल विवाह को शून्य करना अत्यन्त आवश्यक है। लाडो अभियान के तहत राज्य में 82034 बाल विवाह सम्पन्न होने के पूर्व परामर्श/समझाइश से रोके गए हैं। **माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाडो अभियान को वर्ष 2014 का प्रधानमंत्री लोक सेवा उत्कर्षता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।** वर्ष 2016 में भारत को अन्तरराष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त हुआ है।

1.55 मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना : किसी भी प्रकार के हिंसा से पीड़ित महिलाओं को यदि पारिवारिक सहायता नहीं मिलती है तो जीवन यापन करने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं ऐसी कठिन परिस्थितियों में परिवार एवं समाज में पुर्नस्थापित होने हेतु पीड़ित महिला की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ा जाता है जिससे वह स्वयं के साथ साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर सकती है वर्ष 2016-17 में कुल 1000 महिला हितग्राहियों का प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया है इस योजना को वर्ष 2015 में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है ।

1.56 अनुसूचित जातियों का कल्याण : वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का 15.62 प्रतिशत है । इन वर्गों के बच्चों को छात्रवृत्तियां एवं अन्य शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराकर शैक्षणिक स्तर में वृद्धि करने के साथ-साथ इनके जीवन स्तर को उन्नत करने एवं विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं । अनुसूचित जाति के बच्चों को आवास सुविधा तथा पढाई के लिये अनुकूल वातावरण निर्मित करने हेतु पृथक-पृथक आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 573 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास प्री मैट्रिक छात्रावास 1152 महाविद्यालयीन छात्रावास 189 एवं 10 संभाग स्तरीय आवासीय विद्यालय संचालित है ।

1.57 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण : वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 21.10 है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में 13062.89 लाख रुपये के प्रावधान के विरुद्ध 3451.00 लाख रु. व्यय किया गया । वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर 2016, तक प्रावधान राशि रु. 14542.30 लाख के विरुद्ध ग्यारहवीं एवं बारहवीं के 251732 विद्यार्थियों को रु. 8230.31 लाख रु की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी तथा महाविद्यालयीन कक्षा के 10912 विद्यार्थियों को 876.00 लाख छात्रवृत्ति का वितरण किया गया ।

कन्या साक्षरता को प्रोत्साहित करने हेतु 5 वीं, 8 वीं, 9वीं एवं 10 वीं बोर्ड परीक्षा पास कर अगली कक्षा में प्रवेश लेने पर क्रमशः 500, 1000 एवं 3000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है । वर्ष 2016-17 में कक्षा नवमी एवं ग्यारहवीं में छात्राओं के लिए राशि रु. 32891.44 लाख प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर 2016 तक राशि 21890.44 लाख व्यय किये गये ।

1.58 पिछड़ा वर्ग का कल्याण : शासन द्वारा पिछड़े वर्ग के कल्याणार्थ चलाये जा रहे कार्यक्रमों के तहत राज्य छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 6 से 10 तक निरन्तर

विधाध्ययन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु (10 माह के लिए) दी जाती है छात्रवृत्ति का वितरण बैंक के माध्यम से किया जाता है ।

वर्ष 2015-16 में कुल रु. 4.00 लाख विद्यार्थियों को 47725.31 लाख रु. व्यय किये गये । वर्ष 2016-17 में 4.25 लाख विद्यार्थियों को माह दिसम्बर 2016 तक 56358.40 लाख रु. का आवंटन किया गया है ।

1.59 अल्पसंख्यक का कल्याण : पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के प्रतिभावान विद्यार्थियों जिनके प्राप्तांक 50% से अधिक है तथा स्वयं माता, पिता की वार्षिक आय की 2.00 लाख से अधिक न हो उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । वर्ष 2015-16 में 91117 विद्यार्थियों के प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है । वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर 2016 तक 37 विद्यार्थियों के आन लाईन आवेदन भारत सरकार को भेजे गये है ।

1.60 सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय : राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में आवंटन 22619.36 लाख रुपये में से 14019.01 लाख रुपये व्यय कर 6.41 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है ।

- **इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना :** इस योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में आवंटन 6200.00 लाख रुपये में से 3107.02 लाख रुपये व्यय कर 1.15 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है ।
- **इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :** इस योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में आवंटन 44000.00 के विरुद्ध माह 30211.04 लाख रुपये व्यय कर 15.29 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है ।
- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना ;** इस योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 आवंटन 39000.00 लाख रुपये के विरुद्ध 20631.65 लाख रुपये व्यय कर 9.59 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है ।

1.61 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना : मध्य प्रदेश शासन द्वारा गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु कन्या की गृहस्थी की स्थापना हेतु सावधि जमा रुपये 17.00 हजार विवाह संस्कार के आवश्यक सामग्री 5.00 हजार रुपये प्रदाय की जाती है । सामूहिक विवाह कार्यक्रम को आयोजित करने के लिये ग्रामीण/शहरी निकाय को व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु 3.0 हजार इस प्रकार कुल 25.00 हजार रुपये प्रदान किये जाते है ।

वर्ष 2015-16 में आवंटन 15436.81 लाख रु. के विरुद्ध माह 7168.59 लाख रुपये व्यय किये जाकर 28.25 हजार कन्याओं के सामूहिक विवाह संपन्न कराये गये ।

1.62 मुख्यमंत्री निकाह योजना : मध्य प्रदेश शासन द्वारा मुख्यमंत्री निकाह योजनान्तर्गत निराश्रित निर्धन परिवारों की मुस्लिम विवाह योग्य कन्याओं/विधवा/ परित्यक्ताओं के सामूहिक निकाह सम्पन्न कराये जाने का प्रावधान है । सावधि जमा रुपये 17.00 हजार, गृहस्थी स्थापना विवाह संस्कार के आवश्यक सामग्री 5.00 हजार रुपये प्रदाय की जाती है । सामूहिक विवाह कार्यक्रम को आयोजित करने के लिये ग्रामीण/शहरी निकाय को व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु 3.0 हजार इस प्रकार कुल 25.00 हजार रुपये प्रदान किये जाते हैं । योजनांतर्गत वर्ष 2016-17 में आवंटन 900.00 लाख के विरुद्ध 207.74 लाख रुपये व्यय किये जाकर 919 हितग्राहियों का सामूहिक निकाह सम्पन्न कराया गया ।

1.63 मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेशन योजना : इस योजना के अंतर्गत ऐसे दंपति जिसमें पति/पत्नी में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो एवं जिनकी केवल जीवित कन्याये हैं जीवित पुत्र नहीं तथा हितग्राही आयकर दाता न हो को 500 रु प्रति माह पेशन दी जाती है । वर्ष 2016-17 में आवंटन 2250.00 लाख रु. के विरुद्ध 1273.06 लाख रु. व्यय कर 36.87 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ।

1.64 मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना : इस योजना का उद्देश्य मध्यप्रदेशके मूल निवासी जो (आयकर दाता न हो) वरिष्ठ नागरिको (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) को जीवनकाल में एक बार प्रदेश के बाहर (श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, श्री जगन्नाथपुरी, श्री द्वाराकापुरी, हरिद्वार, अमरनाथ, वेषणोदेवी शिरडी, तिरूपति, अजमेर शरीफ, काशी (वाराणासी) गया, अमृतसर, रामेश्वर, सम्मेट शिखर, श्रवणबेलगोला, वेलांगणी चर्च नागापट्टम (तमिलनाडू) तीर्थ स्थानों में से किसी एक स्थान की यात्रा सुलभ कराने हेतु शासकीय सहायता प्रदान की जाती है । इस योजनान्तर्गत 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक कुल 110 ट्रेने चलाई जा रही हैं जिससे कुल 1.10 लाख वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा का लाभ मिलेगा। इस हेतु वित्तीय वर्ष में 125 करोड़ रुपये प्राप्त हुये जिसमें से माह फरवरी 2017 तक राशि रुपये 94.12 करोड़ रुपये व्यय किया जा चुका है।

1.65 मानव विकास : मानव विकास प्रगति का लक्ष्य भी है तथा जरिया भी मानव विकास में प्रमुख रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीविका को सम्मिलित किया गया है । मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने में प्रदेश अग्रणी रहा है ।

भारत के महारजिस्टार द्वारा जारी नवीतम आंकडों के अनुसार वर्ष 2014 में राष्ट्रीय शिशु मृत्युदर 39 के विरूध्द मध्यप्रदेश में अनुमानित शिशु मृत्यु दर 52 है ग्रामीणक्षेत्र में राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर 43 के विरूध्द प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 57 रही है जबकि शहरी इलाकों में राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर 26 के विरूध्द प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 35 है। प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर वर्ष 2012-13 में 221 रही जो भारत वर्ष की मातृत्व मृत्यु दर 167 से 32.33 प्रतिशत अधिक है । अतः स्वास्थ्य स्तर में सुधार हेतु प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अधिक सुधार करने की आवश्यकता है ।

लोक वित्त

2.1 सिंहावलोकन :

मध्यप्रदेश के प्रमुख राजकोषीय घातकों का विवरण तालिका 2.1 में दिया गया है, वित्तीय वर्ष 2004-05 से मध्य प्रदेश राजस्व आधिक्य प्रदेश रहा है। ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 10 प्रतिशत के भीतर ही रहा है, जो कुशल वित्तीय प्रबंधन का घातक है। यह वर्ष 2014-15 में 7.98 रहा जो वर्ष 2016-17 (ब.अ.) में बढ़ कर 8.12 प्रतिशत हो गया है। प्रदेश का राजकोषीय घाटा म.प्र. उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत निर्धारित सीमा में है। राजस्व प्राप्ति की तुलना में ब्याज भुगतान में कमी परिलक्षित है जो कुशल वित्तीय प्रबंधन का घातक है।

तालिका 2.1
राजकोषीय घाटा

शीर्ष	2014-15	2015-16	(करोड़ रुपये में)
			2016-17 (बजट अनुमान)
राजस्व आधिक्य	6267.97	5739.89	3509.81
राजकोषीय (वित्तीय) घाटा	(-) 11651.59	(-) 14064.71	(-) 24913.64
प्राथमिक घाटा	(-) 4580.34	(-) 5973.83	(-) 14680.26
राजकोषीय घाटा / जी.एस.डी.पी.	2.29%	2.49%	3.49%
राजस्व आधिक्य / जी.एस.डी.पी.	1.23%	1.02%	0.49%
ब्याज भुगतान / राजस्व प्राप्ति (प्रतिशत में)	7.98%	7.67%	8.12%

(ब.अ.)=बजट अनुमान

2.2 प्राप्तियां : राज्य सरकार की प्राप्तियों का विवरण तालिका 2.2 में दिया गया है। वर्ष 2011-12 तथा 2016-17 के मध्य कुल प्राप्तियों से राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 77.37 प्रतिशत तथा 79.51 प्रतिशत के बीच परिवर्तित होता रहा है।

तालिका 2.2
राज्य सरकार की कुल प्राप्तियां

(करोड़ रुपये में)

शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (ब.अ.)
राजस्व प्राप्तियां	62604.08	70427.28	75749.24	88640.79	105510.59	126095.14
लोक ऋण	3600.46	5207.22	5536.18	10148.19	15124.94	24175.08
उधार वसूली	9147.86*	73.12	131.63	6793.70*	190.72	7704.26*
शुद्ध लोक लेखा	5561.20	3255.10	4781.0	1230.50	-251.10	620.00
आकस्मिकता निधि से शुद्ध प्राप्तियां	0	0	0	0	1.08	0
कुल प्राप्तियां	80913.60	78962.72	86198.05	106813.18	120576.23	158594.48
राजस्व प्राप्तियां (कुल प्राप्तियों से प्रतिशत)	77.37	89.19	87.88	82.99	87.51	79.51

* - विद्वत वितरण कम्पनियों के ऋणों की वित्तीय पुर्नसंरचना के कारण यह वृद्धि परिलक्षित हुई है ।

2.3 राज्य का स्वयं का कर राजस्व : राज्य की राजस्व प्राप्तियों की संरचना तालिका 2.3 में एवं प्रमुख कर राजस्व मद में प्राप्तियां तालिका 2.4 में दर्शायी गई है । विगत वर्षों में राज्य के कर राजस्व में वृद्धि दर की प्रवृत्ति औसत 10.28 प्रतिशत रही है।

तालिका 2.3
राजस्व प्राप्तियों की संरचना

(करोड़ रुपये में)

शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	वृद्धि दर की प्रवृत्ति प्रतिशत	2016- 17(बजट अनुमान)	वृद्धि प्रतिशत
राज्य कर	26973.44	30581.70	33552.15	36567.12	40240.43	10.28	46500.00	15.56
केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	18219.14	20805.16	22715.28	24106.80	38371.06	17.79	43676.36	13.83
केन्द्रीय अनुदान	9928.77	12040.2	11776.82	17591.44	18330.31	17.41	24437.15	33.32

2.4 केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा : चौदहवें वित्त आयोग द्वारा मध्य प्रदेश के लिए वितरण योग्य कर (सेवा कर को छोड़कर) का 7.548 प्रतिशत तथा वितरण योग्य सेवा कर का 7.727 प्रतिशत अंश निश्चित किया है, जबकि तेरहवें वित्त आयोग द्वारा क्रमशः 7.12 प्रतिशत तथा 7.23 प्रतिशत का अंश निश्चित किया गया था।

तालिका 2.4
राज्य की मुख्य कर राजस्व मदों में वृद्धि

(करोड़ रुपये में)

स्वयं के कर राजस्व	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	वृद्धि दर की प्रवृत्ति प्रतिशत	2016-17 (बजट अनुमान)	वृद्धि प्रतिशत
भू-राजस्व	279.06	443.59	366.23	243.1	276.86	-5.99	500.00	80.60
स्टाम्प व पंजीयन	3284.41	3944.24	3400	3892.77	3867.69	3.19	4500.00	16.35
राज्य आबकारी	4316.49	5078.06	5907.39	6695.54	7922.84	16.08	9000.00	13.60
वाणिज्यिक कर	12516.73	14856.3	16649.85	18135.96	19806.15	11.82	22000.00	11.08
मोटरयान कर	1357.12	1531.25	1598.93	1823.84	1933.57	9.23	2500.00	29.29
माल तथा यात्रियों पर कर	2047.46	2395.03	2578.74	2686.39	3084.76	9.80	4200.00	36.15
विद्युत शुल्क	1773.32	1477.71	1972.2	2010.2	2257.83	8.23	2500.00	10.73

2.5 राज्य के करेतर राजस्व : राज्य के प्रमुख करेतर राजस्व मदों में वर्षवार प्राप्ति में तालिका 2.5 में दर्शाई गई हैं। राज्य के करेतर राजस्व में उतार-चढ़ाव परिलक्षित हैं।

तालिका 2.5
राज्य के करेतर राजस्व की वृद्धि

(करोड़ रुपये में)

करेतर राजस्व	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	वृद्धि दर की प्रवृत्ति प्रतिशत	2016-17 (बजट अनुमान)	वृद्धि प्रतिशत
वन	878.81	910.38	1036.8	968.77	1001.71	3.29	1250.00	24.79
सिंचाई	304.47	517.35	357.85	437.33	482.90	7.84	500.50	3.64
खनन	2038.31	2443.39	2306.17	2813.66	3059.64	10.00	3450.00	12.76

2.6 व्यय : लोक व्यय एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा सरकार राज्य के विकास के लिए सामाजिक तथा भौतिक अधोसंरचना उपलब्ध कराती है। अतः लोक व्यय का आकार,

संरचना तथा उत्पादकता अर्थव्यवस्था के विकास का सूचक है । राज्य के आयोजना तथा आयोजनेतर व्यय का विवरण तालिका 2.6 में हैं ।

तालिका 2.6
आयोजना तथा आयोजनेतर व्यय

(करोड़ रुपये में)

शीर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	वृद्धि दर की प्रवृत्ति प्रतिशत	2016-17 (बजट अनुमान)	वृद्धि प्रतिशत
आयोजना राजस्व व्यय	16016.54	18349.33	19426.27	26514.56	31451.43	18.74	41240.84	31.13
आयोजना पूंजीगत व्यय	9022.87	11542.98	10769.96	11821.05	16678.57	13.34	30615.63	83.56
आयोजनेतर राजस्व व्यय	36677.17	44619.20	50443.49	55858.26	68319.27	15.82	81344.49	19.07

लोक व्यय का एक अधिक उपयुक्त वर्गीकरण पूंजीगत तथा राजस्व व्यय है। पूंजीगत व्यय का स्तर लोक निवेश के स्तर को दर्शाता है, जो केवल लोक आस्तियों को नहीं बनाता, बल्कि निजी निवेश को भी त्वरित गति से बढ़ाता है। राज्य शासन को कठिन बजट बाध्यताओं का सामना करना पड़ता है इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि राजस्व व्यय कम करते हुए पूंजीगत व्यय में वृद्धि की जाये । पिछले कुछ वर्षों में राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी है, जिससे पूंजीगत व्यय के लिए ऋण पर निर्भरता कम हुई है। वर्ष 2011-12 से गत वर्ष 2015-16 तक पूंजीगत आयोजना व्यय में वृद्धि दर की प्रवृत्ति, औसत 13.34 प्रतिशत रही है।

2.7 लोक ऋण : 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार राज्य का शुद्ध लोक ऋण 70263.62 करोड़ रुपये अनुमानित है । शुद्ध लोक ऋण की संरचना तालिका 2.7 में दर्शायी गई है । लोक ऋण का 50.53 प्रतिशत बाजार से लिया गया ऋण है तथा अल्प बचत का योगदान 18.17 प्रतिशत है ।

तालिका 2.7
शुद्ध लोक ऋण

(करोड़ रुपये में)

स्रोत वर्ष	31 मार्च, 2015	कुल का प्रतिशत	31 मार्च, 2016	कुल का प्रतिशत
बाजार से उधार लेना	43149.92	45.43	56140.65	50.53
केन्द्र	13253.83	13.95	13668.01	12.30
वित्तीय संस्था	6598.15	6.95	7396.46	6.666
अल्पबचत	19259.61	20.28	20181.34	18.17
अन्य	12717.65	13.39	13714.65	12.34
योग	94979.16	100.00	111101.1	100.00
घटाईये				
राज्य को देय बकाया ऋण	37841.89		40837.48	
शुद्ध लोक ऋण	57137.27		70263.62	

बचत एवं विनियोजन

बैंकिंग

घरेलू बचत को प्रोत्साहित करते हुए उसे वित्तीय बाजार में संचारित करने में बैंकिंग संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। बैंकों द्वारा घरेलू बचत राशि के सुरक्षित विनियोजन की सेवा तथा अवसर प्रदान किया जाता है तथा इस बचत राशि का कृषि, उद्योग, सेवा, आदि क्षेत्रों हेतु निवेश के लिये ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।

3.1 बैंक शाखा नेटवर्क : प्रदेश में बैंक शाखा नेटवर्क की क्षेत्रवार संख्या तालिका 3.1 में दी गई है। प्रदेश में वाणिज्यिक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ग्रामीण शाखाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर 2016 तक की अवधि में 243 ग्रामीण शाखाओं की कमी परिलक्षित हो रही है। इसका मुख्य कारण शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक को परिसमापन में लाये जाने के कारण इस बैंक की 261 ग्रामीण शाखाओं के आंकड़े कम किये जाना है। उक्त अवधि में 52 अर्धशहरी तथा 198 शहरी शाखाओं की वृद्धि हुई।

तालिका 3.1
बैंक शाखा नेटवर्क का विस्तार

बैंक का प्रकार	मार्च-15	मार्च-16	दिसम्बर-16
ग्रामीण बैंक शाखाएं			
वाणिज्यिक बैंक	1458	1436	1465
सहकारी बैंक	558	558	297
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	835	864	853
योग	2851	2858	2615
अर्धशहरी बैंक शाखाएं			
वाणिज्यिक बैंक	1433	1433	1474
सहकारी बैंक	470	470	470
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	290	295	306
योग	2193	2198	2250
शहरी बैंक शाखाएं			
वाणिज्यिक बैंक	1707	1857	2055
सहकारी बैंक	93	93	86
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	109	123	137
योग	1909	2073	2278

बैंक का प्रकार	मार्च-15	मार्च-16	दिसम्बर-16
कुल बैंक शाखाएं			
वाणिज्यिक बैंक	4598	4726	4994
सहकारी बैंक	1121	1121	853
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1234	1282	1296
योग	6953	7129	7143

3.2 जन धन योजना: भारत सरकार द्वारा दिनांक 28 अगस्त 2014 को जन धन योजना प्रारम्भ की गई थी। योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित कुल 11,864 सब सर्विस एरिया तथा शहरी क्षेत्र के कुल 6,884 वार्ड में निवासरत कुल 153.86 लाख परिवारों में से बगैर बैंक खाते वाले चिन्हित कुल 49.47 लाख परिवारों के बैंक खाते खोले जाकर उन्हें बैंक से जोड़ने का कार्य पूर्ण किया गया।

योजना अंतर्गत दिनांक 31 जनवरी, 2017 तक 243.42 लाख से अधिक बैंक खाते खोले जाकर 175.65 लाख से अधिक खाताधारकों को कार्ड जारी किये जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रारंभ की गई है। इन दोनों योजनाओं के तहत न्यूनतम राशि रु. 12 प्रतिवर्ष के बीमा राशि पर दुर्घटना बीमा तथा राशि रु. 330 प्रतिवर्ष के जीवन बीमा का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु भी कदम उठाये जा रहे हैं।

3.3 वित्तीय साक्षरता एवं साख काउन्सिलिंग केन्द्र (एफएलसीसी): प्रदेश के सभी जिलों में संबंधित अग्रणी बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता एवं साख काउन्सिलिंग केन्द्र (एफएलसीसी) की स्थापना की गई है। वित्तीय साक्षरता एवं साख काउन्सिलिंग केन्द्रों के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण अंचलों में वित्तीय साक्षरता के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

3.4 बैंकिंग के मुख्य सूचकांक: बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों के आकार का आंकलन मुख्यतः जमा, अग्रिम, विनियोजन, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में अग्रिम, कृषि अग्रिम, सीधे कृषि अग्रिम, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र को अग्रिम, तृतीयक क्षेत्र को अग्रिम, कमजोर वर्ग को अग्रिम आदि सूचकांकों से किया जाता है। प्रदेश के लिये विगत वर्षों में इन सूचकांकों का विवरण तालिका 3.2 तथा 3.3 में दिया गया है। बैंकों में कुल जमा राशि में वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 की प्रथम नौ माही के दौरान 9.86 प्रतिशत की दर से वृद्धि परिलक्षित हुई है। वर्ष 2015-16 की तुलना में 2016-17 की प्रथम नौ माही कुल जमा राशि में 11.52 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बैंकों द्वारा दिये गये कुल अग्रिम राशि में 10.41 प्रतिशत की दर से वर्ष 2013-14 से 2016-17 की प्रथम नौ माही के दौरान वृद्धि परिलक्षित है। वर्ष 2015 - 16 की तुलना में 2016-17 की प्रथम नौ माही में कुल अग्रिम राशि में 6.75 प्रतिशत की

वृद्धि हुई है। कुल अग्रिम में वृद्धि की तुलना में प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम में वृद्धि दर 18.06 प्रतिशत रही। कृषि क्षेत्र में सीधे कृषि अग्रिम में वृद्धि दर 26.51 प्रतिशत रही। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र को दिये अग्रिम में निरन्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2016-17 की प्रथम नौ माही में गत वर्ष की तुलना में 25.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र में अग्रिम में से सीधे कृषि हेतु दिया गया अग्रिम का अंश वर्ष 2015-16 में 87.28 प्रतिशत था जो कि वर्ष 2016-17 की प्रथम नौ माही में बढ़कर 91.60 प्रतिशत हो गया।

तालिका 3.2
बैंकिंग व्यवसाय के मुख्य सूचकांक


(करोड़ रुपये में)

विवरण	मार्च- 14	मार्च- 15	मार्च- 16	31 दिसम्बर 2016	मार्च-14 से दिसम्बर-16 तक वृद्धि दर
कुल जमा	249525	294183	303070	337995	9.86
कुल अग्रिम	164877	188331	207899	221922	10.41
प्राथमिकता क्षेत्र में अग्रिम	96619	108459	121212	143109	13.77
कृषि अग्रिम	55681	61348	67379	81228	13.05
सीधे कृषि अग्रिम	51152	54251	58812	74406	12.81
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र में अग्रिम	22937	26509	30082	37684	17.54
कमजोर वर्ग को अग्रिम	21277	25810	37995	53171	36.81

तालिका 3.3
राष्ट्रीय मानक से प्रदेश के सूचकांकों की तुलना

विवरण	राष्ट्रीय मानक	मार्च-14	मार्च-15	मार्च-16	दिसम्बर 2016
साख-जमा अनुपात	60%	66%	64.02%	68.60%	65.66%
कुल अग्रिम का प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम	40%	59%	58.00%	58.30%	64.49%
कुल अग्रिम का कृषि अग्रिम	18%	34%	32.57%	32.41%	36.60%
कुल अग्रिम का कमजोर वर्ग को अग्रिम	10%	13%	14.00%	18.28%	23.96%

चित्र 3.1
राष्ट्रीय मानक की तुलना में राज्य की स्थिति



3.5 साख जमा अनुपात: वर्ष 2016-17 की प्रथम नौ माही के दौरान प्रदेश का साख-जमा अनुपात 65.66 प्रतिशत रहा है, जो राष्ट्रीय मानक 60 प्रतिशत से अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा न्यूनतम 40 प्रतिशत साख जमा अनुपात के निर्देश हैं। माह दिसम्बर 2016 को समाप्त नौ माही पर प्रदेश में कुल 11 जिलों यथा उमरिया, शहडोल, सागर, सतना, जबलपुर, टीकमगढ़, पन्ना, मण्डला, डिण्डोरी, छतरपुर एवं भिण्ड का साख-जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम पाया गया है। 13 जिलों का साख-जमा अनुपात 40 प्रतिशत 60 प्रतिशत के बीच है। 14 जिलों का साख-जमा अनुपात अभी भी 60 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच है, जबकि 13 जिलों का यह अनुपात शतप्रतिशत से भी अधिक है।


3.6 साख योजना का क्रियान्वयन : बैंकिंग समुदाय द्वारा प्रति वर्ष वार्षिक साख योजना तैयार कर जिलेवार एवं बैंकवार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं वार्षिक साख योजना के क्रियान्वयन का विवरण तालिका 3.4 में है। प्रदेश में कृषि एवं सम्बन्ध गतिविधियों के लिये ऋण वितरण में स्थिर परिलक्षित हो रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए ऋण वितरण में निरन्तर सुधार हो रहा है लघु उद्योगों के लिये ऋण वितरण में वृद्धि के फलस्वरूप ही इन औद्योगिक गतिविधियां में विस्तार होने का संकेत है।

तालिका 3.4
वार्षिक साख योजना की उपलब्धि

(करोड़ रुपये में)

गतिविधियां	2013-14	2014-15	2015-16	दिसम्बर, 2016
कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	43618	49871	52502	42991
लघु उद्योग	7181	13823	17769	12269
अन्य प्राथमिक क्षेत्र	5099	10935	9517	6037
योग	55898	74629	79788	61297

चित्र 3.2
वार्षिक साख योजना की उपलब्धि



3.7 कमजोर वर्ग को साख: प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा महिला वर्ग को निर्गमित साख का वर्षान्त पर शेष का विवरण तालिका 3.5 में है।

तालिका 3.5
कमजोर वर्ग को साख अंतर्गत उपलब्धि

(करोड़ रुपये में)

विवरण	मार्च-14	मार्च-15	मार्च-16	दिसम्बर-16	मार्च-14 से दिसम्बर-16 तक वृद्धि दर
महिलाओं को अग्रिम	14720.87	14366.66	23816.00	19164.00	13.85
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग	6690.50	7674.31	10726.00	14392.00	30.12
अल्पसंख्यक समुदाय	5791.47	7488.38	9539.00	7880.00	12.37

3.8 सूक्ष्म वित्त : वर्तमान परिदृश्य में स्व-सहायता समूहों द्वारा बचत के साथ-साथ नये व्यवसायों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में विकास करते हुए व्यवसाय में वृद्धि का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र हेतु एन.आर.एल.एम. तथा शहरी क्षेत्र हेतु एन.यू.एल.एम. नाम से मिशन प्रारम्भ किये हैं। इन दोनों मिशन अंतर्गत बैंकों एवं स्व-सहायता समूहों के मध्य लिंकेज की गतिविधियां संचालित की जा रही है।

3.9 गृह निर्माण अग्रिम: बैंकों द्वारा प्रदेश की जनता को उपलब्ध कराया जा रहे गृह निर्माण हेतु अग्रिम का विवरण तालिका 3.6 में है।

तालिका 3.6
बैंक द्वारा वितरित गृह निर्माण अग्रिम का विवरण

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	दिसम्बर 2016
प्रकरण स्वीकृत (संख्या)	97172	113839	238228	181209
प्रकरण वितरित (संख्या)	106438	111333	238228	181209
राशि निर्गमित (करोड़ रुपये में)	3506.91	3552.84	4043.92	2892.03

3.10 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन : राज्य शासन द्वारा इस योजनान्तर्गत ग्रामीण आवासहीन को आवास उपलब्ध कराने की योजना का क्रियान्वयन बैंको के माध्यम से किया जा रहा है ।

3.11 किसान क्रेडिट कार्ड: बैंकों द्वारा प्रदेश के किसानों को उनकी साख सुविधा की सुगमता से पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे कार्ड का विवरण तालिका 3.7 में है । बैंकों द्वारा वर्ष 2016-17 की प्रथम नौ माही के दौरान 68.87 प्रतिशत पूर्ति हुई है ।

तालिका 3.7
किसान क्रेडिट कार्ड वितरण

वर्ष	लक्ष्य	कार्ड वितरण	लक्ष्य के विरुद्ध वितरण का प्रतिशत
2013-14	7,35,680	11,02,226	149.82
2014-15	10,73,000	13,97,087	130.20
2015-16	10,72,900	9,18,888	85.64
2016-17	10,72,900	7,38,945	68.87

3.12 बैंक की अतिदेय राशि की वसूली : बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिम की समय पर वसूली साख रिसाईक्लिंग में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कतिपय कारणों से बैंक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में निर्गमित अग्रिम की समय पर वसूली नहीं होने तथा लम्बी अवधि व्यतीत होने के पश्चात वसूली की संभावना नहीं होने पर बैंक द्वारा ऐसी राशि को नॉन-परफार्मिंग सम्पत्ति मानते हुए प्रावधान करना होता है।

बैंकों की अतिदेय राशियों की वसूली हेतु प्रदेश में म.प्र. लोक धन (शोध्य राशियों की वसूली) अधिनियम, 1987 लागू है। उक्त अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत राजस्व अधिकारियों द्वारा बैंकों की अतिदेय राशियों की वसूली की जाती है।

3.13 आर.आई.डी.एफ. योजना अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति : भारत सरकार की योजनान्तर्गत नाबार्ड द्वारा ग्रामीण अधोसंरचना विकास परियोजनाओं (आर.आई.डी.एफ.) हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। नाबार्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ. अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं एवं स्वीकृत राशि का विवरण तालिका 3.8 में है।

तालिका 3.8

**आर.आई.डी.एफ. योजनान्तर्गत नाबार्ड द्वारा
स्वीकृत परियोजनाएं एवं ऋण राशि का विवरण**

(करोड़ रुपये में)

परियोजना क्षेत्र	वर्ष 2014-15		वर्ष 2015-16		वर्ष 2016-17 जनवरी 2017 तक	
	परियोजना संख्या	स्वीकृत ऋण राशि	परियोजना संख्या	स्वीकृत ऋण राशि	परियोजना संख्या	स्वीकृत ऋण राशि
सिंचाई	1	1035.68	2	1372.51	2	1034.65
सड़क	63	200.36	43	285.49	13	469.59
पुल एवं पुलिया	25	210.36	13	92.48	8	58.21
आई.टी.आई. भवन	0	0.00	30	102.00	0	0.00
ग्रामीण पेयजल वितरण	6	394.14	0	0.00	4	292.64
स्वास्थ्य	10	132.00	0	0.00	0	0.00
कुल योग	105	1972.54	88	1852.48	27	1855.09

3.14 बचत जमा की सुरक्षा हेतु निक्षेपकों के हितों का संरक्षण: देश की जनता द्वारा बचत राशि को विनियोजित करते हुए आय के संसाधन बढ़ाए जाते हैं। पूर्व वर्षों में बचत राशि को मुख्यतः बैंक, बीमा, डाकघर आदि में जमा रखा जाता था किन्तु पिछले कुछ समय से नॉन-बैंकिंग फायनेन्स कम्पनियां भी विभिन्न तरीकों से राशि एकत्र करने का कार्य कर रही हैं। प्रदेश में निक्षेपकों के हितों को संरक्षित करने हेतु "मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2000" लागू है।

बीमा क्षेत्र

3.15 जीवन बीमा : बीमा क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा भी घरेलू बचत को वित्तीय बाजार में संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। ये संस्थायें प्रदेश के सुदूर अंचलों में बीमा योग्य व्यक्तियों तक पहुंच कर बीमा सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम, बीमा क्षेत्र में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था है।

निगम के द्वारा वैयक्तिक बीमा योजनाओं में मध्यम तथा समाज के कमजोर एवं अल्प आयवर्ग के व्यक्तियों के लिये न्यूनतम प्रीमियम पर बीमा योजना के अंतर्गत बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। निगम द्वारा अल्प प्रीमियम भुगतान क्षमता वाले लोगों को जीवन बीमा सुरक्षा देने के उद्देश्य से सूक्ष्म बीमा की विशेष प्रकार की पॉलिसियां भी उपलब्ध हैं। निगम के मध्य क्षेत्र (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़) द्वारा व्यक्तिगत बीमा क्षेत्र में विगत तीन वर्षों की स्थिति तालिका 3.9 में दर्शायी है।

तालिका 3.9

व्यक्तिगत बीमा पालिसियों की उपलब्धियाँ (मध्य क्षेत्र)

मद	2014-15	2015-16	2016-17 31 जनवरी 2017
पालिसी संख्या (लाख में)	10.64	11.55	7.95
प्रथम प्रीमियम आय (करोड़ रुपये)	1468.64	1244.33	1223.75

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा मध्य क्षेत्र में न केवल बीमा पालिसियों एवं बीमित राशि में वृद्धि हो रही है, वरन निवेश, अधोसंरचना एवं सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धता हासिल की गई है। निगम के मध्य क्षेत्र (मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़) द्वारा **पेंशन, समूह बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा योजना** की प्रगति को तालिका 3.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.10
पेंशन समूह एवं सामाजिक सुरक्षा योजना (मध्य क्षेत्र)

मद	2014-15		2015-16		2016-17 (31जनवरी 2017 तक)	
	पेंशन एवं समूह बीमा	सामाजिक सुरक्षा योजना	पेंशन एवं समूह बीमा	सामाजिक सुरक्षा योजना	पेंशन एवं समूह बीमा	सामाजिक सुरक्षा योजना
नये जीवनो की संख्या (लाख में)	53.71	19.27	39.32	19.50	39.67	9.45
प्रथम प्रीमियम आय (करोड़ रूपये में)	757.19	13.79	663.98	1.02	934.19	0.054

विगत वर्ष तक मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 56.20 लाख परिवारों के मुखियाओं को जो गरीबी रेखा के नीचे या गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर जीवन यापन करते हैं, "आम आदमी बीमा योजना / जनश्री बीमा योजना" के तहत बीमा सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है। उक्त के अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष में आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत 9.45 लाख परिवारों के मुखियाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान की गई है ।

इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJYBY) के तहत मध्य प्रदेश में भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 255576 व्यक्तियों को बीमा सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है ।

भाव, खाद्यान्न उत्पादन एवं वितरण

भाव स्थिति

4.1 कृषि जन्य पदार्थों के थोक भाव सूचकांक : राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण कृषि जन्य पदार्थों के समूहों के थोक भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2005-06 से 2007-08 =100) आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा तैयार किये जाते हैं, जिसमें प्रत्येक फसल का राज्य स्तर पर भाव निर्धारित है। वर्ष 2015-16 में गतवर्ष की तुलना में खाद्यान्नों, अखाद्यान्नों एवं समस्त वस्तुओं के थोक भाव सूचकांक में वृद्धि की प्रवृत्ति रही, सर्वाधिक वृद्धि खाद्यान्नों के थोक भाव सूचकांक में 17.60 प्रतिशत की रही तथा सूचकांक गतवर्ष के 185.2 से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 217.8 हो गया। इसी प्रकार अखाद्यान्नों का थोक भाव सूचकांक वर्ष 2014-15 में 229.2 था जो 0.87 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2015-16 में 231.2 हो गया।

तालिका 4.1

कृषि पदार्थों के थोक भाव सूचकांक

(आधार वर्ष 2005-06 से 2007-08=100)

मद	2013-14	2014-15	वृद्धि/ कमी (प्रतिशत)	2015-16	वृद्धि/कमी (प्रतिशत)
खाद्यान्न	180.5	185.2	2.60	217.8	17.60
अखाद्यान्न	228.3	229.2	0.39	231.2	0.87
समस्त वस्तुएं	203.3	206.2	1.43	224.2	8.73

समस्त कृषि जन्य पदार्थों के समूह में थोक भाव सूचकांक में वर्ष 2014-15 से वर्ष 2015-16 में 8.73 प्रतिशत की वृद्धि रही और सूचकांक गतवर्ष के 206.2 से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 224.2 हो गया।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

4.2 उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के अंतर्गत औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) तथा कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87=100) का समावेश किया जाता है।

4.3 औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक : मध्य प्रदेश के चार केन्द्रों यथा- भोपाल, जबलपुर, इन्दौर एवं छिन्दवाड़ा के साथ साथ अखिल भारत के लिये यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा (आधार वर्ष 2001=100) तैयार किये जाते हैं औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का वर्षवार विवरण तालिका 4.2 में दर्शाया गया है ।

तालिका 4.2
औद्योगिक कामगारों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
आधार वर्ष (2001 = 100)

केन्द्र	2014		2015		वर्ष 2015 में गतवर्ष से वृद्धि (प्रतिशत)		2016 माह अक्टूबर तक	
	खाद्य	सामान्य	खाद्य	सामान्य	खाद्य	सामान्य	खाद्य	सामान्य
भोपाल	269	251	282	260	4.83	3.59	293	271
इन्दौर	267	232	282	243	5.62	4.74	296	252
जबलपुर	274	240	299	256	9.12	6.67	325	274
छिन्दवाड़ा	274	247	296	262	8.03	6.07	325	280

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में राज्य के सभी केन्द्रों में खाद्य समूह एवं सामान्य समूह दोनों के सूचकांकों में वृद्धि रही है परन्तु वृद्धि की गति सामान्य समूह सूचकांकों की अपेक्षा खाद्य समूह में अधिक परिलक्षित रही है । वर्ष 2016 में (10 माह की अवधि) सर्वाधिक सूचकांक खाद्य समूह 325 जबलपुर एवं छिंदवाड़ा में, सामान्य सूचकांक 280 छिंदवाड़ा में आंका गया ।

4.4 कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक : मध्य प्रदेश राज्य के कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा (आधार वर्ष 1986-87=100) खाद्य एवं सामान्य दोनों समूहों के लिये तैयार किये जाते हैं । कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का वर्षवार विवरण तालिका 4.3 में दर्शाया गया है ।

तालिका 4.3
कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

(आधार वर्ष 1986-87 = 100)

वर्ष	मध्य प्रदेश							
	कृषि श्रमिक				ग्रामीण श्रमिक			
	खाद्य	सामान्य	पूर्व वर्ष से वृद्धि/कमी (प्रतिशत)		खाद्य	सामान्य	पूर्व वर्ष से वृद्धि/कमी (प्रतिशत)	
			खाद्य	सामान्य			खाद्य	सामान्य
2011	596	592	5.49	8.42	596	599	5.30	8.12
2012	633	644	6.21	8.72	634	652	6.38	8.85
2013	697	711	10.11	10.40	697	721	9.94	10.58
2014	694	730	(-) 0.43	2.67	692	739	(-) 0.72	2.50
2015	704	751	1.44	2.88	705	774	1.88	4.74
2016 (माह अक्टू. तक)	739	786	-	-	745	808	-	-

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि गत वर्ष से कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के खाद्य समूह तथा सामान्य के सूचकांक में वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2015 में खाद्य समूह एवं सामान्य सूचकांक में वृद्धि के साथ वर्ष 2016 में 10 माह की अवधि में सामान्य समूह सूचकांक में अपेक्षाकृत वृद्धि रही है।

4.5 मध्य प्रदेश में कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के खाद्य समूह सूचकांक में गतवर्ष की तुलना में वर्ष 2015 में 1.44 एवं 1.88 प्रतिशत की वृद्धि रही, जबकि इसी अवधि में कृषि एवं ग्रामीण समूहों के सामान्य समूह सूचकांक में 2.88 एवं 4.74 प्रतिशत की वृद्धि रही है। वर्ष 2016 में 10 माह की अवधि तक कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के खाद्य समूह के सूचकांक क्रमशः 739 एवं 745 रहे जबकि सामान्य समूह के सूचकांक क्रमशः 786 एवं 808 रहे।

खाद्यान्न उपार्जन एवं वितरण

4.6 ई-उपार्जन परियोजनांतर्गत खाद्यान्न का उपार्जन : राज्य सरकार द्वारा उपार्जन की मानवीय प्रक्रिया पर निर्भरता समाप्त कर कम्प्यूटर के माध्यम से उपार्जन का कार्य वर्ष 2012-13 से प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत उपार्जन केन्द्रों को कम्प्यूटर, प्रिंटर, यूपीए, उपलब्ध कराये गये हैं। ई-उपार्जन परियोजनांतर्गत प्रदेश के किसानों द्वारा फसल के बोए गये रकबे, बैंक खाता नम्बर, मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर एवं फसल विक्रय की संभावित तिथि की जानकारी का पंजीयन उपार्जन केन्द्र पर किया जाता है। पंजीयन में उल्लेखित रकबे का राजस्व विभाग के अमले द्वारा मौके पर सत्यापन कराये जाने के उपरांत उनकी तहसील की फसल उत्पादकता के आधार पर उपार्जन किया जाता है। उपार्जन हेतु किसानों को एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाती है ताकि किसानों को उपार्जन केन्द्र पर अपनी फसल विक्रय करने हेतु अधिक समय तक इन्तजार न करना पड़े। किसान द्वारा विक्रय फसल की राशि सीधे उनके बैंक खाते में अधिकतम सात दिवस के भीतर जमा करायी जाती है।

4.7 खाद्यान्न उपार्जन : मध्यप्रदेश में रबी एवं खरीफ विपणन वर्षों से उपार्जन लगातार बढ़ रहा है। गेहू का रबी विपणन वर्ष 2015-16 में उपार्जन 73.10 लाख मीट्रिक टन था जो वर्ष 2016-17 में 39.92 लाख मीट्रिक टन हो गया। इसी प्रकार खरीफ धान उपार्जन में वर्ष 2014-15 में 12.04 लाख मीट्रिक टन था जो वर्ष 2015-16 में 12.65 लाख मीट्रिक टन हो गया।

4.8 मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना : प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ वर्ष 2008 से किया गया जिसके अंतर्गत बीपीएल कार्डधारियों को रुपये 5 के स्थान पर रुपये 3 प्रतिकिलो गेहू एवं रु. 6.50 के स्थान पर रुपये 4.50 प्रतिकिलो चावल के मान से खाद्यान्न का वितरण किया गया।

माह जून 2013 से समस्त बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवारों को रुपये 1 किलोग्राम गेहू एवं रुपये 2 किलोग्राम की दर से चावल का वितरण किया गया जिसे आगे बढ़ाकर माह जनवरी 2014 में रुपये 1 किलोग्राम की दर से चावल का वितरण किया गया है।

4.9 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का क्रियान्वयन : मार्च 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रारंभ किया गया । माह मार्च 2014 में लगभग 92 लाख परिवारों जिसकी 3.88 करोड़ जनसंख्या है को रुपये 1 प्रति किलोग्राम खाद्यान्न, रुपये 1 प्रति किलोग्राम नमक तथा 13.50 प्रति किलोग्राम शक्कर का वितरण प्रारंभ किया गया । प्रदेश में अन्त्योदय अन्न योजना के

परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार एवं प्राथमिकता परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य प्रति माह के दर से खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र परिवारों को भारत सरकार द्वारा गेहूँ रुपये 2.00 प्रति किलो एवं चावल रुपये 3.00 प्रति किलो दिये जाने का प्रावधान है। जबकि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत सभी पात्र परिवारों को गेहूँ एवं चावल रुपये 1.00 प्रतिकिलो की दर से दिया जा रहा है।
- पात्र परिवारों में अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों के साथ-साथ प्राथमिकता परिवार के रूप में 24 श्रेणियों को शहरी एवं ग्रामिण क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है। प्राथमिकता परिवार के श्रेणियों में न सिर्फ समस्त बीपीएल परिवार सम्मिलित किये गये अपितु 23 अन्य श्रेणियों के गैर बीपीएल परिवारों को भी सम्मिलित किया गया है।
- पात्र परिवारों की संख्या एवं लाभान्वित जनसंख्या में प्रति माह वृद्धि हुई एवं नवंबर 2016 में लाभान्वित परिवारों की संख्या 118.21 लाख है जिसकी कुल जनसंख्या लगभग 5.50 करोड़ हो गई।

4.10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता परिवार में सम्मिलित करने का अभियान : अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ऐसे परिवार जिनको प्राथमिकता परिवार में सम्मिलित नहीं किया जा सका था, उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत रियायती दर पर खाद्यान्न का लाभ दिये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा पर्व के नाम से एक विशेष अभियान चलाया गया है जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों से घर-घर जाकर घोषणा-पत्र भरे गये। अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों द्वारा स्वयं के घोषणा-पत्र के आधार पर माह जून 2014 में लगभग 75 लाख व्यक्तियों (18 लाख परिवारों) को प्रावधानिक रूप से प्राथमिकता परिवार के रूप में सम्मिलित किया गया। इन परिवारों को माह जुलाई 2014 से खाद्यान्न, शक्कर, नमक एवं केरोसीन का आबंटन दिया जा रहा है।

4.11 शक्कर का वितरण : वर्ष 2003-04 में 57.52 लाख परिवारों को शक्कर का वितरण किया जा रहा था, जो बढ़कर माह फरवरी 2014 तक 75 लाख परिवार हो गये है। वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सत्यापित 118.21 लाख पात्र परिवारों को 1 किलोग्राम शक्कर प्रति परिवार की दर से वितरण किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 43 लाख से अधिक परिवारों को शक्कर का वितरण कराया गया।

4.12 आयोडीनयुक्त नमक वितरण योजना का विस्तार : आदिवासियों के संरक्षण के लिए एवं घेंघा नामक रोग की रोकथाम के लिए आयोडीनयुक्त नमक का प्रदाय प्रारंभ में प्रदेश के 19 जिलों के 89 विकासखण्डों में प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत राशन कार्ड धारी परिवार को वर्ष 2013 से प्रदेश के समस्त 51 जिलों में समस्त बीपीएल एवं अन्त्योदय राशनकार्ड धारी परिवारों को 1 किलो नमक प्रतिमाह रूपये 1.00 प्रतिकिलो की दर से वितरित किया जा रहा है। प्रदेश के 75.09 लाख अन्त्योदय एवं बीपीएल परिवारों को लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत समस्त पात्र परिवारों को रूपये 1 प्रति किलोग्राम की दर से 1 किलोग्राम नमक का वितरण किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के 118.21 लाख परिवारों को 11.82 हजार मीट्रिक टन प्रति माह नमक वितरण किया जा रहा है।

4.13 नीले केरोसीन का वितरण : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन के पूर्व प्रदेश में एपीएल श्रेणी के 85.40 लाख, बीपी एल श्रेणी के 57.00 लाख एवं एएवाय श्रेणी के 17.59 लाख परिवार थे। अन्त्योदय एवं बीपीएल परिवारों को तत्समय 5 लीटर प्रति परिवार की दर से केरोसीन दिया जाता था, जबकि एपीएल परिवारों को उपलब्धता के अनुसार केरोसीन दिया जाता था, वह भी इस शर्त के साथ संबंधित परिवार के पास गैस कनेक्शन न हो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत 118.21 लाख परिवारों को पात्र परिवार के रूप में चिन्हांकित किया गया है। अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 4 लीटर एवं प्राथमिकता परिवारों को 2 लीटर प्रति माह रियायती दर का केरोसीन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध कराया जा रहा है।

4.14 अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावासों को रियायती दर पर खाद्यान्न : अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं को 1 नवंबर 2014 से 12 किलोग्राम प्रति छात्र प्रतिमाह की दर से 1 रु. प्रतिकिलो की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश में अनुसूचित जाति के 85.16 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 1.70 लाख छात्र/छात्राएं लाभान्वित हुए।

4.15 उचित मूल्य दुकानों के लिए नवीन कमीशन की व्यवस्था लागू : लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकान संचालन करने वाली संस्थाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु वितरण की जाने वाली सामग्री में कमीशन में वृद्धि की गई है। जिसके तहत नगरीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्यान्न पर 20 रु. प्रति क्विंटल के स्थान पर 70 रु. प्रति क्विंटल का कमीशन अप्रैल 2015 से दिया जा रहा है साथ ही ग्रामीण क्षेत्र

में उचित मूल्य दुकान संचालन करने वाली संस्थाओं को प्रति दुकान हेतु एकमुश्त 8,400 रु. कमीशन दिया जा रहा है ।

4.16 द्वार प्रदाय योजना : द्वार प्रदाय योजना अन्तर्गत प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से लीड समिति के स्थान पर मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइड कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उचित मूल्य दुकानों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न, शक्कर एवं नमक के प्रदाय करने का निर्णय लिया गया है । इस प्रक्रिया का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यक वस्तुओं का त्वरित परिवहन, दुकान स्तर पर नियमित उपलब्धता के साथ ही परिवहन के दौरान आवश्यक के व्यर्पवर्तन पर नियंत्रण करना है ।

द्वार प्रदाय योजना अन्तर्गत पूरे प्रदेश में मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइड कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उचित मूल्य दुकानों तक खाद्यान्न, नमक एवं शक्कर पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है ।

4.17 राज्य खाद्य आयोग का गठन : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानानुसार राज्य खाद्य आयोग का दायित्व अंतरिम रूप से मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता प्रतिरोषण आयोग को दिया गया है ।

4.18 शेड निर्माण : प्रदेशकी समस्त उचित मूल्य दुकानों से पात्र परिवारों को सामग्री प्राप्त करने के समय वर्षा एवं धूप से बचाने के लिए दुकान के सामने 10x15 पक्का शेड का निर्माण कराए जाने की योजना लागू की गई है । जिसमें प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर शेड निर्माण हेतु राशि 50.00 हजार रु. का प्रावधान किया गया है, इस योजना के तहत 3,276 उचित मूल्य दुकानों पर शेड का निर्माण किया जा चुका है ।

4.19 इलेक्ट्रानिक तौल-कांटा : प्रत्येक उचित मूल्य दुकान पर उपभोक्ताओं को उनकी पात्रता की सामग्री सही मात्रा में तौलकर प्राप्त हो इस हेतु इलेक्ट्रानिक तौल-कांटा उपलब्ध कराया जाने की योजना है, इसके अन्तर्गत 11,638 इलेक्ट्रानिक तौल-कांटा रहित उचित मूल्य दुकानों में से 3,555 उचित मूल्य दुकानों को इलेक्ट्रानिक तौल-कांटा उपलब्ध करा दिए गए हैं, शेष दुकानों पर इलेक्ट्रानिक तौल-कांटा उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रचलित है, इससे उचित मूल्य दुकानदार उसको प्राप्त सामग्री को भी तौल कर प्राप्त कर सकेगा ।

4.20 प्रधानमंत्री उज्जवला योजना : सामाजिक, आर्थिक जनगणना 2011 के डाटाबेस में प्रदेशके 72.38 लाख गरीब महिलाओं को आगामी 3 वर्षों में निःशुल्क गैस कनेक्शन

उपलब्धकरा जाना है । केवल गैस चूल्हा की राशि 990 रू. एवं प्रथम रिफिल की राशि स्वयं वहन करना होगी । परिवार को इस हेतु गैस एजेन्सी द्वारा ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा । इसका समायोजन प्रत्येक गैस रिफिल के दौरान गैस की कीमत में सम्मिलित सब्सिडी से किया जायेगा । परिवार की महिला सदस्य का आधार नम्बर एवं बैंक खाता होना आवश्यक है ।

- योजना के अन्तर्गत सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के डाटाबेस में निम्न श्रेणी में से कम से कम एक वंचित श्रेणी के परिवार को गैस कनेक्शन दिया जाएगा ।
- कच्ची दीवार एवं कच्चे छतयुक्त एक कमरे में रहने वाले परिवार ।
- ऐसे परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है ।
- ऐसे परिवार जिसमें मुखिया महिला है एवं जिसमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है ।
- ऐसा दिव्याशं (विकलांग) सदस्य वाला परिवार जिसमें कोई भी सक्षम शरीर वाला वयस्क सदस्य नहीं है । अनुसूचित जाति-जनजाति के परिवार ।
- ऐसे परिवार जिसमें कोई शिक्षित वयस्क सदस्य 25 वर्ष से अधिक आयु का नहीं है ।
- ऐसे भूमिहीन परिवार जिनकी आजीविका का मुख्य साधन मानव श्रम (Manual Casual Labor) है । जनवरी 2017 तक प्रदेश के 17.00 लाख परिवारों को योजनान्तर्गत गैस कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं ।

4.21 प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर स्टील सायलों की स्थापना : मध्यप्रदेश में इन्दौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, विदिशा, सीहोर, हरदा, होशंगाबाद, सतना जिलों में कुल 9 स्थानों पर 4.50 लाख मेपित भारत में प्रथम बार पीपीपी मॉडल पर स्थाल सायलों प्रोजेक्टटन क्षमता का स्टी. किए गए हैं, मध्यप्रदेश के इस कदम को देश एवं विदेश स्तर पर सराहा गया है तथा अन्य प्रदेश भी इसका अनुसरण कर रहे हैं ।

4.22 ईगवर्नेस- और कार्य की सुगमता :

पात्र हितग्राहियों के डेटा का डिजिटिजेशन : मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत पात्र हितग्राहियों के रूप में 5.50 करोड हितग्राहियों को सम्मिलित किया गया है। इन सभी हितग्राहियों का डिजिटिजेशन किया जा चुका है जिसमें पात्र परिवार के सदस्यों के नाम, उसकी मासिक पात्रता, संबंधित उचित मूल्य दुकान का नाम आदि का विवरण विभागीय पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में रखा गया है । किसी परिवार को पात्र परिवार सत्यापित किये जाने के उपरांत उसकी पात्रता पर्ची (ई-राशनकार्ड) ऑन-लाईन पोर्टल पर जारी

की जाती है। उक्त जानकारी आम जनता के लिए उपलब्ध है । समस्त पात्र परिवारों का डाटा डिजिटलईजेशन करने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार हुआ है । डिजिटलईजेशन हेतु निम्नानुसार कार्यवाहियां की गई है :-

- राज्य में संचालित समग्र पोर्टल पर दर्ज परिवारों में से पात्र परिवारों का स्थानीय निकाय, संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा चिहांकन एवं सत्यापन ।
- सत्यापित परिवारों का खाद्य विभाग के अमले द्वारा उनके क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों से मेपिंग एवं हितग्राहियों द्वारा उपलब्ध कराये गये आधार नम्बर एवं बैंक खाता नम्बर की प्रविष्टि उनके डाटाबेस में करना (वर्तमान में 95.59 लाख परिवारों के डाटाबेस से कम से कम एक सदस्य का आधार नम्बर तथा एक करोड से अधिक परिवारों के डाटाबेस में बैंक खाता नम्बर की प्रविष्टि की गई है ।
- मेपिंग किये गये पात्र परिवारों को एन.आई.सी. द्वारा पात्रता पर्ची (ई-राशनकार्ड) जारी किया जाना ।
- एन.आई.सी. द्वारा जारी किये गये आवंटन के आधार पर पात्र हितग्राहियों की पात्रता पर्ची स्टेट पी.डी.एस पोर्टल से पब्लिक डोमेन में डाउनलोड के लिये उपलब्ध रहती है । इस पर्ची का प्रिंट आउट लिया जाकर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी तथा नगरीय निकाय व जनपद पंचायत के अधिकारी से हस्ताक्षर करवाकर राशन सामग्री पात्रतानुसार उचित मूल्यदुकान से प्राप्त की जा सकती है ।

4.23 राज्य स्तर से दुकानवार खाद्यान्न, शक्कर एवं केरोसीन का आवंटन : लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत वितरण होने वाली सामग्री के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं इसमें होने वाले विलम्ब को रोकने के लिए माह जून, 2014 से उचित मूल्य दुकानवार आवंटन निर्धारित समय-सीमा में आयुक्त, खाद्य कार्यालय से ऑनलाईन विभागीय पोर्टल पर जारी किया जा रहा है । उचित मूल्य दुकानवार सामग्री का आवंटन आम जनता के अवलोकन हेतु समय सामाजिक सुरक्षा मिशन के पोर्टल पर रखा गया है एवं मध्यप्रदेश के इस प्रयोग की भी सराहना की जा रही है । अब मध्यप्रदेश में कोई भी व्यक्ति अपनी पात्रता, प्रदाय की जाने वाली सामग्री की मात्रा एवं मूल्य संबंधी जानकारी विभागीय वेब-साईट (food.mp.gov.in) पर देख सकता है । वेब-साईट पर यह भी दर्शित है कि कौनसा परिवार किस उचित मूल्य दुकान से सम्बद्ध है एवं उचित मूल्य दुकानवार पात्र परिवारों की संख्या कितनी है ।

4.24 सप्लाई चेन व्यवस्था का कम्प्यूटराईजेशन : लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एण्ड टू एण्ड कम्प्यूटराईजेशन परियोजना के अन्तर्गत संपूर्ण सप्लाई चेन व्यवस्था का कम्प्यूटराईजेशन किया गया है । जिसके तहत स्टेट पी.डी.एस. पोर्टल (food.mp.gov.in) पर

प्रत्येक माह के अन्त में सभी उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध पात्र परिवारों के डेटा की गणना कर उचित मूल्य दुकानवार राशन सामग्री का आवंटन एन.आई.सी. के माध्यम से राज्य स्तर से संचालनालय द्वारा प्रतिमाह ऑन-लाईन जारी किया जाता है। यह आवंटन स्टेट पी.डी.एस. पोर्टल से वेब सर्विस के माध्यम से नागरिक आपूर्ति निगम के सी.एस.एम.एस. पोर्टल पर स्थानांतरित किया जाता है। सी.एस.एम.एस. पोर्टल से नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा ट्रान्सपोर्टर्स हेतु उचित मूल्य दुकानवार डी.ओ. तथा आर.ओ. ऑन-लाईन जारी किये जाते हैं। सभी ट्रान्सपोर्टर्स द्वारा प्रदाय योजना के माध्यम से राशन सामग्री उचित मूल्य दुकानों तक प्रदाय करते हैं।

4.25 उचित मूल्य दुकानों का ऑटोमेशन : प्रदेश की सभी उचित मूल्य दुकानों पर प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें लगाई गयी हैं। इस हेतु विभाग द्वारा मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से निविदाएं जारी की जाकर दो सेवा प्रदाताओं डी.एस.के. डिजिटल प्रा.लि. तथा लिंकवेल टेली सिस्टम प्रा.लि. का चयन किया गया है। इन सेवा प्रदाताओं द्वारा राज्य की सभी 22409 उचित मूल्य दुकानों पर पी.ओ.एस. मशीनें लगाई गयी हैं। उक्त पी.ओ.एस. मशीनों के रख-रखाव तथा इस हेतु आवश्यक तकनीकी मेन पावर की व्यवस्थाकी जिम्मेदारी संबंधित सेवा प्रदाता की है।

संचालनालय स्तर से जारी ऑन-लाईन दुकानवार मासिक आवंटन को उचित मूल्य दुकानदार पी.ओ.एस. मशीन में डाउनलोड करता है। तदुपरांत राशन सामग्री लेने आए हितग्राही का सत्यापन उसकी समग्र आई.डी./आधार नम्बर से कर दुकानदार उसे राशन सामग्री का प्रदाय कर हितग्राही को एक रसीद दी जाती है जिसमें परिवार की समग्र आई.डी. उचित मूल्य दुकान से प्रदाय सामग्री की मात्रा एवं भुगतान की गई राशि का विवरण होता है। पात्र परिवार का मोबाईल न. डाटाबेस में उपलब्ध होने पर उसे सामग्री वितरण की जानकारी की सूचना एसएमएस द्वारा दी जाने की योजना है।

हर माह के अंत में दुकानदार द्वारा वितरित की गई राशन सामग्री की जानकारी विभागीय पोर्टल पर अपलोड की जाती है जिसके आधार पर संचालनालय स्तर से आगामी माह का उचित मूल्य दुकानवार मासिक आवंटन जारी किया जाता है।

4.26 स्टॉक मैनेजमेंट : नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा उचित मूल्य दुकान पर प्रदाय की जा रही राशन सामग्री की मात्रा की प्रविष्टि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पी.ओ.एस.मशीन पर की जाकर उसकी रसीद ट्रान्सपोर्टर्स को दी जाती है। वितरित सामग्री तथा वितरण उपरांत शेष सामग्री भी पी.ओ.एस. मशीन में स्टॉक मैनेजमेंट विकल्प में उपलब्ध रहने का प्रावधान है।

पीओएस मशीन के माध्यम से पात्र परिवारों को सामग्री वितरण के तीन मॉडल निर्धारित हैं, जो निम्नानुसार हैं :-

- **अपनी सुविधा- अपना राशन (असर व्यवस्था) :** ऑन लाईन असर व्यवस्था प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। प्रथम चरण में उक्त आधार आधारित व्यवस्था भोपाल, इन्दौर एवं खण्डवा जिलों के नगर निगम क्षेत्रों में लागू की गई है जिसे भविष्य में चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के अन्य नगरीय क्षेत्रों में लागू किया जाएगा । इस व्यवस्था के अन्तर्गत पात्र परिवारों का समस्त डाटा केन्द्रीय सर्वर पर उपलब्ध रहेगा तथा उचित मूल्य दुकान से वितरण की जाने वाली सामग्री की जानकारी ऑनलाईन अपडेट रहेगी । जिन पात्र परिवारों के आधार नम्बर डाटाबेस में उपलब्ध है, उसे नगर की किसी भी उचित दुकान से अपनी राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा रहेगी ।
- **नॉन असर व्यवस्था (ऑन लाईन) :** नॉन असर व्यवस्था अन्तर्गत उचित मूल्यदुकान से संलग्न पात्र परिवार की समस्त जानकारी सेण्टल सर्वर से डाउनलोड कर पीओएस मशीन में संग्रहित की जाती है । पात्र परिवार अपनी निर्धारित उचित मूल्य दुकान से समग्र परिवार आई.डी. द्वारा सत्यापन उपरांत सामग्री प्राप्त करते हैं । यह व्यवस्था उन स्थानों पर लागू की गई है, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है । उचित मूल्य दुकान के विक्रेता द्वारा प्रतिदिन क्रय-विक्रय की जानकारी सेण्टल सर्वर पर अपलोड की जाती है ।
- **ऑफलाईन व्यवस्था :** यह व्यवस्था उन उचित मूल्य दुकानों पर लागू की गई है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है, इसके अंतर्गत पात्र परिवार का समस्त डाटा एवं उनकी पात्रता पी.ओ.एस. मशीन में उपलब्ध कराई जाती है । सप्ताह में एक बार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा पी.ओ.एस. मशीन को इंटरनेट कनेक्टिविटी क्षेत्र में ले जाकर पी.ओ.एस. मशीन से सामग्री वितरण की जानकारी सेण्टल सर्वर पर अपलोड की जाती है ।

4.27 शिकायत निवारण व्यवस्था : परियोजना के अन्तर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित शिकायतों के निराकरण हेतु व्यवस्था की गई है जिसके तहत समस्त जिलों में जिला कलेक्टर को जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नामित किया गया है । उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने हेतु टोल-फ्री दूरभाष नम्बर 1967 एवं 181 उपलब्ध कराया गया है तथा सी.एस हेल्पलाइन में इस हेतु चार स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था लागू की गई है । जिसमें प्रथम स्तर पर कनिष्ठ सहायक आपूर्ति अधिकारी द्वितीय स्तर पर जिला आपूर्ति अधिकारी तृतीय स्तर पर जिला कलेक्टर एवं चतुर्थ स्तर पर आयुक्त खाद्य द्वारा शिकायतों का निराकरण किया जाता है ।

4.28 ट्रांसपेरेन्सी पोर्टल की स्थापना : लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एण्ड टू एण्ड कम्प्यूटराइजेशन के तहत विभाग द्वारा ट्रांसपेरेन्सी पोर्टल की स्थापना की गई है। पोर्टल पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी समस्त जानकारी जिसमें प्रदेश के कुल हितग्राहियों की श्रेणीवार संख्या हितग्राहियों की पात्रता, परिवार, सदस्य संख्या, उचित मूल्य दुकानवार, स्थानीय निकायवार, जिलेवार मासिक आवंटन पीओएस मशीन से किये गये वितरण एवं क्लोसिंग स्टॉक आदि जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराई है।


4.29 वेयरहाउस के लायसेंस आन लाइन जारी करना :- मध्यप्रदेश कृषि गोदाम अधिनियम, 1947 के तहत वेयरहाउस संचालन हेतु लायसेंस का आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किया जाकर एवं उन्हें लायसेंस भी ऑनलाईन जारी किये जायेंगे। प्राप्त आवेदनों में किसी दस्तावेज की कमी होने पर आवेदक को उसकी पूर्ति करने हेतु ऑनलाईन सूचना दी जायेगी। लायसेंस स्वीकृति की स्थिति आवेदक ऑनलाईन देख सकेगा।

4.30 ई-निविदा के माध्यम से दरों का निर्धारण :- मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइस कार्पोरेशन द्वारा नमक एवं शक्कर का खुले बाजार से ई- निविदा के माध्यम से क्रय कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किया जा रहा है, साथ ही उपार्जित खाद्यान एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण होने वाले खाद्यान के परिवहनकर्ता की दरों का निर्धारण ई- निविदा के माध्यम से किया जा रहा है।

कृषि

मध्य प्रदेश में कृषि आज भी ग्रामीण जनसंख्या के लिये रोजगार एवं जीविका की दृष्टि से मुख्य साधन है, फिर भी राज्य में कृषि अभी भी परम्परागत है तथा वर्षा पर अत्यधिक निर्भर है। फसल क्षेत्र की उक्त स्थिति फसल क्षेत्र में निवेश में वृद्धि करने की महती आवश्यकता को रेखांकित कर रही है। प्रदेश की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है तथा आर्थिक गतिविधियों, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र से निकटता से जुड़ी है। वर्ष 2016-17 (अ.) के दौरान फसल क्षेत्र में 25.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। फसल क्षेत्र की विकास दर को चित्र 5.1 में दर्शाया गया है। यह वृद्धि दर देश में सर्वाधिक है।

चित्र 5.1
फसल क्षेत्र में विकास दर



मौसम एवं फसल की स्थिति

5.1 कृषि क्षेत्र का निष्पादन प्रायः वर्षा, मौसम, विद्युत एवं सिंचाई के उपलब्ध साधनों इत्यादि पर निर्भर रहता है जिसके कारण कृषि उत्पाद पर धनात्मक अथवा ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है।

मध्य प्रदेश में वर्षा का सामान्य मौसम माह जून से प्रारंभ होकर सितम्बर तक होता है तथा सामान्य औसत वर्षा 1026.4 मि.मी. है । वर्ष 2015 की (जून से सितम्बर) अवधि में 804.3 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई थी । जो सामान्य औसत वर्षा से लगभग 21.64 प्रतिशत कम है। वर्ष 2016 में इसी अवधि में कुल वर्षा 1037.6 मि.मी. दर्ज की गई है, जो सामान्य औसत से लगभग 1.09 प्रतिशत अधिक है । वर्षा की स्थिति का वर्षवार विवरण तालिका 5.1 में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.1
वर्षा की स्थिति

माह	2013	2014	2015	2016	(मिली.मीटर)
					गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी
जून	178.8	38.7	85.9	87.8	2.21
जुलाई	699.4	304.3	429.1	501.6	16.90
अगस्त	1107.6	521.2	715.0	925.0	29.37
सितम्बर	1203.6	733.4	804.3	1037.6	29.01

स्रोत :- भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, म.प्र. ।

5.2 खाद्यान्न : वर्ष 2014-15 की अपेक्षा वर्ष 2015-16 में प्रमुख खाद्यान्नों के क्षेत्रफल में वृद्धि/कमी परिलक्षित रही । वर्ष 2015-16 में चावल, मक्का, एवं गेहूं के क्षेत्रफल में विगत वर्ष की अपेक्षा क्रमशः 5.99, 3.00 एवं 1.52 प्रतिशत की कमी हुई है । समग्र रूप से कुल खाद्यान्न के क्षेत्रफल में 2.59 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई । इस अवधि में खाद्यान्नों के क्षेत्रफल में वृद्धि होने के साथ ही खाद्यान्न का उत्पादन गतवर्ष से 5.94 प्रतिशत वृद्धि हुई है । प्रमुख खाद्यान्न फसलों का क्षेत्राच्छादन तथा उत्पादन का वर्षवार विवरण तालिका 5.2 तथा 5.3 में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.2
प्रमुख खाद्यान्न फसलों का क्षेत्राच्छादन

(हजार हेक्टेयर)

फसलें	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी
चावल	1703.44	1801.36	1891.75	2153.00	2024.00	(-)5.99
मक्का	859.80	865.43	862.55	1132.00	1098.00	(-) 3.00
गेहूं	5260.57	5613.11	6135.13	6002.00	5911.00	(-)1.52
कुल खाद्यान्न	13511.80	13786.00	14367.55	15160.00	15553.00	2.59

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (सा.सा.)

तालिका 5.3
प्रमुख खाद्यान्न फसलों का उत्पादन

(हजार मीट्रिक टन)

फसलें	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी
चावल	2279.90	3113.01	3328.58	5438.00	5320.00	(-)2.17
मक्का	1324.45	2388.51	1493.93	2531.00	3140.00	24.06
गेहूं	14544.41	16517.89	15730.09	18480.00	18410.00	(-) 0.38
कुल खाद्यान्न	23021.35	27623.00	24853.58	32048.00	33951.00	5.94

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (सा.सा.)

5.3 चावल : चावल के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2014-15 की अपेक्षा वर्ष 2015-16 में 5.99 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई एवं क्षेत्रफल गत वर्ष के 2153.00 हजार हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2015-16 में 2024.00 हजार हेक्टेयर हो गया । चावल के अन्तर्गत क्षेत्रफल में कमी होने से उत्पादन में भी वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 में 2.17 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई और उत्पादन गत वर्ष के 5438.00 हजार मीट्रिक टन से घटकर वर्ष 2015-16 में 5320.00 हजार मीट्रिक टन हो गया ।

5.4 मक्का : मक्का के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2014-15 की अपेक्षा वर्ष 2015-16 में 3.00 प्रतिशत की कमी हुई एवं क्षेत्रफल गत वर्ष के 1132.00 हजार हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2015-16 में 1098.00 हजार हेक्टेयर हो गया । मक्का के उत्पादन में वर्ष 2014-15 की अपेक्षा वर्ष 2015-16 में 24.06 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई एवं उत्पादन गत वर्ष के 253100 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 3140.00 हजार मीट्रिक टन हो गया ।

5.5 गेहूं : गेहूं के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2014-15 की अपेक्षा वर्ष 2015-16 में 1.52 प्रतिशत की कमी हुई एवं क्षेत्रफल गत वर्ष के 6002.00 हजार हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2015-16 में 5911.00 हजार हेक्टेयर हो गया, इसी अवधि में गेहूं के क्षेत्रफल में कमी के बाद ही उत्पादन में 0.38 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है, और उत्पादन गत वर्ष के 18480.00 हजार मीट्रिक टन से घटकर वर्ष 2015-16 में 18410.00 हजार मीट्रिक टन हो गया है ।

5.6 दलहन : कुल दलहनी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वर्ष 2014-15 की अपेक्षा वर्ष 2015-16 में वृद्धि परिलक्षित रही । दलहनी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन का वर्षवार विवरण तालिका 5.4 तथा तालिका 5.5 में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.4
दलहनी फसलों का क्षेत्राच्छादन

फसलें	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	(हजार हेक्टेयर)
						गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी
अरहर	536.21	458.49	399.66	521.00	579.00	11.13
चना	2629.79	2722.41	2780.46	2853.00	3017.00	5.75
कुल दलहन	4778.65	4692.00	4728.23	5250.00	5770.00	9.90

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (सा.सा.)

तालिका 5.5
दलहनी फसलों का उत्पादन

फसलें	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	(हजार मीट्रिक टन)
						गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी
अरहर	338.22	318.50	288.87	511.00	640.00	25.24
चना	2844.65	3321.10	2105.55	2964.00	3364.00	13.50
कुल दलहन	3713.00	4410.00	3225.55	4647.00	5654.00	21.67

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (सा.सा.)

5.7 अरहर : अरहर के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2014-15 की अपेक्षा वर्ष 2015-16 में 11.13 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई एवं क्षेत्रफल गत वर्ष के 521.00 हजार हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 579.00 हजार हेक्टेयर हो गया । अरहर के उत्पादन में वर्ष 2014-15 की अपेक्षा वर्ष 2015-16 में 25.24 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई और उत्पादन गत वर्ष के 511.00 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर 640.00 हजार मीट्रिक टन हो गया ।

5.8 चना : चना के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2014-15 की अपेक्षा वर्ष 2015-16 में 5.75 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई और क्षेत्रफल गत वर्ष के 2853.00 हजार हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 3017.00 हजार हेक्टेयर हो गया । चने का उत्पादन वर्ष 2014-15 की अपेक्षा वर्ष 2015-16 में 13.50 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई और उत्पादन गतवर्ष के 2964.00 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर 3364.00 हजार मीट्रिक टन हो गया है ।

5.9 तिलहन : तिलहन फसलों के अन्तर्गत कुल तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल में कमी तथा उत्पादन में भी गतवर्ष से कमी परिलक्षित हुई है । वर्ष 2014-15 में कुल तिलहनी फसलों का क्षेत्रफल 7065.00 हजार हेक्टेयर था जो वर्ष 2015-16 में 2041.00 प्रतिशत से घटकर 5623.00 हजार हेक्टेयर हो गया । जबकि कुल तिलहनी फसलों के उत्पादन में गत वर्ष से 4.96 प्रतिशत की कमी आंकी गई और उत्पादन वर्ष 2014-15 में 7719.00 हजार मीट्रिक टन से घटकर वर्ष 2015-16 में 7336.00 हजार मीट्रिक टन रह गया है । कुल तिलहनी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन का वर्षवार विवरण तालिका 5.6 एवं तालिका 5.7 में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.6
प्रमुख तिलहनी फसलों का क्षेत्राच्छादन

फसलें	(हजार हेक्टेयर)					गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
राई - सरसों	663.58	704.40	703.20	666.00	617.00	(-) 7.36
सोयाबीन	5786.27	6186.45	6597.39	5604.00	4448.00	(-) 20.63
कुल तिलहन	7206.00	7575.00	7922.96	7065.00	5623.00	(-)20.41

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (सा.सा.)

तालिका 5.7
प्रमुख तिलहनी फसलों का उत्पादन

फसलें	(हजार मीट्रिक टन)					गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	
राई सरसों	790.02	962.46	651.90	670.00	666.00	(-) 0.60
सोयाबीन	6497.14	8416.03	4720.27	6382.00	5906.00	(-) 7.46
कुल तिलहन	7897.57	9956.00	5922.23	7719.00	7336.00	(-) 4.96

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (सा.सा.)

5.10 राई-सरसों : राई-सरसों के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2014-15 की अपेक्षा वर्ष 2015-16 में 7.36 प्रतिशत की कमी हुई और क्षेत्रफल गत वर्ष के 666.00 हजार हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2015-16 में 617.00 हजार हेक्टेयर रह गया तथा इस अवधि में राई-सरसों के उत्पादन में वर्ष 2014-15 की अपेक्षा वर्ष 2015-16 में 0.60 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई और उत्पादन गत वर्ष के 670.00 हजार मीट्रिक टन से घटकर वर्ष 2015-16 में 666.00 हजार मीट्रिक टन रह गया ।

5.11 सोयाबीन : प्रदेश में मुख्य फसल का स्थान प्राप्त करने वाले सोयाबीन के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2014-15 की अपेक्षा वर्ष 2015-16 में 20.63 प्रतिशत की कमी आंकी गई और क्षेत्रफल गत वर्ष के 5604.00 हजार हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2015-16 में 4448.00 हजार हेक्टेयर रह गया । इसी अवधि में सोयाबीन का क्षेत्रफल घटने के साथ ही उत्पादन में कमी परिलक्षित हुई और उत्पादन गत वर्ष के 6382.00 हजार मीट्रिक टन से घटकर वर्ष 2015-16 में 5906.00 हजार मीट्रिक टन अर्थात् 7.46 प्रतिशत कम उत्पादन हुआ ।

वाणिज्यिक फसलें

5.12 प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कपास एवं गन्ना हैं । वर्ष 2015-16 कपास एवं गन्ने के क्षेत्रफल में कमी तथा उत्पादन में वृद्धि रही है । इन फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन के आंकड़ों का वर्षवार विवरण **तालिका 5.8** एवं **5.9** में दर्शाये गये हैं ।

तालिका 5.8
प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का क्षेत्राच्छादन

फसलें	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	(हजार हेक्टेयर)
						गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी
गन्ना	90.30	54.65	102.00	111.00	103.00	(-) 7.21
कपास (रूई)	623.79	607.00	580.74	636.00	563.00	(-) 11.48

स्त्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (सा.सा.)

तालिका 5.9
प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन

(हजार मीटरिक टन)

फसलें	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/कमी
गन्ना	196.94	276.01	280.10	457.00	528.00	15.54
कपास (रूई) #	1164.12	1173.27	1236.10	1242.00	1348.00	8.53

(#) = 170 किलोग्राम की गांठों में ।

स्रोत :- किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (सा.सा.)

5.13 गन्ना : गन्ना फसल के क्षेत्राच्छादन कमी एवं उत्पादन में विगत वर्ष से वृद्धि रही है । गन्ना फसल के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2014-15 की अपेक्षा वर्ष 2015-16 में 7.21 प्रतिशत की कमी हुई और क्षेत्रफल गत वर्ष के 111.00 हजार हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2015-16 में 103.00 हजार हेक्टेयर रह गया, साथ ही गन्ना फसल के उत्पादन में वर्ष 2014-15 की अपेक्षा वर्ष 2015-16 में 15.54 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उत्पादन गतवर्ष के 457.00 हजार मीटरिक टन से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 528.00 हजार मीटरिक टन हुआ है।

5.14 कपास (रूई) : कपास फसल के क्षेत्राच्छादन में वर्ष 2014-15 की अपेक्षा वर्ष 2015-16 में 11.48 प्रतिशत की कमी हुई और क्षेत्रफल गत वर्ष के 636.00 हजार हेक्टर से घटकर वर्ष 2015-16 में 563.00 हजार हेक्टेयर रह गया । इस अवधि में कपास फसल के उत्पादन में वर्ष 2014-15 की अपेक्षा वर्ष 2015-16 में 8.53 प्रतिशत की वृद्धि हुई और उत्पादन गत वर्ष के 1242.00 हजार मीटरिक टन से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 1348.00 हजार मीटरिक टन रह गया ।

कृषि विकास योजनाएं

5.15 कृषि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बीकाटन .टी., रासायनिक उर्वरकों का वितरण, पौध संरक्षण, कल्चर वितरण, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, अन्नपूर्णासूरजधारा योजना-, प्रमाणित बीजों का वितरण परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल मिशन ऑन आयल सीड एण्ड आयल पॉम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं स्वाइल हेल्थ कार्ड योजना आदि कार्यक्रम संचालित हैं, जिनका विवरण आगे दर्शाया गया है ।

5;16 बी.टी.कॉटन : मध्यप्रदेश में बी.टी.कॉटन की व्यवसायिक खेती वर्ष 2002-03 से भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की जी.ई.ए.सी. की अनुशंसा व निर्धारित शर्तों के अधीन जारी स्वीकृति उपरांत प्रारंभ हुई । बी.टी. कॉटन के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 से वर्ष

2016-17 तक के क्षेत्राच्छादन एवं वितरित पैकिट संख्या का विवरण तालिका 5.10 में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.10
बी.टी. कॉटन का क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन

वर्ष	क्षेत्राच्छादन (हेक्टेयर में)	वितरित पैकिट (संख्या)
2012-13	617500	2952850
2013-14	621000	2684120
2014-15	564000	2436480
2015-16	547000	1447141
2016-17 (31 दिसं. 2016 तक)	572000	1510080

5.17 रासायनिक उर्वरकों का वितरण : कृषि उत्पादन बढ़ाने में रासायनिक उर्वरक विशेष रूप से सहायक होते हैं । फलस्वरूप प्रदेश में संतुलित उर्वरकों के वितरण पर ध्यान दिया जा रहा है । रासायनिक उर्वरकों के वितरण का विवरण वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक तालिका 5.11 में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.11
रासायनिक उर्वरकों का वितरण

(लाख मीट्रिक टन)

वर्ष	नत्रजन (N)	फास्फेट (P)	पोटाश (K)	कुल (N+P+K)
2012-13	10.82	7.15	0.70	18.67
2013-14	11.86	5.98	0.55	18.39
2014-15	10.63	5.77	0.66	17.06
2015-16	12.33	6.50	0.82	19.65
2016-17(खरीफ 2, जन. 2017 तक)	8.63	4.64	0.71	13.98
2016-17 रबी (31 दिसं. 2016 तक)	4.99	2.34	0.30	7.63

5.18 पौध संरक्षण : फसलों को रोगों एवं कीड़ों आदि से होने वाली क्षति से बचाने के लिये पौध संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है । इसके अन्तर्गत फसल संरक्षण, बीजोपचार, चूहा नियंत्रण तथा नींदा उन्मूलन कार्यक्रम मुख्य रूप से सम्मिलित हैं । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक उपलब्धियाँ का विवरण तालिका 5.12 में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.12
पौध संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्र

(लाख हेक्टेयर)

कार्यक्रम	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 दिसम्बर, 2016
बीज उपचार	188.39	154.53	142.76	138.62	136.15
फसल उपचार	45.50	37.58	34.15	36.98	29.61
चूहा नियंत्रण	21.33	22.35	23.36	23.96	20.31
नींदा नियंत्रण	21.17	19.50	19.42	20.71	14.67
योग	276.39	233.96	219.69	220.27	200.74

5.19 कल्चर वितरण : कृषि के विकास हेतु प्रदेश में कल्चर का उपयोग निरन्तर बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2012-13 में 93.28 लाख कल्चर पैकेट लक्ष्य के विरुद्ध 71.24 लाख कल्चर पैकेट वितरित किये गये तथा वर्ष 2013-14 में 108.00 लाख कल्चर पैकेट के विरुद्ध मार्च, 2014 तक 72.42 लाख कल्चर पैकेट का वितरण किया गया एवं वर्ष 2014-15 में 110.00 लाख कल्चर पैकेट के विरुद्ध 49.10 लाख कल्चर पैकेट वितरण किये जा चुके हैं तथा वर्ष 2015-16 में 115.00 लाख कल्चर पैकेट लक्ष्य के विरुद्ध 25.86 लाख कल्चर पैकेट वितरित किये जा चुके हैं तथा 2016-17 में 123.00 लाख कल्चर पैकेट के विरुद्ध 31 दिसं.2016 तक 5.568 लाख कल्चर के पैकेट वितरित किये गये हैं।

5.20 राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना: प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, भारत सरकार द्वारा रबी वर्ष 1999-2000 से क्रियान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत प्राकृतिक आपदाओं एवं रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने पर कृषकों को वित्तीय सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की मुख्य उपलब्धियों को बॉक्स 5.1 में दर्शाया है।

बॉक्स 5.1

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य में खरीफ फसलों के लिए वर्ष 2012 में 0.74 लाख कृषकों को 75.08 करोड रुपये एवं रबी फसलों के लिए वर्ष 2012-13 में 3.60 लाख कृषकों को 316.82 करोड रुपये तथा खरीफ फसलों के लिए वर्ष 2013 में 14.20 लाख कृषकों को 2187.43 करोड रुपये एवं रबी फसलों के लिए वर्ष 2013-14 में 5.91 लाख कृषकों को 437.21 करोड रुपये का भुगतान किया गया। खरीफ फसलों के लिए वर्ष 2014 के लिए 4.34 लाख कृषकों को 541.99 करोड रुपये एवं रबी फसलों के लिए वर्ष 2014-15 में 1.99 लाख कृषकों को 150.84 करोड रुपये तथा खरीफ फसलों के लिए वर्ष 2015 के लिए 20.46 लाख कृषकों को 4416.89 करोड रुपये प्राकृतिक आपदाओं एवं रोगों के कारण अधिसूचित फसलों के नष्ट होने पर कृषकों को कंपनी द्वारा भुगतान किया गया।

म0प्र0 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2016-17 में कुल बीमित रकबा (.हे)7349229.764 , कुल बीमित राशि(करोड)19045.34, कुल प्रीमियम राशि (करोड) 395.96, ऋणि कृषक 3037712, ऋणि कृषक 388411 एवं कुल बीमित 3426123 कृषकों की प्रगति हुई है।

योजनानुसार ए.आई.सी. द्वारा बैकों के माध्यम से पात्र कृषकों को भुगतान किया जाता है। योजनान्तर्गत मौसम खरीफ वर्ष 2006 से मुख्य फसलें धान सिंचित/ असिंचित, सोयाबीन, तुअर तथा खरीफ 2007 में मक्का एवं बाजरा की इकाई पटवारी हल्का स्तर है तथा ज्वार, कोदो कुटकी, तिल, मुंगफली, कपास की इकाई तहसील स्तर है। इसी तरह रबी 2006-07 से गेहूँ सिंचित/असिंचित, चना एवं राई सरसों की इकाई पटवारी हल्का एवं अलसी की इकाई तहसील स्तर है।

5.21 अन्नपूर्णा एवं सूरजधारा योजना: मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों के कल्याण हेतु यह योजना वर्ष 2000-2001 से लागू की गई है। सूरजधारा योजना में दलहन एवं तिलहन तथा अन्नपूर्णा योजना में खाद्यान्न फसलों के बीज उपलब्ध कराये जाते हैं।

5.22 सूरजधारा योजनान्तर्गत : वर्ष 2012-13 में अनुसूचित जाति के 65 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 59 हजार कृषकों को लाभान्वित किया गया वर्ष 2013-14 में मार्च 2014 तक अनुसूचित जाति के 77 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 69 हजार कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2014-15 में मार्च 2015 तक अनुसूचित जाति के 91 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 84 हजार कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जाति के 126 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 117 हजार कृषकों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2016-17 दिसंबर, 2016 तक अनुसूचित जाति के 118 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 114 हजार कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

5.23 अन्नपूर्णा योजनान्तर्गत : वर्ष 2012-13 में अनुसूचित जाति के 63 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 79 हजार कृषकों को लाभान्वित किया गया एवं वर्ष 2013-14 में मार्च 2014 तक अनुसूचित जाति के 135 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 195 हजार कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है, वर्ष 2014-15 में मार्च 2015 तक अनुसूचित जाति के 91 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 98 हजार कृषकों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जाति के 128 हजार एवं अनुसूचित जनजाति के 133 हजार कृषकों को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2016-17 दिसंबर 2016 तक अनुसूचित जाति के 115 हजार अनुसूचित जनजाति के 126 हजार कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

5.24 प्रमाणित बीजों का वितरण: राज्य में कृषि विकास हेतु बीज उत्पादन एवं वितरण में वृद्धि कर बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ाने के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं, विभिन्न योजनाओं तथा बीजग्राम योजना, सूरजधारा, अन्नपूर्णा योजना एवं अन्य योजनान्तर्गत गुणवत्तायुक्त बीजों का वितरण किया जा रहा है। वर्ष 2013-14 में 38.68 लाख क्वि. बीज वितरण किया

गया वर्ष 2014-15 में 32.72 लाख क्वि. प्रमाणित बीज वितरित किया गया। वर्ष 2015-16 में 34.68 लाख क्वि. प्रमाणित बीज वितरित किया गया एवं वर्ष 2016-17 में 31 दिसम्बर 2016 तक रबी हेतु 19.26 लाख क्वि. प्रमाणित बीज वितरित किया गया।

केन्द्रीय योजनायें

5.25 परंपरागत कृषि विकास योजना : (वायपीकेव्ही) परम्परागत कृषि विकास योजना (वायपीकेव्ही) वर्ष 2015-16 से प्रदेश में लागू की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य आर्गनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना है। वर्ष 2015-16 हेतु वित्तीय लक्ष्य राशि रु. 47.11 करोड के विरुद्ध 31 मार्च 2016 तक राशि रु.46.45 करोड व्यय किया गया है, तथा वर्ष 2016-17 में 29.79 करोड के विरुद्ध 31 दिसंबर 2016 तक राशि रु .21.60 करोड व्यय किया जा चुका है।

योजनांतर्गत कृषक एल.आर.पी. प्रशिक्षण, किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एक्सपोजर विजिट, मृदा नमूना संग्रहण परीक्षण/, किसानों के लिए फील्ड का निरीक्षण, नमूना का रेसिड्यू विश्लेषण, प्रमाणीकरण चार्ज, भूमि का जैविक परिवर्तन, बायोलॉजिकल फसल रोपण, तरल जैव पैस्टिसाइड हेतु सहायता, नीम केक नीम तेल/, कृषि यंत्रों का उपयोग, पैकिंग मटेरियल लोडिंग आदि पर सहायता, जैविक उत्पाद का टान्सपोर्टेशन एवं जैविक मेलों का आयोजन किया जाता है।

5.26 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना: भारतीय अर्थव्यवस्था पर वर्ष 1991 की रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल घरेलू उत्पाद में पिछले वर्षों में 6 से 8 प्रतिशत की गिरावट आँकी गई है। कुल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 30 प्रतिशत था वह भी धीरेधीरे गिर रहा है। इन सभी परिस्थितियों का अध्ययन करने के उपरान्त योजना आयोग ने 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत 4 प्रतिशत घरेलू उत्पाद की वृद्धि उत्पाद दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास परिषद द्वारा 29 मई 2007 से देश में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू की गई है। योजना द्वारा 12 वीं पंचवर्षीय योजना में .4 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने की अनुशंसा की है इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा राज्यों को अतिरिक्त सहायता की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत जिलों में कृषि के समग्र विकास हेतु संसाधनों के अनुरूप योजनाएँ तैयार की जा रही हैं। जिनके अनुरूप उन्हें सहायता भी प्रदान की जा रही है।

योजना में विभिन्न विभागों, संस्थाओं, निगम, मंडल के अंतर्गत सामयिक आवश्यकताओं पर आधारित प्रोजेक्ट जो किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, कृषि मशीनीकरण,

पशुपालन, मत्स्य पालन, राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम को प्रोत्साहन, उद्यानिकी, रेशम पालन, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, कृषि एवं पशुपालन विश्वविद्यालय, सहकारिता, फार्मर प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन, डेयरी विकास बोर्ड, कुक्कुट विकास निगम, मत्स्य महासंघ, जैविक प्रमाणीकरण संस्था, एवं मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल स्वीकृत किये गये हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से वर्ष 2013-14, 2014-15 2015-16 एवं 2016-17 दिसम्बर 2016 तक क्रमशः 276.25, 511.78, 439.33 एवं 356.15 करोड़ रुपये राशि प्राप्त हुई। जिसका वर्ष 2015-16 में 418.07 एवं 2016-17 दिसम्बर 2016 तक 161.31 करोड़ रुपये उपयोग राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में कर लिया गया है। वर्ष 2015-16 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में केन्द्र तथा राज्य की भागीदारी 60:40 के आधार पर क्रियान्वित की जानी है।

5.27 नेशनल मिशन ऑन आयल सीड एवं आयल पॉम: यह योजना वर्ष 2014-15 से संचालित है। योजना का उद्देश्य प्रदेश में तिलहनी फसलों का उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि करना है। वर्ष 2014-15 में भारत सरकार से प्राप्त रिलीज के आधार उपलब्ध राशि ₹ 6034.44 लाख के विरुद्ध 3417.18 लाख रुपये व्यय किये गये वर्ष 2015-16 में गतवर्ष की अवशेष राशि एवं भारत सरकार से प्राप्त रिलीज के अनुसार राशि ₹ 7834.64 लाख व्यय हेतु उपलब्ध है जिसका माह मार्च 2016 तक राशि ₹ 3257.60 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2016-17 में राशि ₹ 8048.48 लाख के विरुद्ध 31 दिसम्बर 2016 तक राशि ₹ 2851.67 लाख व्यय किये गये।

5.28 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक बहुआयामी योजना है। धान गेहूं एवं दलहन फसलों के क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता एवं उत्पादन वृद्धि के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन उन क्षेत्रों में संचालित है। जहाँ इन फसलों की उत्पादकता कम है। योजना का उद्देश्य सतत रूप से तकनीकी का विस्तार कर कृषि उपज में वृद्धि करना एवं कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारना है। वर्ष 2014-15 में भारत सरकार से प्राप्त रिलीज के आधार पर राशि ₹ 21456.58 लाख के विरुद्ध राशि ₹ 16844.19 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2015-16 में गतवर्ष की अवशेष राशि एवं भारत सरकार से प्राप्त रिलीज के अनुसार राशि ₹ 20730.80 लाख व्यय हेतु उपलब्ध है जिसके विरुद्ध राशि ₹ 13519.93 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2016-17 में गतवर्ष की शेष राशि एवं भारत सरकार से रिलीज राशि ₹ 29957.52 लाख के विरुद्ध दिसम्बर 2016 तक राशि ₹ 6699.53 लाख व्यय किये गये।

5.29 स्वाइल हैल्थ कार्ड योजना : इस योजना का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा प्रत्येक कृषक को प्रति तीन वर्ष में स्वाइल हैल्थ कार्ड प्रदाय करने हेतु वर्ष 2014-15 से योजना लागू की गई । जिसमें ग्रिड के आधार पर मिट्टी नमूना लिये जाकर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में नमूना परीक्षण उपरान्त अनुशंसा के साथ कृषकों को कार्ड उपलब्ध कराया जाता है ।

प्रदेश में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 हेतु लक्षित नमूना 23.14 लाख के विरुद्ध 21.25 लाख नमूने एकत्रित किये जाकर 10.64 लाख नमूने विश्लेषण उपरांत दिनांक 05.01.2017 तक अद्यतन रूप से 31.91 कृषकों को कार्ड उपलब्ध कराये गये ।

कृषकों को विकास खण्ड स्तर पर शासन द्वारा मिट्टी परीक्षण की सुविधा हेतु 265 प्रयोगशालाओ को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । भारत सरकार द्वारा इस योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में उपलब्ध करायी गई केन्द्रांश राशि के विरुद्ध 468.48 लाख राशि व्यय किया जाकर 1793.37 लाख आवंटन व्यय उपलब्ध है ।

कृषि यंत्रीकरण

प्रदेश में फार्म पावर की उपलब्धता वर्ष 2007-08 में 0.85 किलोवाट प्रति हेक्टर थी जो कृषि यंत्रीकरण के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने से वर्ष 2015-16 में बढ़कर 1.85 कि.वाट/हेक्टर हो गई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक फार्म पावर 2.50 कि.वाट/हेक्टर किये जाने का लक्ष्य है ।

5.30 रिज-फरो पद्धति को बढ़ावा : सोयाबीन फसल को अतिवर्षा एवं अल्प वर्षा से होने वाले नुकसान से बचाने तथा उसकी उत्पादकता बढ़ाने में उपयोगी रिज-फरो पद्धति को प्रदेश में प्रोत्साहित किया गया फलस्वरूप खरीफ 2016 में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर रकबे में इस पद्धति के माध्यम से फसलों की बुवाई हुई । कृषकों को 800 रेज्ड बेड प्लान्टर 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराये गये हैं ।

5.31 गहरी जुताई : प्रदेश के कृषकों को खेतों की गहरी जुताई हेतु प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष 2016-17 में 43.00 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में 2000 रुपये प्रति हेक्टेयर के अनुदान पर कार्यक्रम लिया जाकर गहरी जुताई की गई । योजना प्रारंभ से अभी तक 4.00 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में गहरी जुताई का कार्य किया जा चुका है । इससे फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

5.32 निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्रों तथा हाई-टेक हब की स्थापना : प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषकों की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण ये कृषक आधुनिक कृषि यंत्रों एवं तकनीकों का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। इन कृषकों को लाभ दिलाने के दृष्टि से वर्ष 2015-16 में 1204 केन्द्रों की स्थापना की गई है। वर्ष 2016-17 में अतिरिक्त 612 कस्टम हायरिंग केन्द्र निजी क्षेत्र में स्थापित करने का कार्यक्रम लिया गया है, साथ ही उच्च गुणवत्ता के कृषि यंत्रों के बड़े हाई-टेक हब प्रारंभ करने का कार्यक्रम भी इस वर्ष लिया गया है। वर्ष 2016-17 में 82 हाई-टेक हब स्थापित किये जायेंगे।

5.33 यंत्रदूत ग्रामों का विकास तथा नई तकनीक के कृषि यंत्रों का विस्तार -: कृषि यंत्रों के उपयोग से उत्पादकता में वृद्धि के लिए शासन द्वारा प्रतिवर्ष 200 ग्रामों का चयन यंत्रदूत ग्राम के रूप में किया जाता है जिससे फसलों के उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि की संभावनाओं को दर्शाया जाता है। वर्ष 2015-16 में 400 ग्रामों में ऐसे प्रयोग किये गये हैं जिससे उत्साह वर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2016-17 में प्रदेश में 1000 ग्रामों को विकसित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

मौसम में हो रहे परिवर्तनों तथा खेत की तैयारी, बुवाई एवं अन्य कृषि कार्य हेतु नई तकनीकों तथा उच्च गुणवत्ता के कृषि यंत्रों की उपलब्धता का समावेश किया गया है। धान की बुवाई में मजदूरों की कमी तथा समय की बचत को ध्यान में रखते हुए राइस ट्रांसप्लान्टर का उपयोग करने हेतु कृषकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे बालाघाट जिले में खरीफ 2017 में राइस ट्रांसप्लान्टर के उपयोग से धान की उत्पादकता में 70 से 100 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

उद्यानिकी

5.34 उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से उद्यानिकी संचालनालय द्वारा मुख्य रूप से मसाले, सागसब्जी-, फल औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार आदि कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित राज्य पोषित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

राज्य पोषित योजनाएं :

5.35 फल पौध रोपण योजना : फल पौध रोपण अनुदान योजनान्तर्गत प्रदेश की भूमि जलवायु तथा सिंचाई सुविधा की उपलब्धता के आधार पर कृषकों को फल पौध रोपण हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन में निर्धारित प्रति हेक्टेयर सहायता अनुसार अनुदान दिया

जाता है। योजना अंतर्गत वर्ष 2015-16 में 11649 हेक्टेयर क्षेत्र में तथा 2016-17 में माह दिसम्बर, 2016 तक 1062 हेक्टेयर क्षेत्र में फल पौध रोपण कराया गया।

5.36 सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना : सब्जी क्षेत्र विस्तार की नवीन योजना अंतर्गत उन्नत संकर सब्जी फसल के लिये आदान सामग्री का/50 प्रतिशत अधिकतम 10.00 हजार रुपये प्रति हेक्टर जो भी कम होगा अनुदान देय होगा तथा सब्जी के कंदवाली फसल जैसे- आलू, अरबी के लिये आदान सामग्री का 50 प्रतिशत अधिकतम 30.00 हजार रुपये जो भी कम होगा अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है। योजना में एक कृषक को 0.25 हेक्टर से लेकर 2.00 हेक्टर तक का लाभ दिया जाना प्रावधानित है। वर्ष 2015-16 में 14691 हेक्टर में सब्जी क्षेत्र विस्तार किया गया है। वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर 2016 तक 2177 हेक्टर में सब्जी क्षेत्र विस्तार किया गया है।

5.37 मसाला क्षेत्र विस्तार योजना : प्रदेश में मसाला क्षेत्र विस्तार की नवीन योजना अंतर्गत सभी वर्ग के कृषकों के लिये उन्नतसंकर मसाला फसल के क्षेत्र विस्तार के लिये आदान / सामग्री का 50 प्रतिशत अधिकतम 10.00 हजार रुपये प्रति हेक्टर जो भी कम तथा कंदवाली फसल यथा हल्दी, अदरक, लहसुन के लिये आदान सामग्री का 50 प्रतिशत अधिकतम 50.00 हजार रुपये अनुदान दिये जाने का प्रावधान किया गया है। योजना में एक कृषक को 0.25 हेक्टर से लेकर 2.00 हेक्टर तक का लाभ दिया जा सकता है। वर्ष 2015-16 में 13598 हजार हेक्टर में मसाला क्षेत्र विस्तार किया गया है। वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर 2016 तक 2197 हजार हेक्टर मसाला क्षेत्र का विस्तार किया गया है।

5.38 औषधीय एवं सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार : योजना के तहत कृषकों के द्वारा क्षेत्र के अनुकूल औषधीय एवं सुगंधित फसल लगाने हेतु प्रति कृषक 0.25 से 2.00 हेक्टेयर तक निर्धारित मापदण्ड अनुसार अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2015-16 में 361 हेक्टेयर में औषधीय फसलों का क्षेत्र विस्तार किया गया तथा वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर 2016 तक 134 हेक्टेयर में क्षेत्र विस्तार किया गया।

5.39 प्रदर्शन/मिनिकिट की योजना : योजना के तहत जिले की मिटटी तथा जलवायु के अनुसार कृषक के खेतों पर 400 वर्ग मीटर या गठित समिति की अनुशंसा अनुसार निर्धारित फसल विशेष के लिए निर्धारित क्षेत्रफल में मिनिकिट प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। प्रदर्शन मिनिकिट हेतु बीज/पौधे कृषकों को निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2015-16 में 686126 प्रदर्शन/मिनिकिट आयोजित किये गये हैं। वर्ष 2016-17 में यह योजना बंद कर दी गई है।

5.40 व्यवसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना : व्यावसायिक उद्यानिकी फसलों की संरक्षित खेती की प्रोत्साहन योजना में एकीकृत बागवानी मिशन द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं बागवानी में प्लास्टिकल्चर उपयोग संबंधी राष्ट्रीय समिति के द्वारा निर्धारित डाईंग डिजाइन के अनुसार ग्रीन हाउस (.एच.ए.पी.सी.एन), शेडनेट हाउस, प्लास्टिक मल्टिचिंग एवं प्लास्टिक लोडिटनल इत्या-का निर्माण कराने पर कृषकों को निर्धारितमापदण्ड अनुसार इकाई लागत कर 50 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है । वर्ष 2015-16 में 11829 हेक्टेयर में निमार्णकरायागया तथा वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर, 2016 तक 36.05 हेक्टेयर में निमार्ण किया गया है ।

5.41 उद्यानिकी के विकास हेतु यंत्रिकरण को बढ़ावा देने की योजना : उद्यानिकी फसलों की खेती में उपयोग में आने वाले आधुनिक यंत्रों की इकाई लागत ज्यादा होने से सामान्य कृषक इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, अतः ऐसे कृषक अथवा कृषक उत्पादक संघ जो आधुनिक यंत्रों का उपयोग उद्यानिकी फसलों में करना चाहते हैं, योजना में उन्हें ऐसे यंत्रों पर इकाई लागत का 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2015-16 में 698 उद्यानिकी यंत्रों के क्रय पर अनुदान उपलब्ध कराया गया तथा वर्ष 2016-17 में दिसम्बर 2016 तक 458 उद्यानिकी यंत्रों के क्रय पर अनुदान उपलब्ध कराया गया है ।

5.42 बाड़ी : के लिये आदर्श कार्यक्रम (किचन गार्डन) राज्य शासन की प्राथमिकता के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लघुसीमांत किसानों एवं खेतिहर मजदूरों को इस / योजना के अन्तर्गत प्रति हितग्राही को 75 रूपये की सीमा तक उसकी बाड़ी हेतु स्थानीय कृषि जलवायु के आधार पर सब्जी बीजों के पैकेट वितरित किए जाते हैं । वर्ष 2015-16 में 1010053 सब्जी बीज पैकेट तथा वर्ष 2016-17 के माह दिसम्बर, 2016 तक 218546 सब्जी बीज पैकेट का वितरण किया गया है ।

5.43 कृषक प्रशिक्षण : कृषकों को उद्यानिकी फसलों की खेती की नवीन तकनीक एवं उससे होने वाले लाभ से अवगत कराने हेतु कृषकों को प्रदेश के अन्दर तथा प्रदेश के बाहर भ्रमण कराकर प्रशिक्षित किया जाता है । वर्ष 2015-16 में 35226 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया तथा वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर 2016 तक 5922 कृषकों को प्रशिक्षण दिया गया है ।

5.44 प्रदर्शनी मेला एवं प्रचार-प्रसार : जिला एवं ब्लॉक स्तर पर फल, फूल एवं सब्जी आदि की प्रदर्शनी एवं सेमीनार आयोजित कर कृषकों को नवीन तकनीकी एवं विकास के कार्यक्रम प्रदर्शित किये जाते हैं । वर्ष 2015-16 में 1588 प्रदर्शनी/मेलों का आयोजन कर 77922 हजार कृषक लाभांवित हुये तथा वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर 2016 तक 767 प्रदर्शनी / मेलों का आयोजन कर 25991 कृषक लाभांवित हुये हैं ।

5.45 मौसम आधारित फसल बीमा : वर्ष 2013-14 से प्रदेश में मौसम आधारित उदयानिकी फसलों को प्राकृतिक आपदा एवं मौसम के विपरीत प्रभाव से फसलों की छति की क्षतिपूर्ति हेतु यह योजना लागू की गई है जिसमें खरीफ एवं रबी की फसले होती है । बीमित राशि 5 प्रतिशत कृषक केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रीमियम राशि का 50:50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2015-16 में 249321 कृषकों की फसलों का बीमा दावों के विरुद्ध 167031 कृषकों को राशि रु .70.65 करोड का भुगतान बीमा कम्पनियों के द्वारा किया गया । वर्ष 2016-17 में लगभग 236940 कृषकों को खरीफ उदयानिकी फसलों के लिए बीमित किया जा चुका है । रबी उदयानिकी फसलों के लिए लगभग 205720 कृषकों को बीमित किये जाने का अनुमान है ।

5.46 नर्मदा नदी के दोनों तटों पर 1-1 किलोमीटर की पट्टी तक फल पौध रोपन की योजना : शासन द्वारा मध्यप्रदेश में नर्मदा नदी के संरक्षण एवं प्रदूषण मुक्त करने के साथ क्षेत्र के किसानों की आय बढ़ाने के लिये नदी के मध्य को केन्द्र बिन्दु मानकर दोनों तटों पर एक-एक किलोमीटर की पट्टी तक निजी भूमि में फल पौध रोपन की योजना वर्ष 2016-17 से प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत प्रथम वर्ष में 5000 दिवतीय वर्ष में 20000 तथा तृतीय वर्ष में 20000 कुल 45000 हेक्टेयर में फल पौध रोपन कराने हेतु कृषकों को अनुदान हेतु राशि रु. 534.20 करोड की स्वीकृति दी गई है। वर्ष 2016-17 में माह दिसंबर 2016 तक 40 हेक्टेयर में फल पौध रोपन कराया गया है।

5.47 खाद्य प्रसंस्करण : प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु विभाग द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विशेष सहायता दिये जाने का प्रावधान उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अन्तर्गत किया गया है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को पूंजी लागत अनुदानकी अधिकतम सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 250 लाख की गई है । इसके अतिरिक्त अन्य सुविधायें भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उपलब्ध कराई जाएगी ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु नवीन नीति वर्ष 2016 में स्वीकृत कराई गयी जिसके तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया जावेगा । भण्डारण क्षमता में वृद्धि हेतु नश्वर उत्पादों के भण्डार क्षमता में वृद्धि हेतु 2 वर्षों में 5 लाख मी.टन शीत भण्डारण एवं 5 लाख मी.टन प्याज भण्डारण क्षमता वृद्धि की योजना में स्वीकृति कराई गई है।

5.48 मसाले : वर्ष 2014-15 में कुल मसालों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः 5.71 लाख हेक्टेयर एवं 44.46 लाख मीटरिक टन रहा है । वर्ष 2015-16 में कुल मसालों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः 5.82 लाख हेक्टेयर एवं 26.87 लाख मीटरिक टन रहा है । वर्ष 2016-17 कुल मसालों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः 6.65 लाख हेक्टेयर एवं 41.53

लाख मीटरिक टन रहा । प्रमुख मसालों के अन्तर्गत क्षेत्र एवं उत्पादन का वर्षवार विवरण तालिका 5.13 एवं 5.14 में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.13
प्रमुख मसालों का क्षेत्राच्छादन

(हेक्टेयर में)

मसाले	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 A	2016-17 A अनुमानित
मिर्च	140667	147700	150654	101436	96257
अदरक	25027	25528	26038	19675	21718
लहसून	96923	98861	103805	122987	160050
धनिया	188419	192187	197915	248354	273926
कुल मसाले	539170	554204	571165	582154	665056

तालिका 5.14
प्रमुख मसालों का उत्पादन

(लाख मीटरिक टन में)

मसाले	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 A	2016-17 A अनुमानित
मिर्च	12.75	13.39	13.88	3.74	4.83
अदरक	3.52	3.59	3.66	3.13	6.87
लहसून	11.51	11.74	12.40	11.98	17.84
धनिया	5.36	5.47	6.04	3.50	5.05
कुल मसाले	41.13	42.33	44.46	26.87	41.53

5.49 साग-सब्जी : वर्ष 2014-15 में कुल साग सब्जी का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः 7.01 लाख हेक्टर एवं 153.90 लाख मीटरिक टन रहा । वर्ष 2015-16 में कुल साग-सब्जी का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः 7.57 लाख हेक्टेयर एवं 137.44 लाख मीटरिक टन रहा । वर्ष 2016-17 में कुल साग सब्जी का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः 8.64 लाख हेक्टेयर एवं 158.01 लाख मीटरिक टन रहा। प्रमुख साग-सब्जी फसलों के क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन का वर्षवार विवरण क्रमशः तालिका 5.15 व 5.16 में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.15
प्रमुख साग, सब्जी फसलों का क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

फसलें	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 A	2016-17 A अनुमानित
आलू	108874	109963	136012	134136	156156
शकरकन्द	2507	2758	3089	2513	4148
प्याज	111725	117311	153969	140837	119162
मटर	53446	56118	57802	85822	106482
टमाटर	62589	65718	70225	74231	99033
फूल गोभी	24556	25047	26042	34345	44932
कुल सब्जी	603674	621691	701509	756812	864290

तालिका 5.16
प्रमुख साग, सब्जी फसलों का उत्पादन

(लाख मीट्रिक टन में)

सब्जी	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 A	2016-17 A अनुमानित
आलू	22.99	23.22	30.48	27.43	31.33
शकरकन्द	0.45	0.50	0.60	0.35	0.50
प्याज	26.91	28.26	41.35	32.40	32.37
मटर	5.34	5.61	6.07	7.17	11.13
टमाटर	18.45	19.37	21.77	18.06	22.48
फूल गोभी	6.90	7.04	7.50	7.16	9.12
कुल सब्जी	124.53	128.41	153.90	137.44	158.01

5.50 फल : वर्ष 2014-15 में कुल फलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः 2.27 लाख हेक्टर एवं 62.04 लाख मीट्रिक टन रहा । वर्ष 2015-16 में कुल फलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः 2.91 लाख हेक्टर एवं 53.12 लाख मीट्रिक टन रहा । वर्ष 2016-17 में कुल फलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन क्रमशः 3.29 लाख हेक्टेयर एवं 59.17 लाख मीट्रिक टन रहा। प्रमुख फलों के क्षेत्राच्छादन एवं उत्पादन वर्षवार विवरण तालिका 5.17 एवं 5.18 में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.17
प्रमुख फलों के अंतर्गत क्षेत्राच्छादन

(हेक्टेयर में)

फल	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 A	2016-17 A अनुमानित
केला	25757	26272	27795	22637	24313
आम	25183	25435	26707	36026	39979
मौसंबी/संतरा	58046	61017	68848	104914	127324
पपीता	12536	13163	13821	9122	10240
कुल फल	204648	210532	226834	291411	329359

तालिका 5.18
प्रमुख फलों का उत्पादन

(लाख मीट्रिक टन में)

फल	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16 A	2016-17 A अनुमानित
केला	17.01	17.35	18.36	15.56	16.47
आम	3.76	3.80	3.96	4.42	4.93
मौसंबी/संतरा	9.53	10.04	11.35	13.20	16.20
पपीता	4.13	4.34	4.55	4.00	4.54
कुल फल	56.25	57.81	62.04	53.12	59.17

5.51 केन्द्रीय योजनाएं :

5.51.1 एकीकृत बागवानी विकास मिशन : कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश में वर्ष 2005-06 से राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन प्रारम्भ किया गया है । वर्ष 2014-15 से योजना का नाम परिवर्तित कर एकीकृत बागवानी विकास मिशन अन्तर्गत राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन किया गया है । मिशन के अन्तर्गत 10 वीं पंचवर्षीय योजना में वर्तमान उद्यानिकी क्षेत्रफल की उत्पादकता में वृद्धि कर उत्पादन को दो गुना करने का लक्ष्य रखा गया है । वर्ष 2009-10 से इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के चयनित 40 जिलों में मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है । भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाडा, जबलपुर, सागर, इंदौर, खरगौन, खण्डवा, बुरहानपुर, धार, बड़वानी, झाबुआ, देवास, उज्जैन, शाजापुर, मंदसौर, रतलाम, डिण्डोरी, मंडला, रीवा, सतना, हरदा, राजगढ़, गुना, नीमच, ग्वालियर, छतरपुर, सीहोर, विदिशा, सीधी, अशोकनगर, अलीराजपुर, रायसेन, सिंगरौली, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना दतिया एवं आगर मालवा ।

5.51.2 : इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्र विस्तार तथा उत्पादन दो गुना करना है । योजना के अंतर्गत निजी तथा शासकीय प्रक्षेत्र में उच्च गुणवत्ता की पौध रोपण सामग्री तैयार करना। ऑवला, संतरा अमरूद, सीताफल, आम, अनार एवं केले के नये बगीचे तैयार किये जाना है । इसके अलावा आम, अमरूद, संतरा आदि के पुरानेबगीचे का जीर्णोद्धार करना, मिर्च, धनियां एवं लहसुन मसाला फसलों एवं पुष्प फसलों का उत्पादन कार्यक्रम लेना, समन्वित कीट एवं पौषक तत्व प्रबंधन प्रणाली को लागू करना, जलसंवर्धन हेतु तालाबों का निर्माण यत्रीकरण, संरक्षित खेती एवं मानव संसाधन विकास तथा फसलोत्तर प्रबंधन आदि कार्यक्रम सम्मिलित है।

5.51.3 : वर्ष 2014-15 में मिशन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों पर 5672.51 लाख रुपये वर्ष 2015-16 में 6748.50 लाख रुपये व्यय किए गए तथा वर्ष 2016-17 में दिसम्बर 2016 के अंत तक 3228.82 लाख रुपये व्यय किए गए ।

5.52 माईक्रो इरीगेशन योजना : माईक्रो इरीगेशन योजना अंतर्गत वर्ष 2015-16 में 58627 हेक्टेयर में डिप पित किए गए वर्षस्प्रिंकलर स्था/2016-17 में माह दिसम्बर 2016 तक 11418 हेक्टेयर में डिप कलर किए गए हैं ।स्प्रिं/

5.53 राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन : प्रदेश में औषधीय पादप मिशन वर्ष 2008-09 से प्रारंभ किया गया है । यह मिशन भारत शासन के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के व्दारा जारी मूल दिशा निर्देशों का पालन करते हुए संचालित किया जा रहा है । औषधीय फसलों की खेती हेतु कृषकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार अनुदान दिया जाता है । वर्ष 2015-16 में औषधीय पौध मिशन अंतर्गत 1844 हेक्टर औषधी फसलों का क्षेत्र विस्तार किया गया वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर 2016 तक 2425 हेक्टर औषधी फसलों का क्षेत्र विस्तार किया गया !

5.54 नेशनल मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग : भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012-13 से राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन का क्रियान्वयन राज्यों के माध्यम से आरंभ किया गया है । योजनांतर्गत मुख्यतः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के स्थापना, तकनीकी उन्नयन एवं क्षमता वृद्धि के लिये तकनीकी निर्माण एवं मशीनरी पर लागत 25 प्रतिशत अधिकतम राशि 50.00 लाख रुपए अनुदान का प्रावधान है । इसके अलावा मानव संसाधन विकास एवं अन्य घटकों के लिए भी वित्तीय सहायता का प्रावधान है । वर्ष 2015-16 में 7 उद्योग इकाइयों को 2.89 करोड अनुदान सहायता दी गई है । योजना 1 अप्रैल 2015 से डीलिंग हो गई है ।

5.55 राष्ट्रीय कृषि विकास : राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत केन्द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्यांश 40 प्रतिशत का प्रावधान है। योजना अंतर्गत हितग्राही मूलक योजनाओं में 35 से 50 प्रतिशत अनुदान एवं शासकीय क्षेत्र में 100 प्रतिशतसहायता का प्रावधान है वर्ष 2015-16 में योजना अंतर्गत विभिन्न घटकों में 3024.93 लाख की अनुदान सहायता उपलब्ध कराई गई तथा वर्ष 2016-17 माह दिसम्बर 2016 तक 1907.93 लाख रुपये की अनुदान सहायता उपलब्ध कराई गई है।

कृषि विपणन

कृषकों को बिचौलियों के शोषण से बचाने, समयावधि में उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने एवं उनको विपणन की बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने में मंडी समितियों का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड) एक तीन स्तरीय संस्था जिसमें मुख्यालय, 7 आंचलिक कार्यालय भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर एवं रीवा तथा 257 मंडियां एवं 287 उप मंडियां कार्यरत हैं। प्रदेश में कुल हाट बाजारों की संख्या 1321 है।

5.56 मंडियों में अधिसूचित जिन्सों की कुल आवक : प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में वर्ष 2015-16 माह अप्रैल से मार्च 2016 की अवधि में प्रदेश की मंडियों में 262.20 लाख टन कुल आवक हुई थी, गत वर्ष 2014-15 में हुई आवक 258.24 लाख टन की तुलना में 3.96 लाख टन अधिक है जो 1.53 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2016-17 में माह अक्टूबर 2016 की अवधि में प्रदेश की मंडियों में 129.37 लाख टन आवक हुई है।

5.57 मंडियों की मण्डी फीस से आय : राज्य शासन द्वारा मंडियों की आय में वृद्धि हेतु किये जा रहे सुधारात्मक उपायों के फलस्वरूप मंडियों की आय में भी वृद्धि हो रही है। प्रदेश की मंडी समितियों की वर्ष 2015-16 (माह अप्रैल से मार्च की अवधि में प्रदेश की मंडियों को 1074.33 करोड की आय हुई जो 2014-15 में हुई आय की तुलना में 75.59 करोड रुपये अधिक है। वर्ष 2016-17 में माह अप्रैल से अक्टूबर 2016 तक की अवधि में प्रदेश की मंडियों की फीस रुपये 586.70 करोड रुपये की आय हुई जो विगत वर्ष 2015-16 अवधि में प्राप्त आय से 45.39 प्रतिशत कम है।

5.58 किसान सड़क निधि तथा कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि : वर्ष 2001 से वर्ष 2016 माह अक्टूबर तक इस निधि के अंतर्गत 3913.85 करोड रुपये अर्जित किये गये हैं।

मंडी बोर्ड द्वारा मध्यप्रदेश ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण को राज्य की सडकों के विकास के लिए किसान सडक निधि से माह अक्टूबर 2016 तक 2316.34 करोड रुपये हस्तांतरित किये गये, एवं अन्य विभागों को 13.44 करोड रुपये हस्तांतरित किये गये । मंडी बोर्ड द्वारा सडक निधि से दिनांक 08.10.2010 में हुए संशोधन के फलस्वरूप माह अक्टूबर 2016 तक 968.55 करोड आंचलिक कार्यालयों को विमुक्त किये गये हैं ।

5.59 कृषि अनुसंधान एवं अद्योसंरचना विकास निधि: वर्ष 2001 से माह अक्टूबर 2016 तक इस निधि अन्तर्गत 469.64 करोड रुपये अर्जित किये गये हैं, जिसके विरुद्ध विभिन्न परियोजनाओं के लिए शासन द्वारा गठित समिति की अनुशंसा उपरांत विभिन्न संस्थाओं को राशि रुपये 327.87 करोड अनुदान स्वरूप प्रदाय किये गये हैं तथा ब्याज मद से राशि रुपये 101.01 करोड व्यय की गई है ।

5.60 गौ के संरक्षण तथा संवर्धन निधि : गौ संरक्षण व संवर्धन हेतु राज्य शासन द्वारा कृषि अधोसंरचना निधि में संशोधन जुलाई 2004 को किया गया है इस योजना अंतर्गत माह अक्टूबर 2016 तक कुल रुपये 203.87 करोड अर्जित किये गये हैं जिसमें मध्यप्रदेश गौ पालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड भोपाल को कुल रुपये 131.96 करोड रुपये प्रदेश के समस्त जिलों की गौशालाओं को अनुदान प्रदान करने हेतु विमुक्त किये गये हैं ।

5.61 बोर्ड शुल्क : बोर्ड की आय का मुख्य स्रोत बोर्ड शुल्क अर्थात विपणन विकास निधि है कृषि विभाग के अधिसूचना अनुसार कृषि उपज मंडी पर दिनांक 01.04.2000 से मण्डी फीस दर रु .2 प्रति सैकडा पर नियत है बोर्ड को शुल्क के रूप में वर्ष 2014-15 में राशि रु . 129.24 करोड तथा वर्ष 2015-16 में राशि रु .131.45 करोड प्राप्त हुए हैं तथा वर्ष 2016-17 माह अक्टूबर 2016 तक राशि रुपये 73.18 करोड प्राप्त हुये ।

5.62 मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना : प्रदेश के कृषकों की सहायता के लिये यह योजना सितम्बर 2003 से लागू की गई है । जिसमें आंशिक अपंगता, स्थायी अपंगता मृत्यु एवं अंत्येष्टी अनुदान होने पर क्रमशः :7500, 25000 रुपये एवं 1,00,000 रुपये एवं 2000 रुपये की वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रावधान है ।

वर्ष 2014-15 में 371 हितग्राहियों को राशि रुपये 294.79 लाख रुपये की सहायता वितरित की गई । वर्ष 2015-16 में 506 हितग्राहियों को राशि रुपये 373.91 लाख रुपये की सहायता दी गई । वर्ष 2016-17 माह अक्टूबर 2016 तक 342 हितग्राहियों को राशि रुपये 236.73 लाख की सहायता राशि वितरित की गई ।

5.63 मंडी बोर्ड के द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख योजनाएँ :-

- **मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008** : प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं तुलावटियों के उत्थान के लिये योजना लागू की गई है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा संकल्प 2010 में संकल्प क्रमांक 37 द्वारा समग्र सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत मुख्यमंत्री मंडी हम्माल एवं तुलावटी सहायता योजना 2008 शामिल किया गया है इस योजना के अन्तर्गत प्रसूति अवकाश सहायता (अधिकतम 02 प्रसूति) 15 दिवस की अकुशल मजदूरी (पुरुष/महिला) 45 दिवस की अकुशल मजदूरी (महिला हम्माल) विवाह, छात्रवृत्ति मेधावी छात्र पुरस्कार, चिकित्सा सहायता हेतु 30,000 (हम्माल एवं तुलावटी हेतु) दुर्घटना में स्थाई अपंगत एवं मृत्यु की स्थिति, मंडी प्रांगण में कार्य करते समय हुई दुर्घटना राशि उपलब्ध करायी जाती है।

इस योजना अंतर्गत वर्ष 2015-16 में 5612 हितग्राहियों को 160.42 लाख की सहायता राशि वितरित की गई। वर्ष 2016-17 में माह अक्टूबर 2016 तक 2206 हितग्राहियों को 50.56 लाख की सहायता वितरित की गई।

- **कृषि विपणन पुरस्कार योजना** :- इस योजना अंतर्गत मण्डी समितियों द्वारा डा लाटरी द्वारा प्रत्येक वर्ष में दो बार बलराम जयंती एवं नर्मदा जयंती पर डाले जाते हैं। जिसमें बम्पर ड्रा के पुरस्कार में क संवर्ग की मण्डी में 35 अश्वशक्ति का टेक्टर एवं ख, ग, घ, प्रवर्ग की मण्डी समिति में रु. 50 हजार मूल्य में कृषि यंत्र दिये जाते हैं साथ ही इसके अतिरिक्त 1 हजार रु. के नगद पुरस्कार राशि देने का प्रावधान है।
- **कृषकों को रियायती दर पर भोजन की योजना** : इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों में कृषि उपज के विक्रय के लिए मंडी प्रांगण में आने वाले कृषकों को 5 रुपये प्रति भोजन थाली उपलब्ध कराने की योजना लागू की गयी है।
- **इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के माध्यम से स्पॉट ट्रेडिंग** : मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति नियम 2009 में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के माध्यम से स्पॉट ट्रेडिंग के लिए विशेष प्रावधान किये गये।
- **फल सब्जी विक्रय की वैकल्पिक सुविधा** : मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 6 में संशोधन किया जाकर फल सब्जी को मंडी प्रांगण के बाहर

विक्रय करने की वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मंडी प्रांगण के बाहर क्रय विक्रय की गई फल सब्जी को विनियमन से मुक्त रखा गया है।

- **मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला :** मंडी बोर्ड द्वारा जिला स्तर की उन 26 कृषि उपज मंडी समितियों में स्थापित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को कृषि विभाग को हस्तांतरित किया गया है साथ ही सात चलित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं को भी दिनांक 16-09-2016 से हस्तांतरित किया गया है।
- **इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे :** प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में 105 नग बड़े (10 से 50 टन क्षमता) तथा 6181 नग छोटे (01 से 05 क्विंटन क्षमता) इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे स्थापित हैं इसके अतिरिक्त 111 मंडी/उप मंडियों में बी.ओ.टी; आधार पर बड़े तौल कांटे स्थापित हैं।
- **मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब पवारखेडा जिला होशंगाबाद :** जन निजी भागीदारी योजना के अन्तर्गत प्रदेश में कम्पोजिट लॉजिस्टिक हब पवारखेडा जिला होशंगाबाद में स्थापित किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत लगभग 115 एकड़ भूमि का आधिपत्य मंडी बोर्ड ने प्राप्त किया है। इसमें से 88 एकड़ भूमि जन निजी भागीदारी से रुपये 150.00 करोड़ राशि का निवेश लॉजिस्टिक हब विकसित किया गया है। वर्तमान में लॉजिस्टिक हब प्रारंभ किया जा चुका है। इस परियोजना के क्रियान्वयन से होशंगाबाद से लगभग 100 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र के कृषि उद्योग लाभान्वित होंगे।
- **राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना:** (ई-नाम) भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना को भोपाल की करोंद मंडी में दिनांक 14-04-2016 को पायलट के रूप में प्रारंभ किया गया। तथा द्वितीय चरण में 19 मंडी समितियों में दिनांक 29-09-2016 से लागू किया गया एवं 31 मार्च 2017 तक तृतीय चरण में 30 और मंडी समितियों में लागू किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
- **कलर साटेक्स एवं ग्रेडिंग प्लांट लगाने का उद्देश्य :** मशीन द्वारा कृषकों की उपज को क्लिनिंग, ग्रेडिंग एवं साटिंग करने से गुणवत्तानुसार फसल का अलग-अलग किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त होना संभव हो रहा है।

भण्डारण सुविधा

5.64 प्रदेश में कृषकों की उपज को वैज्ञानिक भंडारण हेतु मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन की वर्तमान में 281 शाखाओं पर 61.13 लाख मीटरिक टन औसत क्षमता में कार्यशील हैं। निगम का प्रमुख उद्देश्य कृषकों / जमाकर्ताओं को अपने कृषि उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो, इसके लिये स्कंध के वैज्ञानिक भण्डारण हेतु गोदामों का निर्माण करना एवं वैज्ञानिक भण्डारण की सुविधा उपलब्ध कराना है। विगत दो वर्षों में मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन की भौतिक/ वित्तीय स्थिति को तालिका 5.19 एवं 5.20 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.19

भण्डारण शाखाओं की संख्या एवं कुल भण्डारण क्षमता

(क्षमता लाख मीटरिक टन)

वर्ष	शाखाओं की संख्या	स्वयं की क्षमता +केप क्षमता + पी.ई.जी	किराये की क्षमता +केप क्षमता	JV की क्षमता + पी.ई.जी	कुल क्षमता	उपयोगिता	उपयोगिता की प्रतिशत
2014-15	285	18.18	02.75	50.84	71.77	54.73	76
2015-16	281	22.11	02.10	49.01	73.22	50.96	70
2016-17 नवम्बर 2016 की स्थिति में	281	22.69	01.19	37.25	61.13	33.59	55

तालिका 5.20

भण्डारण शाखाओं की वित्तीय स्थिति

(रूपये लाख में)

वर्ष	आय	व्यय	लाभ (कर पश्चात)
2014-15	24630.75	14715.67	3947.15
2015-16	27192.25	21951.09	5241.16
2016-17 माह नवम्बर, 2016 तक (प्रावधिक)	18426.42	16407.98	2018.44

- MPWLC द्वारा कृषकों को वैज्ञानिक भंडारण की सुविधा का लाभ पहुंचाते हुए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सामान्य कृषकों हेतु 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों हेतु 40 प्रतिशत भंडारण शुल्क में रियायत 200 बोरों पर प्रदान की जाती है।

- वित्तीय वर्ष 2015-16 के माह मार्च, 2016 तक कृषक जमाकर्ताओं द्वारा उनके जमा स्कंध के समक्ष जारी वेयरहाउस रसीद की प्रतिभूति पर बैंकों द्वारा लगभग रूपये 3106.85 लाख कि वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है । वित्तीय वर्ष 2016-17 के माह नवम्बर, 2016 तक कृषक जमाकर्ताओं द्वारा उनके जमा स्कंध के समक्ष जारी वेयरहाउस रसीद की प्रतिभूति पर बैंकों द्वारा लगभग रूपये 177.79 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
- मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपार्जन नीति के अन्तर्गत उपार्जित गेहूं के भंडारण हेतु मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया था। भण्डारण हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए विगत वर्षों में उपार्जित गेहूं की भण्डारण व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन द्वारा निम्नानुसार मात्रा का भंडारण किया गया :-

रबी विपणन वर्ष	उपार्जित मात्रा	निगम द्वारा भंडारित मात्रा
2015-16	73.09 लाख मे.टन	62.14 लाख मे.टन +1.41 लाख मे.टन सायलो बेग +1.68 लाख मे.टन स्टील सायलो
2016-17	39.91 लाख मे.टन	36.15 लाख मे.टन +0.43 लाख मे.टन सायलो बेग +2.24 लाख मे.टन स्टील सायलो

- मध्यप्रदेश में इन्दौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, विदिशा, सीहोर, हरदा, होशंगाबाद एवं सतना जिलों में कुल 9 स्थानों पर 4.50 लाख मीटिरिक टन क्षमता का स्टील सायलों प्रोजेक्ट मध्यप्रदेश में प्रथम बार पीपीपी मॉडल पर स्थापित किये गये है। मार्च 2015 तक लगभग 2 लाख मीटिरिक टन भण्डारण क्षमता के प्राप्त स्टील सायलो में वर्ष 2015-16 के उपार्जित गेहूं का 1.68 लाख मीटिरिक टन में भण्डारण किया गया है ।
- रबी सीजन वर्ष 2016-17 में उपार्जित गेहूं को गोदाम में सुरक्षित भंडारण करने के लिए निजी क्षेत्र के गोदामों का ऑन लाईन पंजीयन विभिन्न निजी गोदाम संचालकों द्वारा कराया गया । निगम द्वारा संयुक्त भागीदारी योजनान्तर्गत राशि रूपये 33/-, 44/- एवं 57/- रूपये प्रति मीटिरिक टन प्रतिमाह के लिए शासन द्वारा साढे चार माह की व्यवसाय गारंटी प्रथम भंडारण दिनांक से गोदाम की पूर्ण क्षमता के लिये प्रदान की गई है ।

पशुधन एवं डेयरी विकास

5.65 प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। पशु पालन खेती का एक अभिन्न अंग है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रगति में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। वर्ष 2012 की पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में 3.63 करोड़ पशुधन तथा 119.05 लाख कुक्कुट एवं बतख पक्षी है। पशुधन वृद्धि का वर्षवार विवरण तालिका 5.21 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.21
पशुधन वृद्धि

पशु संगणना	पशुधन (करोड़ में)	कुक्कुट एवं बतख (लाख में)
वर्ष 2007 के अनुसार	4.07	73.84
वर्ष 2012 के अनुसार	3.63	119.05

विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से पशुओं को बचाने तथा उनकी स्वास्थ्य रक्षा के लिये प्रदेश में वर्ष 2016-17 के अंत तक 1063 पशु चिकित्सालय, 1585 पशु औषधालय, 38 चलपशु चिकित्सा इकाईयां, 27 विरूजालय, 10 मातामहामारी अनुगामी इकाई, 7 माता महामारी उन्मूलन सतर्कता इकाई, 7 सघन टीकाकरण इकाई, 2 माता महामारी रोग शमनदल, 19 माता महामारी जाँच चौकियां, एक पशु निरोध स्थल तथा एक राज्य स्तरीय एवं 22 जिला स्तरीय रोग अनुसंधान शालाएं कार्यरत हैं।

वर्ष 2012 की पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में गौ एवं भैंसवंशीय प्रजनन योग्य पशुओं की संख्या (मादाओं) 109.90 लाख है। राज्य में अधिकांश पशु अवर्णित नस्ल के हैं जिनकी दुग्धोत्पादन क्षमता अपेक्षाकृत कम है। विभागीय संस्थाओं द्वारा वर्ष 2015-16 में 27.25 लाख पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा उक्त अवधि में 8.59 लाख वत्सोत्पादन हुए। इस प्रकार वर्ष 2015-16 में गत वर्ष की तुलना में 14.11 प्रतिशत कृत्रिम गर्भाधान में तथा 79.33 प्रतिशत वत्सोत्पादन में वृद्धि परिलक्षित हुई है। वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर, तक 17.06 लाख पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा उक्त अवधि में 6.00 लाख वत्सोत्पादन हुए।

प्रदेश में वर्ष 2012 की पशु संगणना के अनुसार 3.09 लाख भेड़ें एवं 80.14 लाख बकरें बकरियां हैं। वर्ष/2015-16 में 18.30 हजार भेड़ें फलाई गई, जिसके फलस्वरूप 16.04 हजार मेमने उत्पन्न हुये। वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर, तक 18.83 हजार भेड़ें फलाई गई तथा 14.26 हजार मेमने प्रक्षेत्र एवं विस्तार केन्द्रों पर उत्पन्न हुए।


प्रदेश में 8 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र हैं । इन प्रक्षेत्रों पर साहीवाल, हरियाणा, मालवी, निमाड़ी, जर्सी तथा मुरा आदि उन्नत नस्ल के साँड़ रखे जाते हैं ।

सुदूर ग्रामीण अंचलों में पशुपालकों के पशुओं को नैसर्गिक गर्भाधान सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में 912 उन्नत नस्ल के गौ-सांड प्रदाय किये गये हैं तथा वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर तक 388 गौ-सांड प्रदाय किये गये ।

प्रदेश में वर्ष 2014-15 में दुग्ध उत्पादन 10779 हजार में. टन, अण्डा का उत्पादन 11776 लाख तथा मांस उत्पादन 59 हजार में टन रहा । इसी प्रकार प्रदेश में वर्ष 2015-16 में दुग्ध उत्पादन 12148 हजार में. टन, अण्डा का उत्पादन 14414 लाख तथा मांस उत्पादन 70 हजार में. टन रहा ।


5.66 दुग्ध उत्पादन : प्रदेश में दुग्ध उत्पादन का वर्षवार विवरण चित्र 5.2 में दर्शाया गया है । वर्ष 2014-15 की अपेक्षा वर्ष 2015-16 में दुग्ध उत्पादन में 12.70 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई ।

चित्र 5.2
दुग्ध उत्पादन




5.67 अंडों का उत्पादन : प्रदेश में वर्ष 2014-15 की अपेक्षा वर्ष 2015-16 में अण्डों के उत्पादन में 22.40 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक का अंडों का उत्पादन का वर्षवार विवरण चित्र 5.3 में दर्शाया गया है ।

चित्र 5.3
अंडों का उत्पादन



5.68 मांस का उत्पादन : वर्ष 2014-15 की अपेक्षा वर्ष 2015-16 में मांस के उत्पादन में 18.64 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई। वर्ष 2011-12 वर्ष 2015-16 तक का मांस उत्पादन का वर्षवार विवरण चित्र 5.4 दर्शाया गया है ।

चित्र 5.4
मांस का उत्पादन



पशुधन एवं कुक्कुट विकास

5.69 मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की स्थापना 19 नवम्बर 1982 को हुई। निगम का मुख्य उद्देश्य पशु उत्पादन तथा कुक्कुट उत्पादों का उत्पादन संग्रहण पालन पोषण और विपणन करना और पशु तथा कुक्कुट का संरक्षण प्रबंध और विकास करना है। निगम के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति का विवरण तालिका 5.22 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.22

म.प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

विवरण	उपलब्धि							
	लक्ष्य 2015-16		उपलब्धि 2015-16		लक्ष्य 2016-17		उपलब्धि 2016-17 (दिसम्बर, 2016)	
	भौतिक	वित्तीय लाख रु.	भौतिक	वित्तीय लाख रु.	भौतिक	वित्तीय लाख रु.	भौतिक	वित्तीय लाख रु.
• उच्चवंशीय पशुधन का प्रदाय (बैलजोड़ी भी सम्मिलित)	18000	3600.00	1448	532.40	-	-	417	151.99
• नस्ल सुधार (गौ-वंश / भैस-वंश / बकरा / सूकर,)	15272	1073.88	15095	1194.74	10375	1584.02	8864	939.40
• पशु आहार का उत्पादन (गौ-भैसवंश, बकरा एवं पक्षी)	700 मे.टन	153.00	359.80 मे.टन	73.98	-	-	119.67 मे.टन	28.41
• तरल नत्रजन का विक्रय	8.00 लाख लीटर	331.76	9.02 लाख लीटर	332.33	-	-	809 लाख लीटर	209.64
• फ़ोजन सीमन डोजेज (स्टा) का उत्पादन	24.00 लाख स्टा.	384.00	18.62 लाख स्ट्रा	297.92	-	-	20.06 लाख स्ट्रा	320.96

विवरण	उपलब्धि							
	लक्ष्य 2015-16		उपलब्धि 2015-16		लक्ष्य 2016-17		उपलब्धि 2016-17 (दिसम्बर, 2016)	
	भौतिक	वित्तीय लाख रु.	भौतिक	वित्तीय लाख रु.	भौतिक	वित्तीय लाख रु.	भौतिक	वित्तीय लाख रु.
<ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीय गौ-भैंस वंशीय प्रजनन कार्यक्रम, (NPBB 2014-15) पशु प्रक्षेत्र रतौना, मिनोरा कीरतपुर, बुलमदर फार्म, भदभदा भोपाल 	-	1981.50	मेंत्री 590 प्रशिक्षण एवं उपकरण आदि का प्रदाय , कृग सांड क्रय 60 रिप्लेसमेंट कृग उपकरण अंतर्गत, 500 नग कृग किट का प्रदाय, 1.5 ली.तरल नत्रजन क्षमता के 400 नग पात्र, 3 ली. तरल नत्रजन क्षमता के 700 नग पात्र एवं 35 ली. तरल नत्रजन क्षमता के 175 नग पात्रों का प्रदाय।	2052.70	-	-	मेंत्री 128 प्रशिक्षण एवं उपकरण आदि का प्रदाय , कृग सांड क्रय 60 रिप्लेसमेंट कृग उपकरण अंतर्गत, 624 नग कृग किट का प्रदाय, 1.5 ली.तरल नत्रजन क्षमता के 400 नग पात्र, 3 ली. तरल नत्रजन क्षमता के 700 नग पात्र एवं 35 ली. तरल नत्रजन क्षमता के 175 नग पात्रों का प्रदाय।	371.07
<ul style="list-style-type: none"> बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज 	-	-	-	-	1000	400.00	-	-
<ul style="list-style-type: none"> रिस्क मैनेजमेंट एण्ड इंश्योरेंस (पशुधन बीमा योजना) 	99718	883.23	37486	259.51	11223	762.33	25986	153.30
<ul style="list-style-type: none"> कीरतपुर में मुर्गा भैंस प्रजनन केन्द्र की स्थापना 	-	-	-	-	-	-	114 वत्स उत्पादित	-

विवरण	उपलब्धि							
	लक्ष्य 2015-16		उपलब्धि 2015-16		लक्ष्य 2016-17		उपलब्धि 2016-17 (दिसम्बर, 2016)	
	भौतिक	वित्तीय लाख रु.	भौतिक	वित्तीय लाख रु.	भौतिक	वित्तीय लाख रु.	भौतिक	वित्तीय लाख रु.
• मुर्दा नर संगोपन (रतौना, कीरतपुर, मिनोरा, बुल मदर फार्म) भदभदा भोपाल	-	-	-	-	-	-	-	-
• भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला	-	235.00	134 भ्रूण संकलित एवं 90 का प्रत्यारोपण, 54 हिमकृत किये तकनीक से, 11 वत्सों का उत्पादन हुआ	235.00	-	-	163 भ्रूण संकलित, 129 प्रत्यारोपित, 34 हिमकृत किए गए तथा 24 वत्सों का उत्पादन हुआ	50.41
• राज्य पशु प्रजनन केन्द्र	-	150	-	150	-	-	वायो सिन्क्योरिटी बाउंड्रीवाल रोडवर्षा जल संरक्षण हेतु तालाब, भूमि का समतलीय करण सिंचाई व्यवस्था डेव्हलेपमेंट एवं सीमन आयात	121.50
• नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना	-	-	-	-	-	2500.00	-	-
• दतिया में सीमन स्टेशन की स्थापना	-	-	-	-	-	1000.00	-	-
• कृत्रिम गर्भधान प्रशिक्षण संस्थान, रतौना(सागर)	-	-	-	-	-	500.00	-	-
• टर्न ओव्हर	-	7675.16	-	5128.58	-	6746.35	-	2346.68

5.70 मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम की प्रमुख उपलब्धियां :

- निगम के केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय, भदभदा, भोपाल का सुदृढीकरण किया गया । संस्था को भारतीय मानक ब्यूरो से ISO Certificate 9001 : 2008 (BIS Certificate) प्रमाण पत्र दिनांक 25 मार्च 2016 से 24 मार्च 2019 तक के लिए प्राप्त हुआ है ।
- केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय भोपाल में प्रजनन नीति के अनुसार देश/प्रदेश के 12 नस्लों का विशेषकर देशी गौ वंश मालवी, निमाडी, केनकथा, गिर, साहीवाल एवं थारपारकर नस्ल भैंसों की मुरा जाफरावादी एवं भदावरी, जर्सी, जर्सीसंकर, एच एफ संकर, एच एफ नस्ल आदि का 25 लाख डोजेज से अधिक का फ्रोजन सीमन का उत्पादन किया जा रहा है ।
- क्षेत्रीय सीमन बैंक इन्दौर एवं रीवा को ISO certificate प्रदान किया गया है ।
- केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय द्वारा वर्ष 2016-17 माह दिसम्बर तक में गौ एवं भैस वंशीय नस्लों का 20.06 लाख फ्रोजन सीमन डोजेज का उत्पादन तथा वितरण किया गया है ।

5.71 पशुपालकों को प्रशिक्षण :

- निगम के दो प्रक्षेत्र बुल मदर फार्म, भदभदा भोपाल एवं पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कीरतपुर होशंगाबाद में पशुपालन का उन्नत तकनीक से प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।
- दिनांक 29-01-2010 को निगम एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल के मध्य पशु पालन के क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों को प्रशिक्षण हेतु प्रोग्राम स्टडी सेंटर की स्थापना हेतु करारनामा हस्ताक्षरित किया गया ।
- वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कुल 1000 मैत्री (MAITRI) Multipurpose A.I Technician in Rural India बहुउद्देश्यीय ग्रामीण कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है ।
- वर्ष 2016-17 में नवम्बर 2016 तक 700 प्रशिक्षणार्थियों को अवरनेश प्रोग्राम, ऑन डेयरी फार्मिंग तथा 100 प्रशिक्षाणियों को सर्टिफिकेट ऑनपोल्ट्री फार्मिंग पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

निगम की प्रमुख योजनायें जो केन्द्र एवं राज्य शासन संचालित की जाती हैं निम्नानुसार हैं :

राष्ट्रीय गौ-भैंस वंशीय पशु प्रजनन परियोजना (केन्द्र परिवर्तित योजना) बकरी नस्ल सुधार योजना, हितग्राहियों को उन्नत नस्ल के पशुओं को प्रदाय नंदीशाला योजना, समुन्नत पाडा योजना, सूकर त्रयी प्रदाय योजना, नर सूकर प्रदाय योजना, दुधारू पशु बीमा योजना निगम की अन्य नवीन योजनायें जिनमें भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला की स्थापना एवं तरल नत्रजन उत्पादन संयंत्र की स्थापना एवं आर.के.व्ही. वाय योजना के अन्तर्गत तीन संयंत्र क्रमशः केन्द्रीय वीर्य संग्रहालय भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर में स्थापना की गई है ।

5.72 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र कीरतपुर जिला होशंगाबाद : इसमें बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र की स्थापना, बकरी पालन प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास केन्द्र की स्थापना, मुर्गा भैंस के प्रजनन एवं विकास केन्द्र की स्थापना एवं यूरिया मोलेसिस ब्लॉक प्लांट की स्थापना तथा पशु आहार संयंत्र की गई है ।

सहकारी दुग्ध संघ की भागीदारी

5.73 दुग्ध संकलन एवं वितरण : मध्यप्रदेश में सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत समन्वित डेयरी विकास की गतिविधियां सर्वप्रथम पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्र के 9 जिलों में वर्ष 1975 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से इन्टर नेशनल डेवलपमेंट एजेंसी (IDA) से प्राप्त वित्त पोषण से प्रारंभ की गई तथा मध्यप्रदेश स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन किया गया ।

वर्ष 1980-81 में प्रदेश में आपरेशन फ्लड -II कार्यक्रम प्रारंभ किया गया जिसके तहत 4 दुग्ध संघों यथा ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर एवं सागर के दुग्धांचलों के अन्तर्गत 29 और जिलों में डेयरी विकास की गतिविधियां प्रारंभ की गयी । सागर क्षेत्र में बुदेलखण्ड सरकारी दुग्ध संघ का गठन कर दिनांक 6.10.2016 को पंजीयन किया गया ।

वर्ष 1980 में आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत राज्य स्तर पर संचालन करने के लिए मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ सहकारी मर्यादित वर्तमान में एम.पी. स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना की गयी । दुग्ध संकलन एवं वितरण कार्य वर्तमान में त्रिस्तरीय संरचना ग्रामीण स्तरीय दुग्ध सरकारी समिति/ क्षेत्रीय दुग्ध संघ /राज्य स्तरीय फेडरेशन के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका वहन कर रहा है । दुग्ध महासंघ की वर्षवार जानकारी का विवरण **तालिका 5.23** में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.23
दुग्ध संकलन एवं संबद्ध गतिविधियां

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (दिसम्बर तक)
• कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	4987	5810	6300	6315	6578
• कार्यशील दुग्ध सहकारी समितियों की सदस्य संख्या	204396	219059	237013	248717	256787
• दुग्ध संकलन, किलो ग्राम प्रतिदिन	798571	824955	1101610	1029138	864638
• स्थानीय दुग्ध विक्रय (लीटर प्रतिदिन)	586142	669691	712385	703452	729813
• पशु आहार विक्रय (मै.टन)	100625	104835	115482	116714	85516
• कृत्रिम गर्भाधान (संख्या)	255654	288070	405698	508362	413895
• दुग्ध उत्पादकों को भुगतान (करोड़ रुपये में)	703.88	898.25	1243.66	1057.16	667.76
• विक्रय प्राप्ति (करोड़ रुपये में)	1061.07	1274.47	1606.84	1739.51	1312.76
• लाभ/हानि ऋण अदायगी के पूर्व (रू.लाख में)	1648.67	2645.10	2882.38	7517.19	10136.81
• लाभ/हानि ऋण अदायगी के पश्चात (रू.लाख में)	1350.22	2317.01	2266.77	6958.19	9387.80

5.74 सघन डेयरी विकास परियोजना (Intensive Dairy Development Projects) : सघन डेयरी विकास परियोजना की जानकारी तालिका 5.24 में वित्तीय प्रगति तथा भौतिक प्रगति की जानकारी तालिका 5.24 5.25 5.26 एवं 5.27 है ।

तालिका 5.24
सघन डेयरी विकास परियोजना

(राशि लाख रुपये में)

विवरण	झाबुआ, छिन्दवाड़ा तथा बालाघाट	हरदा, बड़वानी, नीमच श्योपुर तथा सिवनी	देवास, धार, खंडवा बैतूल
परियोजना अवधि वर्ष	(3 वर्ष)	(6 वर्ष)	(3 वर्ष)
परियोजना लागत प्राप्त राशि	649.47	1422.09	765.73
भारत शासन से अपेक्षित राशि	613.02	1422.09	693.82
	36.45	-	71.91

तालिका 5.25

(अ) भौतिक प्रगति सघन डेयरी विकास झाबुआ, छिन्दवाड़ा तथा बालाघाट

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (दिसम्बर तक)
कार्यरत दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	248	281	277	286	289
दुग्ध उत्पादकों की संख्या	10999	11205	10637	12577	12892
औसत दुग्ध संकलन (कि.ग्रा. प्रतिदिन)	25883	29095	36626	33539	28041
औसत स्थानीय दुग्ध विक्रय (लीटर/प्रतिदिन)	34303	35573	36868	32779	24046

तालिका 5.26

(ब) सघन डेयरी विकास हरदा, बड़वानी, नीमच, श्योपुर तथा सिवनी

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (दिसम्बर तक)
कार्यरत दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	277	328	337	362	399
दुग्ध उत्पादकों की संख्या	11192	11530	12604	13677	14742
औसत दुग्ध संकलन (कि.ग्रा. प्रतिदिन)	44455	43103	52275	54077	46961
औसत स्थानीय दुग्ध विक्रय (लीटर/प्रतिदिन)	46,013	51036	58478	59256	32795

तालिका 5.27

(स) सघन डेयरी विकास बैतूल, देवास, धार, खंडवा

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (दिसम्बर तक)
कार्यरत दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या	1009	1042	987	990
दुग्ध उत्पादकों की संख्या	38905	43706	43374	44906
औसत दुग्ध संकलन(कि.ग्रा. प्रतिदिन)	173859	227177	212546	195130
औसत स्थानीय दुग्ध विक्रय (लीटर/प्रतिदिन)	36181	39978	39827	41780

5.75 स्वच्छ दुग्ध उत्पादन परियोजना देपालपुर (देवास) : केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत प्रदेश में इन्दौर दुग्ध संघ के देवास जिले की देपालपुर तहसील में स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु रूपय 321.45 लाख की लागत के परियोजना प्रस्ताव को भारत शासन की स्वीकृति 15 मार्च 2012 को प्राप्त हुई है परियोजना अंतर्गत कुल स्वीकृत राशि के विरुद्ध 232.38 लाख की राशि केन्द्र शासन से प्राप्त हुई । इस प्रकार वर्तमान में रू. 89.08 लाख की राशि प्राप्त होना शेष है ।

इस परियोजना अंतर्गत कार्य क्षेत्र में 42 दुग्ध सहकारी समितियों के 3640 दुग्ध उत्पादक सदस्यों को स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम पर प्रशिक्षण प्रदाय किया गया । तथा 17 बल्क मिल्क कूलर स्थापित किए गए । जिसके द्वारा 25,000 लीटर प्रतिदिन की शीतलीकरण क्षमता स्थापित की गई है ।

5.76 बुन्देलखण्ड परियोजना : दुग्ध संघों द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जिले सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ तथा दतिया में डेयरी विकास एवं विस्तार गतिविधियों के लिये विशेष पैकेज के तहत 21.30 करोड़ रूपये के परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत कर राशि प्रदाय की गई तथा समस्त मापदंडों पर निर्धारित लक्ष्य से अधिक उपलब्धियां अर्जित की गयी ।

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 552 दुग्ध सहकारी समितियां गठित की गई हैं । जिसमें 27769 से अधिक सदस्य हैं । वर्ष 2016-17 में नवम्बर, 2016 तक 43896 किलोग्राम प्रतिदिन दूध संकलित किया जा रहा है। दूध के क्रय मूल्य के रूप में 209.59 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया गया है ।
- बुंदेलखण्ड क्षेत्र में संकलित दूध के संसाधन हेतु सागर में रू. 5.00 करोड की लागत से 20,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी संयंत्र की स्थापना की गई है । इस डेयरी संयंत्र में दूध का संसाधन तथा पैकिंग कर लगभग 37000 लीटर दूध बुंदेलखण्ड क्षेत्र में ही विक्रय किया जाता है ।
- भारत सरकार द्वारा 12 वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत बुन्देलखण्ड डेयरी विकास परियोजना के द्वितीय चरण हेतु राशि 29.33 करोड रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है, तथा प्रथम वर्ष की स्वीकृत राशि 8.30 करोड रूपये के विरुद्ध 9.51 करोड व्यय किया गया है । द्वितीय चरण अन्तर्गत प्रथम चरण की गतिविधियों का सुदृढीकरण किया जाना है ।
- परियोजना क्षेत्र में दुग्ध विपणन गतिविधियों एवं सागर में पशु आहार संयंत्र स्थापना हेतु रूपये 17.45 करोड की स्वीकृति प्रदान की गई । संयंत्र स्थापना से बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण पशुपालकों को उचित मूल्य पर संतुलित पशुआहार प्राप्त हो सकेगा । राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायक कम्पनी आई.डी.एम.सी. द्वारा संयंत्र निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है । पशु आहार का व्यवसायिक रूप से उत्पादन हो गया है ।

5.77 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना : राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत भोपाल, इन्दौर, उज्जैन कार्यक्षेत्र में शीतकेन्द्रों का सुदृढीकरण तथा शीतकेन्द्रों को केन फ्री तथा पैकेजिंग हेतु कुल राशि रु. 2254.00 लाख में से वर्ष 2016-17 के लिए रु. 1160.00 लाख तथा वर्ष 2017-18 के लिए 1094.00 लाख राशि स्वीकृत है। वर्ष 2016-17 हेतु स्वीकृत राशि में से रु. 400.00 लाख वर्तमान तक प्राप्त है। वर्ष 2017-18 के लिए स्वीकृत राशि रु. 1094.00 लाख के विरुद्ध रु. 252.00 लाख प्राप्त हो चुके हैं।

5.78 स्वीकृत परियोजनाएं :

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत भोपाल दुग्ध संघ के 5 शीतकेन्द्रों मालीवाया, ग्यारसपुर, पचोर, पचामा तथा सिलवानी का सुदृढीकरण में रु. 312.00 लाख स्वीकृत किये गये।
- इन्दौर दुग्ध संघ के अन्तर्गत खंडवा में पैकिंग स्टेशन की स्थापना में रु.340.00 लाख स्वीकृत किये गये।
- भोपाल दुग्ध संघ के मुख्य संयंत्र को केन फ्री किये जाने में रु. 892.00 लाख व्यय किये गये।
- जबलपुर दुग्ध संघ के अन्तर्गत रीवा में 20,000 लीटर क्षमता के दुग्ध संयंत्र की स्थापना में रु. 710.00 लाख स्वीकृत किये गये।

5.79 एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की वर्ष 2015-16 की प्रमुख उपलब्धियाँ : वर्ष के दौरान दुग्ध उत्पाद विक्रय में अच्छी वृद्धि अर्जित की गई है। इसके अन्तर्गत घी में 18 प्रतिशत, मीठे दुध में 23 प्रतिशत, मीठे दही में 23 प्रतिशत सादे दही में 55 प्रतिशत, पेडे में 19 प्रतिशत, मटठे में 8 प्रतिशत तथा गुलाब जामुन में 6 प्रतिशत की वृद्धि अर्जित की गई।

- विगत डेढ वर्ष के दौरान कई नये उत्पाद लॉच किये गये हैं। इन्दौर दुग्ध संघ द्वारा गुलाबजामुन, रसगुल्ला तथा काजू कतली, उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा मिल्क केक, आम्रखंड तथा भोपाल दुग्ध संघ द्वारा केसर मिल्क, मिल्क केक, ठंडाई लस्सी लाइट तथा पुदीना रायता लॉच किया गया।
- मीठा सुगंधित दूध पॉली प्रॉपीलीन बोटन में लॉच किया गया है जिसकी मुख्य सप्लाई रेलवे में है।
- 15 जुलाई 2015 से प्रदेश के 85,933 प्राथमिक विद्यालयों के 45.85 लाख विद्यार्थियों तथा 92,230 आंगनवाडियों के 47.88 लाख बच्चों को मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

अन्तर्गत सप्ताह में 3 दिन सुगंधित मीठा दुग्ध चूर्ण चाकलेट, रोज, स्ट्राबेरी, इलायची तथा पाइनएपल फलेवर में प्रदाय किया जा रहा है ।

- दुग्ध संघों की वित्तीय स्थिति में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है । समस्त दुग्ध संघ लाभ में संचालित है । दुग्ध संघों का सेल्स टर्न ओव्हर रू. 1740 करोड जो कि गत वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत अधिक है ।
- राज्य के भीतर संचालित उद्योग की श्रेणी में इन्दौर दुग्ध संघ को वर्ष 2014-15 के दौरान रू. 5.47 करोड वाणिज्यिक कर जमा करने हेतु भामाशाह पुरस्कार प्राप्त ।
- उज्जैन तथा भोपाल दुग्ध संघ द्वारा हरियाणा राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन को 600 मे.टन श्वेत मक्खन प्रदाय ।
- इन्दौर दुग्ध संघ द्वारा भारतीय सेना को 409.99 मे.टन होल मिल्क पाउडर प्रदाय तथा 87.80 मे.टन घी प्रदाय । इसी प्रकार संघ द्वारा भारत तिब्बत सीमा पुलिस को 41.83 मे.टन होल मिल्क पाउडर तथा 17.11 मे.टन घी प्रदाय ।
- दुग्ध संघों द्वारा दुग्ध संकलन कार्य में लगे हुए टैकरों में जीपीएस सिस्टम एवं सेंसर की स्थापना । इनके माध्यम से दुग्ध संकलन, परिवहन कार्य में लगे हुए टैकरों की परिचालन गतिविधियों का वेब आधारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से अनुश्रवण ।
- भोपाल दुग्ध संयंत्र की दुग्ध संसाधन प्रक्रिया का पूर्ण आटोमेशन। विभिन्न प्रकार के दूध का निर्माण तथा उनकी डिस्पेच प्रक्रिया का केन्द्रीय कम्प्यूटरीकृत नियंत्रण कक्ष के माध्यम से संचालन । इससे दूध की हेण्डलिंग, पानी बिजली, रेफ्रीजरेशन, भाप तथा धुलाई प्रक्रिया में होने वाली हानि पर नियंत्रण ।
- दुग्ध चूर्ण निर्माण हेतु एकीकृत निविदा के माध्यम से दुग्ध चूर्ण निर्माण दर में कमी अधिक रिकवरी नार्म, पैकिंग दरों में कमी तथा दुग्ध परिवहन का युक्तियुक्त करण करने से लगभग रू. 3.00 करोड की बचत ।
- सागर पशु आहार संयंत्र से उत्पादन प्रारंभ । वर्ष 2016-17 के द्वितीय त्रैमास में शिवपुरी में स्थापित पशु आहार संयंत्र से उत्पादन प्रारंभ होना प्रस्तावित ।
- साँची के दूध तथा दुग्ध उत्पादों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दुग्ध सहकारी समिति, दुग्ध शीतकेन्द्र तथा दुग्ध संयंत्र स्तर पर अनेक कदम उठाए गए हैं।
- एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी द्वारा इन्दौर दुग्ध संघ के संयंत्र का निरीक्षण कर उसे घी दुग्ध चूर्ण इत्यादि के एक्सपोर्ट के लिए उपयुक्त पाया है तथा इस हेतु 04.10.2016 को अनुमति जारी की है ।
- इन्दौर दुग्ध संघ के मुख्य डेयरी संयंत्र की गुण नियंत्रण प्रयोगशाला का एकेडिशन राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायान बोर्ड (एनएबीएल) से करवाया जा रहा है ।
- एमपीसीडीएफ द्वारा दुग्ध संघों के कार्यक्षेत्र में एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट “जस साँची” स्थापित करवाए जा रहे हैं । अब तक 17 आउटलेट स्थापित ।

- साँची दूध एवं दुग्ध पदार्थ सुगमता से उपलब्ध कराने हेतु 898 नए आउटलेट प्रारंभ।
- नकली घी पर रोकथाम हेतु भोपाल एवं इन्दौर दुग्ध संघ में घी की सीका पैकिंग प्रारंभ ।
- सांची पार्लरों पर तंबाकू, गुटका, सिगरेट इत्यादि के विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया ।
- समस्त दुग्ध संघों में 10 फरवरी 2016 से एक माह की अवधि हेतु उपभोक्ता संपर्क अभियान चलाया गया ।
- सागर पशु आहार संयंत्र से उत्पादन प्रारंभ । वर्ष 2016-17 के चतुर्थ त्रैमास से शिवपुरी में स्थापित पशु आहार संयंत्र से उत्पादन प्रारंभ ।
- दुग्ध संघों में अमले की कमी के दृष्टिगत प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से चयन परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। बोर्ड द्वारा 275 पदों पर प्रत्याशियों का चयन कर पदस्थापना की गई ।

5.80 कैश लैस व्यवस्था :

- नगद रहित व्यवहारों को प्रोत्साहन देने हेतु दुग्ध प्रदायक सदस्यों के बैंक खाते खुलवाये जा रहे हैं । वर्तमान में 1,64,084 सदस्यों के खाते खुलवाये जा चुके हैं । शेष खाते खुलवाए जाने की प्रक्रिया चल रही है ।
- 3,030 दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा बैंकों के माध्यम से भुगतान की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है । शेष समितियों में भी आंशिक रूप से बैंकों के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है ।
- मिल्क पार्लर पर पे टी एम एसबीआई बडी, एयरटेल बैंक आदि के माध्यम से भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । मिल्क पार्लर पर पी.ओ.एस मशीन स्थापना की कार्यवाही की जा रही है ।

मत्स्य पालन से विकास

5.81 मत्स्य पालन की ग्रामीण स्वरोजगार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है । बढ़ती आबादी, बेरोजगारी तथा पौष्टिक आहार की कमी को देखते हुये मत्स्य पालन व्यवसाय से जहाँ एक ओर रोजगार मिलता है वहीं दूसरी ओर कम लागत से स्थानीय रूप से प्रोटीन युक्त भोज्य प्रदार्थ मिलता है । यह मछुआरों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर के उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करता है । इन संभावनाओं को देखते हुए राज्य में मत्स्य पालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

वर्ष 2015-16 की स्थिति अनुसार राज्य में 4.04 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से 3.96 लाख हेक्टेयर जलक्षेत्र मछली पालन के अंतर्गत विकसित किया जा चुका है, जो कुल उपलब्ध जलक्षेत्र का 98 प्रतिशत है ।

5.82 मत्स्यबीज उत्पादन : वर्ष 2015-16 में 10500 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्य बीज उत्पादन के लक्ष्य के विरुद्ध 9520.90 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ जो लक्ष्य का 90.68 प्रतिशत है । वर्ष 2016-17 में 10700 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्य बीज के लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2016 तक 10716.57 लाख स्टेण्डर्ड फ्राई मत्स्यबीज का उत्पादन हुआ, जो लक्ष्य का 100.15 प्रतिशत है ।

5.83 मत्स्योपादन : वर्ष 2015-16 में समस्त स्रोतों से 122,000 टन मत्स्योपादन के लक्ष्य के विरुद्ध 115016.56 टन का मत्स्य उत्पादन किया गया जो लक्ष्य का 94.28 प्रतिशत रहा । वर्ष 2016-17 में समस्त स्रोतों से 130,000 टन मत्स्य उत्पादन के लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2016 तक 86999 टन मत्स्य उत्पादन किया गया जो लक्ष्य का 66.92 प्रतिशत है ।

5.84 मछुआ सहकारिता : प्रदेश में वर्ष 2015-16 में कुल 2185 मत्स्य सहकारी समितियां थीं जिनमें 81783 सदस्य थे, इन पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों में 48 समितियां महिलाओं की है, जिनकी सदस्य संख्या 1691 है ।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं वंशानुगत मछुआरों की मछुआ सहकारी समितियों की आर्थिक एवं सांमाजिक स्थिति सुधारने के लिए नवीन मछुआ नीति के अनुसार मछली पालन के लिए उन्हें दस वर्ष की लम्बी अवधि के लिए सिंचाई/ग्रामीण तालाब जलाशय पट्टे पर दिए जाने का प्रावधान किया गया है । वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर, 2016 तक 3390.75 हेक्टेयर जलक्षेत्र के 52 जलाशय 51 मछुआ सहकारी समितियों में 1728 सदस्य हैं एवं 625.66 हेक्टेयर जलक्षेत्र के 27 जलाशय 27 मछुआ समूहों में 340 सदस्यों को नवीन/पुनः आवंटित किये गये हैं ।

5.85 मछुआ समितियों को अनुदान : मछुआ सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वर्ष 2015-16 में 101.50 लाख रुपये अनुदान के रूप में वितरित किये गये। वर्ष 2016-17 में राशि रुपये 111.27 लाख लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर, 2016 तक 91.96 लाख रुपये का अनुदान 366 समितियों को वितरित किया गया है ।

5.86 मछुआ प्रशिक्षण : मछुआरों को उन्नत तकनीकी ज्ञान प्रदाय करने हेतु विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है । वर्ष 2015-16 में 5942 मछुआरों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य रखा गया था माह मार्च, 2016 तक विभाग द्वारा 5776 मछुआरों को प्रशिक्षित किया गया था । वर्ष 2016-17 में 4606 मछुआरों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है माह दिसम्बर, 2016 तक 4031 मछुआरों को प्रशिक्षित किया गया है ।

5.87 मछुआरों का दुर्घटना बीमा : मछुआरों की दुर्घटना बीमा योजना का क्रियान्वयन भारत सरकार के सहयोग से किया जा रहा है, जिसका 50 प्रतिशत व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है । मछुआरों की मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में बीमा दावों की राशि रुपये 2 लाख रुपये नामांकित व्यक्ति को भुगतान की जाती है । इस योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 से क्रियाशील सदस्य वंशानुगत मछुआरों के आश्रित परिवारों के सदस्यों का भी बीमा कराया जा रहा है । वर्ष 2015-16 में 1,80,988 मछुआरों का दुर्घटना बीमा किया गया था । माह दिसम्बर 2016 तक एक वर्ष के लिये कुल 1,84,933 मछुआरों का दुर्घटना बीमा किया गया है ।

5.88 मत्स्य कृषक विकास अभिकरण : केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम के अंतर्गत मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के माध्यम से मत्स्य कृषकों को 10 वर्ष की लंबी अवधि के लिए ग्रामीण तालाब पट्टे पर उपलब्ध कराए जाते हैं । वर्ष 2015-16 में 1045.20 हेक्टेयर जलक्षेत्र के 504 तालाब 2379 हितग्राहियों को पट्टे पर आवंटित किये गये । वर्ष 2016-17 में दिसम्बर, 2016 तक 941.50 हेक्टेयर जलक्षेत्र के 494 तालाब 2194 सदस्यों को आवंटित किये जा चुके हैं ।

5.89 फिशरमेन क्रेडिट कार्ड : वर्ष 2012-13 से किसान क्रेडिट कार्ड के समान मत्स्य कृषकों को भी फिशरमेन क्रेडिट कार्ड शून्य प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर बैंक ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु जारी किये जा रहे हैं । वर्ष 2015-16 में 7809 फिशरमेन क्रेडिट कार्ड 377.60 लाख रुपये के जारी किये गये हैं । वर्ष 2016-17 में 10.00 हजार फिशरमेन क्रेडिट कार्ड जारी किये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2016 तक 4937 फिशरमेन क्रेडिट कार्ड जारी किये जा चुके हैं ।

5.90 बचत सह राहत : मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त की अवधि में मछुआरों का प्रजनन काल होने के कारण मत्स्याखेट कार्य प्रतिबन्धित होता है । इस प्रतिबन्धित काल में मछुआरों को अजीविका निर्वहन हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के अंशदान से बचत-सह-राहत योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है, इस योजना के अन्तर्गत माह सितम्बर से माह मई तक कुल 9

माह प्रति मछुआ 100 रुपये प्रतिमाह बैंक/पोस्ट आफिस में जमा कराई जाकर कुल जमा राशि के बराबर 50:50 प्रतिशत राशि केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में अंशराशि मछुआओं को माह जून, जुलाई, अगस्त में दी जाती है। वर्तमान में 900 रुपये मछुआ अंशराशि 900 रुपये राज्य शासन एवं 900 रुपये केन्द्र शासन कुल 2700 रुपये दो माह में मछुआओं को प्रदाय किया जाता है।

वर्ष 2015-16 में 10,816 हितग्राहियों के खाते में राशि 194.70 लाख रुपये जमा की गई है। वर्ष 2016-17 में मछुआओं को राशि 351.88 लाख रुपये की सहायता प्रदान किये जाने हेतु प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2016 तक रुपये 1500/- राज्य शासन एवं केन्द्र शासन प्रत्येक का अंशदान रु. 1500/- योग 3000 कुल राशि रु. 4500/- दो माह में मछुआओं को प्रदाय किया जाना प्रावधानित है।

5.91 बैंकों द्वारा ऋण एवं अनुदान : वर्ष 2015-16 में मत्स्य कृषक विकास अभिकरण के हितग्राहियों को मत्स्य पालन हेतु इन्पुटस, तालाब सुधार एवं नवीन तालाब निर्माण के लिये 449.61 लाख रुपये ऋण तथा 165.819 लाख रुपये अनुदान के रूप में वितरित किये गये। वर्ष 2016-17 में 1035 लाख रुपये का ऋण एवं 221.40 लाख रुपये अनुदान के लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2016 तक 196.61 लाख रुपये का ऋण एवं 65.88 लाख रुपये का अनुदान वितरित किया गया।

5.92 मछुआ आवास : मछुआओं को बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभाग में मछुआ आवास योजना लागू है। वर्ष 2015-16 में प्रदेश में मछुआ आवास हेतु राशि रुपये 202.75 लाख का प्रावधान रखा गया है। जिसके विरुद्ध 48.00 लाख का व्यय किया गया। वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर, 2016 तक योजनान्तर्गत राशि रुपये 90.00 लाख व्यय किया गया है।

5.93 रोजगार सृजन : वर्ष 2015-16 में 200 लाख मानव दिवसों के रोजगार सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध 211.18 लाख मानव दिवसों का रोजगार सृजन किया गया। वर्ष 2016-17 में 244 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2016 तक 169.51 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया जा चुका है।

5.94 मत्स्य पालन प्रसार : मत्स्य सहकारी समितियों के समान मत्स्य पालकों को भी विभाग द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2015-16 में मत्स्य पालकों को अनुदान हेतु राशि रुपये 79.29 लाख के प्रावधान के विरुद्ध राशि रुपये 73.32 लाख का वितरण किया

गया है । वर्ष 2016-17 में राशि रुपये 82.85 लाख के अनुदान प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2016 तक राशि रुपये 68.22 लाख का अनुदान वितरण किया गया है ।

वानिकी

5.95 वन संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश एक सम्पन्न राज्य है। राज्य की अर्थ व्यवस्था में वनों का महत्वपूर्ण योगदान है । सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र का अंश वर्ष 2016-17 में 1.97 प्रतिशत है । प्रदेश का कुल वन क्षेत्र 94.69 हजार वर्ग किलोमीटर है जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 30.72 प्रतिशत है । राज्य के कुल वनक्षेत्र का 65 प्रतिशत आरक्षित वन, 33 प्रतिशत संरक्षित वन एवं 2 प्रतिशत क्षेत्रफल अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत आता है । प्रदेश के वनों में इमारती एवं जलाऊ लकड़ी, बांस एवं अन्य वनोत्पाद (मुख्य एवं गौण) वनोपज पाई जाती है । वनोत्पादन का वर्षवार विवरण तालिका 5.28 में दर्शाया गया है ।

तालिका 5.28
वनोत्पादन का विवरण

वर्ष	इमारती लकड़ी (लाख घनमीटर)	जलाऊ चट्टे (लाख नग)	बांस नोशनल टन (लाख में)
2011-12	2.43	2.04	0.75
2012-13	2.53	1.90	1.06
2013-14	2.35	1.73	0.79
2014-15	2.40	1.78	0.41
2015-16	2.07	1.28	0.36

वनोत्पादन के अंतर्गत इमारती लकड़ी एवं जलाऊ चट्टे में गत वर्ष से क्रमशः 13.75 एवं 28.08 प्रतिशत की कमी तथा बांस के उत्पादन में 12.19 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है । इमारती लकड़ी का उत्पादन गत वर्ष से 2.40 लाख घन मीटर से घटकर वर्ष 2015-16 में 2.07 लाख घन मीटर रहा है । इसी अवधि में जलाऊ चट्टे का उत्पादन गत वर्ष के 1.78 लाख नग से घटकर 1.28 लाख नग तथा बांस का उत्पादन 0.41 लाख नोशनल टन से घटकर 0.36 लाख नोशनल टन हो गया है ।

5.96 राजस्व प्राप्ति : वर्ष 2014-15 में 1100.00 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया था । जिसके विरुद्ध 1073.93 करोड़ रुपये का सकल राजस्व प्राप्त किया गया जो

निर्धारित लक्ष्य का 97.63 प्रतिशत है। वर्ष 2015-16 में विभाग के लिए रूपये 1298.00 करोड़ का लक्ष्य के विरुद्ध 1081.31 करोड़ रु. का राजस्व प्राप्त हुआ है । जो निर्धारित लक्ष्य का 83.30 प्रतिशत है ।

5.97 अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी : मध्यप्रदेश के वनों की उत्पादकता बढ़ाने एवं वनक्षेत्रों के बाहर सामुदायिक एवं निजी भूमि पर वनीकरण कार्य किया जाकर वनोपज की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रदेश के 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों के अन्तर्गत भोपाल, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, सागर, इन्दौर, खण्डवा, झाबुआ, रतलाम, सिवनी एवं बैतूल में एक-एक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त स्थापित किये गये हैं ।

प्रत्येक अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त के अंतर्गत उच्च तकनीकी रोपणियां स्थापित की गई हैं । वर्तमान में 161 अनुसंधान एवं विस्तार रोपणियां विभिन्न अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों में कार्यरत हैं जहां सभी प्रजातियों के मानक गुणवत्ता के पौधे तैयार किये जा रहे हैं । वर्षा ऋतु 2016 के अंतर्गत अनुसंधान एवं विस्तार वृत्तों की रोपणियों से 4.56 करोड़ विभिन्न प्रजातियों के पौधे विभाग /अन्य शासकीय विभाग / निजी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को निवर्तित किये गये । विभाग के बाहर पौधा निर्वतन से राशि रूपये 366.11 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ ।

विस्तार वानिकी योजना के अन्तर्गत विभिन्न वनमंडलों में जिला योजना अन्तर्गत स्वीकृत प्रस्ताव के तहत नवीन एवं पुराने वृक्षारोपण के रखरखाव के साथ-साथ वानिकी प्रचार-प्रसार कार्य किया गया । क्षेत्रीय वनमंडलों के माध्यम से वर्ष 2016 में 1492.67 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 8.08 लाख पौधों का रोपण किया जा चुका है ।

लोकवानिकी योजना अन्तर्गत 10 हेक्टर से कम क्षेत्र की 2877 योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं । वनों के बाहर वनावरण के विस्तार हेतु 10 हेक्टर से कम क्षेत्र की प्रबंध योजनाओं हेतु सरलीकृत लोकवानिकी मार्गदर्शिका शासन द्वारा जारी की गई ।

प्रदेश में निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए निजी भूमि पर वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना लागू की गयी है । माह दिसम्बर 2016 तक राशि रु. 43.64 लाख का अनुदान भूमि स्वामियों एवं वनदूतों को वितरित किया गया है ।

5.98 वन्यप्राणी संरक्षण : प्रदेश में वन्यप्राणियों एवं उनके रहवास स्थलों की सुरक्षा एवं विकास को सुनिश्चित करने हेतु 10 राष्ट्रीय उद्यान एवं 25 अभ्यारण्य है जिसमें 6 टाईगर रिजर्व 2 खरमोर अभ्यारण्य, 2 सोन चिड़िया अभ्यारण्य, 3 घड़ियाल (एवं अन्य जलजीव)

अभ्यारण्य हैं तथा 2 राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म संरक्षण हेतु स्थापित किये गये हैं । प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 10.99 हजार वर्ग किलोमीटर है जिसमें से वन क्षेत्र 9.12 हजार वर्ग किलोमीटर है । भारतीय वन्य जीव संस्थान देहारादून द्वारा 2014 की गणना अनुसार देश में बाघों की संख्या 2226 है । जिसमें मध्यप्रदेश में 308 बाघ हैं । इसी प्रकार देश में 10 हजार से 12 हजार तेंदुएं हैं । जिसमें मध्यप्रदेश में तेंदुए की अनुमानित संख्या 1871 है । उक्त के पश्चात प्रदेश में वर्ष 2016 में समस्त संरक्षित क्षेत्रों में बाघ, तेंदुएं एवं अन्य शाकाहारी वन्यप्राणियों के गणना का कार्य सम्पन्न किया गया । गणना में प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण राज्य वन्य अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा किया गया । गणना के परिणाम में अनुसार प्रदेश के टायगर रिजर्व्स में 259 बाघों का अकंलन है । वर्ष 2014 में प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों में 237 बाघों का अकंलन था इस प्रकार से दो वर्षों में प्रदेश में बाघों की संख्या में वृद्धि हो रही है । संरक्षित क्षेत्रों के अतिरिक्त क्षेत्रीय वन्य मंडलों बालाघाट वृत्त में 24, भोपाल वृत्त 13, देवास वन्य मंडल में 7, दतिया वन्य मंडल में 1 बाघों के उपस्थिति के प्रमाण कैमरा ट्रैप द्वारा लिए गये चित्र से मिलते हैं।

प्रदेश में पहली बार वर्ष 2016 में संकटाग्रस्त प्रजाति गिद्धों की गणना की गई है । प्रदेश में 7 प्रजाति के लगभग 7000 हजार गिद्ध पाये गये हैं । आम जनता को वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए शिक्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश वन विहार, भोपाल मुकुन्दपुर सतना में चिडियाघर का संचालन किया जा रहा है । वर्ष 2016 में वन्य प्राणियों के लिए अतिरिक्त आवास स्थल सुलभ कराने के लिए संरक्षित क्षेत्र से 8 ग्रामों के 1083 परिवारों को बाहर पुन स्थापित किया गया है ।

5.99 लघु वनोपज का व्यापार : वनोंपज के संग्रहण एवं व्यापार से वनवासियों को लाभ दिलाने की दृष्टि से लघु वनोपज के संग्रहण, भंडारण एवं व्यापार से बिचौलियों को पूर्णतः समाप्त करने एवं वास्तविक संग्रहण कर्त्ताओं की सहकारी संस्थाओं के गठन का निर्णय लिया गया है । निर्णय को कार्यरूप देने के लिये एक त्रि-स्तरीय संरचना का निर्माण किया गया । वर्तमान में इस संरचना के प्राथमिक स्तर पर वास्तविक संग्राहकों की सदस्यता से 1071 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां, जिला स्तर पर 60 जिला वनोपज सहकारी संघ तथा शीर्ष स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ कार्यरत है । वनोपज को राष्ट्रीयकृत एवं अराष्ट्रीयकृत दो श्रेणियों में बांटा गया है । राष्ट्रीयकृत वनोपज में वर्तमान में तेन्दुपत्ता एवं कुल्लू गोंद है । अराष्ट्रीयकृत वनोपज जैसे लाख, चिरौजी, शहद, माहुल पत्ता, आंवला एवं औषधि वनोपजों का वनवासियों को निःशुल्क संग्रहण करने की छुट दी गई है । तेन्दुपत्ते का वर्षवार विवरण तालिका 5.29 में दर्शाया गया है ।

तलिका 5.29
तैदूपता का संग्रहण एवं निवर्तन

(मात्रा लाख मानक बोरो में)

संग्रहण वर्ष	संग्रहण दर (रूपये./मा.बो.)	कुल गोदामीकृत मात्रा	संग्रहण मजदूरी की राशि (करोड़ रूपये में)	अब तक विक्रय की गई मात्रा	विक्रय मूल्य (करोड़ रूपये में)
2014	950	16.99	161.41	16.99	310.12
2015	950	16.05	152.47	16.05	329.27
2016	1250	18.57	232.07	18.57	627.25

नोट : संग्रहण वर्ष 2017 में संग्रहित होने वाले तेन्दुपत्ते की अग्रिम निविदा में संपूर्ण अधिसूचित मात्रा 22.00 लाख मानक बोरे का राशि रु. 1268.30 करोड़ में विक्रय किया जा चुका है ।

5.100 सालबीज : सालबीज संग्रहण पर मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश में वर्ष 2007- 2011 तक पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था । वर्ष 2008 प्रदेश में सालबीज संग्रहण पर प्रतिबंध हटाते हुए संग्रहण कराने के निर्देश दिये गये । माह अक्टूबर 2016 द्वारा सालबीज को अराष्ट्रीकृत वनोपज घोषित किया गया । वर्ष 2014 में सालबीज का संग्रहण 3164.65 क्विंटल किया गया जिसमें से 3048.00 क्विंटल का निर्वर्तन किया जा चुका है । जिसके विक्रय से 35.81 लाख रूपये प्राप्त हुए शेष मात्रा 1175.00 प्रति क्विंटल के विक्रय की गई । वर्ष 2015 में सालबीज का संग्रहण 11161.72 क्विंटल किया गया । जिसमें 11161.72 क्वि. का निर्वर्तित किया जा चुका है । जिसके विक्रय मूल्य 37.71 लाख प्राप्त हुए शेष मात्रा 338.00 रु. प्रति क्विंटल की गई । वर्ष 2016 में 3966.10 क्विंटल का संग्रहण किया गया । जिसमें से 3966.10 क्विंटल का निर्वर्तित किया गया । जिसके विक्रय से 29.75 लाख रु. प्राप्त हुए शेष मात्रा 750.00 रु. प्रति क्विंटल की दर विक्रय किये गये ।

अराष्ट्रीयकृत वनोपज में आचार गुठली, प्लास लाख, हरी, महुआफूल, महुआ गुल्ली, करंज बीज, नीम बीज आदि संग्रहण में आते हैं ।

5.101 म.प्र. राज्य वन विकास निगम :

स्थापना तथा उद्देश्य : म.प्र. राज्य वन विकास निगम कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत 24 जुलाई 1975 को राष्ट्रीय कृषि आयोग की अन्तरित रिपोर्ट (फारेस्ट्री मैनेजमेंट फारेस्ट 1972) के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल की स्थापना की गई । इसका प्रमुख उद्देश्य निम्न कोटि के वन क्षेत्रों को तेजी से बढ़ने वाली बहुमूल्य तथा बहुउपयोगी प्रजातियों के रोपण द्वारा उच्च कोटि के वनों में परिवर्तित कर उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता में सुधार लाना ।

5.102 निगम की गतिविधियां एवं उपलब्धियां : निगम की प्रमुख गतिविधि सागौन एवं बास का व्यावसायिक रोपण निगम की मुख्य गतिविधि है । निगम विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत व्यावसायिक बैंकों से ऋण प्राप्त कर वन विभाग द्वारा हस्तान्तरण वन भूमि पर रोपण करता है । जिसके वर्ष 2016 में विभिन्न योजना जैसे व्यावसायिक वृक्षारोपण 212512 क्षेत्रफल हेक्टेयर, कैम्पा योजनान्तर्गत सागौन रोपण 13241 क्षेत्रफल हेक्टेयर, बिगडे वनों का सुधार 18346 क्षेत्रफल हेक्टेयर, 12वें एवं 13वें वित्त आयोग अन्तर्गत सागौन रोपण 13549 क्षेत्रफल हेक्टेयर, में वृक्षारोपण किया गया । इसके अतिरिक्त निगम द्वारा राज्य एवं केन्द्रीय शासन की योजनाओं के अन्तर्गत ही रोपण किया गया । डिपाजिट रोपण के अन्तर्गत खादनी एवं अन्य क्षेत्रों में 282.30 लाख पौधों का रोपण किया गया ।

5.103 सामाजिक दायित्व : नवीन कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों अनुसार वन क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों एवं समीपस्थ ग्रामीणों के लिये शुद्ध लाभ की 2 प्रतिशत राशि निगमित सामाजिक दायित्व के अन्तर्गत मछलीपालन, एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य शिविर आदि कार्यों पर व्यय की जा रही है । सामुदायिक भवन निर्माण, नलकूप खनन, तालाब निर्माण/ गहरीकरणकार्यों पर वर्ष 2014-15 में राशि रू. 138.14 लाख वर्ष 2015-16 में राशि रू. 183.56 लाख व्यय की गई है तथा वर्ष 2016-17 में राशि रू. 142.21 लाख के कार्य स्वीकृत की गई है ।

निगम को निगमित सामाजिक दायित्व की गतिविधियों के अन्तर्गत वानिकी कार्यों हेतु ग्रीनटेक फाउण्डेशन के द्वारा चतुर्थ वार्षिक ग्रीनटेक सी.एस.आर पुरस्कार 2015 में स्वर्ण श्रेणी का प्रदाय किया गया है ।

5.104 संयुक्त वन प्रबंधन के अन्तर्गत समितियों को लाभांश वितरण : वन विभाग द्वारा हस्तांतरित निगम के क्षेत्र में संयुक्त वन प्रबंधन के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 101 समितियों को 449.86 लाख वर्ष 2011-12 में 98 समितियों को राशि रू. 504.06 लाख एवं वर्ष 2012-13 में 72 समितियों को राशि रू. 537.07 लाख लाभांश की राशि वितरित की जा चुकी है । वर्ष 2013-14 में 87 समितियों के लिए राशि 371.79 लाख वितरित की जा चुकी है। वर्ष 2014-15 के लाभांश की राशि रू. 541.34 लाख प्राप्त वितरण हेतु विमुक्त की जा चुकी है । तथा वितरण कार्य प्रगति पर है । काष्ठ बॉस उत्पादन (विक्रय एवं प्राप्त राजस्व का विवरण तालिका 5.30 में दर्शाया गया है ।)

तालिका 5.30
काष्ठ बाँस उत्पादन (विक्रय एवं प्राप्त राजस्व)

वित्तीय वर्ष	इमारती लकड़ी (घनमीटर)	जलाउ चटटे (नग)	बाँस (नो.टन)	प्राप्त राजस्व (करोड़ रु. में)
2011-12	113656	178201	5304	181.49
2012-13	125745	151911	5122	213.24
2013-14	112867	124761	6994	211.77
2014-15	91762	94042	4874	195.48
2015-16	103651	98681	3429	238.94

नोट : बल्लियों के लिए 100 बल्ली =1 घनमीटर, व्यापारिक बांस के लिए 500 बांस = 1 नो. टन माना गया ।
भौतिक आंकड़े विक्रय के हैं ।

उद्योग


विनिर्माण

कृषि प्रधान वर्षा आधारित अर्थ व्यवस्था को विकास के उच्च स्तर पर ले जाने के लिये औद्योगिकीकरण आवश्यक है । इससे अर्थव्यवस्था का विविधीकरण होता है तथा वर्षा पर निर्भरता कम होती है । कृषि उत्पादों के मूल्य वर्धन की सुविधा उपलब्ध होती है तथा कृषि उत्पादन के लिये आदान प्राप्त होते हैं साथ ही कृषि पर रोजगार के लिये निर्भरता कम होती है ।

6.1 राज्य के सकल मूल्यवर्धन में द्वितियक क्षेत्र (उद्योग) का योगदान वर्ष 2011 -12 के 27.09 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर वर्ष 2014 -15 में 23.85 प्रतिशत तथा वर्ष 2015-16 के त्वरित अनुमानों के अनुसार 23.63 प्रतिशत आंका गया है । विनिर्माण-क्षेत्र में गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2015-16 (त्वरित) के दौरान 8.86 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई ।


6.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना : वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर, 2016 तक 60384 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना हुई जो वर्ष 2015-16 में स्थापित उद्योगों 48179 से 25.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। वर्ष 2012-13 से 2016-17 (दिसम्बर) 2016 तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित हुये जिसका विवरण चित्र 6.1 में दर्शाया गया है ।

चित्र 6.1
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना




6.3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में पूंजी निवेश : वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर, 2016 तक 6926 करोड रुपये का पूंजी निवेश सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में किया गया जो वर्ष 2015-16 में निवेशित 5172 से 34 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2012-13 से 2016-17 दिसम्बर 2016 तक किये गए पूंजी निवेश का विवरण चित्र 6.2 में दर्शाया गया है।

चित्र 6.2
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में पूंजी निवेश करोड रुपये



6.4 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में निर्मित रोजगार : वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर 2016 तक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में 266709 रोजगार निर्मित किये गये जो कि वर्ष 2015-16 में निर्मित रोजगार 194761 से 37 प्रतिशत अधिक है । वर्ष 2012-13 से 2016-17 दिसम्बर 2016 तक रोजगार निर्मित किये गये हैं जिसका विवरण चित्र 6.3 में दर्शाया गया है ।

चित्र 6.3
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में निर्मित रोजगार



6.5 आई.ई.एम. (इण्डस्ट्रीयल एंटरप्रिन्योर मेमोरेण्डम) : वर्ष 1991 में केन्द्र शासन द्वारा घोषित औद्योगिक उदारीकरण नीति के फलस्वरूप अभिरक्षा हेतु राष्ट्रीय हितों के कतिपय उद्योगों को छोड़कर शेष वृहद एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिये उद्योगपतियों को केवल भारत सरकार के पास "इण्डस्ट्रीयल एंटरप्रिन्योर मेमोरेण्डम" दाखिल करने होते हैं । आई.ई.एम. योजना का वर्षवार विवरण तालिका 6.1 में दर्शाया गया है ।

तालिका 6.1
इण्डस्ट्रीयल एंटरप्रिन्योर मेमोरेण्डम

वर्ष	दाखिल संख्या	प्रस्तावित पूंजी निवेश (करोड़ रुपये)
2011	191	104527
2012	126	10563
2013	114	88715
2014	99	12283
2015	110	13652
2016 (दिसंबर 2016 तक)	85	16113

वर्ष 2011 से वर्ष 2016 तक की अवधि में आई.ई.एम. की संख्या 640 तथा प्रस्तावित पूंजी निवेश 229740 करोड़ रुपये था जो कि वर्ष 2014 से 2016 माह दिसम्बर, 2016 तक की अवधि में बढ़कर क्रमशः 294 (संख्या) तथा 42048 (निवेश) करोड़ रुपये हो गया ।

6.6 वित्तीय सहायता : उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । विगत वित्तीय वर्ष 2015-16 में रुपये 123.79 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान कर 1348 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विनिर्माण इकाइयों को लाभांवित किया गया जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में दिसंबर 2016 अंत तक रुपये 140.49 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान कर 748 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम विनिर्माण इकाइयों को लाभांवित किया गया है।

अधोसंरचना विकास

6.7 एम.एस.ई.-सी.डी.पी. योजनान्तर्गत अधोसंरचना विकास हेतु अंतिम स्वीकृति प्राप्त परियोजनाएं :-

- **क्लस्टर- गाम अमकुई जिला कटनी में फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना :-** कटनी जिले में स्थापित दाल मिलों को एक स्थान पर स्थापित करने के उद्देश्य से ग्राम अमकुई में 60.00 हेक्टेयर भूमि पर नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर व्यवस्थित रूप से विस्तारित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के एम.एस.ई.-सी.डी.पी. योजना अंतर्गत नवीन औद्योगिक क्षेत्र के अधोसंरचना विकास के लिए मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र, विकास निगम, जबलपुर द्वारा प्रेषित परियोजना को दिनांक 27.06.2012 से भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई । परियोजना लागत राशि रु. 918.00 लाख में से केन्द्रांश राशि रु. 550.00 लाख राज्यांश राशि रु. 275.40 लाख ऋण राशि रु. 91.80 लाख है । परियोजना हेतु भारत सरकार से रु. 286.99 लाख एवं राज्यांश की राशि रु. 275.40 लाख मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जबलपुर को विमुक्त की गई है । परियोजना में दिनांक 16.06.2015 तक राशि रु. 881.83 लाख का व्यय किया गया है । विकसित भूमि में 06 इकाइयां उत्पादनरत हैं।
- **क्लस्टर- औद्योगिक क्षेत्र उमरिया-डुगरिया तहसील शहपुर जिला जबलपुर:-** औद्योगिक उमरिया-डुगरिया जिला जबलपुर में 60.00 हेक्टर भूमि भारत सरकार की एम.एस.ई.-सी.डी.पी. योजनान्तर्गत विकसित की गई क्लस्टर विकास हेतु मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जबलपुर द्वारा राशि रु. 720.00 लाख की परियोजना को दिनांक 09.02.2014 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई परियोजना लागत राशि रु. 720.00 लाख में केन्द्रांश राशि रु. 432.00 लाख एकेव्हीएन, जबलपुर का अंश राशि रु. 288.00 लाख है । परियोजना हेतु भारत सरकार से 292.84 लाख

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम जबलपुर को विमुक्त की गई। उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30.07.2014 को भारत सरकार को प्रेषित किया गया। परियोजना का कार्य दिनांक 30.05.2014 को पूर्ण हो चुका है विकसित भूमि में 08 इकाईयां उत्पादनरत हैं।

- **क्लस्टर- औद्योगिक क्षेत्र भुरकलखापा जिला सिवनी :-** सिवनी जिले में औद्योगिक क्षेत्र भुरकलखापा में 60.780 हेक्टर भूमि पर एम.एस.ई.-सी.डी.पी. योजनांतर्गत क्लस्टर विकसित किया गया है। इस हेतु मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जबलपुर द्वारा राशि रू. 725.00 लाख की परियोजना पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 26.06.2012 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें केन्द्रांश राशि रू. 435.00 लाख एकेव्हीएन, जबलपुर का अंश राशि रू. 290.00 लाख रू. है। परियोजना हेतु भारत सरकार से 100.00 लाख मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, जबलपुर को प्राप्त हुई है। प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 30.07.2014 को भारत सरकार को प्रेषित किया गया। परियोजना का कार्य दिनांक 25.06.2014 को पूर्ण हो चुका है। विकसित भूमि में 06 इकाईयां उत्पादनरत है।
- **औद्योगिक क्षेत्र नेमावर जिला देवास :-** औद्योगिक क्षेत्र नेमावर जिला देवास में 40.00 हेक्टर भूमि पर नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु एकेव्हीएन, उज्जैन द्वारा एम.एस.ई.-सी.डी.पी. योजनांतर्गत प्रस्तुत राशि रू. 1463.57 लाख के प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.01.2013 को स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना लागत राशि रू. 1463.57 लाख में केन्द्रांश राशि रू. 484.68 लाख एकेव्हीएन, उज्जैन का अंश राशि रू. 553.89 लाख एवं बैंक लोन राशि रू. 425.00 लाख है। परियोजना हेतु भारत सरकार से 144.46 लाख मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, उज्जैन को प्राप्त हुई है। परियोजना में दिनांक 28-03-2016 को पूर्ण हो चुकी है जिस पर राशि रुपये 1654.11 लाख का व्यय किया गया।

6.8 एम.एस.ई.-सी.डी.पी. योजनांतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त परियोजनाएं :-

- **औद्योगिक क्षेत्र अप्रैरल क्लस्टर ग्राम बिजैपुर जिला इन्दौर:-** इन्दौर जिले में औद्योगिक क्षेत्र ग्राम बिजैपुर में अप्रैरल क्लस्टर के विकास हेतु औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.08.2015 को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना लागत राशि रू. 1489.00 लाख भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें केन्द्रांश राशि रू. 600.00 लाख राज्यांश राशि रू 889.00 लाख है परियोजना भारत सरकार द्वारा कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। परियोजना में राशि रू. 800.00 लाख का व्यय किया जा चुका है।

- **औद्योगिक क्षेत्र रेडीमेड गारमेंट पार्क गदईपुरा जिला ग्वालियर:-** ग्वालियर जिले में रेडीमेड गारमेंट पार्क गदईपुरा में क्लस्टर के विकास हेतु औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम,ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.08.2015 को सैद्धांतिक स्वीकृति की गई है । परियोजना लागत राशि रु. 1693.87 लाख भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें केन्द्रांश राशि रु. 456.00 लाख आई.आई.डी.सी. ग्वालियर का राशि रु. 1237.87 लाख है । परियोजना पर दिसंबर 2016 तक रुपये 1784.15 लाख का व्यय किया गया है।
- **औद्योगिक क्षेत्र फूड क्लस्टर बडौदी जिला शिवपुरी :-** शिवपुरी जिले में फूड क्लस्टर के विकास हेतु औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम, ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.08.2015 को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई । परियोजना लागत राशि रु. 1136.23 लाख भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई जिसमें केन्द्रांश राशि रु. 487.00 लाख राज्यांश राशि रु. 649.23 लाख है । परियोजना में भारत सरकार द्वारा कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है । राज्यांश की राशि रु. 300.00 लाख जारी की जा चुकी है।
- **ग्राम करमदी जिला रतलाम में नमकीन एण्ड एलाईड क्लस्टर का विकास:-** रतलाम जिले में ग्राम करमदी में नमकीन एण्ड एलाईड क्लस्टर के विकास हेतु औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, उज्जैन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.08.2015 को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई परियोजना लागत राशि रु 2274.00 लाख भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें केन्द्रांश राशि रु. 600.00 लाख राज्यांश राशि रु. 400.00 लाख एवं अन्य 1274.00 लाख है । परियोजना में भारत सरकारद्वारा कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है । राज्यांश की राशि रु. 100.00 लाख जारी की है।

6.9 ऑटो टेस्टिंग ट्रेक : आटो टेस्टिंग ट्रेक की परियोजना विकसित करने का निश्चय भारत सरकार के वृहद उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय (वृहद् उद्योग विभाग) द्वारा किया गया है । इसके लिए नेशनल आटोमोटिव्हस टेस्टिंग एवं आर.एन.डी. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (नेट्रिप) की क्रियान्वयन संस्था NATRIP implementation society (NATIS) का गठन भारत सरकार, वृहद उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, वृहद उद्योग विभाग के पत्र क्रमांक 7/9/2005 एडआई-11 दिनांक 30.08.2005 से हुआ ।

उक्त परियोजना हेतु भूमि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध करायी गई है। इस हेतु भू-अर्जन मुआवजा राशि रुपये 121.65 करोड़ एवं विशेष अनुग्रह राशि रुपये 61.18 करोड़ एवं न्यायालयीन प्रकरणों में राशि रुपये 1714.89 करोड़ कुल राशि रु. 1897.72 करोड़ कलेक्टर, धार को भू स्वामियों को प्रदान करने हेतु उपलब्ध करायी गई है । उक्त परियोजना हेतु

1405.432 हेक्टेयर निजी भूमि एवं 270.979 हेक्टेयर शासकीय भूमि का आधिपत्य क्रियान्वयन संस्था नेट्रिप को प्रदान किया गया हैं ।

6.10 औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना का विकास : प्रदेश में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों/संस्थानों में अधोसंरचना विकसित करने हेतु राशि उपलब्ध कराई गई है । वित्तीय वर्ष 2016-17 में 36 विकास कार्यों हेतु प्लान/नॉनप्लान मद से राशि रु. 3361.10 लाख की वित्तीय स्वीकृति विभिन्न क्रियान्वयन संस्थाओं के पक्ष में माह दिसम्बर 2016 तक की स्थिति में प्रसारित की गई है ।

हाथकरघा उद्योग

6.11 हाथकरघा उद्योग परम्परागत एवं कलात्मक वस्त्रों के उत्पादन के साथ-साथ प्रदेश के बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराता है । वर्ष 2015-16 में राज्य के लगभग 28000 स्थापित हाथकरघों में से लगभग 21000 हाथकरघे कार्यशील रहे हैं । कार्यशील करघों पर 367.50 लाख मीटर वस्त्रों का उत्पादन कर लगभग 45000 बुनकर/कारीगरों को रोजगार समर्थन उपलब्ध कराया गया है । वर्ष 2016-17 में माह सितम्बर, 2016 तक कुल 28000 स्थापित हाथकरघों में से लगभग 21000 हाथकरघे कार्यशील रहे हैं । कार्यशील करघों पर लगभग 200.50 लाख मीटर वस्त्रों का उत्पादन कर 45000 बुनकरो/कारीगरों को रोजगार समर्थन दिया जा रहा है।

6.12 मुख्यमंत्री स्व-रोजगार / आर्थिक कल्याण योजना : प्रदेश में वर्ष 2015-16 नवीन मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना एवं आर्थिक कल्याण योजना में लगभग 1685 शिल्पियों को रोजगार समर्थन उपलब्ध कराया गया एवं वर्ष 2016-17 में माह सितम्बर तक वार्षिक लगभग 1426 को रोजगार समर्थन दियाजा रहा है।

वर्ष 2015-16 में एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम / उदयमी/ स्व-सहायता समूह/ अशासकीय संस्थाओं को सहयोग / युवा बुनकरों को संस्थागत प्रशिक्षण / प्रमोशन अभिलेखीकरण / कबीर बुनकर प्रोत्साहन योजना / हाथकरघा बुनकरों को वित्तीय पैकेज / वेलफेयर पैकेज / हाथकरघा उद्योग विकास योजना एवं मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना के अतंगत कुल वार्षिक लक्ष्य 1699.44 के विरुद्ध मार्च 2015 तक कुल 1594.49 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई जिसके अतंगत कुल 2035 हितग्राही/बुनकर/क्लस्टर लाभविंत हुए ।

संत रविदास मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास

6.13 मध्यप्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना म.प्र. लघु उद्योग निगम की सहायक कंपनी के रूप में वर्ष 1981 में हुई थी वर्तमान में निगम की अधिकृत पूंजी 2.00 करोड़ रुपये व प्रदत्त पूंजी 126.16 लाख रुपये हैं। वर्ष 1999 से राज्य शासन द्वारा निगम को हाथकरघा संबंधी कार्य सौंपने के फलस्वरूप अब निगम का नाम **"मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम"** हो गया है। शासन के निर्देश के पालन में वर्ष 2013 से निगम का नाम **"संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम"** हो गया है। निगम के दायित्व में परम्परागत शिल्पियों व बुनकरों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना तथा प्रशिक्षित शिल्पियों व बुनकरों को अनुदान पर उन्नत औजार उपलब्ध कराना शामिल है। इसके साथ साथ निगम द्वारा शिल्पियों को बाजार की मांग से अवगत कराने के लिये रुपांकन व तकनीकी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है जिससे युवा वर्ग का रुझान बढे।

वर्ष 2013-14 तक संचालित अनेक योजनाओं को निम्नलिखित योजनाओं में समाहित कर दिया गया है -

6.13.1 एकीकृत क्लस्टर विकास कार्यक्रम 6778 योजना का आच्छादन

कुटीर एवं ग्रामोदयोग विभाग के अंतर्गत क्लस्टरों को विशिष्ट बनाना, वर्तमान क्लस्टरों को सुदृढ करना तथा नवीन क्लस्टरों को विकसित करना, क्लस्टरों में वित्तीय सारमथ्य को बढाने हेतु डायग्नोस्टिक प्रति स्टडी हेतु रुपये 0.50 लाख की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। नवीन एवं आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन एवं विकास, अन्य आवश्यक इनपुट, डिजाईन, बाजार लिंकेज, सलाहकारों की सेवाये हेतु प्रति परियोजना रुपये 1.50 लाख वित्तीय सहायता का प्रावधान है। कमियों को चिन्हित करने हेतु अध्ययन, प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, क्लस्टर में लघु एवं मध्यम उद्यमियों अशासकीय संस्थाओं को समर्थन देने हेतु सेमीनार वर्कशाप, अध्ययन भ्रमण आदि हेतु प्रति परियोजना रुपये 1.50 लाख वित्तीय सहायता का प्रावधान है। क्लस्टर अंतर्गत बुनियादी आवश्यकता सडक, नाली, पेयजल, विद्युत प्रदाय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधायें, अधोसंरचना, प्री-लूम, पोस्ट लूम सुविधाओं की स्थापना करना।

शासकीय विभाग, शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थायें, स्थानीय निकाय, निगम, बोर्ड, क्लस्टर क्लब एवं राज्य स्तरीय क्लस्टर डेवलपमेंट सेल क्रियान्वयन ऐजेंसी है। इस योजना में सौर उर्जा की व्यवस्था भी की जा रही है।

6.13.2 ग्रामोदयोगों के ``प्रमोशन एवं अभिलेखीकरण`` योजना हेतु नियम 2004 (संशोधित 2011)

प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोदयोग से संबंधित उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ाने तथा विकास कार्यों का अभिलेखीकरण जिसमें डिजाईन डिक्शनरी प्रकाशन, बोशर, प्रिंटिंग, परियोजना प्रतिवेदन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग तथा बेस्ट प्रेक्टिसेस आदि के अभिलेखीकरण हेतु सहायता दी जावेगी । निगम, अशासकीय संस्थायें, शासकीय संस्थायें, हाथकरघा क्लस्टर क्लब एवं राज्य स्तरीय क्लस्टर डेवलपमेंट सेल आदि क्रियान्वयन एजेंसी हैं । यह योजना प्रोजेक्ट आधारित है ।

6.13.3 स्पेशल प्रोजेक्ट योजना हेतु अनुदान 6795

हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम एवं खादी क्षेत्र के विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप अंतर्गत निजी इकाईयों, कम्पनियों एवं व्यक्तिगत उदयमियों द्वारा परियोजना का क्रियान्वयन।

राज्य राष्ट्रीय/राष्ट्रीय निगम, मण्डल, शासकीय संस्थायें एवं अंतर्राष्ट्रीय अशासकीय संस्थायें, निजी इकाईयां/कम्पनी/व्यक्तिगत उदयमी क्रियान्वयन एजेंसी हैं ।

यह सहायता प्रोजेक्ट आधारित है । प्रोजेक्ट सहायता, हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम एवं खादी से संबंधित विभिन्न मर्दों जैसे विपणन, स्वास्थ्य, रंगाई, डायवर्सिफिकेशन आफ प्रोडक्ट इत्यादि पर आधारित होगी । प्रोजेक्ट राशि का अधिकतम 70% राशि राज्य शासन द्वारा तथा कम से कम 30% राशि क्रियान्वयन संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। यह सहायता सक्षम वित्तीय समितियों (SFC) के विवेकाधीन होंगी । प्रस्ताव हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम में प्रस्तुत किए जा सकते हैं । स्वीकृति आवंटित बजट की सीमा में दी जायेगी ।

6.13.4 उद्यमियों/स्व-सहायता समूहों/अशासकीय संस्थाओं को सहयोग के लिये योजना 6792

हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम तथा खादी से संबंधित इकाईयों में संबंध व्यक्तियों उद्यमियों, स्व-सहायता समूहों एवं अशासकीय संस्थाएँ इत्यादि को नवीन एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, डिजाईन विकास, उत्पाद परिवर्तन, विपणन एवं निर्यात से जुड़ी हुई गतिविधियों के उत्थान के लिए सहायता ।

सहकारी समितियां, इकाईयों, उद्यमी अथवा स्व-सहायता समूह, अशासकीय संगठन क्रियान्वयन एजेन्सी है। केवल वे ही संस्थाएं योजना में सहायता के पात्र होंगे जिनका कार्यक्षेत्र में मध्यप्रदेश शामिल हो उनके उद्देश्य में ग्रामोद्योग सेक्टर में हाथकरधा, हस्तशिल्प, रेशम एवं खादी उद्योग से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने का उल्लेख हो ।

इस योजना में 6 माह के नवीन प्रशिक्षण के लिए 10 हितग्राहियों हेतु रुपये 0.78 लाख, 3 माह के उन्नत प्रशिक्षण के लिए रुपये 0.60 लाख, विशेषज्ञों की सेवा के लिए अधिकतम रुपये 1.00 लाख 2 प्रदर्शनियों के लिए रुपये 1.00 लाख का प्रावधान है । मेला प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए भी अधिकतम रुपये 1.50 लाख का अनुदान उपलब्ध है । प्रदेश के बाहर के मेलों में भागीदारी के लिए अधिकतम रुपये 30,000/- का प्रावधान भी है। निर्यात प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए भी वास्तविक खर्च का 75 प्रतिशत या रुपये 2.00 लाख, जो भी कम हो मिल सकता है । अधोसंरचना के लिए स्वयं की जमीन होने पर नई कर्मशाला निर्माण के लिए रुपये 5.00 लाख व पुराने भवन के मरम्मत के लिए रुपये 2.00 लाख का अनुदान स्वीकृत किया जा सकता है। स्वीकृत राशि का 75 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा व शेष 25 प्रतिशत संबंधित इकाई को अंशदान देना होगा । उन्नत उपकरण क्रय के लिए औजार की कीमत के अनुसार, अधिकतम 12.000/- की सीमा में अनुदान स्वीकृत किया जाता है । कुल स्वीकृति का सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत अनुदान है व अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 75 प्रतिशत अनुदान है । शेष अंश संबंधित शिल्पी/संस्था को मिलाना होगा ।

उद्यमी/स्व-सहायता समूह/अशासकीय संस्थाएं अपने प्रस्ताव हस्तशिल्प एवं हाथकरधा विकास निगम की शाखाओं को प्रस्तुत कर सकती है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा छानबीन की प्रक्रिया के बाद अनुदान स्वीकृत किया जाता है । कुल स्वीकृति बजट पर निर्भर करेगी ।

6.13.5 अनुसंधान एवं विकास योजना क्र. 6897

शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाएं, सहाकारी समितियां इकाई एवं स्व-सहायता समूह, क्लस्टर क्लब एव क्लस्टर डेवलपमेंट सेल क्रियान्वयन एजेन्सी है ।

हाथकरधा, हस्तशिल्प, रेशम एवं खादी से संबंधित इकाईयों को क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य संपादित करने हेतु अध्ययन एवं मूल्यांकन (इम्पेक्ट एसेसमेंट) हेतु नीतियों के क्रियान्वयन का व्यावसायिक तथा विशेषज्ञ संस्थाओं से अध्ययन/ विश्लेषण कार्य कराये जाने हेतु सहायता दी जा सकती है ।

6.13.6 सूचना प्रौद्योगिकी योजना : इस योजना में निगम द्वारा स्वयं के विकास केन्द्रों, हाथकरघा संचालनालय के जिला कार्यालयों के अतिरिक्त शिल्पियों / स्व-सहायता समूहों / बुनकर सहकारी समितियों के लिए कम्प्यूटर की व्यवस्था की जा रही है। शिल्पी/ स्व-सहायता / बुनकर सहकारी समितियों को कम्प्यूटर 33 प्रतिशत अनुदान पर दिये जा रहे हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति के हितग्राहियों के लिए अनुदान 50 प्रतिशत है।

6.13.7 शिल्पी कल्याण योजना : इस योजना में निगम द्वारा शिल्पियों के लिए स्वास्थ्य केम्प का आयोजन, अनुदान पर स्वास्थ्य बीमा, महिला शिल्पियों/ शिल्प-बुनकर परिवार की बेटियों के लिए निःशुल्क प्रोफेशनल स्टडीज की व्यवस्था की जा रही है।

6.14 विपणन सहायता : शिल्पियों व बुनकरों के लिये सबसे प्रमुख समस्या विपणन की होती है। शिल्पियों के उत्पाद बिक्री हेतु निगम द्वारा उन्हें विपणन सहायता उपलब्ध कराई जाती है। विपणन सहायता देने के लिये निगम द्वारा 23 एम्पोरियम संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें से 10 प्रदेश के बाहर स्थित हैं। इन एम्पोरियमों द्वारा डायरेक्ट मार्केट लिंकेज के लिए देश भर में प्रतिवर्ष प्रदर्शनियां लगाकर शिल्पों की बिक्री की जाती है। निगम ने वर्ष 2014-15 में एम्पोरियमों के माध्यम से 2962.28 करोड़ रुपये के शिल्प व हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री की गई है। वर्ष 2015-16 में नवम्बर 2015 तक में एम्पोरियमों द्वारा 1353.40 लाख रुपये के शिल्प व हाथकरघा वस्त्रों की बिक्री की जा चुकी है। निगम द्वारा सीधे मार्केट लिंकेज के लिये देश भर में प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं। वर्ष 2016-17 में दिसंबर 2016 तक 35 प्रदर्शनियां आयोजित की गई जिसमें राशि रु 1110.47 लाख का विक्रय किया गया एवं एम्पोरियम से रु 912.19 लाख का विक्रय किया गया। कुल विक्रय दिसंबर 2016 तक रु 2022.66 लाख का किया गया।

6.15 शासकीय प्रदाय : भण्डार क्रय नियमों की कण्डिका 14 अ के अंतर्गत यह निगम आयुक्त, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प का प्रदायकर्ता अभिकरण है। निगम द्वारा हाथकरघा क्लस्टर्स में भारत शासन की योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय हाथकरघा विकास निगम के यार्न डिपो संचालित किये जा रहे हैं। आयुक्त, हाथकरघा एवं हस्तशिल्प से प्राप्त आदेश व उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार निगम, बुनकर समितियों/संस्थाओं को यार्न बिक्री करता है। वर्ष 2014-15 में 162.82 लाख रुपये के वस्त्र शासकीय विभागों को प्रदाय किये गये एवं वर्ष 2015-16 में एवं वर्ष 2016-17 में जनवरी 2017 तक 26.96 लाख प्रदाय किया।

शिल्पियों की सहायता के लिये निगम द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रमों/ सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश के विभिन्न अंचलों में 29 विकास सह संग्रहण केन्द्र/सामान्य सुविधा केन्द्र/विपणन सह विस्तार केन्द्र स्थापित किये गये हैं। यह विकास केन्द्र 39

क्लस्टर्स में योजना का लाभ उपलब्ध करवाते हैं । विपणन के लिए निगम द्वारा 23 एम्पोरियम संचालित किये जा रहे हैं जिनमें से 10 प्रदेश के बाहर (मुम्बई, बंगलौर, चेन्नई, पुणे, कालीकट गोवा, अहमदाबाद, नोएडा, कोलकत्ता व जयपुर) में हैं । शिल्पियों को सीधे ग्राहकों के संपर्क में लाकर विपणन सहायता देने के लिये मेला परिसर, ग्वालियर व गौहर महल, भोपाल लाल बाग पैलेस इन्दौर में शहरी हाट संचालित हैं । शहरी हाट में शिल्पियों को रोटेशन से अपना माल सीधे ग्राहकों को बिक्री करने का अवसर दिया जाता है ।

वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिये योजनाओं के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय लक्ष्य 1721.284 तथा भौतिक लक्ष्य 32230 निर्धारित है जिसमें वित्तीय उपलब्धि 1543.87 तथा भौतिक उपलब्धि 20511 परिलक्षित हुई।

रेशम उद्योग

6.16 कृषि वानिकी पर आधारित रेशम उद्योग का मुख्य उद्देश्य ग्राम में ही ग्रामीणों को रोजगार के लाभदायक साधन उपलब्ध कराना है ताकि वे अपना जीविकोपार्जन सुचारु रूप से चला सकें । रेशम उद्योग की योजनाएँ मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये क्रियान्वित की जा रही हैं । इस उद्योग को महिलायें रोजगार के रूप में व्यापक रूप से अपनाती हैं, इसलिये इस उद्योग में उनकी भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं । वर्तमान में लगभग 44 जिलों में रेशम उद्योग की गतिविधियाँ संचालित हैं ।

वर्ष 2015-16 में 14.88 लाख किलो मलबरी कोया तथा 1780.00 लाख नग टसर कोया का उत्पादन तथा 1500 कि.ग्रा.इरी शैल उत्पादन हेतु 44238 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरुद्ध मार्च, 2015 तक 17.029 लाख किलो मलबरी कोया एवं 603.514 लाख नग टसर कोया का उत्पादन तथा 1554 कि.ग्रा.इरी शैल उत्पादन हुआ । इस अवधि में रेशम गतिविधियों के माध्यम से 29662 हितग्राही लाभान्वित हुये हैं । इसके अतिरिक्त 2015-16 में 1153 हेक्टर क्षेत्र में मलबरी पौधरोपण का लक्ष्य जिसमें 1032 हेक्टेयर निजी क्षेत्र एवं स्वावलंबन केन्द्रों पर 21 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके विरुद्ध माह मार्च 2015 तक 1033 हेक्टेयर निजी क्षेत्र एवं स्वावलंबन केन्द्रों पर 14 हेक्टेयर क्षेत्र में मलबरी पौधरोपण किया जा चुका है ।

वर्ष 2016-17 में 17.00 लाख किलो मलबरी कोया तथा 1000.00 लाख नग टसर कोया का उत्पादन तथा 48992 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था,

जिसके विरुद्ध दिसम्बर, 2016 तक लगभग 4.754 लाख किलो मलबरी कोया एवं 65.337 लाख नग टसर कोया का उत्पादन हुआ । इस अवधि में रेशम गतिविधियों के माध्यम से 18124 हितग्राही लाभान्वित हुये हैं । इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-17 में 1124 हेक्टेयर क्षेत्र में मलबरी पौधरोपण का लक्ष्य जिसमें 1096 हेक्टेयर निजी क्षेत्र एवं स्वावलंबन केन्द्रों पर 28 हेक्टेयर क्षेत्र में मलबरी पोधरोपण का लक्ष्य रखा गया है। जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2015 तक 652 हेक्टेयर निजी क्षेत्र एवं स्वावलंबन केन्द्रों पर 5.0 हेक्टेयर क्षेत्र में मलबरी पोधरोपण किया जा चुका है ।

रेशम उद्योग के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 तथा वर्ष 2016-17 की उपलब्धि को निम्न तालिका 6.2 में दर्शाया गया है :-

तालिका 6.2
रेशम उत्पादन

विवरण	वर्ष 2014-15 की उपलब्धि	वर्ष 2015-16 की उपलब्धि	गत वर्ष से प्रतिशत	वर्ष 2016-17 की उपलब्धि (माह दिसम्बर, 16 तक)
मलबरी कोया उत्पादन (किलोग्राम में)	1501000	1702900	(+) 113	475400
टसर कोया उत्पादन (लाख नग में)	650.730	603.514	(-) 08	65.337

खादी तथा ग्रामोद्योग विकास

मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योग का विकास कर ग्रामीण रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराना है ।

6.17 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना : इस योजना के अंतर्गत 20,000 तक की आबादी वाले ग्रामों में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मान्य विभिन्न ग्रामोद्योग इकाईयों की स्थापना हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण/मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाती है । योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में 486 इकाईयों में 1715.37 लाख रुपये मार्जिन मनी का वितरण कर 4157 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा वर्ष 2016-17 में माह जून, 2016 तक 93 इकाईयों में 345.55 लाख मार्जिन मनी का वितरण कर 777 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है ।

6.18 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना : योजना का उद्देश्य विभिन्न जिलों में समाज के सभी वर्गों के लिए स्वयं का उद्योग (विनिर्माण/सेवा) अन्तर्गत स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना है । योजनान्तर्गत हितग्राहियों को मार्जिन मनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवम् प्रशिक्षण का लाभ दिया जायेगा । इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम 20,000 रूपए से अधिकतम रूपए 10 लाख सीमा तक होगी । योजना के अंतर्गत परियोजना लागत पर बी.पी.एल./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर)/ महिला/ अल्प संख्यक/ नि:शक्तजन हेतु 30 प्रतिशत, अधिकतम 2 लाख रूपये अनुदान राशि की पात्रता होगी ।

इसके अतिरिक्त परियोजना लागत पर 5 प्रतिशत की दर से (अधिकतम 25,000 रूपये प्रतिवर्ष) ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक देय होगा । योजना के अंतर्गत गारंटी शुल्क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगा । वर्ष 2015-16 में 1620 इकाईयों में 1180.74 लाख रूपये अनुदान वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में 4200 इकाईयों में रूपये 4020.88 लाख का अनुदान वितरण किये जाने का लक्ष्य रखा गया है । माह नवम्बर, 2016 तक 1861 इकाईयों में राशि रूपये 1832.39 लाख अनुदान वितरण किया गया है।

6.19 खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादन : मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में सूती खादी, पॉली वस्त्र, रेशमी खादी, ऊनी खादी एवं अन्य ग्रामोद्योग उत्पादन के कुल 15 उत्पादन केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। वर्ष 2015-16 में विभिन्न प्रकार की खादी एवं ग्रामोद्योग सामग्री का 679.90 लाख रूपये का उत्पादन किया गया और 430 कतिन बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है । वर्ष 2016-17 में माह नवम्बर, 2016 तक खादी का 363.65 लाख रूपये का उत्पादन किया गया एवं 423 कतिन बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

पर्यटन

6.20 पर्यटन नीति : प्रदेश के विकास में शासन के स्त्रोतों के साथ-साथ निजी क्षेत्रों की भागीदारी का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है । पर्यटन क्षेत्र में निजि क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा पर्यटन नीति 2016 को लागू की गई है जिससे निजि क्षेत्र को निवेश के लिए अधिकाधिक आकर्षित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

पर्यटन विभाग को आवंटित भूमियों को नीलामी द्वारा जन-निजी भागीदारी के अंतर्गत भूमि आवंटन के लिए कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार निर्धारित प्रति हेक्टर की दर पर 50 प्रतिशत रियायत बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं के पास भूमि गिरवी रखने एवं भूमि

समर्पण की सुविधा प्रदान किए जाने हेतु भूमि आवंटन नीति 2008 (यथा संशोधित 2016) लागू की गई है ।

6.21 राज्य शासन पर्यटन विकास के अंतर्गत पर्यटकों की संख्या में वृद्धि एवं प्रदेश को देश के प्रथम पर्यटक गन्तव्य स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए सतत प्रयत्नशील है एवं इस दिशा में पर्यटन स्थलों तक आवागमन सुविधा अधोसंरचना विकास एवं प्रचार-प्रसार को बढ़ावा दिया जा रहा है । कनेक्टिविटी एवं त्वरित आवागमन को सुलभ बनाये जाने हेतु प्रदेश में आंतरिक वायु सेवा निजी क्षेत्र के माध्यम से पर्यटकों को सुलभ एयर कनेक्टिविटी के लिए प्रदेश के प्रमुख शहरों को वायु सेवा से जोड़ने के लिये निजी प्रचालकों के माध्यम से वायु सेवा संचालित किये जाने के लिये प्रदेश को वायु सेवा से जोड़ने के संबंध में नीति -2016 जारी की गई। इस हेतु राज्य शासन द्वारा हवाई सेवाओं के लिये अनुदान प्रदेश स्थित शासनके स्वामित्व एवं नियंत्रण के हवाई अड्डों पर एम्बुलेंस तथा फायर ब्रिगेड के वास्तविक व्यय तथा उडानों में उपयोग में आने वाले ईंधन पर वेट की प्रतिपूर्ति तथा हवाई अड्डों पर निशुल्क सुरक्षा व्यवस्था का प्रावधान रखा गया है।

6.22 पर्यटकों को सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से पर्यटन विकास निगम द्वारा वर्ष 2016-17 नई आवासीय इकाइयां- ट्रिस्ट काम्प्लेक्स हनुवंतिया उज्जयिनी उज्जैन सागौन रिट्रीट देलावडी बाईसन रिट्रीट मढई विन्ध्य रिट्रीट रीवा शुरु की गई। इस प्रकार निगम की इकाइयों में कुल 1197 कक्ष उपलब्ध है जिसमें एकामोडेशन सम्मिलित है तथा डोरमेटरी बेडस की संख्या 193 है। वर्तमान में पर्यटन निगम की इकाइयों में 89 नवीन कक्षों का निर्माण प्रगति पर है। निगम में 06 गैर आवासीय इकाइयां है।

6.23 मध्यप्रदेश पर्यटन द्वारा **मध्यप्रदेश टैवल मार्ट** का आयोजन भोपाल में माह अक्टूबर 2016 में किया गया, जिसमें देश तथा विदेशों से आये टैवल एजेंट एवं टैवल मीडिया के लोग सम्मिलित हुए । इस मार्ट में 25 देशों के वायर्स(सिंगापुर यू.के. साउथ अफ्रीका यूई आस्ट्रेलिया स्ताम्बुल हंगरी रशिया फ्रांस जार्डन) आदि सम्मिलित हुए ।

6.24 प्रदेश के प्रमुख पर्यटन केन्द्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ने वाले मार्गों को चयनित किया जाकर इन्हे प्राथमिकता के आधार पर उच्च स्तरीय बनाए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है इसके अतिरिक्त अन्य पर्यटन महत्व के मार्गों का विकास किया गया है ।

वर्ष 2015-16 में मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को रु. 10869.65 लाख पर्यटन आय के रूप में प्राप्त हुई है । वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर तक रु. 7956.71 लाख की आय प्राप्त हुई है । इस दौरान वर्ष 2016 में माह सितंबर 2016 तक

131564286 भारतीय एवं 264518 विदेशी इस प्रकार कुल 131828804 पर्यटक मध्यप्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर भ्रमण हेतु आये ।

पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पुलिस टैक्सी ड्राइवर कुली होटेलियर्स इत्यादि को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसके अतिरिक्त टूरिस्ट हेल्पलाइन सी.एम. हेल्पलाइन महिला हेल्पलाइन भी प्रचलन में है ।

6.25 ईको टूरिज्म एवं रोमांचक पर्यटन के अंतर्गत प्रदेश में उपलब्ध विभिन्न जलाशयों एवं केन्द्रों पर जलक्रीडा एवं साहसिक खेलों की सुविधाएं पर्यटकों को उपलब्ध कराई जा रही है, इसके अंतर्गत भोपाल स्थित बोट क्लब पर पैरासेलिंग, पैडल बोट, स्पीड बोट, क्रूज, बोट का संचालन बरगी डेम (जबलपुर) एवं तवा नगर, होशंगाबाद में आधुनिक सुविधायुक्त स्पीड बोट एवं क्रूज बोट का संचालन किया जा रहा है ।

पर्यटकों की रुचि को दृष्टिगत रखते हुए तवा मढई तवा में एक और मिनी क्रूज लांच किया गया है इसके अतिरिक्त इंदिरा सागर में क्रूज तथा तवानगर में हाउसबोट का संचालन प्रारंभ की जाएगी तथा अटल बिहारी वाजपेयी रीजनल पार्क, पिपलिया पाला, इन्दौर में नवीन बोट क्लब प्रारंभ कर संचालित किया जा रहा है जिसमें आधुनिक क्रूज का संचालन किया जा रहा है । आगामी वर्षों में विभाग की जल पर्यटन नीति के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जलाशयों में साहसिक एवं जल क्रीडा सुविधाएं विकसित की जाएंगी । साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के जिलोंमें जिला टूरिज्म प्रमोशन काउन्सिल के माध्यम से साहसिक खेलों का आयोजन लगातार किया जा रहा है ।

6.26 भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय द्वारा एफ.सी.आई. खजुराहों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में जबलपुर और इन्दौर,रीवा में आतिथ्य प्रशिक्षण के संस्थान विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं । विगत वर्षों में निगम द्वारा 10971 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है एवं वर्ष 2018 तक 30000 लोगों को प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

खनिज

6.27 राज्य की अर्थ व्यवस्था एवं औद्योगिक प्रगति में खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान है । खनिज संसाधनों में प्रचूरता की दृष्टि से मध्यप्रदेश राष्ट्र के आठ प्रमुख खनिज सम्पन्न राज्यों में से एक है ।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में (तेल एवं प्राकृतिक गैस को छोड़कर) प्रदेश में कोयला के सकल उत्पादन में राष्ट्र में चौथा स्थान है। राज्य में वित्तीय वर्ष 2015-16 में मुख्य खनिजों का उत्पादन मूल्य 15192.19 करोड़ रुपये (अंतिम) हुआ जो गत वित्तीय वर्ष में उत्पादित मुख्य खनिज के उत्पादन मूल्य 828.99 करोड़ रुपये से 5.77 प्रतिशत अधिक है।

बाक्स 6.1 खनिज उत्पादन

खनिज संपदा की दृष्टि से प्रदेश राष्ट्र की आठ खनिज सम्पन्न राज्यों में से एक है, प्रदेश में प्रमुख रूप से 08 प्रकार के खनिजों का उत्पादन वर्तमान में किया जा रहा है।

हीरा उत्पादन में प्रदेश को राष्ट्र में एकाधिकार प्राप्त होने के साथ-साथ ताम्र अयस्क, मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में भी राष्ट्र को प्रथम स्थान प्राप्त है। इसके अतिरिक्त प्रदेश को राकफॉस्फेट के उत्पादन में द्वितीय तथा कोयला एवं चूनापत्थर के उत्पादन में चतुर्थ स्थान प्राप्त है। प्रदेश में वर्ष 2015-16 में कोयला एवं ताम्र अयस्क के उत्पादन में वृद्धि अंकित की गई है। सर्वाधिक वृद्धि कोयले के उत्पादन में 22.96 दर्ज की गई है।

प्रदेश में विगत वर्षों में महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में हुई वृद्धि / कमी का वर्षवार विवरण तालिका 6.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 6.3 प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन

(लाख टन में)

खनिज	2013-14 (स)	गतवर्ष से वृद्धि (प्रतिशत)	2014-15 (स)	गतवर्ष से वृद्धि/कमी (प्रतिशत)	2015-16 (प्रावधिक)	गतवर्ष से वृद्धि/कमी (प्रतिशत)
कोयला	755.90	(-) 0.47	876.00	(+) 15.89	1077.13	(+) 22.96
बाक्साइट	7.76	(-) 23.70	8.32	(+) 7.22	6.80	(-) 18.26
ताम्र अयस्क	23.76	(+) 5.41	23.79	(+) 0.13	25.37	(+) 6.64
आयरन ओर	20.90	(+) 70.61	41.93	(+) 100.62	24.64	(-) 14.24
मैंगनीज अयस्क	7.96	(+) 11.33	8.78	(+) 10.30	7.64	(-) 12.98
रॉक फास्फेट	1.31	52.82	0.79	(-) 39.69	0.66	(-) 16.46
हीरा (कैरेट)	37517	(+) 17.29	36107	(-) 3.76	36070	(-) 0.10
चूना पत्थर	378.32	(+) 6.46	395.30	(+) 4.49	378.70	(-) 4.20
डोलोमाईट	5.96	(-) 9.15	5.43	(-) 8.89	-----	-----
फायरक्ले	0.74	(+) 4.23	0.23	(-) 68.92	-----	-----
गैरू	0.69	(+) 25.45	0.70	(+) 1.45	-----	-----

प्रदेश में वर्ष 2015-16 में वर्ष 2014-15 की तुलना में महत्वपूर्ण खनिजों यथा कोयला, ताम्र अयस्क के उत्पादन में क्रमशः 22.96 6.64 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं आयरनओर मैंगनीज अयस्क चूनापत्थर में क्रमशः 14.24 12.98 4.20 प्रतिशत की कमी परिलक्षित रही।

वही अन्य मुख्य खनिजों यथा रॉक फास्फेट, के उत्पादन में वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 में कमी परिलक्षित हो रही है। हीरे का उत्पादन 2014-15 में 36107 कैरेट था जो वर्ष 2015-16 में घटकर 36070 कैरेट हो गया।

बाक्स 6.2 खनिज नीति एवं खनिज प्रशासन

राष्ट्रीय खनिज नीति के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन द्वारा घोषित खनिज नीति में खनिजों के दोहन एवं अन्वेषण में आधुनिकतम तकनीक का उपयोग कर खनिज उद्योगों में स्थानीय लोगों की भागीदारी एवं पर्यावरण संतुलन पर जोर दिया गया है। प्रदेश में उपलब्ध खनिज भंडारों के दोहन हेतु खनिज नियमों के अंतर्गत आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्रों के निराकरण गौण खनिजों के उत्खनन हेतु स्वीकृत किये जाने वाले विभिन्न पट्टों एवं अनुज्ञप्ति का कार्य शासन द्वारा निर्धारित किये गये खनिज राजस्व के लक्ष्य की प्राप्ति एवं बकाया वसूली का कार्य तथा अवैध उत्खनन की रोकथाम का कार्य जिलों में खनिज शाखाओं द्वारा किया जाता है।

खनिज रियायतों की स्वीकृति के कार्य मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधानानुसार नियम 53 के अनुसार सम्पादित किए जाते हैं, एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 द्वारा भी किये जाने का प्रावधान है।

शासन द्वारा दिनांक 06-09-2004 को लिये गये महत्त्वपूर्ण निर्णय अनुसार विभाग द्वारा प्रतिवर्ष गौण खनिजों से प्राप्त होने वाली राजस्व राशि की सूचना पंचायत को उपलब्ध कराई जाती है जिससे पंचायत विभाग द्वारा विभागीय बजट प्रावधान में सम्मिलित कर वित्त विभागसे स्वीकृत कराया जाता है। उक्त राशि नियमानुसार पंचायत विभाग द्वारा जिलों को आवंटित की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में खनिज राजस्व से शीर्ष 0853/0035 के अंतर्गत खनिज राजस्व का संशोधित लक्ष्य 3550.00 करोड़ रुपये रखा गया था, जिसके विरुद्ध राजकोष में 3610.56 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां हुईं।

6.28 खनिज अन्वेषण : वर्ष 2014-15 में खनिज अन्वेषण के अंतर्गत 13922 वर्ग किलोमीटर भाग में सर्वेक्षण/मानचित्रण, तथा 5630.81 मीटर वेधन किया गया था । वर्ष 2015-16 में 1206 वर्ग किलोमीटर भाग में सर्वेक्षण/मानचित्रण तथा 4353 मीटर वेधन कार्य किया गया ।

6.29 प्रदेश में स्थित खनिज भण्डार : राज्य में वर्ष 2011-12 से वर्ष 2015-16 तक चूनापत्थर, डोलोमाइट, लेटेराइट भण्डारों के आंकलन का कार्य किया गया है । विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध प्लेगस्टोन तथा कटिंग पालिशिंग हेतु विभिन्न जिलों की खनिज तालिका बनाने का कार्य पूर्ण किया गया। राज्य में आंकलित भण्डारों का वर्षवार विवरण तालिका 6.4 में दर्शाया गया है ।

तालिका 6.4
प्रदेश में स्थित खनिज भण्डार

(मिलियन टन)

वर्ष	क्र.	खनिज का नाम	जिला	भण्डारों का आकलन
2011-12	1	डोलोमाइट	छतरपुर	14.04
	2	चूना पत्थर	सतना	25.00
	3	लेटेराइट	नीमच/मंदसौर	20.10
2012-13	1	डोलोमाइट	छतरपुर	6.37
	2	चूना पत्थर	सतना	15.00
2013-14	1	डोलोमाइट	छतरपुर	6.37
	2	चूना पत्थर	सतना	15.00
2014-15	1	चूना पत्थर	सतना	15.00
2015-16	1	चूना पत्थर	धार	20.74

6.30 प्रदेश के खनिज भण्डारों की जानकारी : राज्य में प्रमुख खनिजों की विभिन्न श्रेणियों के भण्डार आर्थिक दृष्टि से उपलब्ध हैं । खनिज भण्डारों का वर्ष 2011 की स्थिति का विवरण तालिका 6.5 में दर्शाया गया है ।

तालिका 6.5
प्रदेश के खनिज भण्डार

खनिज	2011	
	इकाई	कुल भण्डार
हीरा	हजार कैरेट	1045.31
पायरोफिलाइट	मिलियन टन	14.64
ताम्र अयस्क	मिलियन टन	198.32
डोलोमाइट	मिलियन टन	82.43
मैंगनीज अयस्क	मिलियन टन	34.99
कोयला	मिलियन टन	21063.03
चूना पत्थर	मिलियन टन	1651.82
रॉकफॉस्फेट	मिलियन टन	18.14
डायस्पोर	मिलियन टन	1.45

स्रोत- भारतीय खान ब्यूरो खनिज पुस्तक ।

अधोसंरचना

अधोसंरचना विकास प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों की उत्पादक गतिविधियों के विस्तार और विकास के लिये आवश्यक है। विगत पाँच वर्षों में प्रदेश के अधोसंरचना विकास कार्यों में तेजी आई है। प्रदेश में विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण क्षमता विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन द्रुतगति से चल रहा है। उद्योग एवं व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज मार्गों के उन्नयन कार्य में तेजी आई है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत वृहद सिंचाई परियोजनाओं के अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्माण का कार्य प्रगति पर है। सस्ती हवाई सेवा से प्रदेश के चारों प्रमुख नगरों- इन्दौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर को देश की राजधानी से जोड़ा गया है।

ऊर्जा


नब्बे के दशक से विद्युत की बढ़ती हुई मांग के अनुरूप विद्युत उत्पादन क्षमता को नहीं बढ़ाया जा सका, साथ ही पारेषण एवं वितरण अधोसंरचना के क्षेत्र में भी आवश्यकता की तुलना में काफी कम कार्य हुए, परिणाम स्वरूप विद्युत उपलब्धता और मांग में अंतर बढ़ता गया तथा विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में भी व्यापक गिरावट आई। धन की कमी के चलते पारेषण और वितरण अधोसंरचना विकास पर भी समुचित ध्यान नहीं दिया गया। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के कारण तत्कालीन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की आस्तियों, दायित्वों लेनदारी एवं देनदारी का उचित बटवारा न होने से भी प्रदेश में विद्युत क्षेत्र की कठिनाईयों में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ वित्तीय संकट में भी वृद्धि हुई। प्रदेश में विद्युत क्षेत्र को वित्तीय एवं विद्युत कमी के संकट से उबारने के लिए सुधार की प्रक्रिया वर्ष 2001 में प्रारंभ की गई।

7.1 संस्थागत सुधार : विद्युत क्षेत्र के प्रभावी प्रबंधन के लिये मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल के वृहद स्वरूप का पुनर्गठन किया गया तथा उत्पादन, पारेषण एवं विद्युत वितरण हेतु कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत विद्युत कम्पनियों का गठन जुलाई, 2002 में किया गया।

सभी विद्युत कंपनियां यथा म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी, म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, एवं म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, 1 जून 2005 से पूर्णतः स्वशासी हो गई है। विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत विद्युत के थोक व्यापार के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक पावर ट्रेडिंग कंपनी गठित कर उसे माह जून 2006 से क्रियाशील किया गया। पावर ट्रेडिंग कंपनी का मूल कार्य तीनों वितरण कंपनियों के लिए विद्युत की व्यवस्था

करना है। कंपनी का नाम 10 अप्रैल, 2012 को परिवर्तित कर एम.पी पावर मनेजमेंट कंपनी लिमिटेड किया गया एवं विद्युत वितरण के कार्यों को प्रभावी रूप से संचालित करने के लिए इसे तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की होल्डिंग कम्पनी का स्वरूप प्रदान किया गया । म.प्र. राज्य विद्युत मंडल का पावर मनेजमेंट कंपनी में 26 अप्रैल, 2012, को विलय कर दिया गया है, तथा मंडल अब अस्तित्व में नहीं है । उर्जा विभाग के अधीन इन कम्पनियों की सरंचना बॉक्स 7.1 में दर्शाया गया है ।

बॉक्स 7.1



विद्युत कंपनियों तथा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण, विद्युत क्षेत्र में राज्य सरकार का कार्य नीति निर्धारण तक सीमित करने तथा विद्युत दरों के निर्धारण एवं नियमन कार्यों के लिए राज्य विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 1998 में स्थापना की गयी थी। विद्युत अधिनियम 2003 लागू होने के उपरान्त नियामक आयोग द्वारा इस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत विद्युत कंपनियों द्वारा प्रेषित राजस्व आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये तथा जन सुनवाई के उपरांत विद्युत दरों के निर्धारण हेतु टैरिफ आदेश जारी किये जाते हैं । इन टैरिफ

आदेशों के माध्यम से विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू विद्युत दरों के युक्ति-युक्तकरण करने के प्रयास किये गये हैं ।

7.2 विद्युत उपलब्धता : दीर्घ कालीन विद्युत क्रय अनुबंधों के माध्यम से प्रदेश में विद्युत उपलब्धता में व्यापक वृद्धि हुई है । प्रदेश में सभी गैर-कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है । माह फरवरी 2017 की स्थिति में प्रदेश में उपलब्ध विद्युत क्षमता का विवरण तालिका 7.1 में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.1
उपलब्ध विद्युत क्षमता

(माह फरवरी 2017 की स्थिति में)

विद्युत उत्पादन	उपलब्ध क्षमता (मेगावाट)
1.म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी के (ताप विद्युत गृह)	4080
2.म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी के (जल विद्युत गृह)	917
3.संयुक्त उपक्रम जल परियोजना, (नर्मदा प्रोजेक्ट एवं अन्य जल विद्युत गृह)	2426
4.केन्द्रीय विद्युत उत्पादन क्षेत्र एवं डी.वी.सी. से प्राप्त अंश	4000
5.निजी क्षेत्र के ताप विद्युत गृह से प्राप्त अंश	3406
6.पारम्परिक उर्जा स्रोत एवं अन्य	2686
कुल उपलब्ध विद्युत क्षमता	17515

राज्य सरकार ने विद्युत उपलब्धता में वृद्धि हेतु बारहवीं पंचवर्षीय योजनांतर्गत एवं आगामी वर्ष हेतु एक समग्र योजना बनाई है जिस पर क्रियान्वयन प्रगति पर है । योजना का वर्षवार विवरण तालिका 7.2 में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.2
विद्युत उपलब्धता वृद्धि योजना

फरवरी 2017 की स्थिति में

वर्ष	म.प्र. पावर जनरेटिंग कम्पनी की परियोजनाओं से	केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से	निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से	अपारम्परिक उर्जा स्रोत से	कुल विद्युत उपलब्धता (मेगावाट)
2016-17	-	244 [#]	420 [*]	1620 ^{**}	2284
2017-18	-	991	-	1290	2281
2018-19	1188	128	-	1695	3011
कुल	1188	1363	420	4605	7576

*क्रियाशील, # 122 मेगावाट क्रियाशील, **198 मेगावाट क्रियाशील

7.3 विद्युत प्रदाय : प्रदेश में विगत वर्षों से औद्योगिक क्षेत्र को 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है । जून 2013 से सभी गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण 10 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है । विद्युत प्रदाय का वर्षवार विवरण तालिका 7.3 में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.3

विद्युत प्रदाय

(मिलियन यूनिट)


वर्ष	म.प्र. विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा			संयुक्त उपक्रम जल परियोजना			केन्द्रीय इकाईयों एवं डी.वी.सी से	निजी क्षेत्र अपारंपरिक एवं अन्य	प्रदेश की प्रणाली में प्रदायित विद्युत (*)
	थर्मल	हाइडल	कुल	इन्दिरा सागर	सरदार सरोवर	ऑंकारेश्वर			
2011-12	13669	3164	16833	3275	2424	1366	17512	2451	43330
2012-13	14814	3152	17966	2887	2057	1256	20943	3758	47858
2013-14	14180	3655	17835	4049	3250	1620	20575	6233	51976
2014-15	15231	2720	17951	2543	1621	1121	22104	12401	57407
2015-16	16927	2033	18960	1940	1194	953	22144	19691	64149

वर्ष 2014-15 में राज्य में कुल विद्युत प्रदाय 57407 मिलियन यूनिट है, जबकि वर्ष 2015-16 में विद्युत प्रदाय 64149 मिलियन यूनिट रहा है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 11.74 प्रतिशत अधिक रहा ।

7.4 विद्युत मांग : फरवरी 2017 में विद्युत उपलब्धता क्षमता 17515 मेगावाट हो चुकी है। इसमें केन्द्रीय क्षेत्र एवं डी.वी.सी.से प्राप्त 4000 मेगावाट विद्युत क्षमता सम्मिलित हैं। रबी के मौसम (नवम्बर से मार्च) में कृषि क्षेत्र की विद्युत मांग लगभग 3500 से 4000 मेगावाट की वृद्धि होती है। रबी के मौसम में न्यूनतम और अधिकतम आवश्यकता क्रमानुसार लगभग 6500 मेगावाट एवं 11400 मेगावाट रहती है, अतः रबी मौसम में विद्युत प्रदाय की सुचारु व्यवस्था के लिये विद्युत बैंकिंग का उपयोग भी किया जाता है। प्रदेश में विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता है तथा भविष्य में भी यही स्थिति बनी रहेगी।


7.5 विद्युत विक्रय : वर्ष 2015-16 में वर्ष 2014-15 की तुलना में 9.4 प्रतिशत अधिक विद्युत विक्रय की गई । वर्ष 2012-13 से 2015-16 में विद्युत विक्रय की स्थिति चित्र 7.1 में दर्शायी गई है ।

चित्र 7.1
विद्युत विक्रय




7.6 अधिकतम विद्युत मांग की आपूर्ति : विगत वर्षों में विद्युत की उपलब्धता में निरन्तर वृद्धि होने से कृषि क्षेत्र हेतु विद्युत की उपलब्धता है। वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक विद्युत मांग आपूर्ति चित्र 7.2 में दर्शायी गई है।

चित्र 7.2
अधिकतम विद्युत मांग की आपूर्ति



7.7 विद्युत पारेषण प्रणाली में इनपुट : वर्ष 2011-12 से 2015-16 में मध्यप्रदेश की विद्युत वितरण प्रणाली में किये गये इनपुट का विवरण चित्र 7.3 में दर्शाया गया है ।

चित्र 7.3
विद्युत पारेषण प्रणाली में इनपुट




7.8 विद्युत पारेषण एवं वितरण व्यवस्था का सुदृढीकरण : मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पारेषण एवं वितरण के क्षेत्र में अधोसंरचना सुधार एवं सुदृढीकरण के कार्य हेतु विद्युत कम्पनियों के लिये धन की व्यवस्था भी की गई है तथा वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से विद्युत कंपनियों को ऋण प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर रही है । विगत वर्षों में विभिन्न वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण तथा राज्य शासन के बजट के माध्यम से उपलब्ध करायी गई वित्तीय सहायता के तहत विभिन्न अधोसंरचना के कार्य विद्युत कंपनियों द्वारा निष्पादित किये जा रहे हैं । परिणाम स्वरूप पारेषण नेटवर्क की क्षमता वर्ष 2002-03 के 3890 मेगावाट से बढ़कर मार्च 2016 में 14100 मेगावाट हुई है । यह वृद्धि लगभग 262 प्रतिशत है । उपपारेषण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण के विगत वर्षों में किये गये कार्यों के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2004 की तुलना वित्तीय वर्ष 2016 तक अधोसंरचना में वृद्धि हुई है। वर्ष 2003-04 में उपभोक्ता की संख्या 64.42 लाख थी जो बढ़कर मार्च 2016 में बढ़कर 122.7 लाख हो गई है ।

7.9 श्रेणीवार विद्युत का उपयोग : वर्ष 2015-16 में विद्युत उपयोग के अर्न्तगत सर्वाधिक विद्युत उपभोग 41.5 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में किया गया है । इसी अवधि में औद्योगिक उत्पादन

हेतु विद्युत उपभोग का प्रतिशत 26.6 रहा है। वर्ष 2011-12 से 2015-16 में विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत के श्रेणीवार उपयोग को चित्र 7.4 में दर्शाया गया है।

चित्र 7.4
विद्युत का उपयोग



7.10 ग्रामीण विद्युतीकरण : वर्तमान में माह जनवरी 2017 की स्थिति में प्रदेश में कुल 64 ग्राम अविद्युतिकृत हैं जिनमें से 42 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य परम्परागत रूप से लाईन विस्तार कर एवं 20 ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य गैर परम्परागत उर्जा स्रोतों से किया जाना है।

प्रदेश में विद्युतीकरण के लिये 10 वीं एवं 11 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में आर.ई.सी. लिमिटेड से प्रदेश के सभी जिलों हेतु 2745 करोड़ रुपये लागत की कुल 52 योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिनमें से 16 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। 12 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में रु. 1402.22 करोड़ लागत की 34 योजनाओं की स्वीकृति आर.ई.सी. लिमिटेड से प्राप्त हो चुकी है। इन सभी योजनाओं में सम्मिलित कार्य टर्न-की आधार पर कराये जाने हेतु आवार्ड जारी कर दिए

गए हैं, तथा कार्य प्रगति पर है। ``दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना`` के अंतर्गत दिनांक 30-07-2015 को प्रदेश के 51 जिलों हेतु रूपये 2865 करोड़ लागत की 50 योजनाओं की स्वीकृति आर.ई.सी. लिमिटेड से प्राप्त हुई है इन योजनाओं में सम्मिलित कार्य टर्न-की आधार पर कराए जाने हेतु निविदा कार्यवाही उपरान्त 16 योजनाओं हेतु अवार्ड जारी कर दिया गया है तथा शेष योजनाओं हेतु निविदा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

7.11 इनर्जी आडिट : वाणिज्यिक हानियों में कमी लाने के उद्देश्य से अधिक विद्युत हानि के क्षेत्रों की पहचान करने एवं अधिक हानियों पर जिम्मेदारी तय करने के लिए ई.एच.वी.,33 के.व्ही.एवं 11 के.व्ही. फीडर्स पर 100 प्रतिशत मीटरीकरण कर इनर्जी आडिट का कार्य किया जा रहा है। संभागीय स्तर तक निरन्तर इनर्जी आडिट का कार्य किया जा रहा है। डी.टी.आर. स्तर तक मीटरीकरण किया जा रहा है तथा तकनीकी व वाणिज्यिक हानियों को कम करने हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 2003-04 की तुलना में ट्रांसमिशन में हानियों को 6.12 प्रतिशत से कम कर वर्ष 2015-16 में 2.88 प्रतिशत लाया गया है।

7.12 राजस्व प्रबंधन : प्रदेश में विद्युत के क्षेत्र में राजस्व प्रबंधन सुधार हेतु विशेष कदम उठाए गए हैं। फलस्वरूप राजस्व प्राप्ति में विगत वर्षों में वृद्धि हुई है जिसका वर्षवार विवरण तालिका 7.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.4
राजस्व प्राप्ति

(राशि करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	कुल
2012-13	4580	4473	6230	15283
2013-14	6260	5011	7120	18391
2014-15	6695	5998	8219	20912
2015-16	7386	6808	9549	23743

7.13 उपभोक्ता सर्विस के सुधार हेतु कदम : विद्युत कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को गुणवत्ता पूर्ण सेवा सुनिश्चित करने हेतु नियामक आयोग द्वारा विद्युत सप्लाई कोड भी लागू किया गया है। उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत तीनों वितरण कंपनियों के अंतर्गत अलग-अलग उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम गठित किये गये हैं। विद्युत नियामक आयोग के अंतर्गत एक लोकपाल की नियुक्ति भी की गई ताकि उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की कार्यवाही से संतुष्ट नही होने की स्थिति में

लोकपाल के समक्ष अपील कर सकें। नवीन कनेक्शनों के लिये ऑनलाईन सेवा प्रारंभ की गई है तथा आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की संख्या न्यूनतम की गई है।

उपभोक्ताओं हेतु कल्याणकारी योजनाएं

7.14 कृषि पंपों का स्थायी कनेक्शन : किसानों को स्थाई पंप कनेक्शन देने हेतु अनुदान योजना 1 अप्रैल, 2011 से लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत लघु एवं सीमांत कृषक (2 हेक्टर से कम भूमि धारक) को 7000 रुपये एवं अन्य कृषकों को 11200 रुपये प्रति हार्सपावर की दर से राशि जमा करनी होती थी तथा 1.50 लाख रुपये की राशि का प्राकलन स्वीकृत करने की सीमा निर्धारित की गई है। इस योजना अन्तर्गत 1.18 लाख पम्पों को कनेक्शन प्रदान कर दिये गये तथा सितम्बर 2016 से मुख्यमंत्री स्थाई पम्प कनेक्शन लागू करते हुये कृषक अनुदान योजना को इस योजना में समाहित किया गया है जिसका उद्देश्य जून 2019 तक सभी अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शनों को स्थाई कनेक्शन में परिवर्तित करना है।

7.15 अटल ज्योति अभियान : राज्य शासन के संकल्प अनुसार ``अटल ज्योति अभियान`` अन्तर्गत दीर्घकालीन विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता एवं विकसित अधोसंरचना के आधार पर सम्पूर्ण प्रदेश में गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण 10 घंटे नियमित विद्युत प्रदाय माह जून, 2013 से प्रारंभ किया गया है।

अ. केन्द्र शासन द्वारा विद्युत क्षेत्र में दो नवीन योजनायें प्रारंभ की गई हैं:-

- एकीकृत उर्जा विकास योजना (आईपीडीएस)
- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाय)

ब. वर्ष 2016-17 में राज्य शासन द्वारा विद्युत क्षेत्र में तीन नवीन योजनायें प्रारंभ की गई हैं:-

- प्रदेश को अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन मुक्त बनाने हेतु स्थाई कृषि पम्प कनेक्शन योजना।
- स्मार्ट मीटर लगाने की योजना।
- वितरण ट्रान्सफार्मरों के फैल्योर रेट कम करने की योजना।

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा

7.16 उजाला योजना (एल.ई.डी वितरण) :- उर्जा संरक्षण एवं बिजली की बचत हेतु उजाला योजना के अन्तर्गत दिनांक 30 अप्रैल 2016 को माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश एवं माननीय केन्द्रीय उर्जा मंत्री के शुभारंभ उपरान्त 9 वाट क्षमता के एल.ई.डी. बल्व का वितरण प्रारंभ

किया गया। प्रदेश में दिसम्बर अन्त तक 1 करोड़ से अधिक एल.ई.डी. बल्ब का वितरण किया गया। राज्य में प्रति माह औसत 1250320 बल्ब का वितरण किया गया है। जिसमें हमारे राज्य की स्थिति द्वितीय स्थान पर है। 1 करोड़ एल.ई.डी. बल्ब के वितरण से सालाना 1825 मिलियन युनिट बिजली की बचत होगी व उपभोक्ताओं के बिल में सालाना रुपये 1095 करोड़ कमी आयोगी । इसके अतिरिक्त दिनांक 27 अक्टूबर 2016 से एल.ई.डी. ट्यूबलाइट व 5 स्टार रेटिंग पंखे का वितरण प्रारंभ किया गया है व दिसम्बर अन्त तक 55000 ट्यूबलाइट तथा 6500 पंखे वितरित किये गये हैं।

7.17 डी.डी.जी. कार्यक्रम (ऑफ ग्रिड) : डी.डी.जी कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानिय ग्रिड के माध्य से घर-घर एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियों हेतु विद्युत व्यवस्था की जाती है। वर्ष 2014-15 से उक्त कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। वर्ष 2014-15 से माह दिसम्बर 2016 तक 24 ग्रामों को सौर उर्जा से विद्युतीकृत किया गया है।

7.18 सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट (आफ ग्रिड) : प्रदेश के आदिवासी छात्रावासों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जेलों/शैक्षणिक संस्थाओं इत्यादि में निर्बाध रूप से विद्युत प्रदाय हेतु सोलर फोटोवोल्टिक पावर पैक की स्थापना की जाती है। वर्ष 2009-10 से माह दिसम्बर 2016 तक 5015.6 कि.वा. क्षमता के संयंत्र स्थापित किये गये हैं जिनमें मुख्यतः वन विभाग पुलिस विभाग की दूरस्थ ग्रामीण चौकियों/थानों पातालकोट क्षेत्र के ग्रामों एवं अन्य संस्थायें सम्मिलित हैं। नेट मीटरिंग पालिसी को कैबिनेट से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। तदनुसार विभिन्न संस्थागत एवं घरेलू परिसरों में सौर संयंत्र स्थापित किये जाने के लिये निविदा की प्रक्रिया जारी है। वर्ष 2016-17 में 100 मेगावाट क्षमता के संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य है।

7.19 सोलर फोटोवोल्टिक स्ट्रीट लाईट एवं होम लाईट (ऑफ ग्रिड) : प्रदेश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर फोटोवोल्टिक स्ट्रीट लाईट एवं होम लाईट के माध्य से प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2004-05 से माह दिसम्बर 2016 तक 17225 स्ट्रीट लाईट एवं 13225 होम लाईट संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं।

7.20 सौर पम्प कार्यक्रम (आफ ग्रिड) : प्रदेश के कृषकों एवं आम जन हेतु सिंचाई पेय जल व्यवस्था के लिये सोलर पम्प की स्थापना की जाती है । वर्ष 2013-14 से माह दिसम्बर 2016 तक 3082 सोलर पम्प स्थापित किये जा चुके हैं। प्रदेश के किसानों को अनुदानित दरों पर कृषि हेतु सोलर पम्प दिये जाने का कैबिनेट से अनुमोदन प्राप्त किया गया है । तदनुसार दरों के निर्धारण हेतु निविदा की प्रक्रिया जारी है। वर्ष 2016-17 में 3000 नग की स्थापना का लक्ष्य है।

7.21 सूर्यमित्र स्किल डेवलेपमेंट कार्यक्रम : आई.टी.आई / डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को सौर उर्जा से संबंधित स्थापना कमिश्निंग एवं संचालन रखरखाव हेतु राष्ट्रीय सौर उर्जा संस्थान (NISE) भारत सरकार द्वारा तीन माह का निशुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2015-16 से प्रारंभ किया गया है। अभी तक NISE से स्वीकृत 09 प्रशिक्षणों में से 08 संस्थानों में प्रशिक्षण पूर्ण किया जा चुका है शेष 01 में जारी है। इन प्रशिक्षित छात्र-छात्राओं प्रदेश में स्थापित/स्थापनाधीन सौर पावर प्लान्ट्स में रोजगार हेतु प्रयास किये जा रहा हैं व अब तक 53 प्रशिक्षित छात्र छात्राओं का प्लेसमेन्ट कराया गया है। वर्ष 2016-17 में NISE से स्वीकृत उपरान्त लगभग 1000 छात्र छात्राओं को सूर्यमित्र स्किल डेवलेपमेंट कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जा सकेगा।

7.22 विकासखण्ड स्तरिये अक्षय उर्जा शॉप : अक्षय उर्जा एवं उर्जा दक्ष उत्पादों के प्रचार प्रसार विपणन एवं संयंत्रों के रखा रखाव हेतु प्रदेश के विकासखण्डों व जिलों में निजि अक्षय उर्जा शॉप कार्यरत हैं। इस अक्षय उर्जा शॉप द्वारा मुख्य रूप से एल.ई.डी. बल्व एल.ई.डी. ट्यूबलाईट व 5 स्टार रेटिंग पंखे का वितरण भी किया जा रहा है।

7.23 बायोमास : कृषि अवशिष्टों से बायोमास आधारित केप्टिव/थर्मल/इलेक्ट्रीकल/कोजनरेशन/कम्बसचन तकनीक पर आधारित संयंत्र स्थापित किये जाते है। 2004-05 से दिसम्बर 2016 तक कुल 45.336 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित किये जा चुके हैं। जिसमें मुख्यतः बेकरी/इंडस्ट्रीज इत्यादि सम्मिलित हैं। राईस मिल्स क्षेत्रों व अन्य क्षेत्रों में बायोमास गैसिफिकेशन आधारित केप्टिव पावर जनरेशन प्लान्ट एवं बैकरिज एवं अन्य इंडस्ट्रीज में कैप्टिव थर्मल आधारित प्लांट स्थापित किये जाने के संबंध में प्रयास किये जा रहे हैं।

7.24 सेमीनार/ वर्कशॉप /प्रचार-प्रसार/प्रशिक्षण :

- निगम द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सेमीनार, वर्कशॉप एवं प्रशिक्षण आयोजित किये जाते है ।
- अक्षय उर्जा की योजनाओं / गतिविधियों व एल.ई.डी. बल्व व ट्यूबलाईट व 5 स्टार रेटिंग पंखे का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से जिलो में होर्डिंग मोबाइल मीडिया वैन / प्रचार-रथ, दैनिक समाचार पत्रों, नुक्कड नाटक कार्यक्रमों, वॉल पेटिंग, बस स्टॉप सेल्टर्स पर एवं रेलवे स्टेशन के ग्लोशाइन बोर्डों पर निगम की योजनाओं के विज्ञापन का डिस्प्ले विभिन्न जिलों में किया गया है ।

नवीन एवं नवकरणीय उर्जा मंत्रालय भारत सरकार से स्वीकृति विलंब से प्राप्त होने अथवा स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध कमी परिलक्षित है ।

परिवहन

प्रदेश में अधोसंरचनात्मक सुविधाओं की दृष्टि से यातायात मार्गों एवं परिवहन संसाधनों का विशेष महत्व है। आवागमन हेतु राज्य में सड़कों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्य में उपलब्ध खनिज, वनोपज, कृषि उपज उपभोक्ता वस्तुओं एवं जनसामान्य को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिये रेल एवं सड़क मार्गों का उपयोग होता है। प्रदेश में रेल मार्गों की लम्बाई की अपर्याप्तता के फलस्वरूप सड़क यातायात पर निर्भरता अपेक्षाकृत अधिक है।

7.25 राज्य की अर्थव्यवस्था में परिवहन क्षेत्र की भागीदारी स्पष्ट करना समीचीन होगा। वर्ष 2014 -15 (प्रा.) एवं 2015 -16 (त्व.) में सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित भावों पर इस क्षेत्र की क्रमशः 3.12 एवं 3.11 प्रतिशत अंश की भागीदारी रही है। स्थिर भावों पर (2011-12) राज्य घरेलू उत्पाद में परिवहन क्षेत्र की भागीदारी का अंश वर्ष 2014-15 व 2015-16 (त्व.) में क्रमशः 3.34 एवं 3.50 रहा। मध्य प्रदेश राज्य के सकल मूल्यवर्धन में वर्ष 2014-15 के प्रावधिक अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर रेल्वे का अंश 1.08 प्रतिशत रहा जबकि स्थिर भावों (2011-12) पर 1.18 प्रतिशत अंश है। वर्ष 2015-16 के त्वरित अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर रेल्वे का अंश 1.13 प्रतिशत तथा स्थिर भावों पर 1.23 प्रतिशत है। मध्य प्रदेश में सकल मूल्यवर्धन के अंतर्गत वर्ष 2014-15 के प्रावधिक अनुमानों के अनुसार प्रचलित भावों पर संचार क्षेत्र का अंश 1.97 प्रतिशत एवं वर्ष 2015-16 (त्व.) के अनुसार 2.14 प्रतिशत है जबकि स्थिर भावों (2011-12) पर वर्ष 2014-15 में 2.12 प्रतिशत एवं वर्ष 2015-16 (त्व.) में 2.42 प्रतिशत अंश परिलक्षित है। राज्य सकल मूल्यवर्धन में परिवहन का अंश का वर्षवार विवरण तालिका 7.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.5

सकल राज्य मूल्य वर्धन में परिवहन का अंश

अवधि	क्षेत्र					
	परिवहन (अन्य साधन)		रेल्वे		संचार	
	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2011-12) भावों पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2011-12) भावों पर	प्रचलित भावों पर	स्थिर (2011-12) भावों पर
2011-12	3.23	3.23	1.05	1.05	1.69	1.69
2012-13	3.10	3.17	1.19	1.29	1.65	1.69
2013-14	3.00	3.17	1.10	1.23	1.86	1.97
2014-15 (प्रा.)	3.12	3.34	1.08	1.18	1.97	2.12
2015-16 (त्व.)	3.11	3.50	1.13	1.23	2.14	2.42

(प्रा.) - प्रावधिक अनुमान (त्व.) - त्वरित अनुमान

पंजीकृत वाहन

7.26 परिवहन विभाग एक गैर-योजनेतर विभाग है, जिसका प्रमुख कार्य केन्द्रीय/राज्यीय मोटरयान अधिनियमों/नियमों 1988 मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत पंजीयन, नियमन नियंत्रण एवं शासन को शुल्क व कर के रूप में राजस्व संग्रहण उपलब्ध कराना है। वर्ष 2015-16 में परिवहन विभाग ने 2073.51 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है जो विभाग को दिये गये लक्ष्य 2200 करोड़ रुपये से 126.49 करोड़ रुपये कम है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह नवंबर तक 1279 करोड़ रुपये राजस्व अर्जन किया है।

7.27 प्रदेश में पंजीकृत वाहनों में निरंतर वृद्धि हो रही है जहां वर्ष 2015-16 में 12129 हजार वाहन पंजीकृत हुये एवं वर्ष 2016-17 के नवंबर तक 674 हजार वाहन पंजीकृत हुये है।

तालिका 7.6
पंजीकृत वाहनों की संख्या

(संख्या हजार में)

वर्ष	कार एवं जीप	टेक्सी केब/ श्रिंहीलर	यात्री वाहन	माल वाहन	मोटर-सायकिल/ स्कूटर, मोपेड आदि	अन्य ट्रेक्टर ट्राली सहित	कुल पंजीकृत वाहन
2011-12	424	103	146	217	6411	769	8070
2012-13	493	132	153	242	6887	815	8722
2013-14	611	151	156	263	7668	872	9721
2014-15	696	226	172	244	8831	972	11141
2015-16	784	243	176	267	9632	1027	12129

7.28 विभाग द्वारा कम्प्यूटरीकरण की दिशा में पहल करते हुये विभाग की www.mptransport.org के नाम से वेबसाईट तैयार की है, जिस पर आम जनता की सुविधा के लिए कई जानकारियां अपलोड की गई है जैसे मध्यप्रदेश परिवहन विभाग के संबंध में सामान्य जानकार मध्यप्रदेश परिवहन विभाग की कर/फीस संरचना, विभिन्न अपराध एवं उन पर लगाई जाने वाली शास्ति, आवेदन फार्म (डाउनलोड किये जा सकते है) प्रदेश की अधिकारियों की पारस्परिक यातायात करार एवं सांख्यिकी संबंधी जानकारियां। इसके साथ ही कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से निम्न सेवाएं एवं सुविधाएं भी जन साधारण को उपलब्ध कराई गई है।

7.29 परिवहन नीति 2010 : प्रदेश में बढ़ते हुए वाहनों के पंजीयन की स्थिति को देखते हुए परिवहन नीति तैयार की गई है। जिसकी सहायता से वाहनों के नियंत्रण एवं नियमन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन सेवा एवं अन्य जनोन्मुखी सेवाएं आम जनता को दी जा रही हैं।

परिवहन नीति 2010 की कार्य योजना : जनहितकारी सार्वजनिक परिवहन योजना के अंतर्गत सार्वजनिक परिवहन बसों को प्रोत्साहन, माल वाहनों पर प्रभावी नियंत्रण, प्रदेश के मार्गों का विकास एवं निर्माण तथा जानमाल की सुरक्षा बढ़ाने एवं दुर्घटनाएं कम करने के उपायों को सम्मिलित किया गया है। खुली परमिट व्यवस्था परमिट शर्तों का पालन कराया जाना सम्मिलित है। ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ करना। बस स्टेण्ड प्रबंध एवं नियमन की उचित प्रशासनिक व्यवस्थाएँ की जाना। इलेक्ट्रॉनिक तौल काँटे पी.पी.पी. मॉडल पर चैकिंग हेतु लगाये जाने एवं एकीकृत एवं इलेक्ट्रॉनिक जाँच चौकियों का निर्माण कराया जाना।

तैयार की गई कार्य योजना की प्रगति एवं अन्य लाभकारी योजनाओं की अद्यतन जानकारी :

- महिलाओं के कल्याण की दिशा में निःशुल्क ड्रायविंग लाइसेंस बनाने की योजना 28.12.2015 से प्रारंभ की गई है। महिलाओं/विकलांगों एवं निःशक्तजनों के लिये वाहनों में सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।
- चालक / परिचालकों के कल्याण हेतु चालक परिचालक कल्याण बोर्ड 2015 का गठन किया गया है जिसके तहत व्यावसायिक वाहनों के चालकों/परिचालकों का समग्र में पंजीयन कराया जाएगा। चालक /परिचालकों के कल्याण एवं उनके परिवार के सदस्यों को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जावेगा।
- वाहन स्वामियों की सुविधा हेतु करों (जग्मे) का युक्तियुक्तकरण किया गया है जिसके तहत निजी वाहन स्वामियों को जीवनकाल कर के भुगतान की सुविधा प्रदाय की गई है।
- स्कूल बसों को कर में छूट दी गई है। मात्र 1/- रुपये प्रतिसीट प्रतिमाह के मान से रियायती दर से कर निर्धारित किया गया है। जिससे शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी अपेक्षाकृत कम व्यय में वाहन सुविधा प्राप्त कर सकें। स्कूलबसों का किराया निर्धारण किये जाने से संबंधित समस्याओं हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किराया निर्धारण समिति का गठन किया गया है।
- बीओटी मॉडल के आधार पर 24 परिवहन जाँच चौकियों को कम्प्यूटराईज्ड करने की योजना है जिसमें अधिकांश चौकियों का आधुनिकीकरण कर दिया है।

- ग्रामीण जनता के परिवहन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन सेवा का शुभारंभ किया गया है जिसके तहत ग्रामीण जनता को रियायती दरों पर परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो सके । ग्रामीण परिवहन सेवा अन्तर्गत अनुज्ञाधारी से न्यूनतम दर 60/- प्रति तिमाही प्रति सीट के मान से मोटरयान कर लिया जा रहा है । सभी ग्रामीण क्षेत्रों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने की शुरुआत की है ।
- इन्दौर, भोपाल, उज्जैन, छिंदवाडा एवं जबलपुर में नॉन स्टॉप सेवा प्रारंभ की गई है ।
- वाहनों के प्रदूषण की जाँच हेतु “ **प्रदूषण जाँच केन्द्रों** ” को खोलने की प्रक्रिया की प्रक्रियाका सरलीकरण किया गया है ।
- वाहन दुर्घटनाओं को कम करने के लिये व्यावसायिक वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण अनिवार्य किया गया है । ट्रेक्टर / ट्रॉलियों में वाहनों के रिफ्लैक्टर लगाए जाने का कार्य प्रारंभ किया गया है जिसके तहत अभियान चलाकर 3 लाख से अधिक वाहनों में रिफ्लैकिंग टेप लगाये गये हैं ।
- बस स्टेण्डों के उन्नयन के लिये **मध्यप्रदेश इन्टरसिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी** का गठन किया गया है ।
- लोक सेवा गारन्टी योजना के तहत परिवहन विभाग की 11 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है ।
- इन्दौर एवं ग्वालियर शहर में वाहनों के नम्बर आवंटन की प्रक्रिया को सरलीकरण करते हुए वाहन पंजीयन डीलरों के माध्यम से प्रारंभ किया गया है । वाहनों मोटरयान अधिनियम 1980 में प्रावधानित निर्धारित समय में वाहनों के मार्ग पर चलने की दृष्टि से डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम ग्वालियर एवं इन्दौर में प्रारंभ किया जा चुका है । इस प्रणाली के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए शेष जिलों में भी लागे किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है ।
- शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई जिसके तहत 301 वाहन चालकों के चालान बनाए जाकर उनके लाइसेंस निलंबित किये गए ।
- वास्तविक कृषकों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले ट्रेक्टर अनुयान, हार्वेस्टर एवं कम्बाईन यानों को 3 वर्ष तक राज्य में पंजीयन कराए जाने पर उन्हें 6 प्रतिशत के स्थान पर एक प्रतिशत मोटरयान कर लिये जाने की योजना प्रारंभ की गई है ।
- केन्द्र शासन द्वारा पाण्डुरना जिला छिंदवाडा में ड्रायविंग ट्रेनिंग स्कूल फिटनेस सेंटर का निर्माण किया गया है । चालकों को उपयुक्त एवं बेहतर प्रशिक्षण देने की दृष्टि से भोपाल, जबलपुर एवं सागर में ड्रायविंग ट्रेनिंग स्कूल के निर्माण का प्रस्ताव केन्द्र शासन को भेजा जा रहा है ।

लोक निर्माण विभाग की सड़क

राज्य में रेल परिवहन के साथ-साथ सड़क परिवहन, माल तथा यात्री परिवहन के प्रमुख संसाधन हैं। प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के साथ-साथ प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत राज्य में विभिन्न श्रेणी के मार्गों की लंबाई की जानकारी निम्नानुसार है:-

तालिका 7.7

प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों की लम्बाई

(किलोमीटर)

वर्ष	राष्ट्रीय राजमार्ग	प्रान्तीय राजमार्ग	मुख्य जिला मार्ग	अन्य जिला / ग्रामीण मार्ग	कुल योग(कि.मी.)
2013-14 (जनवरी 14)	4709	10501	19574	24089	58873
2014-15 (जनवरी 15)	4771	10934	19429	26482	61616
2015-16 (जनवरी 16)	4771	10934	19429	26482	61616
2016-17 (जनवरी 17)	7806	11060	20412	24359	63637

7.30 राष्ट्रीय राजमार्ग : मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरने वाले 46 राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 7806 किलोमीटर है। जिसमें सर्वाधिक लंबाई 717 किलोमीटर आगरा-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग की है, वाराणसी- कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 511 किलोमीटर है यह दूसरा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो प्रदेश से गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य को देश के मुम्बई, आगरा, वाराणसी, कन्याकुमारी, जयपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, अहमदाबाद, रेनुकूट, ऊधमपुर, कोटा, बांदा, अजमेर, कानपुर, आदि महत्वपूर्ण नगरों से जोड़ते हैं।

7.31 उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम कॉरीडोर का निर्माण : उक्त योजना के तहत राष्ट्रीय राज्य मार्ग में पूर्व-पश्चिम कारीडोर के अन्तर्गत लगभग 511.00 किलोमीटर एवं उत्तर-दक्षिण कारीडोर के अन्तर्गत 111 किलोमीटर (कुल 622 किलोमीटर) का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली को हस्तांतरित किया जा चुका है एवं विशेष योजना के अन्तर्गत 300 किलोमीटर लम्बाई में निर्माण कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है।

7.32 प्रान्तीय राजमार्ग : प्रान्तीय राज्य मार्गों की लम्बाई वर्ष 2016-17 के माह जनवरी, तक 11060 किलोमीटर रही है ।

7.33 मुख्य जिला मार्ग : राज्य में वर्ष 2016-17 के जनवरी, तक कुल 20412 किलोमीटर है जिनका उन्नयन केन्द्रीय सड़क निधि एवं राज्य शासन की राशि से किया जा रहा है ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

प्रदेश के सभी गांव समृद्ध और आत्म निर्भर बनें इस उद्देश्य से “स्मार्ट गांव-स्मार्ट पंचायत की अवधारणा को लागू कर ग्रामीण अंचलों के समग्र विकास की नई रणनीति लागू की जा रही है । स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित होकर हजारों गांव तरक्की के नये रास्ते पर आगे बढे इसलिये गांवो के अधोसंरचना विकास के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक और वैयक्तिक विकास की दिशा में सुनियोजित प्रयास हो रहे है ।

प्रदेश के गांव समृद्ध स्वच्छ और सशक्त बन सकें, इसलिये विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के जरिये गांवो की तस्वीर बदलने और सामाजिक तथा आर्थिक विकास के सुनियोजित प्रयास हो रहे हैं। गांव में पक्की सड़कें, पीने के पानी का इंतजाम और बैंक सुविधाओं से लोगों के जीवन में नया बदलाव आया है । बडी तादाद में ग्राम में पंचायतों आंगनवाडियों और स्कूलों के भवन बन रहे है ।

प्रदेश के गांव इंटरनेट के जरिये दुनिया से जुड सकें इसलिये पंचायत भवनों में आधुनिक ई-पंचायत कक्ष बनाये जा रहे है । यहां कम्प्यूटर, प्रिंटर और टेलीविजन सुविधा भी मुहैया कराई गई है। ग्राम पंचायतों को सशक्त और अधिकार संपन्न बनाने के लिये पंचायत प्रतिनिधियों को गांव के विकास के व्यापक अधिकार दिये गये है ।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार एवं विकास हेतु दिसंबर 2000 से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत सामान्य विकासखण्ड क्षेत्र में 500 या इससे अधिक तथा आदिवासी विकासखण्ड क्षेत्र में 250 या इससे अधिक आबादी वाले संपर्क विहीन ग्रामों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने तथा अन्य जिला एवं ग्रामीण मार्गों का निर्माण एवं उन्नयन कार्य किया जाता है ।

बाक्स 7.2 मार्गों का चयन

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक जिले का एक मास्टर प्लान, कोर नेटवर्क तथा आबादी के घटते क्रम में प्राथमिकता सूची तैयार की गई है। उसी के अनुसार प्रत्येक वार्षिक योजना में लेने हेतु सड़कों का चयन किया जाता है। भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार संपर्कविहीन ग्रामों को जोड़ने हेतु केवल नये मार्गों का निर्माण किया जाता है, साथ ही भारत सरकार द्वारा दिशानिर्देशों में किये गये परिवर्तनानुसार पूर्व में निर्मित BT/WBM एवं ग्रेवल रोड जो खराब स्थिति में हैं का सुधार एवं उन्नयन का कार्य भी किया जाता है। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर नये दिशा निर्देशों के अनुसार CNCPL (Comprehensive New Connectivity Priority List), or CUPL (Comprehensive Upgradation Priority List) तैयार किये जाते हैं एवं इन्हीं के आधार पर मार्गों का प्राथमिकता सूची के अनुसार चयन किया जाता है।

योजनायें एवं उपलब्धियां :-

1. योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष माह नवम्बर 2016-17 में वार्षिक लक्ष्य 5000 कि.मी. सड़क निर्माण हेतु रुपये 1500 करोड के विरुद्ध माह दिसंबर 2016 तक 3225 किमी सड़क निर्माण कार्य करते हुये रुपये 1009 करोड राशि व्यय की गई। जो कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में दिसंबर 2015 तक किये गये लक्ष्य से लगभग 10 प्रतिशत अधिक है एवं इस वर्ष सड़क संधारण के कार्यों में वार्षिक लक्ष्य 4500 किमी के विरुद्ध 2460 किमी सड़क का पुनःडामरीकरण कराया जाकर रुपये 477 करोड व्यय किये गये।
2. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रारंभ से दिसंबर 2016 तक कुल 63614 किमी. लम्बाई की 15343 सड़कों तथा 131 बड़े पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए रुपये 17716 करोड का व्यय किया गया कार्य प्रगति पर है।
3. हरित क्रांति को बढ़ावा देने की दृष्टि से प्राधिकरण द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट (**Waste Plastic**) का उपयोग कर 830 किमी मार्गोंका निर्माण कराया गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह दिसंबर अंत तक प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रयोग कर लगभग 1000 किमी मार्गों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

7.34 मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना : सामान्य क्षेत्र में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र में 250 से कम आबादी के समस्त राजस्व ग्रामों को सिंगल कनेक्टिविटी द्वारा पुल-पुलियों सहित बारहमासी सड़क सम्पर्क (ग्रेवल सड़क उपलब्ध कराने हेतु मनरेगा, बीआजीएफ और राज्य मद के अभिसरण से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ वर्ष 2010-11 में किया गया

है। विश्व बैंक की सहायता से इस योजना अन्तर्गत 10000 किमी ग्रेवल मार्गों का डामरीकरण एवं 3000 किमी नवीन मार्ग का निर्माण किया जाना है जिसकी लागत 500 मिलियन USD होगी। प्रदेश में समस्त सम्पर्क विहीन ग्रामों को तीन चरणों में योजनान्तर्गत शामिल करने का प्रावधान है।

- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 9109 ग्रामों को जोड़ने हेतु 7575 सड़कें जिनकी लम्बाई 19386 किमी. एवं लागत साये 3634 करोड है जोडा जाना प्रस्तावित है। प्रगति कार्य प्रारंभ होने के उपरांत वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर योजना अन्तर्गत वर्तमान में पात्र पाए गए 6913 ग्रामों को 6489 सड़कें लम्बाई 14,931 किमी. के निर्माण कार्य सम्पन्न कराए जा रहे हैं।
- योजनान्तर्गत नवम्बर 2015 तक 6160 सड़कें लम्बाई 13.540 कि.मी. 22.974 पुल-पुलियों सहित पूर्ण की जाकर आवागमन सुगम कर दिया गया है जिससे 6500 ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोडकर लगभग 18.00.000 ग्रामवासियों को लाभन्वित किया जा चुका है। 329 सड़कें लम्बाई 1391 कि.मी. प्रगतिरत है, जिन्हें जून 2016 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। योजनान्तर्गत अधतन व्यय रूपये 2291 करोड है।
- विश्व बैंक परियोजना के तहत सी.एम.जी.एस.वाय के तहत प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष में क्रमशः 3000 कि.मी. 4500 कि.मी. एवं 5500 कि.मी. सड़कों का डामरीकरण किया जायेगा।

7.35 सुदूर ग्राम संपर्क एवं खेत सड़क योजना : मनरेगा अन्तर्गत क्रियान्वित इस योजना से 14541 कि.मी. लम्बाई के 20774 सड़कों के स्वीकृति के विरुद्ध 9581.78 कि.मी. लम्बाई के 13499 सड़कों के कार्य प्रगतिरत है। योजनान्तर्गत 314 सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है।

7.36 ग्रामीण आंतरिक मार्ग निर्माण (सी.सी.रोड) : पंच-परमेश्वर योजना से ग्रामों के आंतरिक सड़क (सीमेंट कांक्रीट मार्ग) का निर्माण किया गया है। प्रदेश के ग्रामों में अब तक 12244 कि.मी. सी.सी.रोड (नाली सहित) का निर्माण कराया गया है।

सिंचाई

7.37 कुल सिंचाई क्षमता : राज्य की अर्थ व्यवस्था कृषि प्रधान है जिसमें सिंचाई का विशेष महत्व है। राज्य की 10 प्रमुख नदियों में वार्षिक औसतन 81500 मिलियन घन मीटर (75 प्रतिशत निर्भरता) है जिसमें से लगभग 56800 मिलियन घनमीटर प्रदेश को आवंटित है। जो कुल उपलब्ध जल क्षेत्र का 69.7 प्रतिशत है।

7.38 सिंचित क्षेत्र एवं सिंचाई के स्रोत : वर्ष 2014-15 शुद्ध सिंचित क्षेत्र 9584 हजार हेक्टर था जो घटकर 2015-16 में 9284.5 हजार हेक्टर हो गया । इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में 3.12 प्रतिशत की कमी रही । वर्ष 2015-16 में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई का प्रतिशत 66.76 कुएं एवं नलकूप से है, उसके पश्चात नहरों/तालाबों से सिंचाई का प्रतिशत 20.95 तथा अन्य स्रोतों से शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 12.29 रहा । विभिन्न स्रोतों से सिंचित क्षेत्र का वर्षवार विवरण तालिका 7.8 में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.8
सिंचाई के स्रोत द्वारा कुल सिंचित क्षेत्रफल

(हजार हेक्टर में)

वर्ष	शासकीय नहरें	गैर शासकीय नहरें	तालाब	नलकूप/कुएँ	अन्य	शुद्ध सिंचित क्षेत्र	शुद्ध बोया गया क्षेत्र	कुल बोया गया क्षेत्र	शुद्ध बोये गये क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत
2011-12	1368.3	-	227.4	5475.7	1149.1	7880.1	15017	21755	52.47
2012-13	1440.38	0.1	226.8	5727.0	1156.0	8550.2	15455	23233	55.32
2013-14	1625.0	-	264.5	6217.6	1347.5	9454.6	15525	24150	60.9
2014-15	1646.3	-	273.1	6403.0	1261.6	9584.0	15454	23913	62.0
2015-16	1682.5	-	262.1	6198.8	1141.1	9284.5	15252	23817	60.9

7.39 शासकीय साधनों से निर्मित सिंचाई क्षमता एवं उपयोग : राज्य में शासकीय साधनों से अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित करने के निरन्तर सतत प्रयास किये जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2015-16 में 2750.39 हजार हेक्टेयर क्षेत्र सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया था जो वर्ष 2016-17 में माह जनवरी 2017 तक 2869.79 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया है।

राज्य में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से निर्मित सिंचाई क्षमता एवं उपयोग का वर्षवार विवरण तालिका 7.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 7.9
सिंचाई क्षमता एवं उपयोग

(हजार हेक्टर में)

वर्ष	वृहद एवं मध्यम सिंचाई क्षमता का उपयोग	लघु सिंचाई क्षमता का उपयोग	कुल योग सिंचाई क्षमता का उपयोग
2011-12	1219.00	416.00	1635.00
2012-13	1440.88	579.78	2020.66
2013-14	1569.00	761.00	2330.00
2014-15	1633.10	758.90	2392.00
2015-16	1968.71	781.68	2750.39
2016-17 (जनवरी 2017 तक)	1975.39	894.40	2869.79

टीप: शुद्ध सिंचित क्षेत्र में विभागीय स्रोतों से रबी एवं खरीफ के संयुक्त आंकड़े दिये गये हैं ।

राज्य में शासकीय साधनों से अतिरिक्त सिंचाई क्षमता निर्मित करने सतत प्रयास किये जा रहे हैं । जल संसाधन विभाग द्वारा वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2016-17 में अद्यतन लगभग 28.697 लाख हेक्टर सिंचाई क्षमता का उपयोग किया गया है।

7.40 फसलों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र : समस्त फसलों का सिंचित क्षेत्र वर्ष 2014-15 में 10300 हजार हेक्टेयर एवं वर्ष 2015-16 में 10029 हजार हेक्टेयर रहा । इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में समस्त फसलों के सिंचित क्षेत्रफल में 2.63 प्रतिशत की कमी रही । इस अवधि में धान, समस्त तिलहन गन्ना, कपास, मसाले तथा फल एवं सब्जियों के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र में क्रमशः 2.41 3.56 7.44 0.60 14.63 एवं 16.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा गेहूं समस्त दलहन एवं अन्य के सिंचित क्षेत्र में क्रमशः 4.84 एवं 5.92 प्रतिशत की कमी आंकी गई है । प्रमुख फसलों के अंतर्गत कुल सिंचित क्षेत्र का वर्षवार विवरण तालिका 7.10 में दर्शाया गया है ।

तालिका 7.10
प्रमुख फसलों के अंतर्गत कुल सिंचित क्षेत्र

(हजार हेक्टेयर में)

वर्ष	धान	गेहूँ	समस्त दलहन	समस्त तिलहन	गन्ना	कपास	मसाले	फल एवं सब्जियां	अन्य	कुल योग
2011-12	367	4685	1671	345	90	307	321	299	143	8228
2012-13	466	5086	1805	414	87	318	315	315	160	8966
2013-14	557	5638	2054	428	102	325	328	330	157	9919
2014-15	704	5934	1910	393	121	333	369	341	195	10300
2015-16	721	5647	1797	407	130	335	423	396	173	10029

कमाण्ड क्षेत्र (विकास) :-

7.41 कमाण्ड क्षेत्र (विकास) कार्यक्रम एवं सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी : राज्य में बेहतर भूमि, जल प्रबंधन तथा वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के अधीन सैच्य क्षेत्रों में अधिकतम सिंचाई क्षमता का विकास एवं उपयोग कर, कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य शासन के संकल्प दिनांक 09 सितम्बर 1974 के अनुसार प्रदेश में कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है ।

प्रारम्भ में इसका नियंत्रण सामान्य प्रशासन विभाग तथा कृषि विभाग के पास रहा । इन कार्यक्रम को और अधिक गति प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा 23 सितम्बर 1980 को स्वतंत्र रूप से आयाकट विभाग का, कृषि उत्पादन आयुक्त के अंतर्गत गठन किया गया । इसके उपरांत सात अन्य प्राधिकरण बारना, बरगी (रानी अवंती बाई लोधी सागर), वैनगंगा, ग्वालियर, बाण सागर, हसदेव, महानदी, का गठन किया गया एवं समन्वय स्थापित करने हेतु राज्य स्तरीय आयाकट प्रकोष्ठ का गठन किया गया ।

मंत्री परिषद के निर्णय दिनांक 2 दिसम्बर 1999 के पालन में राज्य शासन द्वारा दिनांक जनवरी 2002 द्वारा आयाकट विभाग को समाप्त कर इसका संविलियन जल संसाधन विभाग में किया गया विभाग के आदेश दिनांक 16-12-2003 द्वारा आयाकट विकास प्राधिकरणों को प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में रखा गया है ।

मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक 22-08-2007 के माध्यम से कमाण्ड क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिए राज्य स्तरीय आयाकट प्रकोष्ठ भोपाल को पुनर्विनियोजित कर कमाण्ड क्षेत्र विकास संचालनालय जल संसाधन विकास भोपाल बनाया गया ।

विभाग द्वारा 12 अक्टूबर 2012 में संचालक कमाण्ड क्षेत्र विकास का पद पुनर्विनियोजित कर आयुक्त, कमाण्ड क्षेत्र विकास का पद सृजित किया गया। जिसके (प्रमुख अभियंता स्तर) अधीन आठ कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन प्रकोष्ठ भोपाल, ग्वालियर, सिवनी, जबलपुर, रीवा, सागर, इन्दौर, एवं दतिया कार्यरत हैं ।

मध्यप्रदेश राज्य सिंचाई परियोजना के कमांड क्षेत्र विकास के उद्देश्य से कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम क्रियान्वयन किया जा रहा है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान में 8 कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन प्रकोष्ठ कार्यरत हैं, जिसमें 23 परियोजनाये क्रमशः कोलार, कुंवर चैन सागर, रेहटी, सगड, बघरू, संजय सागर (बाह), थावंर, पेंच, बिलगांव, महुअर,सिंध फेस 2, सिंहपुर, महान, कछाल, हरसी, बैनगंगा, बाघ, रानी अवंतीबाई लोधी सागर, राजघाट नहर परियोजना, बरियारपुर एवं बाणसागर माही एवं गुरमा नाला परियोजनाये शामिल हैं । इन परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 1037765 हेक्टर क्षेत्र के विरुद्ध मार्च, 2016 तक 431218 हेक्टेयर क्षेत्र में फील्ड चैनल निर्माण कार्य किया गया है । प्रदेश में कमांड क्षेत्र विकास की गतिविधियों हेतु सिंचाई परियोजनाओं में कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2047 जल उपभोक्ता संस्थाओं का गठन किया गया है । वर्तमान में कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत 580 जल उपभोक्ता संस्थाओं द्वारा भागीदारी सुनिश्चित की गई है । भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं में वर्ष 2016-17 में रू0 61.53 करोड केन्द्राश राशि प्राप्त हुई है ।

कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित गतिविधियों के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु 126300 हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 95193 हेक्टेयर कार्य संपादित कराया गया है एवं 350.00 करोड के बजट प्रावधान के विरुद्ध नवम्बर 2016 तक 244.07 करोड व्यय किया गया है ।

एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन

7.42 एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम प्रदेश में वर्ष 2009-10 से एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के तहत जलग्रहण विकास कार्य कार्यान्वित किये जा रहे हैं । यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें भारत सरकार द्वारा 90% केन्द्राश तथा राज्य सरकार द्वारा 10% राज्यांश निर्धारित है ।

- वित्त वर्ष 2015-16 से भारत सरकार द्वारा नवीन घोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम को समाहित कर इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - वाटरशेड विकास नाम दिया गया है तथा भारत सरकार का अंशदान 60% तथा राज्य सरकार का अंशदान 40% कर दिया गया है। अद्यतन स्थिति में प्रदेश में कुल राशि 3357.41 करोड़ लागत से 27.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 454 परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं।
- योजना का उद्देश्य जल संरक्षण एवं जल संवर्द्धन कार्यकलापों का कार्यान्वयन कर वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र में सिंचाई स्रोत निर्मित करना है। साथ-साथ ग्रामीण आबादी को आजीविका के लिए उनके क्षेत्रों में ही आजीविका के लिए तैयार करना है, ताकि ग्रामीण आबादी की कृषि पर निर्भरता कम की जा सके।
- दिनांक 01-04-2015 को प्रारंभिक शेष राशि रु. 204.75 करोड़ सहित केन्द्रांश राशि रु. 150.00 करोड़ राज्यांश राशि रु. 104.44 करोड़ एवं अन्य प्राप्ति राशि रु. 9.36 सहित कुल राशि रु. 468.59 करोड़ उपलब्ध हुई जिसके विरुद्ध राशि रु. 314.24 करोड़ व्यय की जाकर वित्तीय वर्ष 2015-16 में 67% प्रगति अर्जित की गई।
- योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में परियोजना में 5595 जलसंग्रहण संरचनाओं का निर्माण कराया गया है। परिणामतः 20319 हेक्टेयर भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है एवं 12747.151 हेक्टेयर पडत भूमि को कृषि / उद्यानिकी भूमि के रूप में विकसित किया गया है एवं उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाया गया है। परिणामस्वरूप परियोजना क्षेत्र की कृषि उत्पादकता में 25 से 30% की वृद्धि अर्जित की गई है। कुल 58916 ग्रामीण निर्धन परिवारों को आय अर्जन गतिविधियों से जोड़ा गया है।
- दिनांक 01-04-2016 को प्रारंभिक शेष राशि रु. 152.16 करोड़ सहित केन्द्रांश राशि रु. 89.27 करोड़ राज्यांश राशि रु. 59.51 करोड़ एवं अन्य प्राप्ति राशि रु. 3.09 सहित कुल राशि रु. 304.03 करोड़ उपलब्ध हुई जिसके विरुद्ध राशि रु. 300.32 करोड़ व्यय की जाकर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 99% प्रगति अर्जित की गई।
- योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में परियोजना में 5134 जलसंग्रहण संरचनाओं का निर्माण कराया गया है। परिणामतः 27252 हेक्टेयर भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है एवं 121 हेक्टेयर पडत भूमि को कृषि / उद्यानिकी भूमि के रूप में विकसित किया गया है एवं उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाया गया है। परिणामस्वरूप परियोजना क्षेत्र की कृषि उत्पादकता में 25 से 30% की वृद्धि अर्जित की गई है। परियोजना क्षेत्र में 2165 नवीन स्वसहायता समूह गठित किये गये एवं कुल 37448 ग्रामीण निर्धन परिवारों को आय अर्जन गतिविधियों से जोड़ा गया है।
- वर्ष 2015-16 से नवीन योजना **नीरांचल** प्रारंभ की गई है। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में संचालित वाटरशेड परियोजनाओं में तकनीकी गुणवत्ता को सुदृढ़ करना है।

सामाजिक क्षेत्र

शिक्षा

पिछले एक दशक में राज्य में साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार प्रदेश की साक्षरता दर 70.6 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत 74.04 से कम है। उपरोक्त साक्षरता दर के उपरांत भी लगभग 40 प्रतिशत महिलायें निरक्षर हैं। राज्य में साक्षरता दर में वृद्धि हेतु सघन प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रारंभिक शिक्षा

8.1 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 : प्रदेश में 01 अप्रैल, 2010 से यह योजना प्रभावशाली है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में मार्च, 2011 को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 जारी किये गये हैं। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप समस्त अपेक्षित कार्यवाहियां राज्य शासन ने पूर्ण की है।

प्रारंभिक शिक्षा के मौलिक अधिकार के क्रियान्वयन के लिये बनाया गया निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों का क्रियान्वयन सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2016-17 के लिये स्वीकृत 5223.28 करोड़ की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत हुई है। राज्य शिक्षा केन्द्र से संबंधित योजनाओं की वर्ष 2016-17 की वित्तीय उपलब्धि (दिसम्बर 2016 की स्थिति में) का विवरण तालिका 8.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 8.1
राज्य शिक्षा केन्द्र की योजनाएँ

घटक	स्वीकृत राशि	व्यय राशि (करोड़ रुपये में)
सर्व शिक्षा अभियान	5104.15	2292.85
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय	119.14	60.80
योग	5223.28	2353.65

8.2 सर्व शिक्षा अभियान : प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु सर्व शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त जिलों में किया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना है। प्रारंभिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के अन्तर्गत बिन्दुओं को **बाक्स 8.1** में दर्शाया गया है।

बाक्स 8.1

प्राथमिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण

- प्रत्येक बसाहट के निर्धारित पडोस की सीमा के भीतर अर्थात एक किलोमीटर की परिधि में न्यूनतम 40 बच्चे उपलब्ध होने पर प्राथमिक शिक्षा की सुविधा तथा तीन किलोमीटर की परिधि में 5 वीं पास के न्यूनतम 12 बच्चे उपलब्ध होने पर, माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना।
- 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को शाला में दर्ज कराना।
- शालाओं में दर्ज बच्चों की नियमितता सुनिश्चित करना।
- सभी बच्चों की शालाओं में निरंतरता।
- शाला त्यागी दर कम करना।
- सभी बच्चे आठ वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करें।
- शिक्षा के गुणात्मक स्तर में वृद्धि पर विशेष बल देना।
- बालक-बालिकाओं के बीच भेदभाव तथा सामाजिक असमानताओं को प्रारंभिक की शिक्षा के स्तर से दूर करना।
- सभी बच्चे आठ वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करें।

8.3 शालायें : राज्य में शासकीय प्राथमिक शालायें 83890 एवं शासकीय माध्यमिक शालायें 30341 हैं।

8.4 नामांकन : राज्य में वर्ष 2014-15 में प्राथमिक शालाओं में कुल नामांकन 86.62 लाख था। जो कि वर्ष 2015-16 में घटकर 80.94 हो गया। माध्यमिक शालाओं में कुल नामांकन वर्ष 2014-15 में 48.14 लाख था जो वर्ष 2015-16 में घटकर 46.86 लाख हो गया। प्रदेश की शासकीय तथा निजी शिक्षण संस्थाओं में कुल नामांकन की स्थिति **तालिका**

8.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 8.2
प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शालाओं में नामांकन

(संख्या लाख में)

स्तर	वर्ष 2014-15			वर्ष 2015-16		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
प्राथमिक (कक्षा 1 से 5)	45.56	41.07	86.62	42.66	38.28	80.94
माध्यमिक (कक्षा 6 से 8)	24.65	23.49	48.14	24.25	22.61	46.86
प्रारम्भिक (कक्षा 1 से 8)	70.20	64.56	134.76	66.91	60.89	127.80

प्रदेश में बालिका शिक्षा की ओर किये जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर बालक एवं बालिकाओं के शुद्ध नामांकन अनुपात लगभग समान हो गया है। अनुसूचित जाति के बच्चों का शुद्ध नामांकन अनुपात भी अन्य वर्गों के शुद्ध नामांकन अनुपात के लगभग समान हो चुका है। अनुसूचित जनजाति के बच्चों का शुद्ध नामांकन अनुपात अन्य वर्गों की तुलना में कम है, इस दिशा में अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। शुद्ध नामांकन अनुपात का विवरण तालिका 8.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 8.3
प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शुद्ध नामांकन अनुपात 2015-16 (N.E.R.)

वर्ग	प्राथमिक स्तर			माध्यमिक स्तर		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
अनुसूचित जाति	99.68	99.57	99.63	99.68	99.28	99.26
अनुसूचित जनजाति	98.83	98.94	98.88	98.83	99.04	99.08
अन्य	99.79	99.80	99.79	99.79	99.91	99.88
योग	99.52	99.53	99.52	99.52	99.58	99.57

8.5 शाला त्याग दर : विभिन्न कारणों से छात्र/छात्रायें अपनी शिक्षा बीच में छोड़कर शाला त्याग देते हैं, गत वर्ष से प्रदेश में राज्य शासन के अथक प्रयासों से शाला छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है। राज्य में वर्ष 2014-15 में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों की शाला त्यागी दर 9.0 प्रतिशत एवं छात्राओं की शाला त्यागी दर 9.2 प्रतिशत है। जबकि वर्ष 2015-16 में कक्षा 1 से 5 तक कक्षा की शाला त्यागी दर छात्रों की 6.2 प्रतिशत एवं छात्राओं की 6.1 प्रतिशत थी। राज्य में वर्ष 2014-15 में कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों की शाला त्यागी दर 9.0 प्रतिशत एवं छात्राओं की शाला त्यागी दर 12.6 प्रतिशत है। जबकि वर्ष 2015-16 में 6 से 8 तक कक्षा की शाला त्यागी दर छात्रों की 8.2 प्रतिशत एवं छात्राओं

की 11.0 प्रतिशत थी । विभिन्न स्तर की शालाओं में शाला त्यागी दर तालिका 8.4 में दर्शाया गया है ।

तालिका 8.4
शाला त्याग दर

स्तर	2014-15			2015-16		
	छात्र	छात्राएँ	योग	छात्र	छात्राएँ	योग
प्राथमिक (कक्षा 1 से 5)	9.0	9.2	91	6.2	6.1	6.1
माध्यमिक (कक्षा 6 से 8)	9.0	12.6	10.8	8.2	11.0	9.6

8.6 निःशुल्क पाठ्य पुस्तके एवं गणवेश वितरण : शासकीय विद्यालयों पंजीकृत मदरसो एवं संस्कृत शालाओं में कक्षा 1 से 8 तक शासकीय विद्यालयों, पंजीकृत मदरसों एवं संस्कृत शालाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई । समस्त बच्चों को दो जोड़ी गणवेश हेतु 400 रुपये के मान से अकाउंट पेयी बैंक के माध्यम से वितरण किया गया ।

8.7 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय : अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की छोटी-छोटी बसाहटों की बालिकाओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा को पूर्ण करने के लिये 207 आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है । इनमें प्रतिवर्ष लगभग 28800 हजार बालिकाएं लाभान्वित हो गई । इसके अलावा 324 बालिका छात्रावास स्थापित किये गये जिनमें प्रतिवर्ष 23 हजार बालिकाएं लाभान्वित हो रही है । इसके अतिरिक्त प्रदेश में शहरी क्षेत्रों के बेघर अनाथ बच्चों के 15 नए 100 सीटर आवासीय छात्रावास स्वीकृत किये गये हैं । इनमें प्रतिवर्ष शहरी क्षेत्रों के लगभग 1500 बेघर, अनाथ एवं शाला से बाहर बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं ।

8.8 निःशुल्क सायकिल वितरण : प्रदेश में कक्षा पांचवीं पास करके छठवीं में दूसरे ग्राम में अध्ययन हेतु जाने वाली बालक/बालिकाओं को निःशुल्क सायकिल हेतु 2300 रुपये प्रति सायकिल का प्रावधान है । वर्ष 2015-16 में 2.39 लाख से अधिक बालक एवं बालिकाओं को सायकिल वितरित की गई है, जिनमें से 37 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं 17 प्रतिशत अनुसूचित जाति के बच्चों को लाभान्वित हुए । वर्ष 2016-17 में बच्चों को सायकिल क्रय करके प्रदान की जा रही है ।

8.9 सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति वितरण : शासकीय शालाओं की कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत सामान्य निर्धन वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है ।

8.10 विकलांग बच्चों के लिये विशेष प्रयास : विकलांग बच्चों के लिये 58 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक उपकरण प्रदाय किये जा रहे हैं। निःशक्त बच्चों के लिये कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकें ब्रेल लिपि में भी विकसित की गई है।

8.11 स्कूल चले हम : प्रतिवर्ष बच्चों को स्कूल तक लाने के लिये "स्कूल चले हम" अभियान संचालित है। "स्कूल चले हम अभियान" चार चरणों में संचालित किया जा रहा है। प्रथम चरण में ग्राम शिक्षा पंजी को अद्यतन करना, द्वितीय चरण में नामांकन अभियान चलाया गया, तृतीय एवं चतुर्थ चरण में शिक्षा की गुणात्मता पर केन्द्रित है। इस वर्ष स्कूल चले हम अभियान को जन आंदोलन के रूप में संचालित किया जा रहा है तथा यह वर्ष गुणवत्ता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस हेतु मोटिवेटर (प्रेरक) की व्यवस्था की गई है। जो 39 हजारसे अधिक मोटिवेटर (प्रेरक) पंजीकृत हुए हैं। अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों की पहचान कर उन्हें उनकी आयु के अनुरूप कक्षा के शालाओं में दर्ज कराने के साथ-साथ उनकी नियमित उपस्थिति एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा भी सुनिश्चित करना है। सर्वेक्षण के दौरान ही चिन्हित किये गये शाला से बाहर बच्चे जो अपनी आयु के अनुरूप कक्षा की दक्षतायें नहीं रखते, उनके लिए आवासीय/ गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

अभियान को व्यापक जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से जन प्रतिनिधियों, अशासकीय संस्थाओं, शिक्षाविदों को जोड़ा गया है, ताकि यह अभियान अपने उद्देश्यों को सार्थक कर सके।

8.12 गुणवत्ता सुधार योजना : राज्य के प्रत्येक जिलों द्वारा आवश्यकताओं और भौतिक परिस्थितियों को देखते हुए जिले के अकादमी गुणवत्ता सुधार योजना कार्यक्रम चलाया गया है। 3099 संकुलों में संयुक्त स्तर पर 4 प्राथमिक एवं 4 मिडिल शालाओं को उन्नत शाला के रूप में विकसित करने का कार्यक्रम चलाया गया है। शिक्षा की गुणवत्ता को केन्द्र बिंदु में रखते हुए शैक्षणिक उपलब्धियों एवं शालेय व्यवस्थाओं के सही मूल्यांकन हेतु प्रतिभा पर्व कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करने एवं पढ़ना उनकी आदत में शामिल हो हेतु प्रयास करने, भाषा की दक्षताओं के विकास के उद्देश्य से प्रदेश में कहानी उत्सव तथा मिल बांचे मध्यप्रदेश कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश के बच्चे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता/परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें इस उद्देश्य से प्रदेश में कुछ विषयों में एन.सी.ई.आर.टी. पुस्तकें लागू करने का निर्णय लिया गया है।

8.13 शिक्षा का अधिकार : निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 01 अप्रैल 2010 से लागू हो चुका है। इसके क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में 26 मार्च 2011 को

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 जारी किए गए हैं । अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप समस्त अपेक्षित कार्यवाहियां राज्य शासन ने पूर्ण की हैं । निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्राइवेट स्कूल की प्रदेशित कक्षा में वांछित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटे आरक्षित की जाकर अब तक 8 लाख से अधिक बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया है ।

8.14 स्वच्छ विद्यालय अभियान : स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत प्रदेश में प्रत्येक प्राथमिक, माध्यमिक, हाई एवं हायरसेकेण्डरी विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है । प्रदेश में 6 माह की अवधिमें विभिन्न स्रोतों से राशि की व्यवस्था कर लगभग 58 हजार से अधिक शौचालय यूनिट बनवाए गए हैं, जबकि भारत सरकार में प्रदेश के लिये 35 हजार शौचालय यूनिट बनाने का लक्ष्य दिया था । इस संबंध में मध्यप्रदेश की उपलब्धियों को भारत सरकार द्वारा भी सराहना प्राप्त हुई है ।

8.15 विशेष प्रयास :

- वेब पर शिक्षा विभाग का एजुकेशनल पोर्टल <http://www.educationportal.mp.gov.in> प्रारंभ कर जन सामान्य हेतु सुलभ किया गया तथा स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े मुद्दों तथा शालाओं, शिक्षकों, बच्चों के नामांकन, शाला से बाहर बच्चों एवं उनके फॉलोअप, गणवेश एवं साइकिल वितरण, निर्माण कार्य, बच्चों की उपलब्धि स्तर की जानकारी हेतु एक ऑन लाईन पोर्टल तैयार किया गया है ।
- विद्यालयों के विकास के लिये विद्यालय उपहार योजना लागू की गई है । योजना का उद्देश्य विद्यालयों को वस्तुरूप सहायता उपलब्ध कराना था विद्यालयों को अद्योसंरचनात्मक एवं अकादमिक विकास करना है । पोर्टल पर विद्यालय अपनी शाला की प्रमुख आवश्यकताओं को चिन्हित कर प्राथमिकता के क्रम में सूचीबद्ध करेंगे । कोई भी व्यक्ति समूह कंपनी, ट्रस्ट या दानदाता अपनी इच्छा अनुसार विद्यालयों को शुद्ध पेय जल व्यवस्था, पर्खें, सौर उर्जा उपकरण, शिक्षण सहायक सामग्री, कम्प्युटर, प्रयोगशालाओं के उपकरण, फर्नीचर, खेल सामग्री, ब्राउंड्री, फैंसिक आदि वस्तुरूप उपहार दे सके ।
- राज्य द्वारा प्रदेश की समस्त शालाओं (प्राथमिक, मिडिल, हाई, हायर सेकेण्डरी) की जी.आई.एस. मैपिंग की जा रही है । प्रदेश के 51 जिलों में 1.21 लाख शालाओं की मैपिंग का कार्य पूर्ण ।
- **नॉलेज हब पोर्टल :** शिक्षकों तथा छात्रों के लिए नॉलेज शेयरिंग नेटवर्क प्रारम्भ किया जा रहा है । नॉलेज हब पोर्टल के उद्देश्य- शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के

लिए ज्ञान स्रोत उपलब्ध कराना, विचार-विमर्श (विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए उनके उत्तर) अन्य उपयोगी साइट्स की लिंक ।

माध्यमिक शिक्षा

8.16 वर्ष 2016-17 में निःशुल्क सायकिल वितरण : निःशुल्क सायकिल योजनान्तर्गत कक्षा 9 वी में शासकीय विद्यालयों में क्षेत्र के समस्त प्रवर्ग के छात्र-छात्राओं को जिनके ग्राम में शासकीय हाई स्कूल नहीं है । जो शहर के शासकीय स्कूल में आनलाईन पात्र पाये गये छात्र-छात्राओं को वर्ष 2016-17 लघु उद्योग निगम के माध्यम से सायकिल क्रय कर प्रदान की जा रही है । कक्षा 9वी की लगभग 4.16 लाख छात्र-छात्राएं इस योजना से लाभांवित होंगे । 9 से 12 तक की शिक्षा को बढ़ावा देने की दृष्टि से हाई स्कूलों एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों की संख्या तथा शालाओं के उन्नयन की तरफ राज्य शासन द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है 16.02.2017 स्थिति में राज्य में 7779 हाई स्कूल एवं 8424 हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित हैं ।

तालिका 8.5

शालाओं की संख्या की स्थिति (वर्ष 2016-17)

(यूडाईस के आधार पर)

स्तर	कुल शालाओं में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित शालाएं	प्रदेश में संचालित कुल शालाएं
हाईस्कूल	3600	7797
हायरसेकेण्डरी स्कूल	2934	8424
योग	6534	16221

दिनांक 16.01.2017 की अद्यतन स्थिति जो परिवर्तनीय है ।

तालिका 8.6

कुल नामांकन की स्थिति (वर्ष 2016-17)

(संख्या लाख में)

स्तर	वर्ष 2016-17			छात्राओं का प्रतिशत
	छात्र	छात्राएं	योग	
हाईस्कूल (कक्षा 9 से 10)	13.75	11.86	25.61	46.31 प्रतिशत
हायरसेकेण्डरी स्कूल (कक्षा 11 से 12)	7.25	6.13	12.38	44.81 प्रतिशत
योग (कक्षा 9 से 12)	21.00	17.99	38.99	46.14 प्रतिशत

दिनांक 16.01.2017 की अद्यतन स्थिति जो परिवर्तनीय है ।

तालिका 8.7
कुल नामांकन में अनुसूचित जाति के
छात्र-छात्राओं के नामांकन की स्थिति

(संख्या लाख में)

स्तर	वर्ष 2016-17			छात्राओं का प्रतिशत
	छात्र	छात्राएं	योग	
हाईस्कूल (कक्षा 9 से 10)	2.43	2.02	4.45	45.39 प्रतिशत
हायरसेकेण्डरी स्कूल (कक्षा 11 से 12)	1.12	0.87	1.99	43.72 प्रतिशत
योग (कक्षा 9 से 12)	3.55	2.89	6.44	44.88 प्रतिशत

दिनांक 16.01.2017 की अद्यतन स्थिति जो परिवर्तनीय है ।

तालिका 8.8
कुल नामांकन में अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं के नामांकन की स्थिति
(वर्ष 2016-17)

(संख्या लाख में)

स्तर	वर्ष 2016-17			छात्राओं का प्रतिशत
	छात्र	छात्राएं	योग	
हाईस्कूल (कक्षा 9 से 10)	2.39	2.37	4.66	49.23 प्रतिशत
हायरसेकेण्डरी स्कूल (कक्षा 11 से 12)	0.89	0.85	1.74	48.48 प्रतिशत
योग (कक्षा 9 से 12)	3.28	3.11	6.40	48.75 प्रतिशत

दिनांक 16.01.2017 की अद्यतन स्थिति जो परिवर्तनीय है ।

तालिका 8.9
समस्त शासकीय शालाओं में शिक्षकों की संख्या की स्थिति
(वर्ष 2016-17)

स्तर	वर्ष 2016-17			महिलाओं का प्रतिशत
	पुरुष	महिला	योग	
हाईस्कूल (कक्षा 9 से 10)	31865	16799	48664	34.52 प्रतिशत
हायरसेकेण्डरी स्कूल (कक्षा 11 से 12)	6402	3506	9908	35.39 प्रतिशत
योग (कक्षा 9 से 12)	38267	20305	58572	34.67 प्रतिशत

दिनांक 16.01.2017 की अद्यतन स्थिति जो परिवर्तनीय है ।

8.17 उत्कृष्ट विद्यालय : शासकीय स्कूलों में माध्यमिक स्तर की गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालयों एवं विकास खंड के मुख्यालयों पर एक शासकीय उ.मा.वि. को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है। वर्तमान में 41 जिला मुख्यालयों एवं 194 विकास खंड मुख्यालयों पर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। वर्तमान में जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में 59342 विद्यार्थियों को लाभांशित किया गया है। जबकि विकास खण्ड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 10 एवं 12 वीं का परीक्षा परिणाम लगभग 91.00 प्रतिशत एवं 94.30 प्रतिशत रहा है।

8.18 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण : शासकीय हाई स्कूल/हायर सेकेण्ड्री स्कूल में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति/जनजाति एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले छात्र/छात्राओं को तथा सभी वर्गों की छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना संचालित है। वर्ष 2016-17 हेतु बजट शीर्ष में क्रमशः माँग संख्या 40 में राशि रु. 44,00,000 माँग संख्या 41 राशि रु. 11 करोड़ 70 लाख माँग संख्या 64 में राशि रु. 16 करोड़ 20 लाख इस प्रकारकुल राशि रु. 72 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जिसके विरुद्ध समस्त वर्ग के लगभग 23.35 लाख छात्र-छात्राओं को लाभांशित किया गया है। वर्ष 2017-18 में लगभग 25.50 छात्र-छात्राओं को लाभांशित करने का लक्ष्य रखा गया है। सत्र 2017-18 से एन.सी.ई.आर.टी. के पाठ्यक्रक की पुस्तकों की कक्षा 9वीं में गणित, विज्ञान एवं कक्षा 11वीं में गणित विज्ञान एवं कॉमर्स संकाय की पाठ्य पुस्तकों को शामिल किया जा रहा है।

8.19 वर्ष 2016-17 में निःशुल्क सायकिल प्रदाय योजना : निःशुल्क सायकिल योजनान्तर्गत कक्षा 9 वीं में शासकीय विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले ग्रामीण क्षेत्र के समस्त प्रवर्ग के छात्र-छात्राओं को जिनके गाँव में शासकीय हाई स्कूल नहीं है, जो शहर के शासकीय स्कूल में अध्ययन के लिये जाते हैं, ऐसे पात्र छात्र-छात्राओं को समग्र शिक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन पात्र पाये गये छात्र/छात्राओं को वर्ष 2016-17 में लघु उद्योग निगम के माध्यम से सायकिल क्रय कर प्रदान की जा रही है। कक्षा 9वीं की लगभग 4.16 लाख छात्र/छात्राएँ इस योजना में लाभांशित होंगे।

8.20 छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति प्रोत्साहन योजना : स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 से प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य निर्धन वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति योजना प्रारंभ की है जिसके अंतर्गत निम्न छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

- सुदामा प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना।
- स्वामी विवेकानंद पोस्ट मैट्रिक प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना।

- सुदामा शिष्यवृत्ति योजना ।
- डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना ।
- पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति ।
- मृत/अंपंग/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों के लिये छात्रवृत्ति ।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षण सत्र 2012-13 से “बेटी बचाओ अभियान” अन्तर्गत इकलौती बेटी को “शिक्षा विकास छात्रवृत्ति” योजना प्रारंभ की गई है । इस योजनान्तर्गत ऐसी समस्त प्रतिभावान बालिकायें जो अपनी माता-पिता की इकलौती संन्तान है एवं म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता प्राप्त एवं मंडल का पाठ्यक्रम संचालित करने वाले समस्त अशासकीय हायरसेकेण्डरी विद्यालय में प्रवेश लेने पर छात्रवृत्ति की पात्र होगी । यह छात्रवृत्ति उन्ही मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अध्ययन हेतु दी जायेगी जिनका मासिक शिक्षण शुल्क रूपये 1500/- से कम होगा । आई.ई.डी.एस.एस. योजना राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में समाहित कर दी गई है व यह एक केन्द्र प्रवर्तित योजना कक्षा 9वीं से 12वीं अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संचालित की जाती है ।

8.21 सुपर 100 योजना : शासकीय स्कूल में कक्षा 10 में उत्तीर्ण प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को व्यावसायिक संस्थाओं, आई.आई.टी./मेडिकल कालेज/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रशिक्षण हेतु भोपाल में शासकीय उत्कृष्ट उ.मा.वि. एवं इन्दौर के शासकीय मल्हाराश्रम उ.मा.वि. में सुपर 100 योजना संचालित है । वर्ष 2015-16 में 3.00 करोड़ रूपये प्रावधान के विरुद्ध 481 विद्यार्थी को लाभांशित किया गया है । वर्ष 2016-17 में 3.06 करोड़ रूपये प्रावधान के विरुद्ध 509 विद्यार्थियों को लाभांशित किया गया है ।

8.22 विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा योजना (I.E.D.S.S.) : यह योजना 1 अप्रैल, 2009 से लागू है । यह योजना एम.एच.आर.डी. भारत शासन से प्राप्त केन्द्रीय अनुदान से संचालित योजना है इसके अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक सामान्य विद्यालयों में अध्ययन करने वाले सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को रूपये 3000/- के मान से सुविधा भत्ता प्रदाय करती है । राज्य शासन भी रूपये 600/- प्रति बच्चों के मान से टॉपअप मनी प्रदाय करता है । वर्ष 2015-16 में उक्त दर से 12062 बच्चे लाभान्वित होने जा रहे हैं ।

8.23 मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना : राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 से मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है । शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 12वीं में 85 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी

विद्यार्थियों को कम्प्यूटर क्रय हेतु रू. 25,000 प्रति छात्र के मान से प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाती है । यह प्रोत्साहन राशि वर्ष 2009-10 से सतत प्रदाय की जा रही है ।

वर्ष 2016-17 की माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी परीक्षा में शासकीय/अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत 17898 विद्यार्थियों द्वारा 85 प्रतिशत से अधिक एवं अनुसूचित जाति / जनजाति के विद्यार्थियों जिनके द्वारा 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये जाने पर उन्हें प्रति विद्यार्थि 25,000 हजार की दर से कुल राशि रू. 4,47,48,000 वितरित कर लाभांवित किया गया ।

उच्च शिक्षा

मध्यप्रदेश के विकास में उच्च शिक्षा की अहम भूमिका है । उच्च शिक्षा विभाग ज्ञान और कौशल का ही विकास नहीं करता बल्कि शिक्षित व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में भी मार्ग प्रशस्त कर समाज में स्तर को ऊपर उठाने एवं राष्ट्रनिर्माण में उनकी भागीदारी के अवसर प्रदान करता है । उच्च शिक्षा विभाग को प्रासंगिक बनाये रखने के लिये उसमें समसामयिक चुनौतियों और परिवर्तनों में सामंजस्य स्थापित करने की पहल इस विभाग की कार्य योजना का महत्वपूर्ण पहलू है ।

विगत वर्ष 2016 में उच्च शिक्षा द्वारा ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचल में 20 नवीन महाविद्यालय तथा पूर्व से संचालित शासकीय महाविद्यालय में 20 नवीन संकाय / विषय भी प्रारंभ किये गये हैं । प्रदेश में पूर्व स्थापित कुल 437 शासकीय महाविद्यालयों के स्थान पर अब महाविद्यालयों की संख्या 457 हो गई है ।

8.24 प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में एवं स्नातकोत्तर : पाठ्यक्रमों में ऑनलाईन प्रवेश की व्यवस्था छात्र हित में संचालित की गई है । इस प्रक्रिया के संचालन से विद्यार्थियों को घर बैठे प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई है । वर्ष 2016-17 में स्नातक में 3,58,545 एवं स्नातकोत्तर में 73124 कुल 4,31,669 विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश लिया गया है ।

8.25 गांव की बेटी योजना : उच्च शिक्षा के सतत विकास एवं छात्राओं में उच्च शिक्षा के प्रति रुझान के लिये ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं के लिये गांव की बेटी योजना लागू की गई है, जिसमें गांव की बेटी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में ग्लोबल बजट राशि रू. 1685.00 लाख का प्रावधान एवं प्रतिभा किरण योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में ग्लोबल बजट राशि रू. 20.00 लाख राशि का प्रावधान है । गांव की बेटी योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 दिसम्बर तक 2016 में 28251 छात्राएं लाभांवित हुईं तथा प्रतिभा किरण में 3377 छात्राएं लाभांवित हुईं ।

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें एवं स्टेशनरी प्रदाय करने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में ग्लोबल बजट में राशि रू. 20.00 लाख का प्रावधान है ।

8.26 छात्राओं हेतु आवागमन सुविधा योजनान्तर्गत : वित्तीय वर्ष 2016-17 में तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास में ग्लोबल बजट रूपये 540.00 लाख का प्रावधान है । आवागमन योजना अन्तर्गत वर्ष 2016-17 दिसम्बर 2016 तक 55922 छात्राएं लाभान्वित हुईं ।

8.27 प्रयोगशाला उन्नयन योजना : इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में रूपये 500.00 लाख का प्रावधान था जिसमें 499.47 लाख रूपये व्यय हुआ है तथा इस योजना का लाभ 42 महाविद्यालयों को हुआ है । ई-लायब्रेरी योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में 350.00 लाख का प्रावधान था । जिसमें 207.00 लाख का व्यय हुआ है तथा इस योजना का लाभ 32 महाविद्यालयों को हुआ है ।

8.28 भवन निर्माण योजना : इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में शासकीय महाविद्यालयों के निर्माण तथा अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु रूपये 6884.00 लाख के प्राप्त बजट आवंटन को लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.)को राशि रूपये 5287.63 लाख व्यय किया जा चुका है । वित्तीय वर्ष 2016-17 में 21 शासकीय महाविद्यालयों के मुख्य भवन एवं 30 अन्य निर्माण कार्य हेतु राशिरू. 9377.88 लाख की स्वीकृति जारी की गई है ।

8.29 विक्रमादित्य योजना : इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमास में ग्लोबल बजट 65.00 लाख का प्रावधान है तथा इस हेतु राशि रू. 32,08,757/- का व्यय किया गया है । विक्रमादित्य योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में दिसम्बर 2016 तक 1603 छात्र लाभान्वित हुए ।

उच्च शिक्षा विभाग की विशिष्ट उपलब्धियां :

- उच्च शिक्षा में उच्चतर सुधार हेतु विश्व बैंक परियोजना के संदर्भ में भारत सरकार विश्व बैंक तथा मध्यप्रदेश शासन के मध्य अनुबंध हस्ताक्षरित किया जा चुका है ।
- प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिले को मुख्य धारा में लाने हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शहडोल स्वशासी महाविद्यालय का उन्नयन विश्वविद्यालय के रूप में करने हेतु केन्द्र से राशि की प्रथम किश्त प्राप्त एवं विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य प्रारंभ ।

- महाविद्यालयों का नैक से मूल्यांकन हेतु प्रोत्साहन योजना के तहत दिनांक 15.09.2016 तक 67 शासकीय महाविद्यालय-नैक मूल्यांकित है। इसमें 15 ए-ग्रेड प्राप्त हैं।
- 100 महाविद्यालय में वर्चुअल कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित कर स्नातक स्तर पर 453 व्याख्यान आयोजित किये गये हैं।
- कौशल विकास कार्यक्रम-केम्पस से 2015-16 तक 8082 तक प्लेसमेंट हुए।
- राज्य स्तरीय व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ-प्रदेश में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास के महत्व को समझते हुए भोपाल में प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। जिसके तहत 51 जिले एवं संभाग स्तर पर प्रभारी समन्वयक नियुक्त किये जा चुके हैं, अभी तक 1 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभांवित हुए हैं। अशासकीय महाविद्यालयों में प्रकोष्ठ प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं।
- इन्दौर जिले देपालपुर तथा जबलपुर जिले सिहोरा के महाविद्यालयों का उन्नयन मॉडल महाविद्यालय के रूप में करने हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अन्तर्गत केन्द्र से राशि प्राप्त है।
- झाबुआ जिले के श्योपुर जिले में नवीन महाविद्यालय की स्थापना हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत केन्द्र से राशि प्राप्त।

तकनीकी शिक्षा

तकनीकी शिक्षा मानव संसाधन को अधिक दक्ष एवं कौशल युक्त बनाती है। प्रदेश में स्थापित तकनीकी संस्थाओं में विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रमों के लिये संस्थाओं की संख्या एवं वार्षिक प्रवेश क्षमता का वर्षवार विवरण तालिका 8.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 8.10
तकनीकी शिक्षण संस्थाएं

(संख्या में)

तकनीकी संस्था	2015 -16		2015-16 माह अक्टूबर 2015 की स्थिति	
	संस्थाओं की संख्या	प्रवेश क्षमता	संस्थाओं की संख्या	प्रवेश क्षमता
इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर	203	87212	187	79565
एम.सी.ए.	56	3700	51	3358
एम.बी.ए.	175	20850	168	20100
बी. फार्मा/डी फार्मा	74/23	5262/1380	91	6268
डिप्लोमा (इंजी.) पाठ्यक्रम	145	27176	144	27226

वर्ष 2016-17 प्रदेश में कुल 641 तकनीकी शिक्षण संस्थाएं संचालित हैं, जिनमें प्रवेश क्षमता की संख्या 136517 लाख है ।

8.30 तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम : शासन द्वारा वित्त पोषित एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं हेतु केन्द्र शासन द्वारा 75 प्रतिशत एवं राज्य शासन द्वारा 25 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी तथा निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं हेतु केन्द्र शासन द्वारा 60 प्रतिशत एवं राज्य शासन द्वारा 20 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी तथा 20 प्रतिशत राशि संस्था द्वारा वहन की जायेगी । परियोजना संस्थाओं का विवरण तालिका 8.11 में दर्शाया गया है ।

तालिका 8.11

शासन द्वारा अनुदान प्राप्त परियोजना संस्थाओं का विवरण

(करोड़ रुपये में)

संस्था का नाम	उपघटक	परियोजना राशि	संस्थाओं को जारी की गई राशि	माह दिसम्बर 2016 तक व्यय की गई राशि
आर.जी.पी.व्ही, {भोपाल}	1.2	12.50	2.00	0.94
एस.जी.एस.आई.टी.एस. {इन्दौर}	1.2	12.50	9.25	8.45
एम.आई.टी.एस. {ग्वालियर}	1.1	10.00	9.72	8.91
एस.एटी.आई इंजी.महावि. {विदिशा}	1.1	10.00	10.00	9.85
एस.आई.आर.टी. {भोपाल}	1.1	04.00	4.00	3.69
योग		49.00	34.97	31.84

मुख्य उपलब्धियां :

इंजीनियरिंग / पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में ई-रिसोर्सज का विकास : प्रदेश के समस्त इंजी महाविद्यालयों में वाई-फाई कैम्पस एवं स्मार्ट क्लास रूप स्थापित किये गये हैं । इसके अतिरिक्त 24 पोलीटेक्निक महाविद्यालय में भी कार्य पूर्ण किया जा चुका है । निर्माणाधीन पोलीटेक्निक महाविद्यालयों को छोड़कर अन्य 20 पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में भी आगामी सत्र में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

नवीन इंजीनियरिंग एवं पोलीटेक्निक महाविद्यालयों की स्थापना :

- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत धार जिले में इंजीनियरिंग महाविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है । इस हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण की

जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा प्रथम किशत की राशि रु. 13 करोड स्वीकृत। भवन निर्माण का कार्य वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रारंभ किया जावेगा।

- एन.टी.पी.सी. के सहयोग से शिवपुरी में राज्य क्षेत्र के इंजी महाविद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ।
- नौगांव इंजीनियरिंग महाविद्यालय का भवन निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- जिला सिंगरौली में एन.सी.एल. तथा एन.टी.पी.सी. के सहयोग से माईनिंग इंजीनियरिंग महाविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
- केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत 21 नवीन पोलिटेक्निक की स्थापना कर कक्षाएं प्रारंभ। 13 संस्थाओं के भवनों का आधिपत्य प्राप्त किया जा चुका है। शेष 8 भवनों का आधिपत्य जुलाई 2017 तक प्राप्त किये जाने का लक्ष्य है।
- लटेरी, हरसूद एवं बरेली में नवीन पोलिटेक्निक भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इन संस्थाओं में शैक्षणिक कार्य वर्ष 2017-18 से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।
- नवीन जिले आगर-मालवा में पोलिटेक्निक महाविद्यालयों की स्थापना वर्ष 2017-18 में किये जाने की योजना है।

एकलव्य और डॉ. अंबेडकर पोलिटेक्निक महाविद्यालय योजना : वर्ष 2006-07 से तकनीकी शिक्षा की एकलव्य पोलिटेक्निक योजना अन्तर्गत पोलिटेक्निक मंडला एवं पोलिटेक्निक झाबुओं का उन्नयन कर क्रमशः अनुसूचित जनजाति (छात्राओं) तथा अनुसूचित जनजाति (छात्र) के लिये एवं डॉ. बाबा साहब अंबेडकर पोलिटेक्निक योजना अन्तर्गत पोलिटेक्निक सीहोर एवं पोलिटेक्निक मुरैना का उन्नयन कर क्रमशः अनुसूचित जाति (छात्राओं) तथा अनुसूचित जाति (छात्रों) के लिये विशेष पूर्ण आवासीय पोलिटेक्निक प्रारंभ किये गये हैं। इस अभिनय योजना के अन्तर्गत संस्था में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क आवास की व्यवस्था निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, स्टेशनरी एवं ड्राइंग सामग्री का निःशुल्क प्रदाय (अधिकतम रु. 2000) तथा पाठ्य-पुस्तकों का निःशुल्क प्रदाय (अधिकतम रु. 2000) प्रति सेमेस्टर के मान से दिया जाता है साथ ही छात्रों को राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है एवं संस्था में इस श्रेणी के प्रवेशित छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह रु. 1000 के मान से छात्रवृत्ति का भी भुगतान किया जाता है।

8.31 मैट्रिक छात्रवृत्ति: अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों /अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक श्रेणी के छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति संबंधित विभाग द्वारा पात्रतानुसार दी जाती है। राज्य के पोलिटेक्निक /इंजीनियरिंग / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधी आवेदन पत्र, संस्थाओं द्वारा ऑनलाईन संबंधित विभाग के जिला संयोजक की ओर प्रेषित किये जाते

है, जहां से छात्रवृत्ति की स्वीकृति उपरांत विद्यार्थियों को राशि का भुगतान नोडल सेंटर द्वारा बैंक के माध्यम से उनके बैंक खाते में होता ।

सत्र 2016-17 में राज्य के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के बी.ई आर्किटेक्चर, बी.एच.एम.सी.टी. एम.बी.ए. एस.सी.ए इंटीग्रेटेड एम.बी.ए. एम.ई./एम.टेक.एम.फार्मसी, पोलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा, फार्मसी (डिग्री /डिप्लोमा) पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति के कुल 11395 अनुसूचित जनजाति के 6087 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणीके 33911 छात्र-छात्राओं का प्रवेश हुआ है जिन्हें पात्रता अनुसार पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति की स्वीकृति अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से की जानी है ।

8.32 ट्यूशन फी-वेवर स्कीम : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित ट्यूशन फी-वेवर योजना सत्र 2009-10 लागू की गई है । ए.आई.सी.टी.ई, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित समस्त संस्थाओं में तीन/चार वर्षीय डिग्री, डिप्लोमा एवं पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क में छूट की योजना अनिवार्य रूप से लागू होती है जिसमें प्रति पाठ्यक्रम स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत स्थान अधिसंख्य रूप से उपलब्ध रहते हैं । ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं तथा जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रु. 6.00 लाख से कम है, इन स्थानों के लिए प्रवेश हेतु पात्र है । शिक्षण शुल्क में छूट की योजना के अन्तर्गत रियायत केवल शिक्षण शुल्क की राशि जैसा की राज्य शासन द्वारा प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति द्वारा निर्धारित की गई हो, तक सीमित रहती है । वर्ष 2016-17 में लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या 2419 है ।

स्वास्थ्य

8.33 डायलिसिस योजना :- प्रदेश में किडनी रोगियों की संख्या में विगत वर्षों में तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसे रोगियों को इलाज के लिए नियमित तौर पर सप्ताह में 2 - 3 बार हिमोडायलिसिस कराना होता है। निजी अस्पतालों में इस पर लगभग 24000/- रुपये प्रतिमाह व्यय आता है। डायलिसिस की सुविधा शासकीय जिला अस्पतालों में बीपीएल कार्ड धारकों को निःशुल्क एवं अन्य वर्ग के रोगियों को न्यूनतम दरों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2015-16 से डायलिसिस योजना 26 जनवरी 2016 से प्रारंभ की गई है। भारत सरकार द्वारा इस योजना को वर्ष 2016-17 से सभी राज्यों में लागू करने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2015-16 में कुल 18677 डायलिसिस सत्र रोगियों को उपलब्ध कराये गये। वर्ष 2016-17 में (माह दिसंबर, 2016 तक) 1665 रोगी डायलिसिस हेतु सूचीबद्ध हैं एवं कुल 40158 डायलिसिस सत्र संपादित किये गये हैं।

8.34 म.प्र. राज्य बीमारी सहायता निधि योजना : यह योजना प्रदेश में 2 सितम्बर, 1997 से लागू है। मध्य प्रदेश के ऐसे परिवार जो इस राज्य के मूल निवासी हैं तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, के परिवार का कोई सदस्य योजनान्तर्गत 21 चिन्हित बीमारी से पीड़ित होने पर संबंधित चिकित्सालय को रोगी के उपचार हेतु न्यूनतम 25000/- रुपये से अधिकतम 2.00 लाख रुपये तक की सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती है।

राज्य बीमारी सहायता निधि अन्तर्गत एक बार सहायता दिये जाने के पश्चात दूसरी बार पुनः चिन्हित बीमारियों में उपचार/ सर्जरी की आवश्यकता होती है तो इस हेतु 2.00 लाख रुपये की सकल सीमा में रहते हुए (दोनों चिन्हित गंभीर बीमारियों के प्रकरणों को मिला के) सहायता प्रदान की जाती है। राशि रुपये 2.00 लाख तक की सकल सीमा के अंतर्गत परिवार के सदस्य को भी आवश्यकता होने पर इस योजना का लाभ दिया जाता है। ऐसे सभी प्रकरण जिला स्तर पर गठित समिति की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं।

वर्ष 2014-15 में माह मार्च 2015 तक लगभग 4888 हितग्राहियों को लाभान्वित कर 47.35 करोड़ रु. व्यय किये गये एवं वर्ष 2015-16 में मार्च, 2016 तक लगभग 8060 हितग्राहियों को लाभान्वित कर 73.50 करोड़ रु. व्यय किये गये एवं 2016-17 में अप्रैल 2016 से सितंबर 2016 तक प्राप्त जानकारी अनुसार लगभग 4671 हितग्राहियों को लाभान्वित कर राशि रुपये 49.18 करोड़ व्यय किये गये।

उक्त योजना प्रारंभ से सितंबर 2016 तक लगभग 55.15 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित कर राशि रुपये 511.73 करोड़ व्यय किये गये।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में स्वीकृत बजट राशि रुपये 2145.02 करोड़ के विरुद्ध राशि रुपये 958.00 करोड़ का व्यय दिसम्बर 2016 तक हुआ है जो कि 44.66 प्रतिशत है।

8.35 मुख्यमंत्री बाल हृदय/ बाल श्रवण उपचार योजना : वर्ष 2015-16 में कुल निर्धारित 150 लाख बच्चों में से 138 लाख बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसमें 15.76 लाख बच्चे 4डी के धनात्मक पाये गये। इसमें से 9.6 लाख बच्चों को उपचार प्रदान किया गया एवं 13597 बच्चों की सघन शल्य क्रिया की गई। मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजना

के अंतर्गत 180 बच्चों का कॉक्लियर इम्प्लांट कराया गया। मुख्यमंत्री बालहृदय उपचार योजना के अंतर्गत 1641 बच्चों की हृदय रोग सर्जरी करायी गयी।

वर्ष 2016-17 में माह अक्टूबर, 2016 तक निर्धारित लक्ष्य 90 लाख के विरुद्ध 80.38 लाख की स्क्रीनिंग की गयी। इसमें 9.50 लाख बच्चे धनात्मक पाये गये जिनको आवश्यक उपचार प्रदान किया गया तथा 11792 बच्चों की गहन शल्य चिकित्सा की गयी। इसमें मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अंतर्गत 1352 बच्चों की हृदय सर्जरी, मुख्यमंत्री बाल श्रवण उपचार योजनांतर्गत 167 बच्चों को कॉक्लियर इम्प्लांट कराया जा चुका है।

8.36 राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम : वर्ष 2015-16 में वार्षिक लक्ष्य 5.00 लाख निर्धारित है । माह मार्च, 2016 तक लक्ष्य 5.00 लाख के विरुद्ध 5.15 लाख मोतियाबिंद के ऑपरेशन किये गये । आई.ओ.एल. 99 प्रतिशत है । स्कूल स्क्रीनिंग के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में माह मार्च, 2016 तक 32.02 लाख स्कूली बच्चों के नेत्र परीक्षण किये गये हैं, जिनमें से 117554 बच्चों में दृष्टिदोष पाया गया एवं 76,579 स्कूली बच्चों को निःशुल्क चश्मा प्रदाय किये गये हैं ।

वर्ष 2016-17 में वार्षिक लक्ष्य 5.00 लाख निर्धारित है। माह दिसंबर तक लक्ष्य 3.12 लाख के विरुद्ध 3.15 लाख मोतियाबिंद के आपरेशन किये गये हैं।आईओएल 99 प्रतिशत है। स्कूल स्क्रीनिंग के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में माह दिसंबर तक 21.17 लाख स्कूली बच्चों के नेत्र परीक्षण किये गये हैं, जिनमें से 88342 बच्चों में दृष्टिदोष पाया गया एवं 42885 स्कूली बच्चों को निःशुल्क चश्मा प्रदान किये गये हैं। शासकीय चिकित्सालयों की नेत्र चिकित्सा इकाईयों को उन्नयन किया जा रहा है । प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचल तक अंधत्व निवारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में विजन सेंटरों की स्थापना की जा रही है ।

8.37 मातृ स्वास्थ्य : स्वास्थ्य विभाग के अथक प्रयास से प्रदेश की मातृ मृत्यु दर 277 (AHS 2011-12) से कम होकर 221 (SRS 2011-13) प्रति लाख जीवित जन्म हो गई है। मातृ मृत्यु दर को 100 तक लाने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं ।

मातृ शिशु मृत्यु दर एवं सकल प्रजनन दर कम करना शासन की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। इस हेतु मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न योजनाएं एवं गतिविधियां संचालित की जा रही है। इसके अंतर्गत मानव संसाधन अधोसंरचना, औषधि, जांचें, भोजन एवं सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।जिसकी उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :-

- मातृ मृत्यु दर 277 (AHS 2011-12) से कम होकर 221 (SRS 2011-13)
- संस्थागत प्रसव में उल्लेखनीय वृद्धि 82.6 प्रतिशत (AHS 2012-13)
- लक्षित 1517 डिलेवरी पाईट्स के विरुद्ध 1339 डिलेवरी पाईट्स को क्रियाशील किया गया। 472 डिलेवरी पाईट्स में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है ।
- जननी सुरक्षा योजनांतर्गत ई-टांसफर के माध्यम से अप्रैल 2016 से माह अक्टूबर 2016 तक 7.05 लाख महिलाओं को योजना का लाभ प्रदान किया गया ।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत शासकीय संस्थाओं में प्रसव कराने वाली 7.57 लाख महिलाओं को निःशुल्क सामान्य एवं सीजेरियम प्रसव, भोजन एवं प्रयोगशाला जांच सुविधायें प्रदान की गईं । 23502 महिलाओं को ब्लड टांसफजन उपलब्ध कराया गया ।
- जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रुपये 1400/-, शहरी क्षेत्र की महिलाओं को रुपये 1000/- की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रेरक को ग्रामीण क्षेत्र में रुपये 600/- एवं शहरी क्षेत्र में रुपये 400/- की राशि उपलब्ध करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रदेश हेतु योजनांतर्गत राशि रुपये 192.40 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है एवं माह नवंबर, 2016 तक प्रदेश में कुल 7.05 लाख गर्भवती महिलाओं को योजना का लाभ प्रदाय किया जा चुका है।

8.38 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम : भारत सरकार द्वारा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 से प्रारंभ किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं (जन्म से 30 दिवस तक) के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना है ।

प्रदेश में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम दिनांक 01 जुलाई 2011 से प्रारंभ किया गया है। पात्र हितग्राही - गर्भवती महिलाएँ, नवजात शिशु

8.39 गर्भवती महिलाओं हेतु निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं : निःशुल्क प्रसव, निःशुल्क सिजेरियन ऑपरेशन, निःशुल्क दवाएं एवं सामग्री, निःशुल्क जांच (समस्त), निःशुल्क भोजन(सामान्य प्रसव होने पर 3 दिन एवं जटिल प्रसव हेतु 7 दिन तक), निःशुल्क रक्त व्यवस्था, निःशुल्क परिवहन व्यवस्था - निवास से स्वास्थ्य संस्था तक आने के लिए, आवश्यकतानुसार उच्च स्वास्थ्य संस्था में रेफरल, डिस्चार्ज होने के पश्चात् स्वास्थ्य संस्था से निवास तक छोड़ने के लिए, सभी प्रकार के उपभोक्ता शुल्क (रोगी कल्याण समिति सहित) से छूट ।

8.40 बीमार नवजात शिशु हेतु निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं : निःशुल्क दवाएं एवं सामग्री निःशुल्क जांच (समस्त), निःशुल्क रक्त व्यवस्था, निःशुल्क परिवहन व्यवस्था - निवास से स्वास्थ्य संस्था तक आने के लिए, आवश्यकतानुसार उच्च स्वास्थ्य संस्था में रेफरल, डिस्चार्ज होने के पश्चात् स्वास्थ्य संस्था से निवास तक छोड़ने के लिए, सभी प्रकार के उपभोक्ता शुल्क (रोगी कल्याण समिति सहित) से छूट ।

8.41 शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम: मध्यप्रदेश में शिशु मृत्यु दर 62(AHS 2012-13) से घटकर 54 (AHS 2013-2014) हो गई है । राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत शिशु मृत्यु दर को 25 तक लाने हेतु विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है ।

8.42 नवजात शिशु सघन चिकित्सा इकाईयों की स्थापना (SNCU) : शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु आवश्यक है कि नवजात शिशु मृत्यु दर, जो कि शिशु मृत्यु दर का दो तिहाई है, में कमी लाई जाए । इस हेतु विभाग द्वारा सभी जिला चिकित्सालयों में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई की स्थापना की गई है । वर्तमान में प्रदेश में 54 एस.एन.सी.यू. क्रियाशील हैं।

पदस्थ सभी चिकित्साधिकारी एवं पैरा मेडिकल स्टाफ को नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कुल 91850 एवं 2016-17 में माह नवंबर, 2016 तक कुल 73 हजार बच्चे एस.एन.सी.यू. में भर्ती कर उपचारित किये गये।

8.43 बाल शक्ति योजना : प्रदेश में जन्म से पांच वर्ष के बच्चों में कुपोषण की दर लगभग 60 प्रतिशत है, जो अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत अधिक है एवं 0-5 वर्ष के बच्चों की मृत्यु का मुख्य कारण कुपोषण है । बच्चों में कुपोषण दर को कम करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाल शक्ति योजना संचालित की जा रही है । इस योजना के अंतर्गत शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC) (10/20 बेड) की स्थापना कर गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण-पुनर्वास एवं उपचार करने का प्रावधान है । प्रदेश में 315 पोषण पुनर्वास केन्द्र क्रियाशील है । वर्ष 2015-16 के दौरान कुल 73694 एवं 2016-17 में माह नवंबर, 2016 तक कुल 55 हजार अति कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्रों में भर्ती कर उपचार प्रदान किया गया ।

8.44 आशा (ASHA - Accredited Social Health Activist) कार्यक्रम : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत आशा समुदाय स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण कड़ी है । इस हेतु चयनित आशाओं को निर्धारित मांड्यूलस के अनुसार प्रशिक्षित किया जाता है । प्रदेश में

लगभग 61035 सक्रिय आशा कार्य कर रही हैं। आशाओं द्वारा किये जाने वाले कार्यों को और बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु सहयोगी तंत्र विकसित किया गया है। इस सहयोगी तंत्र में 3983 आशा सहयोगी, 258 ब्लाक कम्युनिटी मोबिलाइजर एवं 44 जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर कार्य कर रहे हैं। आशा कार्यकर्ताओं को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। आशा कार्यकर्ता 25 से 45 वर्ष की विवाहित/विधवा महिला हो सकती है जो कि न्यूनतम 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान माह अक्टूबर, 2016 तक आशा कार्यकर्ताओं को कुल राशि 40,81,33,788/- रुपये का भुगतान विभिन्न प्रोत्साहन राशि के रूप में किया गया है।

8.45 दीनदयाल चलित अस्पताल : प्रदेश के 28 जिलों के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य विकासखण्डों के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में निःशुल्क प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2006 से दीनदयाल चलित अस्पताल संचालित है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 76 दीनदयाल चलित अस्पताल संचालित है। चलित अस्पताल द्वारा निर्धारित दूरस्थ ग्रामों में जाकर रोगियों का परीक्षण, निःशुल्क उपचार, गर्भवती महिलाओं की जांच, ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों में बच्चों का टीकाकरण, परिवार कल्याण से संबंधित परामर्श तथा स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित सेवाएं दी जाती हैं। वित्तीय 2015-16 के दौरान कुल 16.71 लाख तथा वर्ष 2016-17 में माह नवंबर, 2016 तक कुल 9.70 लाख हितग्राहियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई हैं।

8.46 संजीवनी 108 : नेशनल एम्बुलेंस सर्विस अंतर्गत राज्य में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन हेतु संजीवनी 108 एम्बुलेंस वाहन संचालित किए जा रहे हैं। ये वाहन आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त होते हैं। मध्यप्रदेश में यह सेवा Ziqitza Health Care Limited (ZHL) द्वारा संचालित की जा रही है। वर्तमान में मध्यप्रदेश में कुल 606 एम्बुलेंस संचालित की जा रही हैं वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कुल 9.26 लाख तथा वर्ष 2016-17 में माह नवंबर, 2016 तक कुल 5.93 लाख मरीजों को इस सेवा के द्वारा लाभान्वित किया गया है।

8.47 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम : प्रदेश के सभी स्कूलों में छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त स्कूल में मोबाइल टीम द्वारा छात्रों का परीक्षण किया जाता है। मोबाइल हेल्थ टीम में 4 सदस्य होते हैं - 2 आयुष चिकित्सक, 1 एएनएम एवं 1 फार्मासिस्ट। कार्यक्रम अंतर्गत 4D आधारित- Defects at birth, Deficiencies childhood diseases, Developmental delays and Disabilities अंतर्गत चिन्हित बीमारियों का परीक्षण एवं उपचार प्रदान किया जाता है तथा आवश्यकता अनुसार उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्था को रेफर

किया जाता है । प्रदेश में यह कार्यक्रम माह अक्टूबर 2013 से प्रारंभ किया गया है । वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह नवंबर, 2016 तक 80.38 लाख बच्चों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है तथा 9.50 लाख बच्चों को आवश्यक उपचार प्रदाय किया गया । कुल 11792 बच्चों को आवश्यक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

8.48 परिवार कल्याण कार्यक्रम :- पूरे देश की तरह म.प्र. में भी राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम संचालित है। प्रारंभ से ही यह कार्यक्रम मूल रूप से स्वैच्छिक स्वरूप का है। वास्तव में परिवार की खुशहाली के लिए किसी भी समुदाय में परिवार को सीमित रखना एक आवश्यकता है। परिवार को सीमित करने के लिए दो प्रकार की विधियाँ हैं :- 1. अस्थायी 2. स्थायी । अस्थायी विधियों के रूप में गर्भ निरोधक गोलियां एवं निरोध का उपयोग किया जाता है। जबकि स्थायी विधि के रूप में पुरुष एवं महिला के नसबंदी आपरेशन किये जाते हैं। सामान्यतः प्रदेश में 4-6 लाख आपरेशन एक वर्ष में किये जाते हैं। हितग्राही एवं प्रेरक को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का भी प्रावधान है। वर्तमान में प्रचलित प्रोत्साहन राशि पेकेज निम्नानुसार है :-

महिला नसबंदी :

टी.टी./सी.टी.टी./एल.टी.टी./मिनीलैप - स्वीकारकर्ता को राशि रू. 1400/-
प्रेरक/आशा को रूपए 200/-

महिला नसबंदी : प्रसव पश्चात तुरंत सात दिवस के अंदर
स्वीकारकर्ता को राशि रू. 2200/-
प्रेरक / आशा को रू. 300/-

पुरुष नसबंदी :

स्वीकारकर्ता को राशि रू. 2000/-
प्रेरक / आशा को 300/-

टीकाकरण कार्यक्रम : शिशुओं एवं बच्चों को आठ जानलेवा बीमारियों यथा - क्षय, पोलियो, काली खांसी, गलघोटू, टिटैनस, खसरा, हेपेटाइटिस- बी तथा हिमोफिलस इनफ्लूएंजा-बी बैक्टीरिया से होने वाली बिमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण कार्यक्रम संचालित है। सभी शासकीय अस्पतालों में बच्चों का टीकाकरण निःशुल्क किया जाता है।

पेयजल व्यवस्था

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदेश की समस्त ग्रामीण बसाहटों में शुद्ध पेयजल प्रदाय हेतु योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन भारत शासन के राष्ट्रीय ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जा रहा है जिनके लिये वित्तीय व्यवस्था योजनाओं के वित्तीय ढाँचे के अनुसार केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा की जाती है।

विभाग द्वारा मुख्य रूप से सभी ग्रामीण बसाहटों में जलप्रदाय की योजनाएं जो अधिकांश भू-जल पर आधारित हैं (छोटी बसाहटों हेतु पम्प एवं बड़े ग्रामों हेतु नलजल प्रदाय योजनाएं) क्रियान्वित की जा रही हैं। ग्रामीण शालाओं एवं आंगनवाडियों में भी विभाग द्वारा जलप्रदाय व्यवस्था के कार्य किये जा रहे हैं।

शासन के नवीन नीतिगत निर्णय अनुसार वर्तमान में बन्द योजनाएं जिनको चालू करने में रुपये 2.00 लाख से अधिक की राशि व्यय होना संभावित है। ऐसी सभी बन्द योजनाओं को सुधार कर विभाग द्वारा चालू की जावेगी तथा उनका संचालन संधारण एक वर्ष तक करने के पश्चात ग्राम पंचायतों को चालू स्थिति में हस्तांतरित कर दी जावेगी। रुपये 2.00 लाख से कम की राशि व्यय कर चालू की जा सकने वाली योजनाओं को ग्राम पंचायतों द्वारा चालू किया जा रहा है। जिस हेतु राशि संबंधित पंचायतों को उपलब्ध करा दी गई है।

8.49 ग्रामीण बसाहटों में पेयजल व्यवस्था : ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत शासन द्वारा 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल प्रदाय का मापदण्ड निर्धारित किया गया है जिसके आधार पर योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्यक्रम के अंतर्गत हेण्डपंप योजनाओं के माध्यम से लक्षित 6600 बसाहटों के विरुद्ध 4983 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है एवं वार्षिक योजना में 500 बसाहटों में ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरुद्ध 354 ग्रामों / बसाहटों में नलजल योजनाएं पूर्ण की गई हैं।

8.50 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में कार्य : दिनांक 1.4.2016 की स्थिति में प्रदेश की कुल 273 चिन्हित गुणवत्ता प्रभावित बसाहटें शेष थी, जिनमें फ्लोराईड आधिक्य की समस्या प्रमुख है तथा इसके अतिरिक्त लौह आधिक्य खारे पानी की भी समस्याएं हैं। वर्ष 2016-17 में 273 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरुद्ध कुल 120 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। विभाग सभी गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था के कार्य मार्च 2017 तक पूर्ण करने हेतु प्रयास कर रहा है।

8.51 ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था : सर्वशिक्षा अभियान को छोड़कर शेष ग्रामीण शालाओं में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल व्यवस्था करने का कार्य किया जा रहा है एवं अधिकांश शालाओं में पेयजल व्यवस्था की जा चुकी है। तदुपलब्ध कुछ ऐसी शालाएं प्रकाश में आयी हैं। जिनमें जा तो स्रोत असफल हो गये हैं या स्रोत के जल की गुणवत्ता पीने के लिए उपयुक्त नहीं रही वर्ष 2016-17 में 800 ऐसी पेयजल विहीन चिन्हित ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरुद्ध 621 चिन्हित ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।

8.52 आंगनवाडियों में पेयजल व्यवस्था : प्रदेश के सभी आंगनवाडियों में पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 में प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऐसे 700 शासकीय भवन हेतु आंगनवाडियों में पेयजल व्यवस्था का लक्ष्य निर्धारित है जिसके अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष में कुल 552 आंगनवाडियों में पेयजल व्यवस्था के कार्य किये गए हैं।

8.57 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम : भारत शासन के इस कार्यक्रम के अंतर्गत फील्ड टैस्ट किट के माध्यम से, पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण देकर सभी पेयजल स्रोतों का प्रारंभिक गुणवत्ता परीक्षण पंचायत स्तर पर ही किया जाता है। वर्ष 2005-06 से संचालित इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैदानी कार्यकर्ताओं को विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण दिया गया है इन प्रशिक्षणार्थियों को रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। प्रदेश में उपखण्ड स्तर पर 104 प्रयोग शालाओं की स्थापना की जा चुकी है एवं विभिन्न प्रयोग शालाओं एवं फील्ड टेस्टिंग किट द्वारा 384281 पेयजल नमूनों का परीक्षण भी किया गया है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन निरंतरित है।

8.53 बुंदेलखण्ड क्षेत्र की दीर्घकालीन योजना : विभाग द्वारा बुंदेलखण्ड के 6 जिलों के लिए 1287 नलजल योजनाओं के कार्य स्वीकृत किये गये हैं, इनमें नलकूप एवं कुओं पर आधारित पेयजल योजनाएं बनाई गई हैं। जिसकी अनुमानित लागत 103.45 करोड़ रुपये है। अभी तक 1198 योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है। इन कार्यों पर अब तक कुल 99.67 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

8.54 भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण कार्यक्रम : भूजल संरक्षण संवर्धन एवं पुनर्भरण कार्यक्रम का मूल उद्देश्य गिरते हुए भूजल स्तर एवं इसकी उपलब्धता की मात्रा एवं गुणवत्ता में वृद्धि करना तथा पेयजल योजनाओं के स्रोतों को स्थायित्व प्रदान करना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष कुल 4204 संरचने निर्मित की गई हैं।

8.55 हैंडपंप -प्लेटफार्म का पुनर्निर्माण : वर्ष 2016-17 में प्रदेश में पुराने एवं क्षतिग्रस्त हैंडपंप प्लेटफार्म के स्थान पर 5000 नये प्लेटफार्म निर्माण का लक्ष्य रखा गया था जिसके विरुद्ध 2985 प्लेटफार्म निर्मित किए गए हैं ।

8.56 सौर उर्जा के माध्यम से पेयजल व्यवस्था : स्वच्छ उर्जा कोष से प्राप्त राशि से आगामी वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में सौर पंप द्वारा पेयजल व्यवस्था के कार्य किये जावेगे । प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के नाम से नवीन कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रारंभ किया जा रहा है ।

श्रम

वर्ष 2015 -16 में औद्योगिक अशांति के कारण 14 विवाद उत्पन्न हुए एवं 53351 मानव दिवसों की हानि हुई एवं 2016-17 (अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 तक) 06 विवाद उत्पन्न हुए तथा 25275 मानव दिवसों की हानि हुई ।

8.57 ग्रामीण श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी : कृषि श्रमिकों के लिये पुनरीक्षित वेतन माह, सितम्बर 1989 से प्रभावशील किया गया था। कृषि नियोजन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किये जाने तथा अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने के फलस्वरूप 1 अक्टूबर, 2016 से 31 मार्च, 2017 तक 5854.00 रुपये प्रतिमाह अथवा 195.00 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम वेतन कृषि श्रमिकों को देय है।

8.58 बंधक श्रमिक पुनर्वास योजना : बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु मध्यप्रदेश में पूर्व में प्रचलित बंधक श्रमिक पुनर्वास योजना 2000 को निरस्त किया जाकर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नवीन बंधक श्रम पुनर्वास योजना 2016 दिनांक 17.05.2016 से लागू की गई है। इस योजना में शतप्रतिशत-अंश (100 प्रतिशत) केन्द्र शासन द्वारा वहन किया जायेगा। अतएव राज्यांश की आवश्यकता नहीं है।

यह योजना दिनांक 17.05.2016 से पूर्णतः केन्द्रांश राशि से प्रवर्तित है। योजना में बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु राशि पुरुष वयस्क हितग्राहियों हेतु रुपये 1.00 लाख, बालक एवं महिला हितग्राहियों के लिए रुपये 2.00 लाख तथा गंभीर शोषण के प्रकरणों में महिला एवं बालकों के लिए रुपये 3.00 लाख प्रावधानित है। इसके अतिरिक्त बंधक श्रमिक सर्वेक्षण हेतु रुपये 4.50 लाख, प्रति जिला राज्य स्तरीय जन जागरण हेतु रुपये 10.00 लाख तथा

मूल्यांकन अध्ययन हेतु रुपये 1.00 लाख का प्रावधान किया गया है। नवीन योजना के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

(अ) प्रत्येक जिले में जिला दण्डाधिकारी के पर्यवेक्षण में जिला बंधक श्रम पुनर्वास निधि का गठन किया जायेगा जिसमें रुपये 10.00 लाख की स्थायी निधि रहेगी जो विमुक्त बंधक श्रमिकों को तात्कालिक सहायता राशि रुपये 5 हजार हेतु प्रयुक्त होगी। निधि में बंधक श्रमिकों के नियोजकों से प्राप्त होने वाले दण्ड की राशि जमा की जायेगी। इस निधि में से किए जाने वाले सम्पूर्ण व्यय की निर्धारित प्रोफार्मा में जानकारी जिला कलेक्टर द्वारा भारत सरकार को भेजे जाने पर व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जायेगी।

(ब) योजना में प्रावधान है कि राज्य में बंधक श्रमिक प्रथा के विरुद्ध जनजागरण हेतु रुपये 10.00 लाख की राशि केन्द्र शासन द्वारा प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(स) योजना अंतर्गत प्रत्येक जिले को बंधक श्रमिक सर्वेक्षण हेतु रुपये 4.50 लाख का प्रावधान है जिसकी प्रतिपूर्ति केन्द्र शासन द्वारा की जायेगी।

उक्त योजना के प्रकाश में प्रथमतया सभी 51 जिलों में जिला बंधक श्रम पुनर्वास निधि गठन करने पर निम्नानुसार CORPUS निर्मित करने हेतु राशि राज्य योजना मद से एक बार दी जाना प्रस्तावित है जिसकी पश्चात में प्रतिपूर्ति केन्द्र शासन द्वारा की जायेगी:-

- (1) 51 जिलों हेतु रुपये 10.00 लाख के मान से जिला बंधक श्रम पुनर्वास निधि हेतु रुपये 510 लाख ।
- (2) 51 जिलों हेतु रुपये 4.50 लाख के मान से बंधक श्रम सर्वेक्षण हेतु 229.50 लाख
- (3) राज्य स्तर पर श्रम विभाग से बंधक श्रम प्रथा के विरुद्ध जन जागरण हेतु रुपये 10.00 लाख

अतएव कुल 749.50 लाख रुपये उक्तानुसार प्रस्ताव योजना आयोग को भेजा जाना उचित होगा।

8.59 बाल श्रम : प्रदेश के 17 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित है। बाल श्रम पुनर्वास हेतु परियोजनांतर्गत वर्तमान में संचालित 412 विशेष विद्यालयों में 16858 हजार कार्यरत कामकाजी बच्चों को दाखिला दिलाया गया । इसके पूर्व 20405 हजार बच्चों को विशेष विद्यालयों से मुख्य धारा के विद्यालयों में प्रवेश दिलाया गया है ।

8.60 कल्याण मण्डल : निर्माण कार्यों में लगे असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा हेतु राज्य में गठित मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के माध्यम से वर्ष 2016-17 में माह अक्टूबर 2016 तक कुल 74729 निर्माण श्रमिकों का हितग्राही के रूप में पंजीयन किया गया । मध्यप्रदेश राज्य में इस तरह अब तक कुल 2479909 पंजीकृत निर्माण श्रमिक है । मण्डल को उपकर के रूप में वर्ष 2016-17 में माह अक्टूबर 2016 तक रुपये 149.33 करोड की राशि विभाग के प्रयासों से प्राप्त हुई है । इस तरह मध्यप्रदेश राज्य में अब तक कुल 1874.82 करोड उपकर संग्रहित किया गया है । मंडल द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में वर्ष 2016-17 में माह अक्टूबर 2016 तक कुल 200873 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं में रुपये 127.55 करोड के हितलाभ वितरित किये गये है । इस तरह मध्यप्रदेश राज्य में अब तक कुल 3199920 हितग्राहियों को 603.28 करोड के हितलाभ वितरित किये गये हैं ।

रोजगार

8.61 बेरोजगारी की स्थिति: राज्य में बेरोजगारी एवं रोजगार की स्थिति का आकंलन रोजगार कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है । यद्यपि रोजगार कार्यालयों में पंजीयन कराना ऐच्छिक है, परन्तु अन्य किसी स्रोत के अभाव में रोजगार कार्यालयों में उपलब्ध आंकडों से ही राज्य में बेरोजगारी की स्थिति का सांकेतिक ज्ञान हो पाता है ।

8.62 पंजीयन : मध्यप्रदेश राज्य स्थित रोजगार कार्यालय में वर्ष 2015 में 4.23 लाख व्यक्तियों का पंजीयन किया गया था । वर्ष 2016 की अवधि में लगभग 3.45 लाख व्यक्तियों का पंजीयन किया गया । रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजी पर दर्ज कुल बेरोजगारों की संख्या वर्ष 2015 के अंत में 15.60 लाख थी, जो घटकर वर्ष 2016 के अन्त में 14.11 लाख हो गई जो गत वर्ष से 9.55 प्रतिशत कम है ।

8.63 शिक्षित बेरोजगार : राज्य के रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजी पर दर्ज कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या वर्ष 2015 के अंत में 12.42 लाख थी जो वर्ष 2016 के अंत में 12.98 लाख रह गई है जो गत वर्ष से 25.9 प्रतिशत की कमी दर्शाती है । वर्ष 2015 के अंत में जीवित पंजी पर दर्ज कुल बेरोजगारों में शिक्षित बेरोजगारों का प्रतिशत 79.60 था जो वर्ष 2016 में (दिसम्बर 2016 तक) के अंत में बढ़कर 85.74 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2016 में (दिसम्बर 2016 तक) जीवित पंजी पर दर्ज कुल शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 12.98 लाख रही ।

8.64 सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार : वर्ष 2013-14 में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग 8.46 लाख व्यक्ति कार्यरत थे, जिसमें 1.20 लाख महिलायें थी इस प्रकार आलोच्य वर्ष 2014-15 (दिसम्बर 2014 की स्थिति) में गत वर्ष से सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या में 0.66 प्रतिशत की कमी हुई । वर्ष 2014-15 की अवधि में लगे व्यक्तियों की संख्या घटकर 8.41 लाख हो गई तथा महिलाओं की संख्या घटकर 1.19 लाख ही है ।

8.65 रोजगार की स्थिति और रोजगार के प्रयास : प्रदेश में स्थित 52 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से वर्ष 2016 में (दिसम्बर 2016 तक) 134 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया । इनमें से 01 महिलाएं, 11 अनुसूचित जाति एवं 03 अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं, जबकि पूर्व वर्ष 2015 में रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराये गये कुल 334 व्यक्तियों में से 07 महिलाये, 30 अनुसूचित जाति एवं 04 अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति थे ।

प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन

8.66 प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन : प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन की गणनानुसार 31 मार्च, 2016 के अंत तक राज्य में कुल 744137 कर्मचारी कार्यरत रहे । कुल शासकीय कर्मचारियों में वर्ष 2015 की अपेक्षा वर्ष 2016 में 2.39 प्रतिशत की कमी हुई । कुल कर्मचारियों में शासकीय विभागों में नियमित कर्मचारी 446762 राज्यीय सार्वजनिक उपक्रम एवं अर्द्ध-शासकीय संस्थाओं में 63449 नगरीय स्थानीय निकायों में 84079 ग्रामीण स्थानीय निकायों में 141236 विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में 1739 एवं विश्वविद्यालय में 6872 कर्मचारी कार्यरत रहे ।

8.67 कारखानों की संख्या एवं नियोजन : राज्य में कुल पंजीकृत कारखानों की संख्या 15556 है जिसमें कुल नियोजन क्षमता 862012 है वर्ष 2016 -17 में माह 31.12.2016 तक नए पंजीकृत कारखानों की संख्या 178 है जिसमें नियोजन क्षमता 8478 है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार : ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विभिन्न रोजगार मूलक कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक अधोसंरचना का निर्माण करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों के लिये अनेक योजनाओं का संचालन करता है ।

8.68 इंदिरा आवास योजना : ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा यह योजना क्रियान्वित की जा रही है । जिसमें वर्ष 2015-16 में 97109 आवास के लक्ष्य के विरुद्ध 56618 की उपलब्धि हुई है ।

8.69 मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजन: योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में स्वीकृत आवास 16464 में 2036 आवासों को द्वितीय किश्त की राशि प्रदाय की गई है ।

8.70 मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन : यह योजना प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में आवासहीन एवं कच्चे/अर्धपक्के आवासों में निवासरत ग्रामीणों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2011-12 से प्रारंभ की गई । यह मिशन 11 राष्ट्रीयकृत बैंकों 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं 6 जिला सहकारी बैंकों की सहभागिता से चलाया जा रहा है । योजनान्तर्गत दिसम्बर 2016 तक कुल वार्षिक लक्ष्य 75 हजार के विरुद्ध 46104 हितग्राहियों को बैंको द्वारा आवासीय ऋण स्वीकृत कर रु. 4610.40 करोड ऋण एवं अनुदान वितरित किया गया है ।

8.71 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) : योजना का औपचारिक शुभारंभमान. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 04.12.2016 से किया गया है । जिसका भौतिक लक्ष्य 335036 एवं वित्तीय लक्ष्य 418125.17 लाख है । योजनान्तर्गत वर्तमान 147428 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र जारी कर दिये गये है ।

8.72 ग्रामीण यांत्रिकी सेवा : सामान्य क्षेत्र में 500 तथा आदिवासी क्षेत्र में 250 से कम आबादी के समस्त राजस्व ग्रामों को सिंगल कनेक्टिविटी द्वारा पुल-पुलियों सहित ग्रेवल सडक उपलब्ध कराने हेतु मनरेगा, बीआजीएफ और मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना का शुभारंभ वर्ष 2010-11 में किया गया है । योजनान्तर्गत दिसम्बर 2016 तक 6420 सडकें लम्बाई 14124 किमी. पूर्ण की जाकर आवागमन सुगम कर दिया गया है जिसे 6863 ग्रामों को मुख्य मार्ग से जोडा जा चुका है । व्यय की गई राशि 2489 करोड रु. है ।

8.73 मध्यप्रदेश दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) : योजनान्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में 108934 ग्रामीण युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण एवं 603 रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये है । वर्ष 2015-16 में मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण तथा मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में भौतिक लक्ष्य 1800 एवं 5000 के विरुद्ध क्रमशः 2468 एवं 5009 प्रकरण स्वीकृत कराये गये ।

8.74 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-मध्यप्रदेश : योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह जनवरी 17 तक 51 जिलों में 100 दिवस का कार्य पूर्ण करने वाले परिवारों की संख्या 32799 रही एवं कुल व्यय राशि 2633.13 करोड़ रु. रही पूर्ण कार्य की संख्या 259992 आंकी गई जिसमें कार्य उपलब्ध करवाये गये निःशक्तजनों की संख्या 34104 रही है ।

8.75 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम : शिक्षा का लोकव्यापीकरण तथा शाला में दर्ज विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि तथा उपस्थिति में निरन्तरता रखने हेतु यह कार्यक्रम सभी प्राथमिक /माध्यमिक शासकीय शासन से अनुदान प्राप्त शालाओं तथा राज्य शिक्षा केन्द्रों से सहायता प्राप्त मदरसों में क्रियान्वित किया जाता है । लक्षित शालाओं के विद्यार्थियों को प्रत्येक शैक्षणिक दिवस में गर्म पका हुआ रूचिकर एवं पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है ।

वर्ष 2016-17 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लक्षित 64.11 लाख विद्यार्थियों के विरुद्ध 60.78 लाख विद्यार्थियों को लाभांशित किया गया । भोजन पकाने पर आने वाली लागत राशि रु. 77684.69 लाख वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध जिलों में राशि रु. 37463.61 लाख व्यय की गई है । प्रदेश में लगभग 1.15 लाख स्कूलों में गैस कनेक्शनों की संख्या बढ़कर लगभग 32850 हो गई है ।

8.76 पंचायतराज संचालनालय : प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय अनुशासन स्थापित करने के उद्देश्य से एक पंचायत -एक खाता व्यवस्था स्थापित की जाकर इस खाते से समस्त भुगतान बैंकों द्वारा खाते से खाते में राशि हस्तांतरण के लिए नियत प्रक्रियाओं जैसे आर.टी.जी.एस. /एन.ई.एफ.टी. से किया जा रहा है । प्रदेश की ग्राम पंचायतों को स्मार्ट रूप से विकसित करने के स्मार्ट ग्राम पंचायत तैयार की जा रही है ।

पंचायतराज संचालनालय अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में निर्धारित आयोजना राशि 1271.86 करोड़, आयोजनेत्तर राशि 3434.20 करोड़ इस प्रकार कुल राशि रु. 4706.06 करोड़ है ।

- पंचायतराज भवन निर्माण योजना में कुल 5166 भवनों के निर्माण हेतु लागत राशि 674.70 करोड़ में से 1189 भवन रु. 155.15 करोड़ की लागत के पूर्ण हुए हैं ।
- स्टेडियम निर्माण हेतु प्रदेश की 208 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में रु. 80.00 लाख प्रति स्टेडियम की लागत से कुल राशि 164.40 करोड़ के स्वीकृत स्टेडियम निर्माण के कार्यों में से 02 स्टेडियम के कार्य पूर्ण तथा 134 कार्य प्रगतिरत हैं ।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण हॉट बाजार योजनान्तर्गत अब तक 276.14 करोड़ लागत 1115 हॉट बाजार के स्वीकृत कार्यों में से 282 कार्य पूर्ण एवं 833 कार्य प्रगतिरत हैं ।

8.77 पुरस्कार योजना : योजनान्तर्गत निर्विरोध निर्वाचित हुए सरपंच तथा पंचों को पुरस्कृत करने हेतु यह त्रि-स्तरीय पुरस्कार योजना में राशि रु. 1956.00 लाख जारी किया गया है ।

स्वच्छ भारत मिशन

मध्यप्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) 2019 तक सभी 122 लाख घरों में स्वच्छ शौचालय का निर्माण पश्चात 22825 ग्राम पंचायत एवं 52000 ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त करना है । इस वित्तीय वर्ष में जिलो द्वारा कुल 8608 ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है । अभियान में भागीदारी के लिए 10000 प्रशिक्षित स्थानीय ग्रामवासियों को प्रेरक एवं स्वच्छता दूत के रूप में उपयोग किया जा रहा है । मिशन लीडर कलेक्टर को भी नेतृत्व करने हेतु प्रोत्साहित किया गया है ।

ग्रामों को स्वच्छ बनाने हेतु वर्ष 2016-17 में प्रदेश की कुल 3000 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य के लिए प्रस्तावित किया गया है । राज्य के नवाचार प्रयासों भाई नं. 1 एवं रददी से समृद्धि को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है । मध्यप्रदेश में दिसम्बर 2016 तक 60.74 लाख घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है । जिसकी प्रोत्साहन राशि के रूप में 1450 करोड रु. व्यय किये गये है ।

शहरी क्षेत्र में रोजगार

8.78 दीनदयाल अन्त्योदय योजना -राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM):

8.84.1 दीनदयाल अन्त्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसमें 75 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है । यह योजना शहरी गरीबों के उत्थान के लिए स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना के स्थान पर अक्टूबर, 2013 से लागू की गई है ।

8.84.2 यह योजना वर्ष 2011 से जनगणना के आधार पर अक्टूबर 2013 से प्रदेश के 55 शहरों में लागू की गई है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :

क्रं.	जनसंख्या	प्रदेश के शहर
1	10 लाख से अधिक	इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर
2	5 लाख से 10 लाख	उज्जैन
3	3 लाख से 5 लाख	सागर
4	1 लाख से 3 लाख	देवास, सतना, रतलाम, रीवा, कटनी, सिंगरौली, खण्डवा, मुरैना, भिण्ड, बुरहानपुर, गुना, विदिशा, छतरपुर, शिवपुरी, मंदसौर, छिन्दवाडा, खरगौन, नीमच, दमोह, होशंगाबाद, सिवनी, बैतुल, दतिया, इटारसी, नागदा, प्रीथमपुर, डबरा ।
5	01 लाख से कम (जिला मुख्यालय शहर)	शहडोल, बालाघाट, अशोकनगर, टीकमगढ, श्योपुर, शाजापुर, हरदा, नरसिंहपुर, सीधी, सीहोर, मडंला, रायसेन, पन्ना, बडवानी, झाबुआ, उमरिया, राजगढ, अलीराजपुर, अनुपपुर, डिण्डोरी, धार, आगर,

वित्तीय वर्ष 2017-18 में शेष शहरी में योजना का विस्तार किया जायेगा ।

8.79 योजना के प्रमुख घटक :

- सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास ।
- कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से
- स्वरोजगार कार्यक्रम
- क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षण
- शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता
- शहरी गरीबों के लिए आश्रय योजना

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) योजना अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की जानकारी तालिका 8.12 निम्नानुसार है :

तालिका 8.12
शहरी रोजगार आजीविका मिशन (NULM) की प्रगति)

(रु० लाख में)

क्र.	कार्यक्रम का नाम	वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि	
			वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक
1	स्वरोजगार कार्यक्रम	2015-16	7200.00	12000	9730.42	14327
2	कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार		4000.00	40000	2944.67	44714
3	स्वरोजगार कार्यक्रम	2016-17 माह दिसम्बर 2016 तक	7200.00	12000	5830.79	8188
4	कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार		4000.00	40000	1652.60	44432

राज्य शासन की नवीन योजनायें

8.80 हाथठेला एवं साइकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना : प्रदेश के शहरों में मुख्यमंत्री हाथठेला एवं सायकल रिक्शा चालक कल्याण योजना वर्ष 2009 से प्रारंभ की गई है। इस योजना अन्तर्गत पंजीकृत सदस्यों को स्वरोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाता है। वर्तमान तक 53102 सदस्यों को सहायता उपलब्ध करा दी गई है। प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता, जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।

8.81 शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना : शहरी घरेलू कामकाजी बहनों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना वर्ष 2009 से प्रारम्भ की गई है। योजना में घरेलू कामकाजी महिलाओं का पंजीयन कर आई.टी.आई. एवं अन्य संस्थाओं से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण अवधि में 2000/- पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति सहायता, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता, जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। वर्तमान तक 52128 कामकाजी बहनों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

8.82 मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना : प्रदेश में शहरी फेरीवालों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री (पथ पर विक्रय करने वाले) शहरी गरीबों के लिए कल्याण योजना वर्ष 2012 से लागू की गई है। इस योजना अन्तर्गत पंजीकृत सदस्यों को स्वरोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान तक 27350 सदस्यों को सहायता उपलब्ध करा दी गई है। प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता, जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।

8.83 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनांतर्गत केश शिल्पी कल्याण योजना : राज्य शासन द्वारा प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में केश शिल्पी का कार्य कर रहे केश शिल्पियों के कल्याण के लिए केश शिल्पी कल्याण योजना वर्ष 2013 में लागू की गई है। इस योजना अन्तर्गत पंजीकृत सदस्यों को स्वरोजगार स्थापना हेतु मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान तक 8340 सदस्यों को सहायता उपलब्ध करा दी गई है। प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता, अनुग्रह सहायता, जनश्री बीमा योजना आदि सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।

8.84 मुख्यमंत्री मानव श्रम रहित ई-रिक्शा एवं ई-लोडर योजना : शहरी गरीबों के शारीरिक श्रम को न्यूनतम कर उच्च आय अर्जित करने के युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जनवरी 2017 से मुख्यमंत्री मानव रहित ई-रिक्शा एवं ई-लोडर योजना प्रारंभ की गई है। उक्त योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अन्तर्गत अतिरिक्त घटक के रूप में वित्त पोषित होगी।

8.85 मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना: योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए स्वरोजगार स्थापित करने के हेतु परियोजना लागत 50,000 रु. तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान तथा बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर में 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर की अंतर राशि को ब्याज अनुदान के रूप में अधिकतम 7 वर्ष तक दिया जायेगा। यह योजना वर्ष 2015-16 से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर तक 6308 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया।

8.86 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना: योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए व्यक्तिगत स्वरोजगार स्थापित करने हेतु परियोजना लागत 2,00,000

रु. तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है । परियोजना का 20 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान तथा बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर से 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर की अन्तर राशि को ब्याज अनुदान के रूप में अधिकतम 7 वर्ष तक दिया जायेगा। समूह के लिए रोजगार स्थापित करने हेतु परियोजना लागत 10,00,000 रु. तक बैंक के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है । परियोजना लागत का 15 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान तथा बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर से 7 प्रतिशत से अधिक ब्याज दर की अन्तर राशि को ब्याज अनुदान के रूप में अधिकतम 7 वर्ष तक दिया जायेगा । यह योजना वर्ष 2015-16 से प्रारंभ की गई है । वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर तक 7251 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया ।

महिला एवं बाल विकास

प्रदेश में बच्चों एवं महिलाओं के संरक्षण, उन्नति एवं सर्वांगीण विकास हेतु एकीकृत बाल विकास परियोजनायें संचालित की जा रही है । बच्चों के शारीरिक मानसिक एवं बौद्धिक विकास एवं कुपोषण से मुक्त कराने हेतु 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिए महिला एवं बाल विकास परियोजनाएं तथा 73 शहरी बाल विकास परियोजनाएं सहित प्रदेश में कुल 453 समेकित बाल विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं । इन 453 बाल विकास परियोजनाओं में कुल 84465 हजार आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत है । इसके अतिरिक्त 12670 हजार मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं ।

8.87 पोषण आहार की व्यवस्था : मध्यप्रदेश में संचालित 453 समेकित बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 84465 हजार आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 12670 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के द्वारा लगभग 80.00 लाख हितग्राहियों को पूरक पोषण आहार से लाभान्वित किया जा रहा है । आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था हेतु व्यय की जाने वाली राशि से 50 प्रतिशत की राशि भारत सरकार महिला बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार निम्नानुसार पूरक आहार दिए जाने का प्रावधान है ।

हितग्राही	01-08-2013 से पुनरीक्षित दर	उपलब्ध कराई जाने वाली प्रोटीन की मात्रा	उपलब्ध कराई जाने वाली कैलोरी की मात्रा
06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चे	रु.6.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	12-15 ग्राम	500
अतिकम वजन के बच्चे (06 माह से 06 वर्ष तक)	रु. 9.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	20-25 ग्राम	800
गर्भवती/धात्री माता	रु. 7.00 प्रति प्रतिदिन	18-20 ग्राम	600

- **06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चे/गर्भवती धात्री माताओं :** वर्तमान में प्रदेश में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में नवीन व्यवस्था के अनुसार 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों गर्भवती/धात्री माताओं को एम.पी.एगो के माध्यम से सप्ताह के 5 दिन निम्नानुसार निर्धारित मात्रा में अलग-अलग दिवसों में दिया जा रहा है ।

क्रं.	खादयान का नाम	हितग्राही	प्रतिदिन की मात्रा	प्रोटीन ग्राम	कैलरी
1	2	3	4	5	6
1	गेहूँ सोया बर्फी (प्रिमिक्स)	गर्भवती/धात्री मातायें	150 ग्राम	18.00	600
2	आटा बेसन लड्डू (प्रिमिक्स)	गर्भवती/धात्री मातायें	150 ग्राम	18.00	600.00
3	हलुआ (प्रिमिक्स)	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	120 ग्राम	12.00	500
4	बाल आहार (प्रिमिक्स)	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	120 ग्राम	12.00	500
5	खिचड़ी	6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे	125 ग्राम	12.00	500
		गर्भवती/धात्री मातायें	150 ग्राम	18.00	600

- **03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चे :** ग्रामीण क्षेत्र की बाल विकास परियोजनाओं में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चे को सांझा चूल्हा के माध्यम से सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन पृथक पृथक निम्न मीनू अनुसार पूरक पोषण आहार देने के रूप में दिए जाने के प्रावधान हैं ।

दिन	सुबह का नाश्ता	दोपहर का भोजन	प्रोटीन	ग्राम
	रैसिपी	रैसिपी		
सोमवार	पौष्टिक खिचड़ी	रोटी सब्जी तुअर दाल	12-15	500
मंगलवार	थुली,(मीठी-नमकीन)	खीर-पुडी-मूंगबडी-आलू टमाटर सब्जी		
बुधवार	मीठी लाप्सी	रोटी-चने की दाल, मिक्स सब्जी		
गुरुवार	मीठी लाप्सी	चावल-पुलाव-पकोड़े वाली कढ़ी		
शुक्रवार	थुली,(मीठी-नमकीन)	रोटी-मूंगदाल, हरे या सूखे मटर की सब्जी		
शनिवार	पौष्टिक खिचड़ी	पराठा-सीजनेबल हरी सब्जी-मिक्स		
		दाल		

दिनांक 15 दिसम्बर 2016 से ताजा गरम नाश्ते स्थान पर रेडी-टू-ईट नाश्ता प्रदाय किये जाने का प्रावधान किया गया है । रेडी-टू-ईट नाश्ते में नमकीन मठरी, रागी लड्डु या पौष्टिक सुजी बेसन लड्डु में से प्रति सप्ताह एक रैसिपी दिये जाने का प्रावधान रखा गया है ।

शहरी क्षेत्र की बाल विकास परियोजना में 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को स्थानीय स्वसहायता समूहों, के माध्यम से सांझा चूल्हा कार्यक्रम के मेनू के अनुरूप ही पोषण आहार दिये जाने का प्रावधान रखा गया है ।

- **06 माह से 06 वर्ष तक के अतिकम वजन के बच्चों हेतु तीसरा मील:** 06 माह से 06 वर्ष तक के आंगनवाडी केन्द्र में दर्ज अति कम वजन के बच्चों को थर्ड मील के रूप में सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को दोपहर के भोजन के मीनू अनुसार तथा मंगलवार गुरुवार एवं शनिवार को नाश्ता के मेनू अनुसार दिये जाने का प्रावधान है ।
- **03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को दूध का प्रदाय:** आंगनवाडी केन्द्रों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा स्वयं के वित्तीय संसाधनों से प्रदेश के समस्त आंगनवाडी केन्द्रों/उप आंगनवाडी केन्द्रों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को मीठा सुगन्धित स्किम्ड फ्लेवर्ड मिल्क 15 जुलाई 2015 से सप्ताह के 03 दिवस (सोमवार, बुधवार, शुक्रवार) को प्रदाय किया जा रहा है । प्रत्येक बच्चे को 10 ग्राम मिल्क पावडर से निर्धारित विधि अनुसार 100 एम.एल.दूध तैयार कर दिया जा रहा है ।

8.88 सबला योजना (किशोरी बालिका) : भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार राज्य सरकार द्वारा चयनित 15 जिलों में सबला योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है । 11 से 14 वर्ष तक की शाला त्यागी एवं 14 से 18 वर्ष तक की सभी किशोरी बालिकाओं को सप्ताह के 6 दिन टेक होम राशन के रूप में निम्नानुसार पूरक पोषण आहार दिए जाने का प्रावधान दिया गया है ।

क्रं.	खादयान का नाम	हितग्राही	प्रतिदिन की मात्रा	प्रोटीन ग्राम	कैलोरी
1	गेहूं सोया बर्फी प्रिमिक्स	किशोरी बालिकाएं	150 ग्राम	18.00	600
2	खिचडी	किशोरी बालिकाएं	150 ग्राम	18.00	600

पूरक पोषण आहार अंतर्गत बजट प्रावधान :

- आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार की व्यवस्था हेतु व्यय की जाने वाली राशि से 50 प्रतिशत की राशि भारत सरकार द्वारा महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है ।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 (30.01.2017) में पोषण आहार अंतर्गत राशि रु. 1126.07 करोड का प्रावधान रखा गया है तथा सबला योजनान्तर्गत राशि रु.136.64 करोड का पृथक से प्रावधान किया गया है ।

8.89 अटल बिहारी बाजपेयी बाल आयोग्य एवं पोषण मिशन : बच्चों के कुपोषण की गंभीर चुनौती का सामना मिशन मोड में किये जाने हेतु "अटल बिहारी बाजपेयी बाल आयोग्य एवं पोषण मिशन" का प्रारंभ प्रदेश में किया गया है । बाल स्वास्थ्य एवं पोषण पर आधारित इस मिशन के माध्यम से प्रदेश में बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार एवं कुपोषण के निदान की दिशा में प्रयास किये जायेंगे ।

मिशन के माध्यम से कुपोषित बच्चों एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं के संदर्भ में आई.सी.डी.एस.तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की Gap Filling माध्यम से सेवाओं का सुदृढीकरण किया जावेगा । मिशन के माध्यम से वर्ष 2015 तक 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्युदर 94.2 प्रति हजार से घटाकर 60 प्रति हजार तक लाने, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कम वजन के बच्चों की वर्तमान दर 60 प्रतिशत को घटाकर 40 प्रतिशत तथा वर्ष 2020 तक इसे 20 प्रतिशत तक लाने एवं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में गंभीर कुपोषण SAM की दर को घटाकर 5 प्रतिशत तक लाने तथा वर्ष 2020 तक इसको नगण्य करने का लक्ष्य रखा गया है । वर्ष 2016-17 (30.01.2017) तक हेतु मिशन के अंतर्गत 51.35 करोड़ रुपये प्रावधान किया गया ।

महिला सशक्तिकरण

8.90 लाइली लक्ष्मी योजना :

उद्देश्य-

बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं की शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार तथा उनके अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्य से लाइली लक्ष्मी योजना मध्यप्रदेश में वर्ष 2007 से लागू की गई है।

आवेदन प्रक्रिया: आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से/ परियोजना कार्यालय/लोक सेवा केन्द्र अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे से आवेदन/ रजिस्ट्रेशन कर सकेगा। (प्रकरण स्वीकृति हेतु समस्त दस्तावेजों का परीक्षण परियोजना कार्यालय से कराया जाना होगा। तत्पश्चात् प्रकरण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जा सकेगा।) प्रकरण स्वीकृति उपरांत बालिका के नाम से शासन की ओर से रुपये 1,18,000/- का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

- योजना हेतु पात्रता की शर्तें- (सामान्य प्रकरणों हेतु)
- बालिका का परिवार (माता-पिता) मध्यप्रदेश के मूल निवासी होना चाहियें।
- परिवार (माता-पिता) जिनकी 2 या 2 से कम संतान हो।
- आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकरण हेतु आवेदन के पूर्व परिवार नियोजन अपना लिया हो।
- यदि बालिका परिवार की प्रथम संतान है व उसका जन्म 1 अप्रैल 2008 को अथवा उसके उपरांत हुआ है, बालिका को, परिवार नियोजन अपनाये बिना योजना का लाभ प्राप्त होगा किन्तु द्वितीय संतान की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व परिवार नियोजन अपनाना आवश्यक होगा।
- परिवार (माता-पिता) आयकर दाता नहीं होना चाहिये।
- बालिका का पंजीयन बालिका के जन्म के एक वर्ष अंदर आंगनबाड़ी केन्द्र पर कराना होगा।
- योजना हेतु पात्रता की शर्तें- (विशेष प्रकरणों हेतु)
- अनाथ/ दत्तक बालिका की दशा में संबंधित अनाथालय/ संरक्षण गृह के अधीक्षक द्वारा अनाथालय में प्रवेश के 1 वर्ष के अंदर तथा बालिका की आयु 6 वर्ष से पूर्व या दत्तक लेने वाले माता-पिता द्वारा दत्तक लेने के 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना होगा ।
- जिस परिवार में अधिकतम 2 संतान है तथा माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई है, उस परिवार के लिये , बच्ची के जन्म के 5 वर्ष के अंदर आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से पंजीकरण कराया जा सकता है।
- प्रथम प्रसूति के समय एक साथ 3 लड़कियों के जन्म लेने पर भी तीनों बच्चियों को योजना का लाभ मिलेगा किन्तु परिवार को 1 वर्ष के अंदर परिवार नियोजन अपनाना आवश्यक होगा।
- ऐसे अभिभावक जो चिकित्सीय कारणों से बालिका के जन्म के 1 वर्ष के अंदर आवेदन या परिवार नियोजन नहीं अपना पाये हैं, उन्हें यह सुविधा होगी कि आगामी 1 वर्ष की अवधि अर्थात् बालिका के जन्म के 2 वर्ष के अंदर आवेदन संबंधित जिला कलेक्टर को कर सकेगे।

8.91 योजना के अंतर्गत भुगतान

अंतरिम भुगतान-

बालिका के -

कक्षा 6 वी में प्रवेश लेने पर रूपये 2000/-

कक्षा 9 वी में प्रवेश लेने पर रूपये 4000/-

कक्षा 11 वी में प्रवेश लेने पर रूपये 6000/-

कक्षा 12 वी में प्रवेश लेने पर रूपये 6000/-

ई- पेमेंट के माध्यम से किया जावेगा।

अंतिम भुगतान-

रूपये 1 लाख, बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर तथा कक्षा 12 वी की परीक्षा में सम्मिलित होने पर भुगतान किया जायेगा , किन्तु शर्त यह होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व न हुआ हो ।

उपलब्धि-

लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में दिसम्बर 2016 तक लक्ष्य के विरुद्ध 2,20,125 बालिकाओं को लाभान्वित किया जाकर कुल राशि रु. 596 करोड़ व्यय किये गये । वहीं योजना प्रारंभ वर्ष 2006 से वर्तमान तक कुल 24.50 लाख से अधिक बालिकाओं को योजना का लाभ दिया गया । इस वित्तीय वर्ष में कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाली लगभग 20,000 बालिकाओं को छात्रवृत्ति की राशि रु. 2,000/- प्रति बालिका प्रदाय की जा रही है ।

8.92 शौर्या दल योजना : मध्यप्रदेश में महिलाओं / बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा से मुक्त वातावरण तैयार करने तथा समुदाय के विकास हेतु समुदाय के 5 महिलाओं एवं 5 पुरुष का दल तैयार किया गया । यह दल समुदाय के विकास हेतु समुदाय एवं शासन के मध्य सेतु का कार्य करता है । वर्तमान में 60,000 से अधिक शौर्या दलों का गठन किया जा चुका है ।

8.93 लाडो अभियान : बाल विवाह रोकथाम हेतु वर्ष 2013 से लाडो अभियान प्रारंभ किया गया । समाज में प्रचलित बाल विवाह जैसी कुरीतियों से बच्चों का शारीरिक , मानसिक, बौद्धिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण बाधित हुआ है। इससे बालक एवं बालिकाओं का उनके कई अधिकारों से वंचन हो जाता है। बच्चों के जीवन की सुरक्षा, महिला के स्वास्थ्य में सुधार के लिए बाल विवाह रोकथाम अति आवश्यक है।

लाडो अभियान अन्तर्गत 82034 तय बाल विवाह सम्पन्न होने के पूर्व परामर्श/समझाईश से रोके गए, 3789 बाल विवाह स्थल पर रोके गए 32 बच्चों के द्वारा स्वयं का बाल विवाह शून्य /अमान्य घोषित कराया । 3084 बच्चें ब्रांड एम्बासेडर वन बाल विवाह रोकथाम के लिए सहयोग कर रहे हैं । "प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा लाडो अभियान को वर्ष 2014 का प्रधानमंत्री लोक सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार" से सम्मानित किया गया। वर्ष 2016 में भारत को लाडो अभियान के लिए अंतराष्ट्रीय अवार्ड CAPAM से किया गया ।

8.94 मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना : यह महसूस किया गया कि विभिन्न तरह की विपत्तिग्रस्त महिलायें यथा जेल से रिहा, बलात्कार से पीड़ित, एसिड विक्टिम, अग्नि पीड़ित दुर्व्यवहार से बचायी गई महिला अथवा बालिका, आश्रय गृहों में निवासरत बालिकायें अथवा महिलाओं, आदि श्रेणी की गरीब महिलाओं को कई बार पारिवारिक सहायता नहीं मिल पाती है जिससे उनके जीवन यापन के सभी रास्त बंद हो जाते हैं। अतः देश में सर्वप्रथम नवाचार के रूप में "मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना" प्रदेश में सितम्बर 2013 से प्रारंभ की गई है। वर्ष 2014-15 में 577 एवं वर्ष 2015-16 में कुल 817 हितग्राहियों का विभिन्न प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया था जिसमें से 709 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। योजना को 2015 में स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त हो चुका है।

वर्ष 2015-16 (जुलाई 2015 से मार्च 2015 तक)		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19	
चयनित हितग्राही	प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राही	चयनित हितग्राही	प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राही	चयनित हितग्राही	प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राही	चयनित हितग्राही	प्रशिक्षण प्राप्त हितग्राही
817	709	1000	1000	1500	1500	2000	2000

**योजना की प्रगति-हितग्राही अनुसार
31.12.2016 तक**

श्रेणीवार	संख्या
विपत्तिग्रस्त महिला	98
जेल में रिहा/जेल में बंद	153
बलात्कार पीड़िता	03
विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता	91
दहेज पीड़िता	03
शास. गृह में निवासरत	81
घरेलू हिंसा	13
कुल	442

उक्त हितग्राहियों में वर्ष 2015-16 में चयनित ऐसे हितग्राही भी सम्मिलित हैं जिनका प्रशिक्षण 15-16 में प्रारंभ नहीं हो सका। इनका प्रशिक्षण वर्ष 2016-17 में प्रारंभ किया गया है।

योजना की प्रगति—प्रशिक्षण अनुसार

वर्ष 2014-15		वर्ष 2015-16	
प्रशिक्षण के विषय	प्रगति	प्रशिक्षण के विषय	प्रगति
ब्यूटी पार्लर	192	फैशन डिजाईनिंग वस्त्र निर्माण एवं सिलाई	290
कम्प्यूटर	144	आई.टी.आई.कोर्स	117
बी.एड.	21	ब्यूटीशियन	118
डी.एड.	12	नर्सिंग	49
नर्सिंग	74	Electrician & Electronics Domestic Trade	40
हॉस्पिटलिटी	9	ड्रेसर एवं असिस्टेन्ट/वार्ड परिचर	35
फसमेंसी	4	Rexine bag making	38
प्रयोगशाला सहायक	6	बी.पी.ओ.	39
कुकिंग/बैंकिंग	8	टेली	08
शार्ट हेण्ड	5	शार्ट टर्म मैनेजमेंट कोर्स (कुकिंग/बैंकिंग)	08
आई.टी.आई.कोर्स	54	जूट शिल्प विद्या	20
फैशन डिजाईनिंग	19	कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर नेटवर्किंग	10
फिजियोथेरेपी	25	फूड प्रोसेसिंग	25
टाईपिंग	4	कौशल विकास उन्नयन	20
कुल योग	577	कुल योग	817

8.95 महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध, प्रतितोष) अधिनियम 2013 एवं नियम 2013 : महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम-2013 एवं नियम-2013, महिलाओं को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है। अधिनियम अन्तर्गत समस्त नियोक्ता (शासकीय/अशासकीय) अथवा कार्य स्थल के प्रभारी (सार्वजनिक/निजी/गैरसरकारी) का कर्तव्य है कि यौन उत्पीड़न की रोकथाम करे तथा इस बारे में सभी अपेक्षित कदम उठा कर यौन उत्पीड़न के कृत्यों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करे।

• **लैंगिक उत्पीड़न क्या है ? :-**

1. शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाएं या
2. लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करना या
3. लैंगिक आभास वाली टिप्पणियां करना या
4. अक्षील साहित्य दिखाना या लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य निंदनीय, शारीरिक, शाब्दिक या गैर शाब्दिक आचरण करना।

• **लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित अन्य कृत्य :-**

अहितकारी व्यवहार, या धमकी या वर्तमान या भावी नियोजित को प्रभावित करने वाली स्थिति या कार्य में हस्तक्षेप या आपराधिक कृत्य या शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण का सृजन करना या स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने वाला अपमान जनक आचरण करना भी लैंगिक उत्पीड़न माना जायेगा।

कार्यस्थल क्या है ?

विभाग, शासकीय/अशासकीय संगठन, उपक्रम, उद्यम, उद्योग, बैंक, कारखाना, दुकान, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट, सरकारी कंपनी, सोसायटी, अस्पताल नर्सिंग होम, उत्पादन, प्रदाय, विपणन केन्द्र, मनोरंजन केन्द्र, खेलकूद, शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान, कार्य के संबंध में यात्रा के दौरान, गृह (घरेलू कामकाजी महिला) निर्माण स्थल आदि।

शिकायत कहां करें :

1. अपने कार्यालय (शासकीय/अशासकीया) में गठित आंतरिक परिवाद समिति।
2. जिला स्तर पर गठित स्थानीय परिवाद समिति।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला- पंचायत।
4. जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी।

आंतरिक परिवाद समिति :-

1. **पीठासीन अधिकारी:-** कार्यस्थल पर नियोजित वरिष्ठ महिला। कार्यस्थल पर वरिष्ठ महिला न होने पर उस कार्यस्थल की अन्य यूनिट या अन्य कार्यस्थल या अन्य विभाग या संगठन से भी नामांकित किया जा सकता है।
2. **सदस्य:-** कम से कम अन्य 2 व्यक्ति जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध हैं या जिनको समाज सुधार का अनुभव या विधि का ज्ञान हो।
3. **अशासकीय सदस्य:-** 01 - गैर सरकारी संगठनों में जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध या ऐसा कोई व्यक्ति जो लैंगिक उत्पीड़न के मुद्दों से परिचित हो। समिति के कुल सदस्यों में आधी महिला सदस्य होगी।

8.96 स्थानीय परिवाद समिति : जिस कार्य स्थल पर 10 से कम कर्मचारी/अधिकारी/कर्मकार नियोजित होने पर या घरेलू कामकाजी महिला या शिकायत नियोजक के खिलाफ होने पर प्रत्येक जिले में गठित स्थानीय परिवाद समिति को शिकायत की जायेगी। स्थानीय परिवाद समिति में जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी पदेन सदस्य हैं।

- कानून के प्रमुख प्रावधान
- प्रत्येक कार्यस्थल पर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी/अधिकारी नियोजित होने पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन करना। गठित नहीं करने पर शास्ति का प्रावधान है।
- पीडिता या अन्य द्वारा घटना की तारीख के 3 माह के अंदर समिति को शिकायत करना होगी।

- 90 दिवस में जांच पूरी की जाकर समिति की अनुशंसा पर 60 दिवस में नियोजक द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने पर जुर्माने का प्रावधान है।
- जांच लंबित रहने के दौरान व्यथित महिला के अनुरोध पर समिति की सिफारिश पर स्थानांतरण या छुट्टी या अन्य राहत प्रदाय की जायेगी।
- परिवाद की विषय वस्तु, जांच एवं कार्यवाही का प्रकाशन या सार्वजनिक करना प्रतिषेध है। सार्वजनिक करने पर शास्ति का प्रावधान है।
- सूचना के अधिकार अधिनियम अंतर्गत सूचना नहीं दी जा सकती है।
- मिथ्या या द्वेषपूर्ण शिकायत, मिथ्या साक्ष्य, गवाह के लिए दण्ड के प्रावधान है।

उपलब्धियां-

1. जिला अधिकारी-सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2014 द्वारा म.प्र. के समस्त अपर कलेक्टर (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत) को पदेन जिला अधिकारी अधिसूचित किया जा चुका है।
2. जिला स्तरीय नोडल अधिकारी- प्रत्येक जिले में जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी को अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
3. खण्ड स्तरीय नोडल अधिकारी- अधिनियम के प्राभावी क्रियान्वयन हेतु ब्लाक स्तर पर विकाखण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी एवं जिन विकासखण्डों में महिला सशक्तिकरण अधिकारी पदस्थ नहीं है, उन विकासखण्डों में बाल विकास परियोजना अधिकारी (एकीकृत बाल विकास सेवा) तथा शहरी क्षेत्र में समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को शिकायत प्राप्त कर स्थानीय परिवाद समिति को भेजने हेतु नोडल अधिकारी पदाभिहित किया गया है।
4. आन्तरिक परिवाद समिति- अधिनियम के पालन में मध्य प्रदेश के समस्त 51 जिलों में आन्तरिक परिवाद समिति का शासकीय कार्यालयों में गठन किया जा चुका है। तथा अशासकीय कार्यालयों में गठन की कार्यवाही जारी है।
5. स्थानीय परिवाद समिति-कुल 51 जिलों में स्थानीय परिवाद समिति का गठन किया जा चुका है।
6. प्रचार-प्रसार-अधिनियम के प्रचार-प्रसार हेतु दिनांक 15 एवं 16 दिसम्बर-2015 को राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जिला एवं संभाग स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन सतत किया जा रहा है। दैनिक समाचार पत्रों, दूरदर्शन के माध्यम से अधिनियम का प्रचार-प्रसार किया गया।
7. अधिनियम अन्तर्गत कुल 26 शिकायतें दर्ज की गईं जिनमें 16 शिकायतों का निराकरण किया गया।

8.97 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 : दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 अन्तर्गत दहेज का लेना या देना प्रतिषेध है। राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त जिला विधिक सहायता अधिकारियों को उनकी अधिकारिता के भीतर दहेज प्रतिषेध अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अधिनियम की धारा 08-ख (4) के अन्तर्गत जिलों में पदस्थ दहेज प्रतिषेध अधिकारियों को सलाह और सहायता देने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में सलाहकार बोर्ड के गठन का प्रावधान है। पूर्व में गठित सलाहकार बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, नवीन बोर्ड के गठन हेतु कुल 51 जिलों से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। दहेज सलाहकार बोर्ड का प्रशिक्षण प्रशासन अकादमी में आयोजित किया जा रहा है।

8.98 वन स्टॉप सेन्टर (सखी) योजना : सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही छत के नीचे तत्काल आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन सुविधायें जैसे-अस्थायी आश्रय, पुलिस-डेस्क, विधि सहायता, चिकित्सा, विधिक मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक परामर्श आदि सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी। वर्तमान में जिला इन्दौर, ग्वालियर, रीवा, सतना, देवास, खण्डवा एवं उज्जैन में केन्द्र प्रारम्भ किये गये हैं।

8.99 उषा किरण योजना : "घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2006" के तहत राज्य सरकार द्वारा उषा किरण योजना संचालित की जा रही थी, जिसे दिनांक 27 मई 2016 को पुनरीक्षित कर लागू की गई है। योजना अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में शासकीय उषा किरण केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। योजना अंतर्गत केन्द्र में ही सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं को विधिक सहायता, पुलिस सहायता, परामर्श, चिकित्सीय सहायता, एवं पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध करवाई जावेगी। उषा किरण केन्द्र में ही महिला डेस्क (पुलिस) को अधोसंरचना सहित हस्तांतरित किया जायेगा। काउंसलर एवं वकीलों का चिन्हित पैनल उषा किरण केन्द्र में सेवार्य देगा। शासकीय चिकित्सालय से केन्द्र को लिंक किया जायेगा।

अधिनियम के अन्तर्गत शासन ने 453 संरक्षण अधिकारी (बाल विकास परियोजना अधिकारी/ब्लाक स्तरीय महिला सशक्तिकरण अधिकारी) नियुक्त किये हैं।

8.100 स्वागतम लक्ष्मी योजना : महिलाओं को प्रति सम्मानजनक सकारात्मक सोच तथा समानता हेतु वातावरण का निर्माण करने, समाज में बालिकाओं को जन्म के पूर्व एवं जन्म के पश्चात समान रूप से स्वीकार करने तथा प्रत्येक स्तर पर महिलाओं की गरिमा को बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश में 24 जनवरी 2014 से स्वागतम लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गयी है।

8.101 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना : मध्यप्रदेश शासन द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार की मंशा अनुसार राज्य के चार जिलो क्रमशः ग्वालियर, दतिया, मुरैना एवं भिण्ड रीवा एवं टीकमगढ़ में संचालित की जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना बालिकाओं की देखदेख, सुरक्षा, शिक्षा तथा लिंगानुपात में सुधार हेतु 22 जनवरी 2015 में आरम्भ की गई। वर्ष 2016 से रीवा, टीकमगढ़, जिले भी इस योजना में सम्मिलित किये गये । इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन पूर्व से ही बालिकाओं के लिए अनेक अनूठी योजनाओं का संचालन कर रहा है, जो भारत सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सट्ट करती है। साथ ही मध्यप्रदेश शासन द्वारा उक्त योजना को पूर्ण प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित किये जाने हेतु कार्ययोजना तैयार की जा रही है ।

8.102 महिला नीति 2015 : मध्यप्रदेश शासन, महिलाओं की समानता, सुरक्षा, स्वतंत्रता तथा उनके न्याय, विकास एवं सशक्तिकरण के लिये प्रतिबद्ध है। महिलाओं के समाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण विकास के लिये संचालित लाईफ सायकिल एप्रोच आधारित प्रदेश के अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं की देश में अलग पहचान बनी है।

मध्यप्रदेश शासन का लक्ष्य महिलाओं का पूर्ण सशक्तिकरण है। राज्य की महिला नीति की मूल अवधारणा महिलाओं के प्रति समाज की मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाना है, जिससे, उनके साथ विद्यमान विभेदकारी असमानता की स्थिति समाप्त हो। महिलाओं के प्रति समानता एवं सम्मान की भावना एवं उनकी सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं विकास में समान भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा महिला पंचायत के अवसर पर दिनांक 19 मई 2015 को प्रदेश की महिला नीति 2015 को विमोचित किया गया।

8.103 जेण्डर रिस्पॉन्सिव बजट : भारत में सर्वप्रथम वर्ष 2007-08 में जेण्डर रिस्पॉन्सिव बजट (बी.आर.जी.) मध्यप्रदेश में लागू किया गया। वर्ष 2007-08 में बी.आर.जी. 13 विभागों को शामिल किया गया था, वहीं वर्तमान में कुल 25 विभागों में लागू किया गया है ।

8.104 जाबाली योजना : मध्य प्रदेश की कुछ जातियों में वैश्यावृत्ति व्यवसाय की कुप्रथा प्रचलित है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए राज्य शासन द्वारा वर्ष 92-93 से जाबाली योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत बेड़िया, बाछड़ा एवं सांसी जाति के उत्थान हेतु कार्य किये जा रहे हैं। स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से बच्चों के लिए 04 जिलों में 10 आश्रम शाला ईकाई एवं महिलाओं के लिए आर्थिक उपार्जन कार्यक्रम, स्वास्थ्य जांच, उपचार तथा जनचेतना और प्रचार-प्रसार की गतिविधियां संचालित है। राज्य शासन के आदेश क्रमांक 239/1388/2013/50-2 दिनांक 7/2/2014 द्वारा आश्रमशाला के हितग्राहियों को मिलनेवाली शिष्यवृत्ति राशि में वृद्धि कर राशि रु. 725/- एवं 750/- की स्वीकृति प्रदान की गई। इस

योजनांतर्गत एक यूनिट आश्रम शाला में 50 बालक/बालिकाओं की क्षमता निहित है। कुल 500 हितग्राही लाभान्वित हो रहे हैं। अब तक योजनान्तर्गत बालिकाओं को शिक्षा दिलाकर एवं आत्म निर्भर बनाकर कुल 773 विवाह करायें जाकर पुनर्वास हेतु प्रयास किया गया है।

इस योजना के लिये वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि रू. 500.00 लाख का प्रावधान किया गया। योजना की पुनर्संरचना अंतर्गत बच्चों की आश्रमशालाओं में समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत बालगृह के रूप में संचालित हैं।

8.105 मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड को अनुदान : राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड तथा उसकी परियोजनाओं के स्थापना, व्यय हेतु अनुदान स्वीकृत किया जाता है। बोर्ड के कार्यालय की स्थापना ,पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत तथा समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष की सुविधा हेतु व्यय का 100 प्रतिशत एवं कल्याण/विस्तार परियोजना के लिए 33 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 100.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

विभागीय शासकीय संस्थाएं :

1. बाल संरक्षण गृह : महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कुष्ठ रोगियों के स्वस्थ बच्चों के लिये 3 बाल संरक्षण गृह उज्जैन, सिवनी, सीधी में संचालित है। इन संस्थाओं का उद्देश्य कुष्ठ रोगियों के स्वस्थ बच्चों को उनके माता-पिता से अलग रखकर उनका पालन-पोषण करना है और उन्हें सामाजिक और शैक्षणिक संरक्षण प्रदान करना है। प्रत्येक में 30 बच्चों के रहने की व्यवस्था है।

2. राजकीय बाल संरक्षण आश्रम, इन्दौर : अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिये बाल संरक्षण आश्रम (अनाथालय) इन्दौर में संचालित है। इस आश्रम में अनाथ एवं निराश्रित बच्चों को आवास, भोजन और उनके शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इस आश्रम में रहने वाले अंतःवासियों की क्षमता 50 बच्चों की है। 13 वर्ष तक की आयु के निराश्रित एवं अनाथ बच्चों को इस संस्था में रखा जाता है।

8.106 शासकीय झूलाघर : निम्न एवं मध्यम आय वर्ग की कामकाजी महिलाओं के छह माह से छह वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए झूलाघर संचालित है। इन झूलाघरों में बच्चों को छह से आठ घण्टों के लिए रखा जाता है। एक झूलाघर के लिए एक बाल सेविका और एक आया रहती है। झूलाघर में बच्चों को रखने के साथ-साथ उन्हें खेल-खेल के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा भी दी जाती है। मध्यप्रदेश में कुल आठ शासकीय झूलाघर जिला ग्वालियर, सागर, उज्जैन, सतना, होशंगाबाद,भोपाल, खण्डवा, जबलपुर में स्वीकृत हैं। प्रत्येक झूलाघर में 25 बच्चों की क्षमता निर्धारित है।

8.107 स्वाधार गृह : भारत सरकार सहायित स्वाधार गृह योजना अन्तर्गत विधवाएँ, निराश्रित व परित्यक्त, पूर्व महिला कैदी, खरीद-फरोखत की द्वािकार और वैदुर्यालयों से छुड़ाई गयी महिलाओं सहित यौन-शोषण व अपराधों से पीड़ित महिलाओं, बाढ़, चक्रवात, भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण बेघर हो गयी महिलाओं, हिंसा से पीड़ित महिलाएँ आदि की आवदुर्यकताओं (अस्थायी आशुरय, भावनात्मक समर्थन, कौदुराल उन्नयन) को पूरा करने के लिये गृह संचालित किये जा रहे हैं। वर्तमान में 9 स्वाधार गृह राज्य में अशासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित हैं।

8.108 महिला उदुधार गृह इन्दौर : इम्मोरल ट्रेफिक (प्रिवेन्शन) एक्ट के अंतर्गत न्यायालय द्वारा भेजी गई महिलाओं और उनके बच्चों को इस संस्था में रखा जाता है और उनके नैतिक सुधुरार के साथ-साथ आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। महिला उदुधार गृह का उदुदेश्य वैश्यावृत्ति में संलग्न महिलाओं को अन्य स्वरोजगार मूलक धन्धों में लगाकर समाज में पुनर्स्थापित करना है। उदुधार गृह में 50 महिलाओं के रहने की क्षमता है। वर्तमान में रहवासियों की संख्या निरंक है।

8.109 महिला वसति गृह : अपने गृह नगर से बाहर व्यवसाय या नौकरी करने वाली महिलाओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उदुदेश्य से महिला वसति गृह स्थापित किये गये हैं। वसति गृह में कामकाजी महिलाओं के अलावा स्थान रिक्त रहने की स्थिति में कालेज या अन्य व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अधुययनरत छात्राओं को भी स्थान दिया जा सकता है। इन्दौर एवं जबलपुर में संचालित हैं। वर्तमान में कुल 40 महिलाएँ निवासरत हैं।

8.110 राज्य स्तरीय पुरस्कार : राज्य दुरासन महिला बाल विकास द्वारा व्यक्ति/संस्था/ महिला को प्रोत्साहित करने हेतु समाज सेवा ,वीरता ,साहस के कार्य करने पर निम्नलिखित राज्य स्तरीय पुरस्कार स्थापित किये गये हैं:-

क्र.	वर्ग	विवरण	पुरस्कार
1.	रानी अंबतिबाई वीरता पुरस्कार	महिला (वीरता हेतु)	राशि रू. 1.00 लाख पत्र प्रशस्ति पत्र
2.	राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार	महिला (समाज सेवा)	राशि रू. 1.00 लाख पत्र प्रशस्ति पत्र
3.	विष्णु कुमार समाज सेवा पुरस्कार	संस्था/व्यक्ति (समाज सेवा)	राशि रू. 1.00 लाख पत्र प्रशस्ति पत्र
4.	मुख्यमंत्री नारी सम्मान रक्षा पुरस्कार	पुरुष/महिला (नारी सम्मान की रक्षा हेतु)	राज्य स्तर पर 1.00 लाख जिला स्तर 50 हजार प्रदुरास्ति पत्र
5.	अरूणा शानबाग साहस पुरस्कार	महिला (महिला हिंसा के विरुद्ध वीरता पुरस्कार)	राशि रू. 1.00 लाख पत्र प्रशस्ति पत्र

8.111 समेकित बाल संरक्षण योजना : कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के समग्र कल्याण एवं पुर्नवास हेतु विभिन्न विभागों के तहत् संचालित बाल संरक्षण योजनाओं को केंद्रीय रूप में सम्मिलित कर प्रारम्भ की गई है। यह योजना बच्चों के बाल अधिकार संरक्षण एवं सर्वोत्तम बाल हित के दिशा निर्देशक सिद्धान्तों पर आधारित है। इस योजना के तहत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 का क्रियान्वयन मुख्य घटक है।

- समेकित बाल संरक्षण योजना उद्देश्य
- अनिवार्य सेवाओं को संस्थागत बनाना और संरचनाओं का सुदृढीकरण।
- सभी स्तरों पर क्षमताएं बढ़ाना।
- बाल संरक्षण सेवाओं के लिये डेटाबेस और ज्ञान आधार सृजन करना।
- परिवार और समुदाय स्तर पर बाल संरक्षण का सुदृढीकरण।
- सभी स्तरों पर अन्तर क्षेत्रीय प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
- सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना।

समेकित बाल संरक्षण योजना की प्रबंधन व्यवस्था राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति एवं विशेष किशोर पुलिस एकक (एस.जे.पी.यू.) विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड बाल संरक्षण समिति ग्राम स्तर पर ग्राम संरक्षण समिति द्वारा किया जाता है।

महिला एवं बाल विकास विभाग अन्तर्गत संचालित समेकित बाल संरक्षण योजना में 18 वर्ष से कम आयु के देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद (निराश्रित, अभ्यार्पित, बेसहारा) बच्चों के समग्र कल्याण हेतु संस्थागत एवं गैर संस्थागत कार्यक्रम संचालित है। इन कार्यक्रमों के तहत निम्नानुसार गतिविधियां संचालित की जाती हैं :-

- **विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी :** 0 से 6 वर्ष के बालकों के संरक्षण देखरेख तथा पारिवारिक पुनर्वास हेतु वर्तमान में कुल 37 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी संचालित है।
- **बाल गृह :** 6 से 18 वर्ष की आयु के देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को संरक्षण भरण पोषण, चिकित्सीय परीक्षण, उपचार, शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधाओं के अतिरिक्त पारिवारिक एवं व्यावसायिक पुनर्वास कर समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में प्रदेश में 46 बालगृह संचालित है।

- **आश्रय गृह** : संरक्षण की तत्काल आवश्यकता वाले निराश्रित, उपेक्षित एवं घर से भागे हुए बालकों को आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य के तहत आश्रय गृह की स्थापना की गयी है। वर्तमान में प्रदेश में 09 आश्रय गृह संचालित है।
- **खुला आश्रय गृह** : 18 वर्ष तक की आयु के गृहविहीन, फुटपाथ पर घूमने वाले, सड़क पर रहने वाले और कामकाजी बच्चों तथा बाल भिक्षुकों को आश्रय देने हेतु इन गृहों की स्थापना की गई है। यहां शिक्षण, प्रशिक्षण, मनोरंजन, परामर्श के द्वारा जीवन कौशल, व्यक्तित्व विकास, आत्म-सम्मान वर्धन एवं जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में 09 खुला आश्रय गृह संचालित है।
- **सम्प्रेक्षण गृह** : विधि का उल्लंघन करने वाले 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों को जमानत न होने तथा किशोर न्याय बोर्ड में प्रकरण के विचारण तक संरक्षण, भरण-पोषण चिकित्सीय परीक्षण, उपचार, शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में प्रदेश में 18 सम्प्रेक्षण गृह संचालित है।
- **पश्चातवर्ती गृह** : विद्रोष गृहों एवं बालगृहों से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरांत उन्मुक्त हुये बालक/बालिकाओं को 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक भरण पोषण, शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है तथा इन किशोर /किशोरियों का सामाजिक एवं व्यवसायिक पुनर्वास किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में 02 पश्चातवर्ती गृह संचालित है।

विशेष गृह : किशोर न्याय बोर्ड के आदेशानुसार दोष सिद्ध होने पर सुधार हेतु किशोरों को संरक्षण, भरण-पोषण, चिकित्सीय परीक्षण, उपचार, शिक्षण प्रशिक्षण एवं पुनर्वास की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, ताकि उनका समाज में व्यवस्थापन संभव हो सके। वर्तमान में प्रदेश में 03 विशेष गृह संचालित है।

8.112 गैर संस्थागत सेवाएँ

- **दत्तक ग्रहण** - दत्तक ग्रहण एजेन्सियों के माध्यम से दत्तक ग्रहण हेतु योग्य पाए गये बच्चों को दत्तक पर दिये जाने की प्रक्रिया की जाती है। प्रदेश में वर्तमान में 37 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी संचालित है।
- **पालन-पोषण देखभाल** : निराश्रित, बेसहारा, परित्यक्त बच्चों की देखरेख करने वाले व्यक्ति (कुटुम्ब से बाहर)/समूह को पालन-पोषण देखभाल योजनातर्गत संरक्षण भरण पोषण, शिक्षण प्रशिक्षण चिकित्सकीय देखभाल हेतु राशि रूपये 2000 प्रति बच्चा/प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान है।
- **प्रवर्तकता योजना (Sponsorship)** : योजनातर्गत बच्चों को समुदाय में पुनः मिलाने तथा उसके द्वािक्षण-प्रद्विक्षण, व्यवसायिक पुनर्वास एवं चिकित्सकीय देखभाल हेतु माता-

पिता या संरक्षक को बच्चों के प्रति उनके दायित्व को पूरा करने के लिए आर्थिक व्यवस्था के प्रयासों में सहयोग प्रदान किया जाता है। योजना का लाभ निर्धन परिवारों के ऐसे बच्चों को जो विषम आर्थिक परिस्थितियों के कारण संस्थाओं यथा - शिशुगृह, बालगृह, आश्रयगृहों में निवासरत हैं, प्रवृत्तता योजना के तहत आर्थिक सहायता रुपये 2000 प्रतिबच्चा/प्रतिमाह (अधिकतम दो बच्चों को) 03 वर्ष या 18 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक दिये जाने का प्रावधान है।

- **अनुवर्ती/पश्चात्कर्ती देखभाल** : 18 वर्ष से अधिक आयु के वे बच्चे जो संस्थागत देखभाल छोड़ने को हैं। ऐसे बच्चों को समाज के अनुकूल समर्थ बनाने तथा संस्था आधारित जीवन से दूर हटाने के लिए 6-8 युवाओं के समूहों को 3 वर्ष तक प्रति बालक/बालिका प्रतिमाह अधिकतम राशि 2000/ भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य, देखभाल, निवास, शिक्षण प्रशिक्षण के लिये प्रदान की जाती है।

8.113 ममत्व मेला : मध्यप्रदेश महिला वित्त विकास निगमद्वारा स्व-सहायता समूहों/विभिन्न महिला समूहों तथा ग्रामीण /शहरी महिला उद्यमियों द्वारा बनाई सामग्रियों के प्रदर्शन एवं विक्रय के लिए ममत्व मेला (म.प्र. महिला त्वरित विकास) का आयोजन किया जाता है ।

ममत्व मेले के द्वारा महिला उद्यमियों, विशेष तौर से ग्रामीण महिलाओं द्वारा अपने उत्पादों को सीधे शहर में बेचने का अवसर मिलना है, उनके द्वारा रोजगारोन्मुखीकरण के साथ-साथ उनमें आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है, साथ ही नये-नये उत्पादों की जानकारी के साथ एक ही स्थान पर सभी प्रकार के घरेलू एवं शुद्ध सामग्री प्राप्त हो जाती है ।

ममत्व मेले में ग्राहकों के निरन्तर सहयोग और आकर्षण को देखते हुए अपेक्षाकृत बदलाव किये गये हैं । वस्तुतः अब यह मेला सिर्फ बेचने व खरीदने का स्थान अकेला न होकर महिला स्व-सहायता समूहों और महिलाओं की क्षमता वृद्धि का आधार बन गया है । विगत वर्षों में ममत्व मेला में महिला हितों और महिला सशक्तिकरण के लिए वातावरण बनाये जाने पर भी जोर दिया गया है । ममत्व मेले का आयोजन वर्ष 1990 से प्रारम्भ हुआ है । वर्ष 1990 से अधिकांशतः ममत्व मेले का आयोजन भोपाल में हुआ है, लेकिन कुछ वर्षों में ममत्व मेले का आयोजन संभाग स्तर पर जैसे: जबलपुर, रीवा, सागर, ग्वालियर एवं इन्दौर आदि जिलों में आयोजित किये गये हैं । वर्ष 2008-09 में सागर एवं जबलपुर जिले में एवं वर्ष 2009-10 में इन्दौर एवं वर्ष 2010-11 भोपाल में एवं 2012-13 में सागर जिले में ममत्व मेले का आयोजन किया गया है ।

बाक्स 8.2 विभाग की गतिविधियां एवं उद्देश्य

- महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने हेतु सूचना प्रदान करना ।
- बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त कराना ।
- उत्पादित वस्तुओं के विक्रय को प्रोत्साहन देना ।
- स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ अथवा स्वतंत्र रूप से उत्पादन निर्माण ।
- क्रय-विक्रय आयात-निर्यात आदि गतिविधियां संचालित करना ।
- महिलाओं को कौशल उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ।

महिला वित्त एवं विकास

8.114 महिला वित्त एवं विकास निगम की योजनायें : महिला वित्त एवं विकास निगम द्वारा महिलाओं के हित के लिए निम्नांकित क्रियान्वित की जा रही है :

ई-हाट योजना : म.प्र. महिला वित्त एवं विकास निगम अन्तर्गत योजनाओं के साथ वर्तमान में ई-हाट योजना का संचालन किया जा रहा है जिसमें विपणन गतिविधियों का संचालन करने हुए प्रदेश में महिला उद्यमियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों का कौशल विकास एवं उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना, निगम के प्राथमिकताओं में शामिल है। हाट बाजार योजना के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभव से स्पष्ट हुआ है कि स्व-सहायता समूहों तथा महिला उद्यमियों को व्यापक स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने हेतु परम्परागत हाट बाजार के साथ-साथ अधिक विस्तारित प्रभावी एवं सुदृढ़ लिंक से युक्त तरीके अपनाने की आवश्यकता है, ताकि क्रेता-विक्रेता के मध्य त्वरित सूचनाओं का नेटवर्क सुनिश्चित हो सके, इस नेटवर्क का उद्देश्य नेटवर्क से जुड़े समस्त क्रेता-विक्रेताओं को एक ही मंच पर ऑनलाईन अन्तक्रिया के व्यावसायिक अवसर उपलब्ध कराकर उनका आर्थिक उन्नयन एवं स्वावलंबन प्राप्त करना है । इस हेतु वर्तमान में महिला स्व-सहायता समूहों तथा महिला उद्यमियों की राज्य स्तरीय इन्वेटरी तैयार की जा रही है ।

8.115 स्टेप योजना : महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्टेप योजना संचालित की जा रही है । म.प्र.महिला वित्त एवं विकास निगम मध्यप्रदेश हेतु नोडन संस्था है । इस योजना के तहत स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से 16 वर्ष से ज्यादा आयु की महिलाओं को चिन्हित कर विभिन्न प्रशिक्षणों में कौशल विकास किया जाकर स्वरोजगार हेतु समर्थ किया जाता है । इसमें कृषि, उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरधा, हस्तशिल्प, जरी-जरदोजी जैसी परंपरागत कला, जेम्स और

ज्वैलरी, पर्यटन, हास्पिटैलिटी संबंधी कौशल प्रमुख है। इस योजना की नवीनतम गाईडलाईन 2016 में जारी की गई है। गाईडलाईन अनुसार भारत सरकार द्वारा विज्ञापन के माध्यम से स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रस्ताव आमंत्रित किये जाने हैं। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार की वेबसाईट www.wed.nic.in पर उपलब्ध है।

अनुसूचित जातियों का विकास

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में अनुसूचित जातियों का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या का 15.6 प्रतिशत है अनुपात में राज्य की कुल आयोजना का 15.00 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इन वर्गों के कल्याण के लिये निर्धारित किया जाता है।

अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न विकास विभागों द्वारा तैयार की जाने वाली योजनाओं तथा उनके लिए निर्धारित बजट/आयोजन का नियंत्रण भी विभाग के पास है। अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।

राज्य आयोजना में प्रावधानित अनुसूचित जाति उपयोजना मद में प्रावधानित बजट राशि का आवंटन राज्य योजना आयोग एवं संबंधित विकास विभागों के परामर्श से अनुसूचित जाति के लिए चिन्हांकित की गई उपयोगी योजनाओं हेतु किया जाता है।

विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ स्वीकृत एवं वितरण करने के साथ-साथ 573 जूनियर छात्रावास (कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों हेतु) 1152 सीनियर छात्रावासों (कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों हेतु) संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 10 संभाग स्तरीय आवासीय विद्यालयों हेतु 20 छात्रावास प्रवीण्य उन्नयन योजनाओं हेतु 12 छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं। महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु 189 महाविद्यालयीन छात्रावास संचालित हैं। इन समस्त छात्रावासों में 97702 विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

अनुसूचित जाति/जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के प्रभावी नियन्त्रण हेतु लागू अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के क्रियान्वयन के लिए भी विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। प्रत्येक जिले में एक विशेष थाना स्थापित किया गया है। प्रदेश के 43 जिलों में विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है तथा शेष जिलों में जिला न्यायालयों को अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज प्रकरणों को सुनवाई हेतु अधिसूचित किया गया है।

10 ऐसे जिले जहाँ उत्पीड़न के अधिक मामले दर्ज हुये हैं वहाँ प्रभावी रूप से पीड़ित का पक्ष प्रस्तुत करने तथा सशक्त बहस के लिये 10 उप संचालक लोक अभियोजक के पद स्वीकृत कर पदस्थापना कराई गई है।

अनुसूचित जाति विकास विभाग प्रदेश के प्रमुख विभागों में से एक है इस विभाग को अनुसूचित जाति के विकास एवं हित संरक्षण का दायित्व सौपा गया है। इस दायित्व के निर्वहन हेतु विभाग शैक्षणिक विकास की योजनाओं के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान की योजनाएँ संचालित कर रहा है। अनुसूचित जाति उप योजना अंतर्गत विभिन्न विभागों को प्राप्त होने वाली राशि के अनुश्रवण के लिये विभाग को, नोडल विभाग का दायित्व सौपा गया है। शैक्षणिक संस्थाओं का वितरण तालिका 8.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 8.13
अनुसूचित जाति विकास द्वारा संचालित आवासीय संस्थाएँ

क्र.	संस्था का नाम	बालक		कन्या		योग	
		संख्या	सीट	संख्या	सीट	संख्या	सीट
1	जूनियर छात्रावास	256	12008	317	16207	573	28215
2	सीनियर छात्रावास (उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों सहित)	632	30118	520	25354	1152	55472
3	महाविद्यालयीन छात्रावास	108	5770	81	4345	189	10115
4	संभाग स्तरीय आवासीय विद्यालय हेतु छात्रावास	10	1400	10	1400	20	2800
5	प्रवीण्य उन्नयन हेतु संचालित छात्रावास	6	300	6	300	12	600
	योग	1012	49596	934	47606	1946	97202

शिष्यवृत्ति

उपरोक्त तालिका में दर्शित छात्रावासों को निम्नानुसार दरों पर मासिक शिष्यवृत्ति प्रदान की जाती है ।

छात्रावास	दर	
	बालक	बालिका
जूनियर	1000	1050
सीनियर	1000	1100
महाविद्यालयीन	1000	1100

नोट : शिष्यवृत्ति की दरे प्रतिवर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर पुनः निर्धारित की जाती है ।

राज्य छात्रवृत्ति

यह छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 तक बालक एवं बालिकाओं को निम्नानुसार दरों पर प्रदान की जाती है :

कक्षा	बालक	बालिका
1 से 5 तक	-	150 (10 माह के लिए)
6 से 8 तक	200 (10 माह के लिए)	600 (10 माह के लिए)
9 से 10 तक	600 (10 माह के लिए)	1200 (10 माह के लिए)

8.116 अनुसूचित जाति बस्तियों में विद्युतीकरण : प्रदेश की ऐसी अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्ती, ग्राम मजरे, टोले (जहां मुख्य ग्राम में तो विद्युत लाइन है किन्तु अनुसूचित जाति के मजरे टोलों में विद्युत लाइन नहीं पहुँची है) में विद्युत लाइन विस्तार करने संबंधी योजना संचालित की जा रही है।

8.117 अनुसूचित जाति छात्रावास/आश्रम भवनों का निर्माण : शैक्षणिक विकास हेतु अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए अनुसूचित जाति छात्रावास/आश्रम की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस हेतु सर्व सुविधा युक्त शासकीय भवनों का निर्माण कराया जाता है। वर्तमान में कुल 1946 छात्रावास एवं आश्रम संचालित है। जिनमें से वर्तमान स्थिति में 504 संस्थाएँ भवन विहीन है।

वर्ष 2015-16 में भवन निर्माण में राशि रुपये 1000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। जिससे 160 छात्रावास भवनों के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई। वर्ष 2014-15 में राशि रु. 3000.00 लाख का बजट प्रावधान से 70 छात्रावास भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई जिसके विरुद्ध 70 अनुसूचित जाति कन्या छात्रावासों के निर्माण हेतु तथा अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु रुपये 2570.23 लाख का व्यय किया गया।

8.118 अनुसूचित जाति बस्तियों का विकास: प्रदेश की अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों के अधोसंरचनात्मक विकास हेतु वर्ष 2014-15 में नवीन अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना नियम-2014 की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना नियमों में अनुसूचित जाति बस्ती से तात्पर्य ऐसे ग्रामों/वार्डों/मोहल्लों/ मजरे/टोले/पारे से है, जिनकी अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो तथा जहां न्यूनतम 20 परिवार अनुसूचित जाति के निवास करते हों में सी.सी. रोड, नाली निर्माण, मंगल भवन, हेण्ड पम्प खनन, पहुँच मार्ग पर रपटा/पुलिया निर्माण आदि निर्माण कार्य कराये जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2015-16 में बजट प्रावधान रु. 7251.88 लाख के विरुद्ध 584 बस्तियों में कार्य स्वीकृत किये गये हैं। अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों हेतु 86 अनुसूचित जाति बाहुल्य विकास खण्ड मुख्यालयों पर (प्रत्येक में एक) "डॉ० अम्बेडकर मांगलिक भवन" के निर्माण हेतु इकाई लागत सीमा रूपये 41.80 लाख निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं।

8.119 अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के वर्ष 2016-17 में किए गए उल्लेखनीय कार्य:

- अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए संचालित 50 सीट से कम के छात्रावासों में 1000 सीट वृद्धि कर 50 सीटर छात्रावास में परिवर्तित किये गये।
- ऐसे जिले जहां अनुसूचित जाति पोस्टमैट्रिक छात्रावास नहीं थे उन जिलों में 3 अनुसूचित जाति महाविद्यालयीन छात्रावासों की स्थापना की गई।
- 86 जूनियर सीनियर छात्रावासों की स्थापना की गई।
- मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत वर्ष 2015-16 में 6124 युवाओं एवं 2456 युवाओं को विभिन्न शासकीय अशासकीय उपक्रमों में रोजगार उपलब्ध कराये गये। वर्ष 2016-17 में 812 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।
- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत अनुसूचित जाति के 4940 हितग्राहियों को 2015-16 में लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2016-17 में 1494 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 6111 युवाओं को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2016-17 में अब तक 2583 युवाओं को लाभान्वित किया गया है।
- आय.ए.एस/आई.पी.एस. जैसी प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में 2 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं।
- परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण प्राप्त 89 प्रशिक्षणार्थियों को मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग में सफलता प्राप्त हुई है।

अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

वर्ष 2011 की जनगणना में राज्य की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 153.16 लाख है जो राज्य की कुल आबादी की 21.10 प्रतिशत है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश में बैगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के रूप में मान्यता दी गई है। इन जनजातियों के विकास हेतु 03 प्राधिकरण तथा 11 अभिकरण कार्यरत हैं। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं के अंतर्गत 26 वृहद परियोजनाएँ 05 मध्यम परियोजनाएँ 30 माडा पॉकेट्स एवं 6 लघु अंचल कार्यरत हैं। प्रदेश में 89 अनुसूचित जनजाति विकास खण्ड हैं।

अनुसूचित जनजातियों वर्ग के सर्वांगीय विकास हेतु आयुक्त, आदिवासी विकास के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। विभागीय कार्यक्रमों में शैक्षणिक योजनाएँ प्रमुख हैं। विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में शालाओं के संचालन के साथ-साथ शैक्षणिक प्रोत्साहन देने वाली अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति परिवारों के लिए आर्थिक उत्थान और आर्थिक सहायता के लिए कतिपय योजनाएँ भी संचालित की जा रही हैं।

इन वर्गों के उत्थान में स्वैच्छिक संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसी अशासकीय संस्थाओं को विभाग द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। जो इन वर्गों के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन करती हैं। इस प्रकार जनजाति वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न योजनाएँ क्रियान्वित की जा रही हैं।

वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में संचालित प्रमुख विभागीय योजनाओं का संचालन निम्नानुसार है:-

8.120 शैक्षणिक संस्थायें : प्रदेश के आदिवासी विकास खंडों में विभाग द्वारा प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शालायें संचालित की जा रही हैं। शिक्षा में सुधार लाने के लिये इन शालाओं के अतिरिक्त विशिष्ट आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन भी किया जा रहा है। वर्ष 17-2016 का विवरण तालिका 8.14 में दर्शाया गया है :

तालिका 8.14
आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान

संस्था का प्रकार	संख्या
प्राथमिक शालाएं	12643
माध्यमिक शालाएं	4369
हाई स्कूल	805
उ.मा.वि.	786
आदर्श उ.मा.वि.	08
कन्या शिक्षा परिसर	80
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय	29
विशेष पिछड़ी जनजाति आवासीय विद्यालय	03
क्रीड़ा परिसर	26
प्री-मैट्रिक छात्रावास	1368
पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास	210
आश्रम शालाएं	1051
आदिवासी पुनर्धर्यन प्रशिक्षण केंद्र	01

8.121 शालाएँ: आदिवासियों के विकास के लिए संचालित योजनाओं में 'शिक्षा' की योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई हैं। शैक्षणिक उत्थान के लिए आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के 89 विकासखण्डों में प्राथमिक स्तर से उच्चतर माध्यमिक शालाओं का संचालन किया जा रहा है।

वर्ष 2014-15 में 40 हाईस्कूलों का उ.मा.वि .में उन्नयन, 20 अतिरिक्त संकाय तथा 40 कन्या शिक्षा परिसर स्वीकृत किए गये है । वर्ष 2015-16 में 26 माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल में उन्नयन, 48 हाईस्कूलों का उ.मा.वि .में उन्नयन 21 अतिरिक्त संकाय एवं 20 कन्या शिक्षा परिसर स्वीकृत किये गये है ।

वर्ष 2015-16 में प्राथमिक शालाओं में राशि रूपये 59459.32 लाख प्रावधान के विरुद्ध राशि रूपये 40716.48 लाख व्यय किये गये है । वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 62038.65 लाख प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर तक राशि रूपये 47187.15 लाख व्यय किये गये ।

वर्ष 2015-16 में माध्यमिक शालाओं में राशि रूपये 29754.72 लाख प्रावधान के विरुद्ध राशि रूपये 22389.91 लाख व्यय किये गये है । वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 32891.44 लाख के विरुद्ध माह दिसम्बर तक राशि रूपये 21890.44 लाख व्यय किये गये है।

वर्ष 2015-16 में हाईस्कूलों में राशि रूपये 12177.12 लाख प्रावधान के विरुद्ध राशि रूपये 9560.92 लाख व्यय किये गये है । वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 11711.79 लाख प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर तक राशि रूपये 6655.85 लाख व्यय किये गये है ।

वर्ष 2015-16 में उच्चतर माध्यमिक शालाओं में राशि रूपये 23228.76 लाख प्रावधान के विरुद्ध राशि रूपये 18297.89 लाख व्यय किये गये है । वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 22149.66 लाख प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर तक राशि रूपये 13799.10 लाख व्यय किये गये है । वर्ष 2016-17 में 40 मा .शालाओं का हाईस्कूलों में तथा 34 हाईस्कूलों का उन्नयन उ.मा.विद्यालय में किया गया है ।

बाक्स 8.3
कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना

कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजनान्तर्गत बालिकाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए कक्षा 5 वी उत्तीर्ण कर कक्षा 6वी में प्रवेशित छात्राओं को रु. 500/- कक्षा 8वी से 9 में प्रवेशित छात्राओं को रु. 1000 तथा कक्षा 10वी उत्तीर्ण कर कक्षा 11 वी में प्रवेशित छात्राओं को 3000/- रु. प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है ।

वर्ष 2013-14 में राशि रु. 187064 के विरुद्ध 100665 व्यय किये गये

8.122 राज्य छात्रवृत्ति : राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 5 तक की समस्त बालिकाओं को तथा विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों को एवं कक्षा 6 से 10 तक के बालक-बालिकाओं को, दस माह हेतु निम्न दरों पर छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही हैं जिसका विवरण तालिका 8.15 में दर्शाया गया है:-

तालिका 8.15
अनुसूचित जाति राज्य छात्रवृत्ति की वार्षिक दरें

कक्षा	बालक/ वार्षिक	बालक/ वार्षिक
1 से 5	150/- (केवल विशेष पिछड़ी जनजाति के बालकों के लिए)	150/-
6 से 8	200/-	500/-
9 से 10	600/-	1300/-

वर्ष 2014-15 का प्रावधान रु. 5764.10 लाख की राशि शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है । एवं 1450000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है । राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10 वर्ष 2014-15 का प्रावधान राशि रूपये 12889.16 लाख की राशि शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गई है एवं 1500000 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा विभाग द्वारा वितरण किया गया है । वर्ष 2015-16 में राज्य छात्रवृत्ति 1 से 10 तक में राशि रूपये 27781.00 लाख नोडल संस्था आयुक्त, लोक शिक्षण विभाग को राशि रूपये 27781.00 लाख जारी की गई थी । जिसके विरुद्ध 2049059 छात्र -छात्राएँ लाभान्वित हुए ।

वर्ष 2016-17 में राज्य छात्रवृत्ति में राशि रूपये 22514.00 लाख जारी की गई ।

वर्ष 2014-15 में कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिये 3000.00 लाख की राशि लोक शिक्षण विभाग को हस्तांतरित की गई है।

वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 4000.00 लाख डी.पी.आई. को हस्तांतरित की गई एवं 131742 छात्र- छात्राएँ लाभान्वित हुई ।

वर्ष 2016-17 में कक्षा 1 से 5वीं की छात्रवृत्ति हेतु राशि रूपये 2911.50 लाख प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर 2016 तक राशि रूपये 2620.35 लाख की राशि व्यय की जाकर 944135 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया ।

वर्ष 2016-17 में कक्षा 6 से 10वीं की छात्रवृत्ति हेतु राशि रूपये 15913.82 लाख प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर 2016 तक राशि रूपये 14322.44 लाख की राशि व्यय की जाकर 1425773 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया ।

8.123 पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति (राज्य योजना मद अंतर्गत): पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत रु 2.50 लाख से रु 3.00 लाख तक की वार्षिक आय वाले अभिभावकों के बच्चों को राज्य शासन के स्रोत से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाती है । वर्ष 2013-14 में राशि रूपये 9257.80 लाख के प्रावधान के विरुद्ध राशि रूपये 6929.48 लाख व्यय की गई। वर्ष 2014-15 में इस योजनान्तर्गत राशि रूपये 10000.00 लाख प्रावधान के विरुद्ध राशि रूपये 3810.75 लाख व्यय किये गये हैं ।

वर्ष 2015-16 राशि रूपये 13062.89 लाख के विरुद्ध कक्षा 11वीं 12वीं के 124273 विद्यार्थियों को राशि रूपये 3451.00 लाख का वितरण किया गया एवं माह विद्यालयीन कक्षा के 10912 विद्यार्थियों को राशि रूपये 876.00 लाख का वितरण किया गया ।

विभाग के ज्ञापन क्र. एफ-12-42/99/25-2 /935 दिनांक 7.7.14 के निर्देशानुसार विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 17.1.2001 की कंडिका-05 को विलोपित किया जाकर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता/ पंजीकरण/ ट्यूशन फीस/खेल/यूनियन/ लायब्रेरी /पत्रिका / चिकित्सा जाँच) का भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जावेगा ।

वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 14542.30 लाख प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर 2016 तक राशि रूपये 8230.31 लाख की राशि व्यय की जाकर 251732 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है ।

8.124 विदेश में शिक्षा प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति : अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के भविष्य निर्माण हेतु उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष 10 छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देना प्रावधानित है। वर्ष 2014-15 में 50 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है एवं राशि रु .110.00 लाख का प्रावधान है तथा 16 विद्यार्थियों को चयन किया गया है।

वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 110.00 लाख प्रावधान के विरुद्ध राशि 53.26 लाख व्यय किये गये एवं 29 विद्यार्थियों का चयन किया गया। एवं 2 विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन करने हेतु भेजा गया।

वर्ष 2016-17 में 4 विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतु भेजा गया तथा माह दिसम्बर 2016 तक राशि रूपये 146.12 लाख की राशि व्यय की जाकर संबंधित के खातों में जमा की गई।

8.125 क्रीड़ा परिसर : अध्ययन के साथ साथ आदिवासी बच्चों को खेल प्रतिभा को विकसित करने के लिये विभाग द्वारा प्रदेश में प्रत्येक क्रीड़ा परिसर 100 सीटर कुल 23 विभागीय क्रीड़ा परिसर संचालित हैं। इनमें से 17 बालकों के लिए तथा 06 बालिकाओं के लिए हैं। ये परिसर पूर्णतः आवासीय हैं। प्रत्येक क्रीड़ा परिसर में प्रवेशित छात्रों को रूपये 100/ प्रति दिवस द्वािष्यवृत्ति स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष में एक बार स्पोर्टस किट के लिए 3000/- रूपये स्वीकृत किए गए हैं। इन क्रीड़ा परिसरों का ध्येय प्रतिभावान खिलाड़ी छात्र/छात्राओं की खोज करना एवं उन्हें नियमित प्रशिक्षण देकर विभिन्न खेल विधाओं में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में शामिल कराकर प्रतिभा का विकास करना है।

क्रमांक	जिला	बालक क्रीड़ा परिसर	कन्या क्रीड़ा परिसर
1	धार	सरदारपुर	इही
2	अलीराजपुर	अलीराजपुर	
3	खरगोन	खरगोन	
4	इन्दौर	इन्दौर	
5	खंडवा	खालवा	
6	बड़वानी	बड़वानी	निवाली
7	रतलाम	बाजना	
8	बैतूल	शाहपुर	बैतूल
9	छिन्दवाड़ा	तामिया	
10	सिवनी	कुरई	
11	बालाघाट	बैहर	
12	डिंडोरी		शहपुरा

क्रमांक	जिला	बालक क्रीड़ा परिसर	कन्या क्रीड़ा परिसर
13	मंडला	कालपी	
14	अनूपपुर	अमरकंटक	अमरकंटक
15	सीधी	चुरहट	
16	शहडोल	शहडोल	
17	श्योपुर	श्योपुर	
18	झाबुआ	-	झाबुआ
19	जबलपुर	जबलपुर	-

आदिवासी विकास विभाग की संस्थाओं में क्रीड़ा गतिविधियों का विस्तार तथा प्रशिक्षण किया जाकर विद्यार्थियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सम्मिलित कराया जाता है। आदिवासी विद्यार्थियों की उपलब्धियां :-

वर्ष	राष्ट्रीय पदक			राज्य स्तरीय पदक		
	स्वर्ण	रजत	कांस्य	स्वर्ण	रजत	कांस्य
2011-12	12	09	04	156	127	105
2012-13	07	06	04	189	165	107
2013-14	14	10	04	187	129	126
2014-15	13	11	03	185	126	120
2015-16	11	11	25	136	110	167

राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर प्रतिभागियों को निम्नानुसार राशि से सम्मानित किया जाता है:-

राष्ट्रीय स्तर (एकल)	
प्रथम स्थान	21000/-
द्वितीय स्थान	15000/-
तृतीय स्थान	11000/-
सहभागिता	4000/-

राज्य स्तर(सामूहिक)	
प्रथम स्थान	10000/-
द्वितीय	7000/-
तृतीय	5000/-
सहभागिता	4000/-

वर्ष 2014-15 में 2200 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता कराकर पुरस्कृत कराने का लक्ष्य रखा गया है एवं राशि रू .1500.00 लाख प्रावधान के विरुद्ध 1233.99 लाख की राशि व्यय की जाकर राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किये हैं ।

वर्ष 2015-16 में एक नवीन कन्या क्रीड़ा परिसर झाबुआ में खोला गया है ।

वर्ष 2015-16 में क्रीड़ा परिसरों में प्रवेशित 2300 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है ।

वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 1584.99 लाख प्रावधान के विरुद्ध राशि 1220.84 लाख व्यय किये गये एवं विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर 188 विद्यार्थियों द्वारा सहभागी की एवं 11 स्वर्ण, 11 रजत, 25 कांस्य कुल 47 पदक प्राप्त किये राजकीय स्तर पर 136 स्वर् , 110 रजत एवं 167 कांस्य कुल 413 पदक प्राप्त किये । वर्ष 2016-17 में 3 नवीन क्रीड़ा परिसर खोले गये है । 1. बुरहानपुर - बालक 2. इटारसी, होशंगाबाद कन्या-3. उमरिया- बालक ।

वर्ष 2016-17 में क्रीड़ा परिसर योजनांतर्गत राशि रूपय 1664.60 प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर 2016 तक राशि रूपये 984.89 लाख रूपये व्यय किये गये है ।

8.126 अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास योजना : अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्रामों/बस्ती/वार्ड में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराना यथा- समुचित पेयजल, विद्युत व्यवस्था आंतरिक क्षेत्रों में पक्की सड़के, नाली निर्माण मुख्य सड़क से अनुसूचित जन जाति बस्ती/ग्राम तक सड़क, पुलिया, रपटा, निर्माण, सामुदायिक भवनों का निर्माण (सामाजिक एवं सांस्कृतिक समारोह आदि) के लिये जिलों को राशि उपलब्ध कराई जाती है । म.प्र.शासन का पत्र क्रमांक एफ 23-30/2005/3-25 दिनांक 5.1.15 द्वारा अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास नियम 2005 (यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ।

वर्ष 2014-15 में योजना अंतर्गत राशि रू .5513.00 लाख के प्रावधान विरुद्ध राशि रूपये 4091.14 लाख व्यय किये गये है । वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 6651.15 लाख प्रावधान के विरुद्ध राशि रूपये 4538.06 लाख व्यय किये गये । वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 7800.81 लाख प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर 2016 तक राशि रूपये 4404.77 लाख व्यय किये गये ।

8.127 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय : प्रदेश के 18 जिलों झाबुआ, धार, बड़वानी, रतलाम, बैतूल, सिवनी, मण्डला, डिण्डौरी, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, सीधी, उमरिया, अलीराजपुर, खण्डवा, शहडोल, बालाघाट, जबलपुर एवं होशंगाबाद में 25 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित है। 4 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय वर्ष 2015-16 में स्वीकृत हुये है जो आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ होंगे । झाबुआ एवं छिन्दवाड़ा, अलीराजपुर एवं सतना जिले में दो-दो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 वीं तक 7086 विद्यार्थी है, जिसमें 3637 बालक एवं 3449 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। वर्ष 2005-06 से इन विद्यालयों में सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम लागू किया गया है। इन संस्थाओं में विद्यार्थियों को ऐकेडेमिक शिक्षा के साथ-साथ कम्प्यूटर शिक्षा, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण,

राष्ट्रीय महाविद्यालयों में जेईई एवं ऑल इंडिया पी.एम.टी. में प्रवेश हेतु कोचिंग सुविधा, भोजन, गणवेश, पुस्तकें, स्टेशनरी, लायब्रेरी तथा सुसज्जित आवासीय सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

वर्ष 2010-11 में 08 नवीन एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय:- 1.सोण्डवा, जिला अलीराजपुर 2. मोरडुण्डिया, जिला झाबुआ 3. रोद्रानी, जिला खण्डवा 4. सोहागपुर, जिला शहडोल 5. उकवा, जिला बालाघाट 6. सिंगारदीप, जिला छिन्दवाड़ा 7. नरईनाला, जिला जबलपुर 8. केसला, जिला होद्रांगाबाद में प्रारम्भ किये गये हैं। सत्र 2014-15 में चयन क्षेत्र आजाद नगर अलीराजपुर, सैधवा बड़वानी, धार, मैहर सतना, एवं बुढ़नी जिला सीहोर प्रारंभ किये गये हैं। सत्र 2015-16 से विभागीय उपलब्ध भवनों में कक्षा 6 वीं एवं 8वीं संचालित है। वर्ष 2015-16 में 04 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मंडला, चित्रकूट सतना खरगोन एवं सिंगरोली में स्वीकृत किये गये हैं। जो आगामी शैक्षणिक सत्र में प्रारंभ हो सकेंगे। इन विद्यालयों के भवनों का निर्माण भी परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण से कराया जा रहा है। 04 विद्यालय पूर्ण हो गये हैं जिनमें विद्यालय स्थांतरित होकर संचालित है शेष 04 भवन निर्माणाधीन है। वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 3008.88 लाख प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर 2015 तक राशि रूपये 1562.09 लाख व्यय किये गये। इसी प्रकार वर्ष 2014-15 में एवं 2015-16 में भवन निर्माण हेतु अनावर्ती मद में 5000.00 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। जिसके विरुद्ध राशि रु. 820.00 लाख व्यय की गई है। वर्ष 2016-17 में आवर्ती मद में राशि 458.11 लाख तथा अनावर्ती मद में राशि 366.08 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ। जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर 2016 तक आवर्ती मद में राशि रु. 1741.87 लाख तथा अनावर्ती मद में राशि रु. 5140.00 लाख व्यय की गई।

8.128 कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना :

- कक्षा 5 वीं उत्तीर्ण कर कक्षा 6वीं में प्रवेशित छात्राओं को रु .500/- वर्ष 2014-15 से राज्य छात्रवृत्ति में सम्मिलित
- कक्षा 8 वी उत्तीर्ण कर कक्षा 9 वी में प्रवेशित छात्राओं को रु.1000/- छात्रवृत्ति में समाहित कक्षा 10 वी उत्तीर्ण कक्षा 11वीं में प्रवेशित बालिकाओं को रूपये 3000/- प्रोत्साहन राशि राज्य शासन के आदेश क्रमांक/एफ-12-09/2014/25-2/840 दि . 27.6.14 द्वारा कन्या साक्षरता प्रोत्साहन शिक्षा 6वीं एवं 9वीं को राज्य छात्रवृत्ति में समाहित कर 6वीं से 8वीं तक 50 रु .मासिक एवं 9वीं से 10वीं तक 130 रु .मासिक छात्रवृत्ति निर्धारित की गई है। कक्षा 11वीं हेतु प्रोत्साहन राशि शिक्षा विभाग के माध्यम से वितरित की जा रही है। वर्ष 2009-10 से वर्ष 2014-15 तक लाभान्वित बालिकाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	कक्षा 6वीं	कक्षा 9वीं	कक्षा 11वीं
2012-13	182697	92854	28327
2013-14	187064	100665	35619
2014-15	-	-	31567
2015-16	-	-	32165

वर्ष 2015-16 में कक्षा 9वीं एवं 11वीं में राशि रुपये 1475.03 लाख प्रावधान के विरुद्ध राशि 1150.94 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2015-16 में 33000 बालिकाओं के लक्ष्य के विरुद्ध 38364 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2016-17 में 35000 कन्याओं का लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है एवं राशि रुपये 1708.77 लाख प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर 2016 तक 1537.89 लाख की राशि व्यय कर 38248 कन्याओं को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2017-18 में 40000 कन्याओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

8.129 अनुसूचित जनजाति बालिकाओं हेतु सायकिल रखरखाव योजना: इस योजनांतर्गत द्वािक्षा विभाग द्वारा कक्षा 9 वी की जिन आदिवासी बालिकाओं को सायकिल प्रदाय की गई है। उन्हें कक्षा 11 वीं में प्रवेश लेने पर सायकिल रख रखाव भत्ता रुपये 1000/- प्रति बालिका को देय होगा।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में योजना अंतर्गत 22000 बालिकाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा जाकर रख रखाव अनुदान राशि 350.00 लाख के प्रावधान के राशि रुपये 124.22 लाख व्यय किये जाकर 12422 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। वर्ष 2015-16 में राशि रुपये 271.00 लाख प्रावधान के विरुद्ध राशि 84.21 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2015-16 में 22000 बालिकाओं के लक्ष्य के विरुद्ध 8421 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2016-17 में 20000 कन्याओं का लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है एवं राशि रुपये 270.00 लाख प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर 2016 तक 77.74 लाख की राशि व्यय की जाकर 7774 कन्याओं को लाभान्वित किया गया है।

8.130 शंकर शाह पुरस्कार योजना : मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले आदिवासी

छात्रों को निम्नानुसार राशि से पुरस्कृत किया जाता है। कक्षा 10 वीं में प्राप्त प्रावीण्यता को कक्षा 12 वीं में निरन्तर रखने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि रु .11,000/- दिए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2014-15 से निम्न दरें प्रभावशाली होगी:-

कक्षा	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
10 वीं	51000	31000	21000
12 वीं	51000	31000	21000

वर्ष 2014-15 में 6 बालकों को पुरस्कृत किया गया है । वर्ष 2015-16 में 6 बालकों को पुरस्कृत किया गया है । वर्ष 2016-17 में 8 बालकों को माह जनवरी 2017 में पुरस्कृत किया जावेगा ।

8.131 रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना: मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अपने संवर्ग में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभावान आदिवासी छात्राओं को क्रमशः निम्नानुसार राशि से पुरस्कृत किया जाता है। कक्षा 10 वीं में प्राप्त प्रावीण्यता को कक्षा 12 वीं में निरन्तर रखने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि रु .11,000/- दिए जाने का प्रावधान है। वर्ष 2014-15 से निम्न दरें प्रभावशाली होगी:-

कक्षा	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
10 वीं	51000	31000	21000
12 वीं	51000	31000	21000

वर्ष 2014-15 में 6 बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया है । वर्ष 2015-16 में 6 बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया है । वर्ष 2016-17 में 8 बालिकाओं को माह जनवरी 2017 में पुरस्कृत किया जावेगा ।

8.132 सर्वश्रेष्ठ छात्रावास/आश्रम एवं हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल को पुरस्कार: आदिवासी बाहुल्य जिलो में संचालित संस्थाओं में जिले में सर्वश्रेष्ठ परीक्षाफल देने वाले तीन हाई स्कूल/तीन हायर सेकेण्डरी एवं सर्वश्रेष्ठ तीन छात्रावास /आश्रमों को पुरस्कार स्वरूप प्रथम पुरस्कार 25000/-द्वितीय पुरस्कार रूपये 15000/- एवं तृतीय पुरस्कार रूपये 10000/- प्रदान कर सम्मानित किया जाता है।

वर्ष 2014-15 में आदिवासी बाहुल्य 20 जिलों में 01, छात्रावास, 01 आश्रम, 01 हाईस्कूल, 01 हायर सेकेण्डरी स्कूल को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है।

वर्ष 2015-16 में आदिवासी बाहुल्य 20 जिलों में 01, छात्रावास, 01 आश्रम, 01 हाईस्कूल, 01 हायर सेकेण्डरी स्कूल को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है एवं 196 संस्थाओं को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2016-17 में 327 संस्थाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। माह जनवरी 2017 में पुरस्कृत किया गया।

8.133 विद्यार्थी कल्याण: अनुसूचित जनजाति के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आकस्मिक विपत्ति में, विशेष रोग से पीड़ित होने पर इलाज हेतु, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु एवं विशेष अभिरूचि को प्रोत्साहन देने हेतु निम्नानुसार सहायता दी जाती है।

1.	विशिष्ट आयोजनों में सम्मिलित होने हेतु पोषाक, परिधान, साज-सज्जा हेतु	-	1000/-
2.	विद्यार्थियों को सामूहिक एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु।	-	3000/-
3.	निःशक्त छात्र/छात्राओं को ट्रायसाईकल हेतु	-	3000/-
4.	असामयिक विपत्ति	-	25000/-
5.	विशेष रोग, कैंसर, टी.बी .हृदय रोग आदि	-	5000/-
6.	मृत्यु होने पर (दुर्भाग्य पूर्ण रूप से घटना होने पर)	-	25000/-

विद्यार्थी कल्याण सहायता नियम 2006 में अ -छात्रावास/आश्रमों में निवासरत रहते हुए मृत्यु होने पर विभागाध्यक्ष को रु .25000/- स्वीकृति के पूर्ण अधिकार के स्थान पर कलेक्टर को पूर्ण अधिकार शासन के आदेश क्रमांक एफ-12-19/2006/25/पार्ट नस्ती दिनांक 18.7.11 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। वर्ष 2014-15 में 7500 विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने का लक्ष्य रखा गया है एवं एवं राशि रु .135.05 लाख का प्रावधान के विरुद्ध 80.76 लाख की राशि व्यय की गई है। लगभग 7350 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 162.06 लाख प्रावधान के विरुद्ध राशि 69.31 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2015-16 में 7700 विद्यार्थियों के लक्ष्य के विरुद्ध 7400 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 309.35 लाख प्रावधान के

विरुद्ध माह दिसम्बर 2016 तक 89.62 लाख की राशि व्यय की जाकर 5625 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है ।

8.134 प्रतिभावान विद्यार्थियों को पुरस्कार: म.प्र .माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में अनुसूचित जनजाति के 100-100 छात्र-छात्राएँ जिन्होंने प्रदेश में अपने संवर्ग में सर्वोच्च अंक प्राप्त किये हैं, प्रत्येक को रु .1000/- की पुरस्कार राशि दी जाती है।

- वर्ष 2014-15 में 200 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया है ।
- वर्ष 2015-16 में 200 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया है ।
- वर्ष 2016-17 में 200 विद्यार्थियों को माह जनवरी 2017 में पुरस्कृत किया गया है।

8.135 विशेष पिछड़ी जनजाति के विद्यार्थियों को गणवेश में प्रदाय: प्रदेश के 15 जिलों निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा,सहरिया एवं भारिया के शैक्षणिक विकास हेतु विशेष प्रोत्साहन अंतर्गत कक्षा 1 से 12वीं तक प्रत्येक विद्यार्थी को प्रति वर्ष गणवेश, स्वेटर, जुते मोजे, बैग दिये जाने की योजना स्वीकृत है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक गणवेश राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा दिये जाते हैं अतः स्वेटर, जुते मोजे के लिये 600/- प्रति विद्यार्थी एवं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को गणवेश, स्वेटर, जुते मोजे, बैग के लिये 1100/- रुपये बैंक खाते में प्रदाय की जाती है। वर्ष 2009-10 से 2015-16 तक लाभान्वित पी.टी.जी .विद्यार्थियों का विवरण निम्नानुसार है: -

वर्ष	व्यय राशि	लाभान्वित पी.टी.जी .विद्यार्थी
2012-13	1410.84	241327
2013-14	1673.32	243000
2014-15	1362.14	245000
2015-16	761.64	200000

वर्ष 2015-16 में राशि रुपये 1126.19 लाख प्रावधान के विरुद्ध राशि 762.11 लाख व्यय किये गये एवं 240000 विद्यार्थियों के लक्ष्य के विरुद्ध 200000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है । वर्ष 2016-17 में राशि रुपये 1475.45 लाख प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर 2016 तक 756.74 लाख की राशि व्यय की जाकर 21000 लक्ष्य के विरुद्ध 180000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है एवं वर्ष 2017-18 में 220000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है ।

8.136 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण: विभाग द्वारा संचालित 704 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा गुणवत्ता के लिये पुस्तकालयों में पर्याप्त पुस्तकों की व्यवस्था तथा जीवित संचालन एवं प्रयोगशालाओं में आवश्यक प्रायोगिक सामग्री की व्यवस्था तथा जीवित संचालन के लिये राशि रुपये 425.20 लाख प्रावधान विद्यालयों को उपलब्ध कराया गया है। प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय का कालखण्ड शालावधि के 2 घण्टे उपरांत तक रखा जाकर अध्ययन की सुविधा एवं लायब्रेरी कार्ड बनवाकर नियमित पुस्तकें आदान-प्रदान की जिला स्तर से मॉनीटरिंग कराई जा रही है। प्रयोगशाला में भी सी.बी.एस.ई .के मापदण्ड अनुरूप आवश्यक प्रायोजित सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराकर प्रत्येक विषय के प्रभारी द्वारा कराये गये दैनिक प्रयोगों की सुनिश्चितता प्राचार्यों से कराई जा रही है। जिससे अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं इंजीनियरिंग/मेडिकल में सफलता प्राप्त कर सके। वर्ष 2016-17 में राशि रुपये 605.05 लाख प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर तक राशि रुपये 448.25 लाख व्यय किये गये है ।

8.137 विज्ञान एवं सामूहिक विषयों में प्रवेश हेतु प्रोत्साहन योजना : कक्षा 10वीं उत्तीर्ण जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं विज्ञान संकाय में प्रवेश लेने पर 2000/- रुपये प्रोत्साहन राशि तथा कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करके बी.एस.सी भौतिकी, रसायन, गणित, जीव विज्ञान में प्रवेश लेने पर 3000/- रुपये प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान रखा गया है। उपलब्धि निम्नानुसार है:-

वर्ष	कक्षा 11वीं में लाभान्वित संख्या	वितरित राशि	बी.एस.सी .में लाभान्वित संख्या	वितरित राशि
2013-14	14825	296.50	10000	300.00
2014-15	16126	322.52	8558	256.74
2015-16	14560	291.20	9701	291.03

वर्ष 2015-16 में राशि रुपये 460.00 लाख प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर 2015 तक राशि रुपये 312.82 लाख व्यय किये गये । वर्ष 2015-16 में 25000 विद्यार्थियों के लक्ष्य के विरुद्ध राशि रुपये 24261 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है । वर्ष 2016-17 में राशि रुपये 460.00 लाख प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर 2016 तक 366.26 लाख की राशि व्यय की जाकर 25000 लक्ष्य के विरुद्ध 10508 विद्यार्थियों एवं 1561 संस्थाओं को लाभान्वित किया गया है । बी.एस.सी .के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति .की योजना से लाभान्वित किया गया है ।

8.138 कौशल विकास योजना : प्रदेश में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास से जुड़े हुए विभिन्न पाठ्यक्रमों का विगत वर्षों में काफी तीव्रता से विकास हुआ है। इन पाठ्यक्रमों के लिये अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवकों में कुशलता की वृद्धि करने तथा रोजगार उपलब्ध होने के लक्ष्य हेतु शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रयास के साथ-साथ कौशल विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों अनुरूप उपयुक्तता तैयार करने के लिये विभाग द्वारा प्रयास किये गये हैं।

विभाग द्वारा प्रत्येक विकासखण्डों 350 आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशिक्षणार्थियों का चिन्हांकन ऐसे बेरोजगार युवा जो शाला छोड़ चुके हैं अथवा कक्षा 10 वीं उपरान्त व्यावसायिक प्रशिक्षण लेकर रोजगार/स्वरोजगार के इच्छुक हैं, इस योजना के लक्ष्य समूह होंगे।

वर्ष 2014-15 में योजनान्तर्गत 15000 आदिवासी युवाओं को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2014-15 में 7091 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया । उक्त योजनांतर्गत राशि रूपये 800.00 प्रावधान के विरुद्ध राशि रूपये 239.87 लाख व्यय किये गये ।

वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 800.00 लाख प्रावधान के विरुद्ध राशि 390.77 लाख व्यय किये गये । वर्ष 2015-16 में 10000 विद्यार्थियों के लक्ष्य के विरुद्ध 5567 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है ।

वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 800.00 लाख प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर 2016 तक राशि रूपये 233.28 लाख की राशि व्यय की जाकर 3979 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है ।

8.139 आवास भत्ता सहायता योजना /छात्रगृह योजना : मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग के जाप क्र .एफ-12-06/2013/ 25-2/2039 दिनांक 11.9.2013 द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के बालक /बालिकाओं को अपने गृह निवास के बाहर महाविद्यालयीन स्तर पर शिक्षा निरंतर रखने के लिये आवास सहायता योजना स्वीकृत की गई है ।

योजना अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य के आदिवासी बालक/बालिकाओं को अपने गृह निवास से बाहर महाविद्यालयीन स्तर से शिक्षा निरंतर रखने के लिए भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं उज्जैन नगरों में रू .2000/- प्रति विद्यार्थी तथा जिला मुख्यालय पर प्रति विद्यार्थी रू .1250/- एवं तहसील/विकासखण्ड मुख्यालय पर रू .1000/- प्रति विद्यार्थी

प्रतिमाह की दर से आवास सहायता राशि प्रदान जाती है । वर्ष 2015-16 में आवास सहायता योजना अंतर्गत राशि रूपये 4123.87 लाख प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर 2015 तक राशि रू. 3110.43 लाख व्यय किये गये हैं एवं 30411 विद्यार्थियों के लक्ष्य के विरुद्ध 28338 विद्यार्थियों को लाभांवित किया गया है ।

8.140 सैनिक स्कूल/प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति : सैनिक स्कूल रीवा तथा प्रदेश में स्थित डेली कालेज इंदौर, सिंधिया पब्लिक स्कूल, ग्वालियर, दिल्ली पब्लिक स्कूल भोपाल एवं इन्दौर जैसे विशिष्ट पब्लिक स्कूलों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रवेश की योजना है। प्रवेशित छात्रों के समस्त शुल्कों का वहन विभाग करता है । सैनिक स्कूल में प्रवेश छात्रवृत्ति - म.प्र .के अनुसूचित जनजाति बालकों के छात्रवृत्ति के लिये म.प्र .सरकार की पृथक छात्रवृत्ति योजना है ।

सैनिक स्कूल रीवा में अनुसूचित जनजाति के लिये 7.5 प्रतिशत सीट आरक्षित है । सैनिक स्कूल रीवा बालकों के लिये पूर्ण रूप से अंग्रेजी माध्यम आवासीय विद्यालय है । यह विद्यालय छात्रों को पब्लिक स्कूल शिक्षा प्राप्त करने तथा उनको सेंट्रल बोर्ड आफ सेकण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली द्वारा आयोजित आल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एन.डी.ए .प्रवेश परीक्षा हेतु शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक व शारीरिक रूप में प्रशिक्षित करता है । सैनिक स्कूल रीवा में प्रवेश के लिए विभाग द्वारा म.प्र . के अनुसूचित जनजातियों के ऐसे छात्र जो सैनिक स्कूल रीवा में प्रवेश प्राप्त करते हैं का सम्पूर्ण व्यय वहन करने की योजना संचालित की जा रही है । योजना के अंतर्गत प्रवेश के निम्नलिखित मापदण्ड हैं :-

1. छात्र म.प्र .की अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो ।
2. छात्र कक्षा 1 से 12वीं में अध्ययनरत हो ।

किसी भी अभिभावक के दो से अधिक बच्चों को योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी ।

वर्ष 2012-13 से वर्ष 2015-16 तक सैनिक स्कूल रीवा में अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	व्यय	अध्ययनरत विद्यार्थी
2012-13	23.30	31
2013-14	25.00	33
2014-15	29.20	38
2015-16	24.94	34

वर्ष 2014-15 में राशि रूपये 241.36 लाख के प्रावधान के विरुद्ध राशि रूपये 237.34 लाख की राशि व्यय की जाकर 140 विद्यार्थियों के लक्ष्य के विरुद्ध 117 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 291.68 लाख प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर 2015 तक राशि रूपये 197.44 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2015-16 में 130 विद्यार्थियों के लक्ष्य के विरुद्ध 119 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 265.01 लाख प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर 2016 तक राशि रूपये 192.20 लाख की राशि व्यय की जाकर 111 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है।

बोर्ड परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति: माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षा शुल्क की राशि विभाग द्वारा मंडल को भुगतान की जाती हैं।

वर्ष 2014-15 में योजनांतर्गत राशि रूपये 130.00 लाख का योजना प्रावधानके विरुद्ध राशि रूपये 130.00 लाख व्यय किये गये हैं।

वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 140.00 लाख प्रावधान के विरुद्ध राशि रूपये 140.00 लाख व्यय किये गये।

वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 140.00 लाख प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर 2016 तक राशि रूपये 126.00 लाख की राशि व्यय की गई।

8.141 साक्षरता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कार : प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्राथमिक शाला में प्रवेश योग्य बालक/बालिकाओं को शत प्रतिशत प्रवेश करवाने तथा शाला त्याग की प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास करने वाली 89 आदिवासी विकासखण्डों की सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों को पुरस्कार स्वरूप रूपये 25000/- के मान से राशि प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2014-15 में भी 89 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने हेतु चयन किया गया है। वर्ष 2014-15 में योजनान्तर्गत राशि

रु .22.25 लाख के प्रावधान के विरुद्ध रूपये 12.60 लाख व्यय की गई है। वर्ष 2015-16 में 89 ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है । माह जनवरी 2016 में समानित किया गया । वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 8.25 लाख व्यय किये गये । माह जनवरी 2017 तक 89 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जावेगा ।

8.142 सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना -: राज्य शासन ने संघ लोक सेवा आयोग तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया है। यह योजना वर्ष 2003-04 से स्वीकृत की गई है। इस योजना अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तथा म.प्र .लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में विभिन्न स्तरों पर सफल होने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को निम्नानुसार सहायता राशि दी जाती है -:

अ. संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के लिए -

- | | |
|--|--------------|
| • प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर | रु. 40000.00 |
| • मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर | रु. 60000.00 |
| • साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर | रु. 50000.00 |

ब. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए -

- | | |
|--|--------------|
| • प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर | रु. 20000.00 |
| • मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर | रु. 30000.00 |
| • साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर | रु. 25000.00 |

शासन आदेश क्रमांक एफ-10/54/2003/25-2/ दिनांक 11.9.14 पात्रता हेतु वार्षिक आय 5.00 लाख से वृद्धि कर राशि रूपये 8.00 लाख की गई।

वर्ष 2014-15 में 200 प्रतिभागियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है एवं राशि रु. 50.00 लाख के प्रावधान के विरुद्ध रूपये 39.35 लाख की राशि व्यय की जाकर 372 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया । वर्ष 2015-16 में 180.00 लाख प्रावधान के विरुद्ध राशि रूपये 172.80 लाख व्यय की जाकर 1005 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है ।

वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 100.00 लाख प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर 2016 तक राशि रूपये 77.35 लाख की राशि व्यय की जाकर 200 विद्यार्थियों के लक्ष्य के विरुद्ध 415 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है ।

8.143 संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिए प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान से कोचिंग योजना:-

- 1- संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्रदेश के आदिवासी वर्ग के योग्य प्रतिभागियों को दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से कोचिंग की योजना शासन आदेशक्रमांक एफ-10-51/2011/25/2 दिनांक 19.8.2011 द्वारा स्वीकृति की गई है । मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग के आदेश क्र. एफ10-51/2011/25/2 दिनांक 13.09.2013 द्वारा योजना में संशोधन कर नवीन योजना स्वीकृत की गई है। जिसके अनुसार :-
ऐसे आवेदकों जिन्होंने राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष से आगामी तीन वर्षों में आयोजित संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की कोचिंग हेतु किसी एक वर्ष के लिए आवेदन कर सकेंगे।
- 2- उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित राज्य न्यायायिक सेवा (सिविल जज) की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई है,
- 3- आवेदक जिनके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित (GATE) (CAT) परीक्षा में न्यूनतम 70 प्रतिशत परसेंटाइल के साथ सफलता प्राप्त की है।

योजना के लाभ लेने हेतु आय सीमा रु .5.00 लाख निर्धारित की गई है।

8.144 निर्माण कार्य : राज्य शासन के बजट में छात्रावास, आश्रम शाला, एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल भवनों का निर्माण कराया जाता है।

वर्ष 2014-15 में छात्रावास भवन निर्माण के प्रावधान राशि रूपये 3300.00 के विरुद्ध 3299.57 लाख की राशि व्यय की जाकर 34 छात्रावास भवनों के निर्माण कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। आश्रम शाला भवन निर्माण के प्रावधान राशि रूपये 2805.00 के विरुद्ध 2804.99 लाख की राशि व्यय की जाकर 37 आश्रम शाला भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया । हाईस्कूल/उ.मा.वि .भवन निर्माण के प्रावधान राशि रूपये 4000.00 के विरुद्ध 3989.08 लाख की राशि व्यय की जाकर 50 हाईस्कूल/उ.मा.वि .भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है एवं 12 अन्य निर्माण कार्य पूर्ण किये गये हैं ।

वर्ष 2015-16 में छात्रावास भवन निर्माण की राशि रूपये 4000.00 लाख प्रावधान के विरुद्ध राशि रूपये 3906.12 लाख व्यय कर 23 कार्य पूर्ण किये गये। वर्ष 2016-17 में छात्रावास भवन निर्माण की राशि रूपये 6000.00 लाख प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर 2016 तक राशि रूपये 3661.48 लाख व्यय कर 24 कार्य पूर्ण किये गये। वर्ष 2015-16 में आश्रम भवन निर्माण की राशि रूपये 3000.00 लाख प्रावधान के विरुद्ध राशि रूपये 2956.58 लाख व्यय कर 23 कार्य पूर्ण किये गये।

वर्ष 2016-17 में आश्रम भवन निर्माण की राशि रूपये 4300.00 लाख प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर 2016 तक राशि रूपये 2794.59 लाख व्यय कर 21 कार्य पूर्ण किये गये। वर्ष 2015-16 में उ.मा.वि. भवन की राशि रूपये 5000.00 लाख प्रावधान के विरुद्ध राशि रूपये 4758.41 लाख व्यय कर 26 कार्य पूर्ण किये गये।

वर्ष 2016-17 में उ.मा.वि. भवन की राशि रूपये 5000.00 लाख प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर 2016 तक राशि रूपये 3359.37 लाख व्यय कर 26 कार्य पूर्ण किये गये। कार्यालय भवन निर्माण एवं विद्युतीकरण के कार्यों हेतु राशि रूपये 200.00 लाख प्रावधान के विरुद्ध राशि रूपये 53.08 लाख व्यय कर 6 कार्य पूर्ण किये गये। कार्यालय भवन निर्माण एवं विद्युतीकरण के कार्यों हेतु वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 200.00 लाख का प्रावधान के विरुद्ध माह दिसम्बर 2016 तक राशि रूपये 1.86 लाख व्यय कर 1 भवन का कार्य पूर्ण किया गया है।

8.145 उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों की स्थापना : प्रतिभावान छात्र-छात्राओं का अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से प्रति जिला मुख्यालय स्तर पर प्री .मैट्रिक छात्रावास) उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान (स्थापित है। यह उत्कृष्ट छात्रावास 50 सीट का होगा जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति के छात्र एक साथ निवास कर सकेंगे। छात्र-छात्राओं के लिये अलग-अलग छात्रावास स्थापित होगा। वर्तमान में जिला स्तर पर संचालित एक कन्या छात्रावास एवं एक बालक छात्रावास को उत्कृष्टता संस्थान पर परिवर्तित किया गया है। प्रत्येक उत्कृष्ट छात्रावास में निम्न सुविधाएँ उपलब्ध कराईं

शिष्यवृत्ति 500/- रूपये प्रति माह 10 माह के लिये
पौष्टिक आहार 100/- रूपये प्रति माह 10 माह के लिये।
पुस्तकें एवं स्टेशनरी 2000/- प्रति वर्ष

कोंचिग सुविधा ।

- 1- उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त छात्रावास एवं शाला में निम्नानुसार सुविधाएँ उपलब्ध कराया जाना प्रस्तुत है:-
- 2- प्रत्येक शिक्षक 100/- प्रति पीरियड अधिकतम 2000/- एवं प्रतिमाह 5 शिक्षक प्रति संस्थान
- 3- विषय विशेष को मानदेय 200/- प्रति घंटे ।
कॉम्प्यूटर

वर्ष 2016-17 में प्रावधान राशि रूपये 1272.68 लाख के विरुद्ध माह दिसम्बर 2016 तक राशि रूपये 640.87 लाख व्यय की गई ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण :

8.146 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति : पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरों पर प्रदान की जाती है । छात्रवृत्ति की पात्रता उन विद्यार्थियों को है। जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा 75.00 हजार से कम हो । गत वर्ष 2015-16 से 4 लाख विद्यार्थियों को 47725.31 लाख रु. व्यय किया गया । वर्ष 2016-17 में राशि रु. 68649.20 लाख का प्रावधान रखा गया है । दिसम्बर 2016 तक कुल राशि रु. 56358.40 लाख राशि जिलों को आवंटन की गई है तथा 4.25 लाख विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

8.147 राज्य स्तरीय सेवाओं के लिए परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र : पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय प्रशासनिक सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की पूर्व तैयारी हेतु भोपाल में संचालित राज्य स्तरीय परीक्षा केन्द्र में परीक्षा पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । इसके लिये प्रशिक्षणार्थियों को 350 रु. प्रतिमाह की दर से शिष्यवृत्ति भी प्रदान की जाती है। इसके साथ-साथ 100 छात्रों एवं 50 छात्राओं को प्रशिक्षण के साथ छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है । प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों का चयन पात्रताधारी परीक्षा के प्राप्तान्तक की वरीयता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से किया जाता है । वर्ष 2015-16 से प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के साथ-साथ अल्पसंख्यक वर्ग के युवक-युवतियों को भी नियमानुसार प्रतियोगी परीक्षाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु छात्रावास उपलब्ध कराया जा रहे । वर्ष 2015-16 प्रशिक्षण केन्द्र को रूपये 53.07 लाख का आवंटन जारी किया गया था । जिसके विरुद्ध केन्द्र द्वारा रु. 39.33 लाख व्यय किये गये हैं । वर्ष 2015-16 के माध्यम से 117 प्रशिक्षणार्थियों को राज्य सेवा मुख्य परीक्षा हेतु 62 प्रशिक्षणार्थियों को एवं साक्षात्कार परीक्षा हेतु 12 प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई गयी । राज्य सेवा

प्रारंभिक परीक्षा में 32 प्रशिक्षणार्थियों राज्यसेवा मुख्य परीक्षा में 18 प्रशिक्षणार्थियों एवं साक्षात्कार परीक्षा में 9 प्रशिक्षणार्थियों चयनित हुए एवं 7 अन्य प्रशिक्षणार्थियों को विविधशासकीय सेवा में चयनित हुए । वर्ष 2017-17 प्रशिक्षण केन्द्र को रु. 47.97 लाख का आवंटन जारी किया गया । जिसके विरुद्ध केन्द्र कद्वारा दिसम्बर 2016 तक रु. 18.51 लाख रु. व्यय कियेगये । वर्ष 2016-17 में राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षाहेतु 107 प्रशिक्षणार्थियों को राज्यसेवसा परीक्षा हेतु 36 प्रशिक्षणार्थियों को एवं साक्षात्कार हेतु 15 प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई गयी । उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में 23 प्रशिक्षणार्थियों विभिन्न पदों पर चयनित हुए हैं एवं 12 अन्य विविध शासकीय सेवा में चयनित हुए ।

8.148 मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग के व्यवसायिक प्रतिभा पुरस्कार योजना : पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को पी.ई.टी./पी.पी.टी./एम.सी.ए. की परीक्षाओं में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख द्वितीय स्थान पाने वाले को 50 हजार एवं तृतीय स्थान पाने वाले को 25 हजार की राशि पुरस्कार में दिये जाने की व्यवस्था है । वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि रु. 5.25 लाख का प्रावधान किया जाकर राशि रुपये 2 लाख व्यय 4 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया । वर्ष 2016-17 में राशि रु. 5.25 लाख व्यय प्रावधान कर 9 अभ्यर्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

8.149 राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर प्रोत्साहन : योजनान्तर्गत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा परीक्षाओं के विभिन्न चरणों में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। प्रोत्साहन राशि का विवरण तालिका 8.16 में दर्शाया गया है ।

तालिका 8.16
प्रोत्साहन राशि

विवरण	स्वीकृत की जाने वाली राशि रुपये में	
	संघ लोक सेवा आयोग	राज्य लोक सेवा आयोग
प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	25000	15000
मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	50000	25000
साक्षात्कार उपरांत चयन होने पर	25000	10000
योग	100000	50000

वर्ष 2015-16 में 59.75 लाख व्यय की जाकर 398 अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किये गये । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में 884 अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर राशि रू. 147.60 लाख की राशि व्यय की गई है ।

8.150 पिछड़ा वर्ग विद्यार्थि मेधावी छात्रवृत्ति : यह योजना वर्ष 2010 से लागू है । योजनान्तर्गत 10 वीं बोर्ड में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र/छात्राओं को रुपये 5 हजार 12 वीं के छात्र/छात्राओं को 10 हजार का पुरस्कार प्रमाण पत्र 15 अगस्त, 26 जनवरी को जिला स्तरीय समारोह में दिया जाता है । वर्ष 2014-15 में योजना के लिए 14.10 लाख रुपये व्यय कर 200 छात्राओं को पुरस्कार दिये गये । वर्ष 2015-16 में 15.05 लाख का प्रावधान 200 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रू. 16.00 लाख का प्रावधान किया जाकर 204 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है ।

8.151 विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति : चयनित पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को विदेशों में विशिष्ट क्षेत्रों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों/शोध उपाधि एवं शोध (पी;एच;डी.) उपाधि उपरांत कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2007 से प्रारंभ की गई है ।

योजना में प्रतिवर्ष 5 अभ्यर्थियों के चयन का प्रावधान था अब इस योजना में 5 विद्यार्थियों के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रतिवर्ष 10 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया जा रहा है । गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में 17 विद्यार्थियों को राशि रू. 287.20 लाख की राशि स्वीकृत की गई है । वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रू. 400.00 लाख का प्रावधान किया गया है । दिसम्बर 2016 तक 400.00 व्यय किये जाकर 17 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है ।

8.152 मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना : प्रदेश में पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार के रूप में कृषि उद्योग व्यवसाय में स्थापित करने हेतु बैंक के माध्यम से ऋण व अनुदान उपलब्ध कराने हेतु यह योजना प्रारंभ की गई है वर्ष 2015 -16 में योजना अन्तर्गत कुल राशि रुपये 2084.67 लाख की राशि व्यय की जाकर 2023 हितग्राहियों को अनुदान राशि स्वीकृत कर प्रदान की गई है । वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल राशि रू. 2900.00 लाख का प्रावधान किया गया है । जिसके विरुद्ध दिसम्बर, 2016 तक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के 1403 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है ।

8.153 पिछडे वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण (रोजगार गांटी योजना) : यह योजना वर्ष 2009-10 से लागू की गई है इस योजना के अन्तर्गत पिछडे वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं निजी स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से विषय की आवश्यकता के अनुसार कौशल विकास हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । वर्ष 2014-15 में योजनान्तर्गत रूपये 1500.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत हुआ था तथा पिछडे वर्ग के कुल 8000 अभ्यर्थियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया गया है । वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि 2000.00 लाख का प्रावधान किया गया है । जिसके विरुद्ध 8000 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तथा दिसम्बर 2016 तक राशि रूपये 1800.00 लाख रूपये व्यय किये गये हैं ।

8.154 राम जी महाजन स्मृति पुरस्कार : पिछडे वर्ग उत्थान एवं विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले पिछडे वर्ग के 16 समाजसेवियों को सम्मानित किया जाता है जिसमें 8 महिला एवं 8 पुरुष सम्मिलित होते हैं प्रत्येक समाजसेवी को रूपये एक लाख नगद एवं प्रशस्ती से प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है । गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 16 समाजसेवियों का ज्यूरी द्वारा चयन कर वर्ष 2015-16 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है । वित्तीय वर्ष 2015-16 में 16 (8 पुरुष एवं 8 महिला) समाजसेवियों को ज्यूरी द्वारा चयन कर लिया गया है । वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु राशि रू. 66.00 लाख का प्रावधान किया गया है ।

8.155 छात्रगृह योजना : विभागीय छात्रावासों में स्थानाभाव के कारण प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों जो पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति एवं विभागीय छात्रावासों में प्रवेश पात्रता रखते हो के लिए छात्रगृह योजना संचालित की जा रही है । योजना के तहत 5 या अधिक के समूह में किराए के भवन में विद्यार्थियों के रहने पर भवन किराया एवं बिजली पानी इत्यादि की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है । विभाग द्वारा तहसील, जिला एवं संभाग स्तर के छात्रगृहों हेतु सर्व सुविधायुक्त किराए के भवन का मासिक किराया क्रमांक रूपये 3000/- 4000/- एवं रूपये 5000/- निर्धारित किया गया है । वित्तीय वर्ष 2015-16 में 80.12 लाख की राशि व्यय की गई है तथा 166 छात्रगृह संचालित कर 850 विद्यार्थियों को लाभांशित किया गया है । वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रू. 151.78 लाख का प्रावधान किया गया है । जिसके विरुद्ध दिसम्बर 2016 तक 120 छात्रगृह संचालित कर 604 विद्यार्थियों को लाभांशित कर राशि रू. 32.03 लाख व्यय की गई है ।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

8.156 बालक छात्रावास निर्माण : माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा एवं विधानसभा संकल्प 2010 के बिन्दु क्रमांक 42 के पालन में सभी जिला मुख्यालयों पर 100 सीटर बालक पोस्टमैट्रिक छात्रावासों के भवनों की स्थापना की जानी है। केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत प्रदेश के जिलों में 100 सीटर बालक पोस्टमैट्रिक छात्रावास भवनों का निर्माण कार्य कराया जाना था जिसमें से 48 जिलों में छात्रावास भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है, तथा शेष 3 जिलों में छात्रावास भवन निर्माणधीन है।

समस्त जिलों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गयी है। गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में रुपये 385.00 लाख की राशि व्यय की गई है। गत वर्ष 2015-16 में राशि रु. 1253.95 लाख का प्रावधान किया गया था जिसके विरुद्ध राशि रुपये 268.20 लाख की राशि लोक निर्माण विभाग को कार्य हेतु हस्तांतरित की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रु. 240.00 लाख लोक निर्माण विभाग (पी.आई.यू.) को हस्तांतरित की गई है।

8.157 जिला स्तरीय कन्या छात्रावास निर्माण : प्रदेश के पिछड़े वर्ग की अध्ययनरत कन्याओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये केन्द्र योजनान्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में 50 सीटर पोस्टमैट्रिक जिला स्तरीय कन्या छात्रावास स्वीकृत है। प्रदेश के 49 जिलों में छात्रावास भवन पूर्ण हो चुके हैं, शेष 03 जिलों में भवनों का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में संभागीय मुख्यालय इन्दौर में 500 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास एवं शाजापुर जिला मुख्यालय पर 50 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावास भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। वर्ष 2016-17 में राशि रु. 473.72 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके विरुद्ध दिसम्बर 2016 तक राशि रु. 305.61 लाख लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित की गई है।

अल्पसंख्यक वर्ग का कल्याण

- **मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार योजना :**
अल्पसंख्यक समुदाय के विकास एवं कल्याण के क्षेत्र में संलग्न सामाजिक संस्थाएं एवं व्यक्तियों को उनकी उत्कृष्ट सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवाओं और योगदान प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को तीन

मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा पुरस्कार देने की योजना वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारंभ की है जिसमें (1) शहीद असफाक उल्लाह खॉ पुरस्कार (2) शहीद हमीद खां पुरस्कार (3) मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पुरस्कार । प्रत्येक पुरस्कार रूपये 1 लाख का है । गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 3 समाज सेवियों का ज्यूरी द्वारा चयन कर वर्ष 2015-16 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2015-16 में 3 (2 पुरुष एवं 1 महिला) समाजसेवियों को पुरस्कृत करने का लक्ष्य रखा गया है । वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रु. 53.00 लाख का प्रावधान किया गया है ।

- **अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण (रोजगार गारंटी योजना) -**अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण योजना वर्ष 2012-13 से प्रारम्भ की गई है । गतवर्ष 2015-16 में राशि रूपये 300.00 लाख की राशि व्यय की जाकर 2000 अभ्यर्थियों निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया । वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 400.00 लाख का प्रावधान किया जाकर 2000 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है । दिसम्बर 2016 तक राशि रु. 360.00 लाख व्यय किये गये हैं ।
- **भोपाल में हज हाउस का निर्माण -** भोपाल में सर्वसुविधा युक्त प्रदेश के प्रथम हज हाउस का निर्माण कराया गया है । वर्ष 2015-16 में राशि रूपये 11125 लाख व्यय किये गये । वर्ष 2016 की हज यात्रा नवनिर्मित हज हाउस से सम्पन्न की गई है । जिसमें 2878 हज यात्रियों को हज पर भेजा गया था । मध्यप्रदेश हज कमेटी को अनुदानहेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में 48.40 लाख का प्रावधान किया गया है । जिसके विरुद्ध दिसम्बर 2016 तक रु. 21.78 लाख की राशि व्यय की गई है ।
- **अल्पसंख्यक बाहुल्य जिले की विकास कार्य योजना :** अल्पसंख्यक बाहुल्य जिले भोपाल के लिए 11 वीं पंचवर्षीय योजनाकाल में स्वीकृत 04 छात्रावास भवनों में से 03 छात्रावास भवन पूर्ण हो चुके हैं तथा 01 छात्रावास भवन पूर्णता की ओर है । गतवर्ष 2014-15 में राशि रूपये 94.39 लाख व्यय किये गये । 12 वीं पंचवर्षीय योजना अन्तर्गत 4 अल्पसंख्यक बाहुल्य कस्बों श्योपुर, बुरहानपुर, खरगौन एवं इन्दौर महू केन्ट के लिए लगभग 1400 लाख की योजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है । योजना अन्तर्गत निर्माणकार्य प्रारंभ हो चुके हैं । वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रु. 550.00 लाख का प्रावधान किया गया है । जिसके विरुद्ध दिसम्बर 2016 तक 446.83 लाख की राशि व्यय की गई है ।

भारत सरकार की केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाएँ

8.158 मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति : भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी) के निर्धन एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मेरिट कम मीन्स योजना वर्ष 2007-2008 से प्रारंभ की गई है इस योजना में अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों जिनके प्राप्तांक 50 प्रतिशत से अधिक हैं तथा स्वयं/माता-पिता/ अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक न हो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है ।

गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 1391 विद्यार्थियों को रुपये 4.15 करोड़ रुपये की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त की गई है । भारत सरकार द्वारा राशि का नियमानुसार एवं पात्रता अनुसार स्वीकृति दी जाकर स्वीकृत राशि का हस्तांतरण सीधे ऑन लाईन विद्यार्थियों के द्वारा एकल बैंक खाते में जमा किया गया है । गत वर्ष 2015-16 में कुल 6503 विद्यार्थियों के प्रस्ताव भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को स्वीकृति हेतु भेजे गये थे । वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर 2016 तक 2196 विद्यार्थियों के ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों को भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली को ऑन लाईन फारवर्ड किया गया है । छात्रवृत्ति का भुगतान भारत सरकार द्वारा सीधे विद्यार्थियों के एकल बैंक खाते में किया जा रहा है ।

8.159 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना : पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2007-08 से प्रारंभ की गई है इस योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी) के प्रतिभावान के विद्यार्थियों को जिनके प्राप्तांक 50 प्रतिशत से अधिक हैं स्वयं/माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक न हो उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। विगत वित्तीय वर्ष 2014-15 में 11509 विद्यार्थियों को रुपये 779.11 लाख की राशि के प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं एवं राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा सीधे विद्यार्थियों के एकल बैंक खाते में किया गया है । गत वर्ष 2015-16 में कुल 26246 विद्यार्थियों के प्रस्ताव भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को स्वीकृति हेतु अग्रेषित किये गये थे । भारत सरकार द्वारा पात्रतानुसार स्वीकृति विद्यार्थियों को स्वीकृत राशि हस्तांतरण सीधे ऑनलाइन विद्यार्थियों के द्वारा उपलब्ध कराये गये । एकल बैंक खाते में किया गया है । वर्ष 2016 -17 में माह दिसम्बर 2016 तक 19.656 विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों को भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली को ऑन लाईन फारवर्ड किया गया है । छात्रवृत्ति का भुगतान भारत सरकार द्वारा सीधे विद्यार्थियों के एकल बैंक खाते में किया जा रहा है ।

8.160 प्रीमेट्रिक छात्रवृत्ति : भारत सरकार की इस योजना के तहत अल्पसंख्यक (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन) वर्ग के निर्धन परिवारों के कक्षा पहली से 10 वीं तक अध्ययनरत प्रति परिवार के अधिकतम दो बच्चों को शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पात्रता उन छात्र-छात्राओं को है जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये से अधिक न हो। वर्ष 2014-15 में 104819 लाख विद्यार्थियों हेतु राशि 2120.86 लाख रुपये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई। वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल 91117 विद्यार्थियों के प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को स्वीकृति हेतु अग्रेषित किये गये थे। भारत सरकार द्वारा पात्रतानुसार स्वीकृत विद्यार्थियों को स्वीकृत राशिका हस्तांतरण सीधे ऑनलाईन विद्यार्थियों के द्वारा उपलब्ध कराये गये एकल बैंक खाते में किया गया है। वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर 2016 तक 37 विद्यार्थियों के ऑन लाईन प्राप्त आवेदनों को भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली को ऑन लाईन फारवर्ड किया गया है। छात्रवृत्ति का भुगतान भारत सरकार द्वारा सीधे विद्यार्थियों के एकल बैंक खाते में किया जा रहा है।

सामाजिक न्याय

8.161 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना : यह योजना प्रदेश में वर्ष 1981 से प्रभावशील है। इस योजना के अन्तर्गत हितग्राही को म.प्र. का मूल निवासी होना आवश्यक है। 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध, 18 वर्ष से 39 वर्ष की आयु की विधवा महिलायें, 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलायें, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती हो, वर्ष 6 से 18 वर्ष आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार के निःशक्त बालक/बालिका जो कि शालाओं में अध्ययनरत हैं, 18 से 59 वर्ष आयु की निःशक्त जिनकी निःशक्तता 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक हो, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हो, वृद्धाश्रम में निवासरत समस्त अन्तःवासी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो इस योजनान्तर्गत राशि रुपये 300 प्रतिमाह प्रति हितग्राही को पेंशन दिये जाने का प्रावधान है।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2015-16	27111.23	20663.50	833949
2016-17	22619.36	14019.01	640506

8.162 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना : यह योजना प्रदेश में 01.04.2009 से प्रभावशील है। इस योजनान्तर्गत पात्र हितग्राही जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के निःशक्त जो 80 प्रतिशत अथवा इससे अधिक निःशक्त हों

को भारत सरकार के मद से राशि रूपये 300/- प्रति हितग्राही प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किया जाने का प्रावधान है ।

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2015-16	6108.00	5284.75	103604
2016-17	6200.00	3107.02	115036

8.163 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : यह योजना 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है । योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । भारत सरकार से योजना के लिये राज्य सरकार को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त होती है । माह नवम्बर 2007 से राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के स्थान पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना प्रारंभ की गई है । इस योजना के तहत वर्ष 60 से 79 वर्ष के हितग्राहियों को रूपये 200 केन्द्रांश तथा रूपये 100 राज्यांश सम्मिलित कर रूपये 300 एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के हितग्राहियों को रूपये 500 मासिक पेंशन प्रदाय की जा रही है ।

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2015-16	46104.04	45052.19	1385512
2016-17	44000.00	30211.04	1529149

8.164 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना : यह योजना प्रदेश में 01.04.2009 से प्रारंभ की गई है । इस योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा महिलाओं को भारत सरकार के मद से राशि रूपये 300/- प्रति हितग्राही प्रतिमाह पेंशन भुगतान किये जाने का प्रावधान है ।

(राशि रूपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2015-16	32618.45	29707.91	896979
2016-17	39000.00	20631.65	959206

8.165 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना : प्रदेश में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना दिनांक 15 अगस्त 1995 से प्रभावशील है। इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाउ सदस्य स्त्री अथवा पुरुष जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो, की मृत्यु होने पर पीडित परिवार को 20,000/- रूपये एक मुश्त की सहायता देने का प्रावधान है । यह केन्द्रीय योजना है, योजना के क्रियान्वयन हेतु शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार से प्राप्त होती है । योजना को क्रियान्वयन की

जिम्मेदारी राज्य शासन की है । इस योजना के अन्तर्गत परिवार के कमाउ सदस्य की प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक रूप से मृत्यु होने पर रुपये 20,000/- की एक मुश्त आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है ।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2015-16	7450.00	7250.35	36252
2016-17	7000.00	4900.85	24504

8.166 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना : मध्य प्रदेश शासन द्वारा गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु रुपये 25000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु नवम्बर 2016 से योजनान्तर्गत निम्न व्यवस्था प्रभावशील है :-

- कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु राशि रुपये 17000 की राशि अकाउंट पेयी चैक के माध्यम से सामूहिक विवाह कार्यक्रम में तत्समय ही कन्या को उपलब्ध कराई जाये ।
- विवाह संस्कार के लिये आवश्यक सामग्री (कपडे बिछिया पायजेब (चांदी के) तथा 7 बर्तन) रुपये 5000 (सामग्री की गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाये।)
- सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिये ग्रामीण / शहरी निकाय को व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 3000 ।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2015-16	20679.20	11775.29	49313
2016-17	15436.81	7167.59	28248

8.167 मुख्यमंत्री निकाह योजना : मध्य प्रदेश शासन द्वारा गरीब जरूरतमंद निराश्रित/निर्धन परिवारों की मुस्लिम विवाह योग्य कन्या/विधवा /परित्यक्तता के सामूहिक निकाह हेतु रुपये 25000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है जो निम्नानुसार है :-

- कन्या के दाम्पत्य जीवन की खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु राशि रुपये 17000 की राशि अकाउंट पेयी चैक के माध्यम से सामूहिक विवाह कार्यक्रम में तत्समय ही कन्या को उपलब्ध कराई जाये ।
- विवाह संस्कार के लिये आवश्यक सामग्री (कपडे बिछिया पायजेब (चांदी के) तथा 7 बर्तन) रुपये 5000 (सामग्री की गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाये।)

- सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिये ग्रामीण / शहरी निकाय को व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 3000 ।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2015-16	500.00	381.31	2148
2016-17	900.00	207.74	919

8.168 मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना : योजनान्तर्गत ऐसे समस्त भूमिहीन खेतीहर मजदूर जिनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम खेती की भूमि न हो तथा जो जीविकोपार्जन हेतु कृषि, उद्यानिकी, वनरोपण तथा वन संग्रह में नियोजित होकर कार्य करते हों तथा म.प्र. के निवासी हों, को प्रसूति सहायता, मेधावी छात्रवृत्ति एवं दुर्घटनामें मृत्यु होने पर अंत्येष्टि इत्यादि की सहायता कर सुविधा प्रदान की जाती है । वर्तमान में यह योजना स्वास्थ्य विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग को अंतरित की गई है ।

8.169 मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना : योजना अप्रैल 2013 से प्रारंभ की गई है। योजनान्तर्गत ऐसे दम्पति जिनकी केवल कन्याए है तथा दम्पति में से किसी एक की आयु 60 वर्ष हो और उनके कोई सन्तान के रूप में पुत्र न हो आयकर दाता न हो को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन का लाभ दिया जाता है ।

(राशि रुपये लाख में)

वर्ष	आवंटन	व्यय	हितग्राही
2015-16	2311.20	1798.33	29872
2016-17	2250.00	1273.06	36869

8.170 समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन : राज्य शासन के विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं और उनके अवयवों की भिन्नता को दूर करते हुए सरलीकृत व्यवस्था और पारदर्शिता बनाए रखते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालित है ।

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वेब पोर्टल तैयार किया गया है । जिसका URL: [http:// Samagra.mp.gov.in](http://Samagra.mp.gov.in) / है । समग्र पोर्टल पर प्रदेश में निवासरत समस्त परिवारों की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध है । वर्तमान में 1.88 करोड़ परिवार एवं 8 करोड़ से अधिक सदस्यों का डॉटा बेस तैयार किया गया है । डॉटा अपडेशन की कार्यवाही

सतत जारी है। विभिन्न पेंशन योजनाएं छात्रवृत्ति योजनाएं, विवाह योजनाएं तथा खाद्य सुरक्षा का लाभ पोर्टल के माध्यम से हितग्राहियों को उपलब्ध कराया जा रहा है ।

समग्र पोर्टल पर परिवारों की जानकारी को दर्ज कर परिवारों को 8 अंकों की एवं परिवार के सदस्य को 9 अंकों की युनिक समग्र आई.डी. प्रदान की गयी है । समग्र पोर्टल पर उपलब्ध नागरिकों के आधार पर विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं के अन्तर्गत हितग्राहियों का सत्यापन कर लाभ प्रदान किया जा रहा है ।

- **समेकित छात्रवृत्ति (स्कूल शिक्षा विभाग) :** 1.48 करोड स्कूली छात्र-छात्राओं की प्रायवेट एवं सरकारी स्कूल के साथ मैपिंग 85.27 लाख बच्चों की छात्रवृत्ति स्वीकृति ।
- **खाद्य सुरक्षा अधिनियम :** 2013 (खाद्य नागरिक अपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग) 1.16 करोड परिवार व 5.43 करोड सदस्यों को चिन्हित कर खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जा रहा है । राशि हेतु ई-पात्रता पर्ची समग्र पोर्टल से जनरेट की जा रही है । जन्म एवं मृत्यु के पंजीयन के आधार पर ई-पात्रता पर्ची स्वतः अपडेट ।
- **पेंशन योजनाएं (सामाजिक न्याय एवं निः शक्त कल्याण विभाग) :** 33.35 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों का सत्यापन पूर्ण/ पेंशन का भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से सीधे हितग्राही के बचत खाते में किया जा रहा है । हितग्राहियों की सूची पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है ।

8.171 बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से निःशक्त बच्चों एवं व्यक्ति को आर्थिक सहायता : प्रदेश में 6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित निः शक्त व्यक्ति को 500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है । वर्ष 2016-17 में इस योजना के तहत अक्टूबर 2016 तक 58511 हितग्राही लाभान्वित हुए । इस योजना में आय सीमा का कोई बंधन नहीं है ।

8.172 निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना : इस योजना के अन्तर्गत दम्पति में कोई एक के निः शक्त होने पर रुपये 50.00 हजार एवं दम्पति में दोनों निःशक्त होने पर रुपये 1.00 लाख तक एकमुश्त प्रोत्साहन राशि एवं प्रशंसा पत्र देने का प्रावधान है ।

नगरीय विकास

8.173 प्रधानमंत्री आवास योजना : भारत सरकार आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय एवं राज्य सरकार के सहयोग से आवास योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 35 हजार आवासीय इकाईयों का निर्माण पूर्ण कर शहरी गरीबों को आवंटित किया जा चुका है । 1 लाख 35

हजार आवासीय इकाईयों और भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है । जिनमें से 60 हजार आवासीय इकाईयों का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है । 75 हजार आवासीय इकाईयों के निर्माण हेतु निविदा जारी कर दी गई है । 80 हजार आवासीय इकाईयां और स्वीकृत करने के प्रस्ताव भारत सरकार आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को प्रेषित कर दी गई है । मार्च 2018 तक प्रदेश में 5 लाख आवासीय इकाईयां बनाया जाना लक्षित है ।

8.174 अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत मिशन) : भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय एवं राज्य सरकार के सहयोग से प्रदेश के कुल 34 शहरों (33 शहर 1 लाख से अधिक जनसंख्या एवं ओंकारेश्वर पर्यटन शहर) में अधोसंरचना के विकास के लिए राशि रू. 6200.00 करोड की परियोजना क्रियान्वित किये जाने का अनुमोदन किया गया है । जिसमें पेयजल, सीवरेज, वर्षा जल की निकासी हेतु नालों का निर्माण, परिवहन एवं हरित क्षेत्र का विकास किया जाना है । प्रदेश में अभी तक राशि रू. 800.00 करोड की पेयजल एवं राशि रू. 1800.00 करोड की सीवरेज परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है । मार्च, 2017 तक सभी परियोजनाओं में कार्य प्रारंभ कर मार्च, 2020 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है ।

सुशासन एवं कानून व्यवस्था

होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की योजनाएं : मध्यप्रदेश विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र वाला राज्य है। राज्य 28 जिले भूकंप तीव्रता की दृष्टि से जोन-3 एवं 22 जिले जोन-2 में आते हैं। पिछले कुछ वर्षों के आधार पर राज्य के 32 जिले बाढ़ प्रभावित रहे हैं। इसके अलावा अग्नि, सूखा, बर्फबारी, रासायनिक, दुर्घटनाएं, रोड दुर्घटनाएं, ट्रेन दुर्घटनाएं, इत्यादि से भी विभिन्न जिले प्रभावित रहे हैं। अतः प्रदेश में आमजन के जानमाल की रक्षा एवं बचाव कार्य हेतु राज्य शासन द्वारा दिनांक 04.10.2013 द्वारा राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल का गठन किया गया है।

इसके अंतर्गत मुख्यालय स्तर पर स्टेट कमाण्ड सेंटर तथा प्रथम चरण में 04 जिला इकाईयों भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर में एस.डी.ई.आर.एफ.इकाई गठित की गई है। मुख्यालय स्तर पर 44 स्थायी पदों तथा चार जिला इकाईयों में 88 स्थायी पद, इस प्रकार कुल 132 नवीन पदों का सृजन किया गया। नवगठित बल में स्टेट कमाण्ड सेंटर के लिए 150 जवान तथा 4 जिला इकाईयों हेतु प्रत्येक में 100 के मान से 400 जवान, इस प्रकार कुल 550 जवानों के लिए अतिरिक्त काल आउट का प्रावधान किया गया। भोपाल स्थित एसडीआरएफ मुख्यालय में स्थापित स्टेट कमाण्ड सेंटर प्रदेशकी सभी आपदाओं पर पर्यवेक्षण करते हुए निरंतर चौबीसों घण्टे क्रियाशील रहता है।

नवगठित बल में स्वीकृत पदों की पूर्ति प्रतिनियुक्ति एवं संविदा नियुक्ति द्वारा की गई है। वर्तमान में स्वीकृत, उपलब्ध व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट -1 पर प्रस्तुत है। एसडीईआरएफ में रिक्त उपनिरिक्षक एवं प्रधान आरक्षक (हवलदार) के पदों की पूर्ति हेतु सीमा सुरक्षा बल से सहमति प्राप्त अराजपत्रित अधिकारी एवं कर्मचारियों के चयन हेतु समिति की कार्यवाही दिनांक 01 एवं 02 अगस्त, 2016 को गई। इसमें सीमा सुरक्षा बल से 24 प्रधान आरक्षक एवं 3 उपनिरिक्षकों का चयन किया गया, जिसमें से 01 उपनिरिक्षक को छोड़कर शेष सभी द्वारा एसडीईआरएफ में अपनी उपस्थिति दे दी है।

दिनांक 21.06.2016 को माननीय मुख्य सचिव महोदय के समक्ष राज्य कमाण्ड एवं रिस्पांस मानिट्रिंग प्रस्तूतीकरण की बैठक के बिन्दु क्रमांक 06 अनुसार "राज्य आपदा मोचन बल के तीनों चरणों की पूर्ति की जाए, का निर्णय लिया गया"।

9.1 क्षमता वृद्धि हेतु प्रशिक्षण :-

होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ की आपदा प्रबंधन, रेस्क्यू कार्यमें क्षमता वृद्धि हेतु विभाग द्वारा अधिकारी/कर्मचारी एवं जवानों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है एवं निरंतर प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है:-

- कलकत्ता में सरफेस वाटर एवं फलड रेस्क्यू कोर्स - 300 जवान
- डाप डायविंग कोर्स - 60 जवान
- सी.टी.आई. जबलपुर में एन.डी.आर.एफ. के सहयोग -217 जवान
- बी.एफ.एफ. टेकनपुर में विशेष प्रशिक्षण - 100 जवान
- आपदा प्रबंधन कार्यशालायें एवं प्रशिक्षण मॉक डिल आयोजित -2500 जवान
- राज्य स्तरीय तीन वृहद सेमीनार 1. नसरुल्लागंज, 2. भोपाल, 3. होशंगाबाद

- सिंहस्थ 2016 ड्यूटी हेतु होमगार्ड विभाग में 3000 स्वयं सेवकों का अस्थायी किया जाकर आपदाओं से निपटने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया गया।
- माह मार्च अप्रैल 2016 में 3000 होमगार्ड के जवानों तथा 3000 सिविल डिफेंस के वालेन्टियर्स को आपदा प्रबंधन में क्षमता वृद्धि हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया गया।
- सिंहस्थ 2016 के दौरान स्थानीय गोताखोर एवं तैराक, होमगार्ड के जवान तथा सिविल डिफेंस के वालेन्टियर्स कुल मिलाकर 10,000 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया।
- इस वर्ष अधिक वर्षा की चेतावनी के मद्देनजर सभी 51 जिलों में जलस्रोत जैसे नदी, तालाब, डेम आदि में 26,000 जवानों को प्रशिक्षण दिया गया।

9.2 रेस्क्यू कार्य हेतु उपकरण एवं वाहन की उपलब्धता :-

अ. उपकरण:- इस वर्ष 2016-17 में आवंटित बजट रु. 36 करोड से बाढ़ आपदा की स्थिति को देखते हुये रु. 20,30,32,000 का मोटरबोट सहित बचाव उपकरणों का क्रय किया गया।

ब. वाहन:- इस वित्तीय वर्ष 2016-17 आवंटित बजट रु. 7 करोड से रु. 2620427 का वाहनों का क्रय किया जा चुका है।

9.3 सिंहस्थ 2016 के उल्लेखनीय कार्य : मध्यप्रदेश में सिंहस्थ 2016 (महाकुंभ) का आयोजन महाकाल की नगरी उज्जैन में विगत माह 21 अप्रैल से 22 मई , 2016 तक आयोजित किया गया। इस महाकुंभ के सफल आयोजन हेतु आपदा प्रबंधन की रूपरेखा तैयार कर एसडीईआरएफ, होमगार्ड, सिविल डिफेंस विभाग द्वारा अथक परिश्रम से ड्यूटी कर सिंहस्थ 2016 में आने वाले करोड़ों की संख्या में आमजन, श्रद्धालुओं, साधू-संतों एवं गणमान्य

नागरिकों की जानमाल की रक्षा की गई। उक्त विभागों के जवानों ने करीब 500 सर्प जीवित पकड़कर वन विभाग को सौंपा एवं सिंहस्थ के दौरान आये आंधी तूफान से पंडाल के नीचे दबे लगभग 90 श्रद्धालुओं, साधू-संतों को अस्पताल पहुंचाया। करीब 400 लोगों को मौके पर ही फर्स्ट एड देकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा।

9.4 आपदा कमाण्ड एवं रिस्पांस मानिट्रिंग की स्थापना : प्रदेश में आने वाली सभी प्रकार की प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए विभाग द्वारा एक विशेष वेब पोर्टल www.homeguard.mp.gov.in तैयार किया गया है। इस सिस्टम में शासन के सभी विभागों नगर निगम, नगर पालिका, पंचायती राज इकाईयां, स्वयं सेवी संगठनों, परोपकारी संगठनों एवं निजी संस्थानों के सभी संसाधनों, वाहनों आदि की जानकारी की जियो - टैगिंग की जा रही है। यह सिस्टम संपूर्ण प्रदेश में किसी भी क्षेत्र में आपदा घटित होने पर उसका पंजीयन कर तत्काल निकटतम स्थित संसाधनों को भेजकर प्रभावी राहत एवं बचत कार्य किया जा सकेगा।

9.5 सूचना एवं संचार तकनीकी तथा ई-गवर्नेंस: विभाग द्वारा सभी 51 जिलों में ई.ओ.सी. एवं क्यू.आर.टी. स्थापित किये जा चुके हैं। सभी ईओसी में टेलीफोन एवं इंटरनेट स्थापित हैं। भारत सरकार द्वारा आम पब्लिक के लिए प्रदत्त टोलफ्री नं. 1079 लेवल वन तथा 30 पीआरआई लाइन सहित स्टेट कमाण्ड सेंटर भोपाल में स्थापित किया गया, ताकि आपदा पीडित कोई भी व्यक्ति तत्काल निःशुल्क फोन लगाकर सहायता प्राप्त कर सके।

9.6 राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (ISRO) से आपदा प्रबंधन सहयोग हेतु पाँच वर्षीय करार: आपदा के समय प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एनआरएससी (इसरो) से होमगार्ड विभाग द्वारा 5 वर्षीय एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके तहत आपदाओं का पूर्व अनुमान लगाकर समय रहते प्रभावी कार्यवाही कर जान माल की रक्षा की जा सकेगी।

9.7 M0प्र0 के सभी जिलों में सिविल डिफेंस का गठन : मध्यप्रदेश में वर्ष 2014 तक मात्र 5 जिले भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, एवं कटनी ही सिविल डिफेंस जिलों के रूप में घोषित थे, अब राज्य शासन द्वारा सभी 51 जिलों को सिविल डिफेंस जिला घोषित किये गये हैं। होमगार्ड के द्वारा समाज के ऐसे सेवाभावी जागरूक लगभग 1,10,000 नागरिकों को व्यवस्था से जोड़ा गया है और 08 विशिष्ट विधाओं में प्रशिक्षित कर प्रशासन साथ कंधे से कंधा मिलाकर रचनात्मक कार्य करने हेतु तैयार किया जा रहा है।

9.8 इस वर्ष बाढ़ बचाव की उल्लेखनीय कार्यवाही : 09 जुलाई 2016 को भोपाल में आई भयानक बाढ़ में एसडीईआरएफ एवं होमगार्ड ने उल्लेखनीय भूमिका निभायी। रीवा, पन्ना तथा सतना इन तीनों जिलों में बाढ़ का व्यापक फैलाव हुआ। यहां होमगार्ड एवं एसडीईआरएफ ने पानी से घिरे लोगों को सुरक्षित निकालने, दवाई एवं भोजन का प्रबंध करने में विशेष योगदान दिया।

पन्ना जिला अंतर्गत अमानगंज ब्लाक में 2 छोटे डेम टेटने से 18 गाँव जलमग्न हो जाने की सूचना पर ग्वालियर एवं भोपाल से एसडीईआरएफ एवं होमगार्ड का विशेष बाढ़ बचाव दल 07 मोटरबोट व आवश्यक उपकरणों के साथ भेजकर रेस्क्यू कार्य किया गया।

गृह (पुलिस) विभाग की योजनाएं

9.9 आन्तरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था एवं सुशासन : उज्जयिनी का सिंहस्थ 2016, भीड़ प्रबंधन, पुलिस की व्यवस्थाओं और आयोजन के परिपेक्ष्य से निःसंदेह पिछले 50 सालों में सर्वाधिक सफल कुंभ का आयोजन था। मध्यप्रदेश पुलिस ने अपनी विनमता, व्यवहार कुशलता एवं व्यवसायिक क्षमता की ऐसी छाप छोड़ी जिसकी चर्चा आम जनता से लेकर संत महंत आज तक कर रहे हैं। सिंहस्थ की पूरी परिकल्पना को मध्यप्रदेश पुलिस ने जिस रूप में साकार किया उसे एक माह में आये 8 करोड़ से अधिक दर्शनार्थियों ने मुक्त कण्ठ से सराहा है। आन्तरिक सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने में मध्यप्रदेश पुलिस ने जो भी योगदान दिया है उसमें मध्यप्रदेश पुलिस के साधन, संसाधन बढ़ाने में और कारगर बनाने में मध्यप्रदेश शासन ने अप्रतिम योगदान दिया है।

मध्यप्रदेश में विगत 11 वर्षों में कृषि क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, विद्युतीकरण में, उद्योगों का जाल बिछाने के लिये तथा अन्य विकास के कार्यों में अकल्पनीय वृद्धि हुई है। सभी विभागों के साथ कंधे से कंधा मिला कर पुलिस द्वारा सहयोग किया गया है, जिसका परिणाम यह है कि मध्यप्रदेश आज विकसित प्रदेशों की श्रेणी में खड़ा हुआ है। मध्यप्रदेश सही मायनों में इस कहावत को चरितार्थ कर रहा है कि "पुलिस सुरक्षा के लिये, सुरक्षा विकास के लिये और विकास जनता के लिये" यदि विगत वर्षों में मध्यप्रदेश में विकास के जितने भी पैमाने हैं, चाहे वो जीडीपी में 10 प्रतिशत की वृद्धि हो, पिछले कई वर्षों से कृषि कर्मण पुरस्कार हो, मध्यप्रदेश में सड़क निर्माण से लेकर नहरों का विस्तार हो या विस्थापन और पुनर्वास से जुड़ी हुई मानवीय समस्याये, मध्यप्रदेश पुलिस ने विकास के हर क्षेत्र में वृद्धि के लिये सक्रिय योगदान दिया है।

मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ इसकी आंतरिक सुरक्षा के संदर्भों में विभिन्न प्रकार के खतरों, जैसे:- वामपंथी, चरमपंथी, साम्प्रदायिक गतिविधियाँ, आतंकवादी गतिविधियाँ एवं संगठित अपराध एवं विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा आदि सभी क्षेत्रों में खतरों एवं चुनौतियों में वृद्धि परिलक्षित हो रही है। यह मध्यप्रदेश पुलिस की कार्यक्षमता एवं व्यवसायिकता व दक्षता ही है कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति सुदृढ बनी हुई है कानून और व्यवस्था भंग करने के किसी भी प्रयास को अत्यंत दक्षता पूर्वक असफल किया

जाता रहा है। छत्तीसगढ़ विभाजन के बाद मध्यप्रदेश के बालाघाट एवं समीपवर्ती जिलों में नक्सली पदचाप सुनाई दे रही थी सम्पूर्ण पुलिस तंत्र को सक्रिय कर नक्सली गतिविधियों पर न केवल अंकुश लगाया गया वरन 107 नक्सलियों को गिरफ्तार किया जाकर इस समस्या को बालाघाट के कुछ क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया। बालाघाट अंचल के 27 स्थानों पर नक्सलियों द्वारा छिपाई गई विस्फोटक एवं बारूद सामग्री जप्त की गई और कई साहसिक मुठभेड़ों में उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया गया। सर्वोच्च न्यायालय में जब भी सिमी की गतिविधियों पर प्रतिबंध करने की कानूनी कार्यवाही की समीक्षा की जाती है तब मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा जुटाये गये ठोस साक्ष्य और कार्यवाही ही पाबंदी का ठोस आधार बनती है।

प्रदेश में पुलिस बल में वृद्धि ही नहीं हुई है, वरन औद्योगिक संस्थाओं की सुरक्षा हेतु पृथक से राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना भी की गई है। आतंकवादी दल की गतिविधियों से निपटने हेतु आतंकवादी विरोधीदल (एटीएस) का गठन किया है। नक्सली क्षेत्रों से प्रभावी कार्यवाही के लिये हॉकफोर्स के साथ-साथ भारत रक्षित वाहिनी का भी गठन किया गया है। असूचना तंत्र को प्रभावी बनाने के लिये उपरोक्त समस्त शाखाओं को सुदृढ करने की दृष्टि से होमलैण्ड सिक््योरिटी के तहत 136 करोड की योजना भी शासन से स्वीकृत की गई है जिससे कि प्रदेश में वामपंथी माओवादियों और साम्प्रदायिक गतिविधियों से निपटने के लिये मध्यप्रदेश पुलिस बखूबी रूप से तैयार हो सके।

पुलिस की भूमिका को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं मजबूत बनाने के लिये पुलिस के प्रशिक्षण में भी नया आयाम दिया है। पिछले 10 वर्षों में पुलिस के नये प्रशिक्षण केन्द्र ही नहीं खोले गये बल्कि पूर्व के स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों का उन्नयन एवं विस्तार भी किया गया है। राजधानी भोपाल के समीप सब इन्स्पेक्टर एवं डीएसपी स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिये ग्राम भौरी में अत्याधुनिक संसाधनों से लैस नया प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। इसी तरह सागर में एक और नया प्रशिक्षण केन्द्र मकरोनिया में खोला गया है। वहीं जबलपुर और उज्जैन में भी नये प्रशिक्षण केन्द्र शीघ्र प्रारम्भ किये जा रहे हैं। जबकि प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर को स्कूल से कॉलेज बनाकर उन्नयन किया गया है। वहां पुलिस ट्रेनिंग स्कूल तिगरा (ग्वालियर), रीवा पचमढी और उमरिया का कायाकल्प करके प्रशिक्षण के आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं। मध्यप्रदेश सशस्त्र बल के नए प्रशिक्षण केन्द्र 6 वीं वाहिनी, 8 वीं वाहिनी एवं 13 वीं वाहिनी में स्थित नये प्रशिक्षण केन्द्रों का उन्नयन एवं विस्तार भी किया गया है पूर्व में मध्यप्रदेश में कुल 2000 लोगो के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी जबकि वर्तमान में 10000 से अधिक पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के सर्व सुविधायुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इन सब सुधारों के चलते प्रशिक्षण विधियों को न केवल राष्ट्रीय स्तर पर सरहाना मिली है बल्कि अनेक राज्यों की पुलिस मध्यप्रदेश के प्रयोग अपने राज्यों

मे लागू करने जा रही है। तय है मध्यप्रदेश की पुलिस भविष्य में और भी दक्ष और क्षमतावान होगी जो आधुनिक तकनीक की जानकार रहेगी।

मध्यप्रदेश पुलिस के आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक के कर्मचारियों को निःशुल्क आवास देने के मध्यप्रदेश शासन के संकल्प के क्रम में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 4 वर्षों में अत्याधुनिक 10500 आवासों का निर्माण किया गया। इसी क्रम में अगले 5 वर्षों में 25000 पुलिस कर्मियों के लिये पारिवारिक आवास बनाये जा रहे हैं ताकि पुलिस कर्मियों को उनके कार्यस्थल पर ही सुकून की छत मिल सके। मध्यप्रदेश शासन ने पुलिस के नये आवासों का निर्माण ही नहीं किया है वरन् पुराने आवासों की मरम्मत एवं पुर्ननिर्माण पर भी समुचित ध्यान दिया है। इसी क्रम में प्रति वर्ष 50 करोड़ की राशि आवासों की मरम्मत और रख-रखाव के लिये दी जा रही है।

पुलिस कर्मियों की कठिन परिस्थितियों एवं ड्यूटी को ध्यान में रखकर मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को भी वर्ष 2013 से अमलीजामा पहनाया गया है, जिसमें यदि कोई पुलिस का अधिकारी/कर्मचारी किसी रोग या गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है तो न सिर्फ उस अधिकारी /कर्मचारी को वरन् उसके आश्रितों, पत्नी, बच्चे, बुढ़े माँ-बाप को भी रु. 8 लाख की राशि तक का लाभ मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के माध्यम से दिया जा रहा है।

मध्यप्रदेश इस मामले में पूरे देश में अग्रणी राज्य है जिसमें पुलिस को अत्यधिक आधुनिक बताते हुए एवं आधारभूत संरचनाओं में गुणात्मक परिवर्तन करते हुए प्रति वर्ष योजनाओं पर 1000 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है।

वर्ष 2015 से प्रारंभ की गई डायल-100 सेवा योजना पुलिस विभाग का अनूठा प्रयोग रहा है। अब देश के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति डायल-100 पर एक बार कॉल करने के बाद तत्परता से पुलिस सहायता एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। मध्यप्रदेश के कोने-कोने में डायल -100 की एक हजार गाडियां गली, मोहल्लों, और चौराहों में उपलब्ध हैं इससे आम जनता में सुरक्षा का नया माहौल और विश्वास बना है। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग की डायल-100 सेवा योजना को 17 दूसरे राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश अपने क्षेत्रों में लागू कर रहे हैं बड़े शहरों में लूट जैसे गंभीर अपराधों पर रोक लगी है तथा अपराधियों के मन में पुलिस की सक्रियता के कारण दहशत पैदा हुई है।

आंतरिक सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिये मध्यप्रदेश के जिला मुख्यालय और बड़े चिन्हित 61 शहरों में निरन्तर निगरानी और यातायात प्रबंधन के लिये सभी महत्वपूर्ण

स्थानों और चौराहों पर ब्जट लगाये जा रहे हैं। प्रथम चरण में उज्जैन, भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे बड़े शहरों तथा खण्डवा, कटनी, सागर जैसे संवेदनशील नगरों में भी यह कार्य अंतिम चरण में है। दूसरे चरण में सभी शेष 50 शहरों के सुरक्षा तंत्र को ब्जट के माध्यम से मजबूत किया जा रहा है। इस दूरगामी योजना का लाभ भी मध्यप्रदेश के करोड़ों नागरिकों को होगा और अपराधों की रोकथाम और अपराधियों की पहचान में पुलिस को तकनीकी सुविधा प्राप्त हुई है।

क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) भारत सरकार की मिशन मोड योजना है। जिसका उद्देश्य समस्त थानों को एकत्रित नेटवर्क एवं साफ्ट वेयर के माध्यम से जोड़ कर अपराध एवं अपराधी संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाना है। सीसीटीएनएस के माध्यम से मध्यप्रदेश के थानों में एफआईआर भेजना तथा केस डायरी और अन्य सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों के लिखने का कार्य पूरे प्रदेश में एक साथ करने में भी मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में है। प्रदेश के 1019 थानों से लेकर पुलिस मुख्यालय तक के 428 पर्यवेक्षण कार्यालयों में योजना क्रियान्वित की गई है। सीसीटीएनएस के माध्यम से प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं एकीकृत अपराध अनुसंधान प्रपत्र भरे जाने में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी राज्य है इनके अतिरिक्त साफ्टवेयर की अन्य सुविधाएँ जैसे रोजनामचा ,असंज्ञेय अपराध, एमएलसी,मर्ग, गुमशुदगी,आगजनी आदि का उपयोग प्रारम्भ करने वाला मध्यप्रदेश प्रथम राज्य है।

अपराध नियंत्रण एवं आन्तरिक सुरक्षा हेतु पुलिस का मूलमंत्र “शरीफों में चैन और बदमाशों में बेचैनी” रहे इस हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर से गंभीर सनसनी खेज, और जघन्य किस्म के अपराधों की अपने स्तर पर मॉनीटरिंग का कार्य प्रारंभ किया पुलिस ने इन तमाम चुनौतीपूर्ण प्रकरणों में न केवल त्वरित गति से अपराधियों को पकड़ा वरन् शीघ्र से शीघ्र कोर्ट में चालानी कार्यवाही भी की। उसी का परिणाम है कि वर्ष 2008-16 तक उन 2878 चिन्हित प्रकरणों में से 63 प्रतिशत प्रकरणों में फांसी ,आजीवन कारावास और 7 वर्ष से अधिक कठोर कारावास की सजाएँ हुई हैं जो सनसनीखेज , गंभीर अपराधों की सजायाबी औसत के मामले में मध्यप्रदेश पूरे देश में अक्वल है। मध्यप्रदेश में दर्ज अपराधों में चालान करने का प्रतिशत 93.3 प्रतिशत है। जो केरल के बाद पूरे देश में सर्वाधिक है।

मध्यप्रदेश सरकार हमेशा से महिला एवं बच्चों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रति संवेदनशील रही है। उनके विरुद्ध अपराधिक मामलों में (जीरो टोलरेंस) की नीति अपनाई गई है। महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों से निपटने हेतु महिला हेल्प लाईन 1090 की स्थापना की गई है विगत 5 वर्षों में राज्य शासन द्वारा महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों से निपटने हेतु राज्य स्तरीय महिला हेल्प

लाईन 1090 जिला स्तर पर "महिला डेस्क " तथा मुख्यालय स्तर पर महिला अपराध शाखा" का गठन कर तथा जिला स्तर पर महिला प्रकोष्ठ हेतु नवीन पद सृजित किये गये है। इन्ही प्रयासों के कारण महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों में कमी आई है। जो आंकड़ों से स्पष्ट है। मध्यप्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों में 2014 (28678) की तुलना में 2015(24135) में 15.84 प्रतिशत की कमी हुई है। मध्यप्रदेश में बच्चों के विरुद्ध घटित अपराधों में 2014 (15085) की तुलना में 2015(12859) में 14.76 प्रतिशत की कमी हुई है। मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, सेमिनारों के माध्यम से बालिकाओं को सुरक्षा एवं अपराधों से बचाव के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

9.10 12 वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 एवं वार्षिक योजना 2016-17 : मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) अन्तर्गत वार्षिक योजना के अन्तर्गत पुलिस विभाग की 31 राज्य स्तरीय एवं 14 जिला स्तरीय योजनाओं के संचालन के लिए राज्य योजना आयोग द्वारा प्राविधिक योजनावार आयोजना सीमा 2016-17 के लिए रुपये 100532.63 लाख निर्धारित की गई है। विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में जानकारी निम्नानुसार है:-

9.11 सामुदायिक पुलिस एवं सामाजिक सशक्तिकरण तथा पर्यटन पुलिस : सामुदायिक पुलिस एवं सामाजिक सशक्तिकरण तथा पर्यटन पुलिस आई.डी.क्रमांक 9107(एस.एस)

भारत में बेहतर भोजन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण वरिष्ठ नागरिकों की जीवन अवधि में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके कारण ऐसे नागरिकों की संख्या एवं प्रतिद्वारा दोनों में वृद्धि हुई है और भविष्य में निश्चित ही उनकी आबादी और अधिक बढ़ेगी । बड़े दूराहों में बुजुर्ग प्रायः अकेले रहते हैं, जिसके कारण इनके अपराधियों का सहज निद्राना होने की सम्भावना रहती है । वरिष्ठ नागरिकों में सेवानिवृत्त लोगों की संख्या काफी अधिक है । प्रस्तावित योजना के माध्यम से प्रत्येक पुलिस बीट अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे वरिष्ठ नागरिकों से सतत् सम्पर्क में रहकर, उनकी पूरी जानकारी अपने पास रखेगा तथा उनके अनुभव एवं ज्ञान का उपयोग अपराधों की रोकथाम जैसे - नेबरहुड वॉच स्कीम (पड़ोस पर निगाह) जैसे कार्यक्रमों के द्वारा करेगा ।

जघन्य अपराध जैसे- हत्या का प्रयास, डकैती, दंगा इत्यादि से पीड़ित व्यक्तियों के लिये वर्तमान में कोई संस्थागत सहायता उपलब्ध नहीं है। ऐसे पीड़ितों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ उनसे निरन्तर सम्पर्क बनाये रखकर मानसिक रूप से सबल प्रदान करने की आवश्यकता है, जिसमें सामुदायिक पुलिसिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है । इस

कार्य हेतु नगर एवं ग्राम रक्षा समितियों के सक्रिय सदस्यों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भी उपयोग किया जायेगा ।

अपराध पीड़ित व्यक्ति की सहायता, गवाहों की सुरक्षा एवं प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर विदेशी/

वार्षिक योजना 2016-17 की योजना सीमा के अंतर्गत योजना राशि रु. 400.00 लाख निर्धारित है। निर्धारित राशि से वर्ष 2016-17 में वृहद निर्माण एवं कार्यालय उपकरण पर व्यय किया जावेगा।

9.12 महिला/बाल पुलिसिंग अधीसंरचना (आई.डी.क्रमांक 10024 डी.एस) : महिला अपराध शाखा पुलिस मुख्यालय से प्राप्त आकड़ों के अनुसार वर्ष- 2012 में महिलाओं के विरुद्ध 28.535 मामले घटित हुये है। इसी प्रकार बाल अधिकार संरक्षण कानून के अन्तर्गत गुमशुदा बालकों, बाल बंधुआ मजदूरी, बाल विवाह एवं बाल यौन शोषण आदि की रोकथाम के संबंध में बालमित्र योजना के सेमीनार व बैठकें आयोजित की जा रही है, किन्तु वित्तीय व्यवस्था एवं बल संसाधनों के अभाव में जिला स्तरीय योजनाओं पर अपेक्षानुसार प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही है ।

वार्षिक योजना 2016-17 की योजना सीमा के अंतर्गत सामान्य में राशि रु. 1295.00 लाख, टीएसपी राशि में रु0 111.91 लाख तथा एससीएसपी राशि रु0 36.75 लाख कुल योजना राशि रु. 1443.66 लाख प्रावधानित की है। निर्धारित राशि से वर्ष 2016-17 में वृहद निर्माण एवं कार्यालय उपकरण पर व्यय किया जावेगा।

सामुदायिक पुलिसिंग (आई.डी.क्रमांक 10025 डी.एस) :

9.13. बड़े शहरों एवं संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा (आई.डी.क्रमांक 4066 एस.एस)

वर्तमान परिवेश में देश के विभिन्न प्रांतों में बड़ी तादाद में आतंकवादियों एवं जेहादियों एवं विघटनकारी तत्वों द्वारा बड़े शहरों को निशाना बनाकर संवेदनशील स्थानों, भीड़-भाड़ वाले बाजारों में आई.ई.डी./बम विस्फोट की घटनाएँ कर आम जनता में भय, आतंक एवं असुरक्षा का वातावरण निर्मित किया जा रहा है, जिससे बड़ी मात्रा में जनधन का नुकसान होता है। ऐसी परिस्थितियों में उपरोक्त तत्वों की गतिविधियों पर सतत् निगरानी रखने के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि आधुनिक तकनीक पर आधारित एक इंटीग्रेटेड सिक्युरिटी सर्विलेंस सिस्टम प्रतिष्ठापित कराये जायें। इसी संदर्भ में विगत पंचवर्षीय योजनांतर्गत बड़े शहरों की सुरक्षा के अंतर्गत भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर शहर में

सिटी सर्विलेंस सिस्टम की प्रतिष्ठापना कराई जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा के अंतर्गत महाकाल मंदिर उज्जैन, मैहर मंदिर सतना, पीताम्बरा पीठ दतिया तथा ओंकारेश्वर मंदिर खण्डवा में सीसीटीवी सिस्टम की प्रतिष्ठापना कराई जा चुकी हैं। देश में मुंबई में घटित 26.11.08 की आतंकवादी घटना को दृष्टिगत रखते हुए, पनप रहे आतंकवादी एवं उग्रवादी तत्वों द्वारा संवेदनशील धार्मिक संस्थानों पर किये जा रहे हमले आज की परिस्थिति में पुलिस एवं सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। आसूचना विभाग द्वारा भी सूचनाएँ प्राप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि प्रदेश के बड़े एवं संवेदनशील शहरों तथा महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाये, ताकि पुलिस बल के कार्य में अत्याधुनिक तकनीकी उपकरणों की भी सहायता प्राप्त हो सके। इस योजना से देश/प्रदेश के संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा की जाकर साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने में काफी हद तक सफलता प्राप्त हो सकेगी। उपरोक्त दर्शाये अनुसार बड़े शहरों के लिए, जो सिटी सर्विलेंस सिस्टम प्रतिष्ठापित किए गए हैं, उनमें पूरे शहर को कव्हर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सीमित बजट के अंतर्गत उक्त शहरों के मुख्य-मुख्य चौराहों पर ही कैमरे लगाये जा सके हैं। इन शहरों में प्रथम चरण में जो सर्विलेंस सिस्टम स्थापित किये गये हैं, उनके सकारात्मक परिणाम को दृष्टिगत रखते हुए द्वितीय चरण में भोपाल एवं इंदौर शहर के शेष इलाकों में उक्त सिस्टम प्रतिष्ठापित किये जाने हेतु पुनः सम्मिलित किया गया है। योजना की कुल राशि 429.24 करोड़ स्वीकृत की गई है।

वार्षिक योजना 2015-16 की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां:- बड़े शहरों की सुरक्षा के अंतर्गत 11 बड़े शहरों में सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम की स्थापना की जावेगी जिसके लिये 144 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया था।

9.14 वार्षिक योजना 2015-16 के लिए विभाग के लक्ष्य : बड़े शहरों की सुरक्षा के अंतर्गत 11 शहरों में सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम की स्थापना के पश्चात द्वितीय चरण में 50 शहरों में सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम की स्थापना करने हेतु 101.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

उद्देश्य : इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य है कि प्रस्तावित योजना के माध्यम से आसूचना संकलित कर पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही कर विध्वंसकारी तत्वों के मंसूबों को निष्फल किया जा सके, ताकि बड़े एवं व्यवसायिक शहरों के साथ-साथ प्रदेश में अमन एवं शांति का वातावरण कायम रखा जा सके।

समस्याएँ एवं प्राथमिकताएँ :- प्रदेश के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर ऐसे शहर हैं जो सभी दृष्टि से विकास की ओर अग्रसर हैं तथा व्यवसायिकरण भी तेजी से हो रहा है। साथ ही विदेशी/देशी कंपनियों का निवेश किया जा रहा है। इस दृष्टि से इन शहरों में षडयंत्रकारी तत्व

भी शहरों में पनाह लेते हैं, जो पुलिस लिए बहुत बड़ी चुनौती एवं समस्या है। इसके अतिरिक्त यातायात व्यवस्था भी एक विकराल समस्या के रूप में दृष्टिगोचर हो रही है। इन समस्याओं से निपटने के लिए पुलिस बल भी पर्याप्त नहीं है। अतः प्रस्तावित योजना के माध्यम से उपरोक्त समस्याओं का समुचित तरीके से समाधान करने में मदद ली जा सकेगी।

संवेदनशील धार्मिक संस्थाओं की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाकर प्रदेश की साम्प्रदायिक उपद्रव एवं तनावों को नियंत्रण कर आपसी भाईचारा कायम करने में सफलता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त आतंकियों द्वारा किये गये हमलों से होनेवाले जनधन की हानि से भी बचा जा सकेगा। प्रस्तावित योजना के माध्यम से उपरोक्त समस्याओं का समाधान एवं रोकथाम करने में कामयाबी हासिल कर कानून व्यवस्था की स्थिति बनाई रखी जा सकेगी।

गतिविधियां/कार्यक्रम एवं वर्तमान स्थिति:-प्रथम चरण के 11 शहरों में सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम स्थापित कराये गये द्वितीय चरण में 50 शहरों में सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम की स्थापना हेतु खुली निविदा की कार्यवाही पूर्ण की गई है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 22.70 करोड रूपये तथा 2016-17 में 100.26 करोड रूपये खर्च किये जा चुके हैं सीसीटीवी योजना से निगरानी सुरक्षा के तहत सिंहस्थ 2016 मेला के दौरान लगभग 5 करोड लोगों को व्यवस्था का लाभ पहुँचाया गया।

9.15 केन्द्रीयकृत 100 नंबर पुलिस सहायता सेवा व्यवस्था (9111)

100 डायल:- आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने तथा आम जनता किसी भी आपदा के समय त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्रीयकृत 100 नंबर पुलिस सहायता सेवा व्यवस्था का काल सेन्टर भोपाल में स्थापित कर यह योजना प्रारंभ की गई। केन्द्रीय कंट्रोल रूम में पूरे प्रदेश का जी आई एस मेप, कम्प्यूटर टेलीफोनी इंटरफेस, कम्प्यूटर एडेड डिस्पेच, फीडबैक सिस्टम, जीएसएम/सीडीएमए फोन पर एसएमएस आदि महत्वपूर्ण एवं आधुनिकतम तकनीक संपन्न व्यवस्था दिनांक 01.11.2015 को प्रारंभ की गई इस योजना के तहत फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल (100 डायल वाहन) जिला/तहसील/ब्लाक स्तर पर प्रथम वर्ष 800 वाहन कंट्रोल रूम पीसीआर वेन के नाम से किराये पर लेकर चलाये जा रहे हैं। इस योजना में पूरे प्रदेश से किसी भी स्थान से 100 नंबर डायल करने पर केन्द्रीयकृत कंट्रोल रूम में काल रिसीव की जाकर संबंधित थाने/जिले में तैनात पीसीआर वेन को तत्काल मौके पर पहुँचने हेतु निर्देशित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के वित्तीय लक्ष्य

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये केन्द्रीयकृत पुलिस कॉल सेंटर के लिये 5150.00 लाख रूपये का खर्च किया जा चुका है और 800 एफआरवी पूरे प्रदेश में कार्य कर रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के वित्तीय भौतिक लक्ष्य

वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना के तहत 200 एफआरवी (फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल) और स्वीकृत किये जाकर कुल 1000 एफआरवी वाहन पूरे प्रदेश में संचालित किये जा रहे हैं। इस हेतु वर्ष 2016-17 में 10026.00 लाख रुपये खर्च किया जा चुका है।

राज्य पुलिस कंट्रोल रूम में औसतन प्रतिदिन 25000 काल प्राप्त हो रहे हैं जिसमें से औसतन प्रतिदिन 5000 पुलिस कार्यवाही योग्य सूचनाओं पर उपरोक्त एफआरवी द्वारा मौके पर पहुँचकर पुलिस सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2016-17 (31 दिसंबर 2016) में कुल 143492 सड़क दुर्घटनाओं में मौके पर पहुँचकर घायलों को सहायता प्रदान की गई। अब तक लगभग 1993556 पीड़ितों को सहायता प्रदान की जा चुकी है। 172 नवजात शिशुओं को बचाया गया। 1480 कुल बच्चों को उनके घर पहुँचाया गया। लगभग 10000 घायलों को तत्काल अस्पताल पहुँचाया गया। सैकड़ों अवसाद ग्रस्त व्यक्तियों, महिलाओं को आत्महत्या से रोका गया तथा गर्भवती महिलाओं को भी अस्पताल पहुँचाया गया। महिला संबंधी अपराधों में लगभग 1 लाख 74 हजार महिलाओं की मदद की गई। 100 डायल सेवा के प्रारंभ होने से अपराधों में 12.5% की कमी आई है।

9.16 होम लैण्ड सिक्योरिटी : वर्तमान समय में समाजिक, आर्थिक परिवर्तनों के कारण आर्थिक अपराध, सामाजिक अपराधों के ट्रेंड में काफी परिवर्तन आने के कारण आंतरिक सुरक्षा के समक्ष एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। संगठित अपराध, जघन्य मामले (वामपंथी/ साम्प्रदायिक गतिविधिया) मादक पदार्थों का दुरुव्यहार एवं वन्य जीव अपराध तथा कानून व्यवस्था अंतर्गत आन्तरिक सुरक्षा को सुदृढ करने हेतु विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय द्वारा विशेष शाखा एवे नवीन विशिष्ट इकाईयोंके लिये इण्टीग्रेटेड सिक्योरिटी काम्प्लेक्सका निर्माण करना तथा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था में व्यवसायिकता एवं दक्षता के उन्नयन हेतु होमलैण्ड सिक्योरिटी योजना कुल लागत राशि 13629.00 लाख रुपये प्रारम्भ की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के द्वितीय अनुपूरक बजट में 1405.31 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

9.17 फॉरेंसिक साइंस के अन्तर्गत म0प्र0 राज्य/ क्षेत्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशालाके उन्नयन एवं नवीन क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना-(7184) : फॉरेंसिक प्रयोगशाला, आपराधिक न्याय प्रणाली पुलिस विवेचना एवं अभियोजन में मदद हेतु एक आवश्यक उपकरण है । जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ अपराधों में भी लगातार वृद्धि हो रही

है। वर्तमान में फोरेंसिंग प्रयोगशालाये सागर, इन्दौर एवं ग्वालियर में कार्यरत है विगत वर्षों में महिला एवं बाल उत्पीडन संबधी अपराधो में तेजी से वृद्धि हुई एवं लगभग प्रत्येक प्रकरण में डीएनए परीक्षण की मांगकी जा रही है। उक्त प्रकरणो की त्वरित जांचहेतु वर्तमान में कार्यरत डीएनए प्रयोगशाला की क्षमता दोतीन गुणा बढ़ायेजाने के साथ-साथ भोपाल के आरएफएसएल में एकीकृत उच्च तकनीक उपकरण सुविधा काम्प्लेक्स स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें उच्च क्षमता डीएनए लैब साइबर फोरेंसिक लैब उच्च क्षमता भौतिकी एवं नार्को एनालिसिस लैब, उच्च क्षमता बैलेस्टिक/एनालिसिस लैब आदि का निर्माण एवं उन्नयन किया जाना है योजना की कुल लागत 1150.00 लाख रूपये निर्धारित की गई है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में 430.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। जिसमें से 135.00 लाख रूपये खर्च किये जा चुकेहैं।

9.18 सीसीटीएनएस- अपराध एवं अपराधी पतासाजी तंत्र और व्यवस्था : सीसीटीएनएस गृह मंत्रालय भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। जिसके अंतर्गत भारत के समस्त राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में पुलिस विभाग का कम्प्यूटरीकरण किया जाना है।

सीसीटीएनएस (क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क सिस्टम) प्रोजेक्ट स्टेट अपेक्स कमेटी की बैठक दिनांक9-4-2012 की अनुशंसा उपरांत राज्य मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदित की गई। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी थानों का कम्प्यूटरीकरण करना जिससे थाने की कार्यवाहियां रोजनामचना लेखन, प्रथम सूचना पत्र लेखन, केश डायरी लेखन आदि का कार्य कम्प्यूटर के माध्यम से किया जाये तथा आम जनता में पुलिस विभाग के प्रति पारदर्शिता बढे तथा थाने की कार्यप्रणाली पर वरिष्ठ स्तर से लागातार पर्यवेक्षण किया जा सके तथा अपराध एवं उसकी माडस आपरेण्डी के आधार पर एवं अपराधियों के रिकार्ड के आधारपर अनुसंधान के स्तर को और सुधारा जा सके।

इस योजना में 6039.00 लाख रूपये केन्द्रांश एवं 2606.00 लाख रूपये राज्यांश कुल लागत 8650.00 लाख रूपये है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में राशि रू0 4336.00 लाख का प्रावधान था जिसमें से राशि रू 3063.00 लाख व्यय किया गये हैं।वर्ष 2016-17 तक प्रदेश के 1019 थाने तथा 428 वरिष्ठ कार्यालय योजना के अंतर्गत कम्प्यूटरीकृत किये गये हैं। इस योजना के तहत 21000 से अधिक पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को नवीन सूचना प्रोद्योगिकी तंत्र के परिचालन हेतु प्रशिक्षित भी किया गया है।

9.19 महिला विरुद्ध अपराध सेल का गठन (7342) : प्रदेश स्तर पर महिलाओं के विरुद्ध घटित हो रहे अपराधों की संख्या में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि व हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर

हुई शर्मनाक घटनाओं के परिपेक्ष्य में इस मुद्दे पर समाज की संवेदनशीलता के दृष्टिगत इसकी रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु महिला अपराध शाखा का गठन पुलिस मुख्यालय स्तर पर किया गया है एवं राज्य योजना आयोग द्वारा "महिला विरुद्ध अपराध सेल का गठन" परियोजना स्वीकृत की गई है। इस नवीन परियोजना के माध्यम से महिलाओं के साथ बलात्कार, अपहरण, छेड़छाड़ एवं मानव तस्करी के अपराधों का अन्वेषण, संवेदनशीलतापूर्ण एवं त्वरित निराकरण हेतु वरिष्ठ स्तर पर पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं अध्ययन तथा समीक्षा हेतु पुलिस महानिरीक्षक महिला अपराध जोन भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के लिये कार्यालय भवन तथा इस उद्देश्य की पूर्ती हेतु मैदानी स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा महिला संबंधी मुद्दों पर कार्य करने वाले विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के साथ मिलकर प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु प्रशिक्षण भवन एवं हास्टल भवन का निर्माण के लिये राशि रु 997.00 लाख की योजना स्वीकृत की गई है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में 4 करोड रु का एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में 5.22 करोड का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 तक राशि रु 986.00 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

9.20 बड़े शहरो में यातायात प्रबंधन (आई.डी.क्रमांक 9108 एस.एस.)

वर्ष 2012-17 में हमारा मुख्य रूप से लक्ष्य यह है कि आम आदमी एवं वाहनों के लिये सुगम यातायात उपलब्ध कराया जाना साथ ही दुर्घटना के प्रकरणों में कमी लाना। इसके लिये हरसंभव दुर्घटना में घायल एवं मृतको के संबंध में त्वरीत कार्यवाही किया जाना, ट्रैफिक को टेक्नालॉजी से जोडकर यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करना, यातायात में पदस्थ पुलिसकर्मियों का मनोबल उचित रहे, इसके लिये हरसंभव उपाय करना। यातायात के नियमों का उलंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्यवाही किया जाना । यातायात के विभिन्न पहलुओं से अवगत करने हेतु यातायात जागृति/जनजागरण अभियान चलाया जाना। यातायात संबंधी उपकरणों का प्रबंध किया जाना। यातायात के योजना के लिये आवंटन मिले इसके लिये प्रयास किया जाना। यातायात संचालनालय को एक इकाई के रूप में विकसित करना जिसके पास साधन एवं अधिकारों से संपन्न हो। शमन शुल्क के अंतर्गत जहां एक तरफ यातायात नियमों का उलंघन करने वाले के खिलाफ कार्यवाही कर ज्यादा से ज्यादा शमन शुल्क एकत्रित करना एवं दूसरी तरफ जो प्रावधान लचीला है उनको कठोर बनाना। मध्यप्रदेश की जनसंख्या एवं वाहनों की संख्या के अनुपात में ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों में वृद्धि किया जाना। ट्रैफिक वार्डन को आधिकारिक रूप से गठित किया जाना जिन्हें कम से कम नगर एवं ग्राम रक्षा समिति को मिलने वाली सुविधाएं दिया जाये। ज्यादा से ज्यादा एनजीओ एवं अन्य संस्था जैसे एनसीसी, एनएसएस एवं स्काउट आदि को ट्रैफिक पुलिस से जोड़ना।

9.21 वार्षिक योजना-2014-15 के लिए विभाग के लक्ष्य एवं उद्देश्य : पाँच बड़े शहरों में सुगम यातायात व्यवस्था व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा अपराधियों पर निगाह रखने एवं पकड़ने के लिए एकीकृत यातायात प्रबंधन प्रणाली व्यवस्था लागू किया जाना जिसमें-पीटी रोड/स्टेटिक प्रभावशाली कैमरा, इन्फ्रारेड कैमरा, सिक्रोनाईज्ड सिस्टम प्रणाली एवं ट्राफिक हेल्पलाई स्वचलित वाहन लोकेटिंग सिस्टम, वेरियबल मैसेजिंग सिस्टम यातायात प्रबंधन केन्द्र एवं डेटा सेंटर इत्यादि लगाने का क प्रस्ताव । 13-यातायात भवन एवं 28-हाईवे आउटपोस्ट बनाने का प्रस्ताव । पूर्व से स्वीकृत बल व नवीन स्वीकृत बल की डवइपसपजल को ध्यान में रखते हुए वाहन खरीदने का प्रस्ताव । थानों में पदस्थ अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के महत्व को देखते हुये उक्त पाँच बड़े शहरों में यातायात पुलिस प्रशिक्षण संस्थान भवन का निर्माण जिसमेंसंबंधित जौन के पुलिस कर्मियों, होमगार्ड, ट्राफिक वार्डन स्कूली बच्चे, महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं तथा आम जनता इत्यादि का प्रशिक्षण दिलाना । यातायात भवन एवं यातायात प्रशिक्षण केन्द्र के लिये संसाधन एवं यातायात उपकरण जैसे-वायरलेस, दूरभाषद्वस्टापर,ब्रीथ एनालाइजर, स्पीड राडार, स्मोक मीटर, कोन रेडीयम टेप,एलसीडी प्रोजेक्टर वीडियो कैमरा, फोटो कैमरा, फर्नीचर इत्यादि दिये जाने का प्रस्ताव । यातायात पार्क बनाये जाकर पार्क में ट्रेफिक सिग्नल, ट्रेफिक साईन, स्कूल, बस स्टैंड, पेट्रोल पम्प इत्यादि का नमूना बनाया जाकर भौतिक रूप से विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों को भ्रमण कराकर उन्हें ट्रेफिक नियमों से अवगत कराना साथ ही यातायात प्रदर्शनी लगाई जाकर स्कूली बच्चे आम जनता इत्यादि को यातायात नियमों एवं उनका उल्लंघन होने पर वैधानिक कार्यवाही से अवगत कराना । राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए हाईवे आउटपोस्ट का निर्माण का प्रस्ताव जिससे दुर्घटनाओं में कमी लाना एवं दुर्घटना होने पर मृतकों एवं धायलों के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही किया जाना । हाईवे आउटपोस्ट को संसाधन जैसे वाहन, वायरलेस सेट, टेलीफोन, एम्बूलेंस, क्रेन टार्च इत्यादि दिये जाने का प्रस्ताव । अति0 पुलिस अधीक्षक यातायात/उप पुलिस अधीक्षक यातायात के लिएकार्यालय एवं आवास निर्माण संबंधी प्रस्ताव । सड़क दुर्घटना विवेचना सेल ।

9.22 भविष्य की योजना एवं प्रस्ताव : यातायात में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक एवं जिला पुलिस बल में पदस्थ उप निरीक्षक एवं निरीक्षकों को समन शुल्क वसूल किये जाने का अधिकार प्रदाय किये जाने के संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है । यातायात में पदस्थ बल को वेतन का 50 प्रतिशत भत्ता दिये जाने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया है । प्रदेश के लिये पृथक से यातायात संचालनालय के गठन के संबंध में प्रस्ताव विचाराधीन है। ट्राफिक वार्डन को वर्दी तथा खाना/नाश्ता दिये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है। वाहन चालन के समय मोबाईल पर बात करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रसमन शुल्क राशि 1500/-रूपये किये जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है प्रदेश में वर्तमान में कुल-09 जिलों में यातायात थाना हेतु भवन उपलब्ध है शेष-41 जिलों में यातायात थाने हेतु भवन

बनाया जाना प्रस्तावित हैं। प्रत्येक जिले में एक यातायात पार्क भी बनाये जाने हेतु निर्देश इकाईयों को दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की वर्ष-2007 में सम्पन्न चतुर्थ बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार हाईवे पेट्रोलिंग स्कीम के तहत 80 हाईवे चैकपोस्ट स्थापित किये जाने संबंधी स्वीकृति प्रस्ताव, तथा यातायात में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों के लिये कार्यालय/आवास का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित हैं। 12वीं पंचवर्षीय 2012-17 के 05 बड़े शहरो (भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर एवं उज्जैन) में यातायात प्रबंधन हेतु कार्य योजना एवं शेष-45 जिलों में यातायात प्रबंधन हेतु कार्ययोजना प्रस्तावित की गई हैं। मध्य प्रदेश के समस्त जिला पुलिस अधीक्षकों को माह में एक बार यातायात सड़क सुरक्षा की बैठक आयोजित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

9.23 निर्धारित महत्वपूर्ण वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तथा Main Trust : वित्तीय वर्ष 2015-16 में बजट 122.68 रुपये प्रावधानित किया गया था जिसमें 60 करोड रुपये की व्यय सीमा निर्धारित की गयी और वास्तविक व्यय 42.21 करोड रुपये हुये वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 40.00 करोड रुपये का बजट प्रावधान किया गया जिसे बाद में आवश्यकता होने पर बढ़ाकर 69.60 करोड रुपये का प्रावधान किया गया।

9.24 राजमार्गों की सुरक्षा/संरक्षा आई.डी.क्रमांक 9109 (एस.एस.) : माननीय मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश शासन की मंशानुसार एवं मध्य प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् की चतुर्थ बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य के महत्वपूर्ण राजकीय मार्गों पर हाईवे सुरक्षा परिषद के पत्र क्र० पुमु/अमनि/पीटीआरआई/सेल/677/2007 दि० 22.1.07 राज्य में 80 हाईवे सुरक्षा एवं सहायता केन्द्र प्रदेश के विभिन्न जिलों के राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य के महत्वपूर्ण राजकीय मार्गों पर बनाने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता हाईवे पर राहजनी, लूट, डकैती आदि की वारदातों की रोकथाम, नाकाबंदी किया जाना है। साथ ही साथ हाईवे पर पुलिस की उपस्थिति बढ़ाना व इसके फलस्वरूप जनता में पुलिस के प्रति विश्वास एकत्र करना है।

प्रत्येक हाईवे सुरक्षा एवं सहायता केन्द्र पर जिले व राज्य का रोडमैप विभिन्न रास्तों की जानकारी नजदीकी शहर के अस्पतालों थानों प्रमुख शिक्षण संस्थान उद्योग एवं होटल आदि ऐसी समस्त जानकारी जो हाईवे यात्रा करने वाले यात्री को आवश्यकता हो सकती है रखा जाना प्रमुख उद्देश्य है।

हाईवे पर पुलिस के वाहन एवं हाईवे सुरक्षा एवं सहायता केन्द्र दिखने से विशेषतौर पर रात्रि के समय लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी इस स्कीम का उपयोग पुलिस व आम जनता में दूरी कम करने में भी सहयोगी होगा:-

वार्षिक योजना 2015-16 की योजना सीमा के अंतर्गत योजना राशि रुपये 1416.93 लाख (सामान्य) योजना सीमा निर्धारित है। वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 हेतु कुल 34 हाइवे

सुरक्षा एवं सहायता केन्द्र हेतु कुल राशि 20,94,60,400/- रू0 का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है।

9.25 पुलिस गश्त वाहन (पेट्रोलिंग) आई.डी.क्रमांक 9110(एस.एस.) : सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता, हाईवे पर राहजनी,लूट,डकैती आदि की वारदातों की रोकथाम, नाकाबंदी किया जाना है, साथ ही साथ हाईवे पर राहजनी,लूट,डकैती आदि की वारदातों की रोकथाम,नाकाबंदी किया जाना है,साथ ही साथ हाइवे पर पुलिस की उपस्थिति बढ़ना व इसके फलस्वरूप जनता के प्रति विश्वास एकत्र करना है । प्रत्येक हाइवे सुरक्षा एवं सहायता केन्द्र पर जिले एवं राज्य का रोडमैप,विभिन्न रास्तों की जानकारी नजदीकी शहर के अस्पतालों,थानों प्रमुख शिक्षण संस्थान उद्योग एवं होटल आदि ऐसी समस्त जानकारियां जो हाइवे यात्रा करने वाले यात्री को आवश्यकता हो सकती है,रखा जाना प्रमुख उद्देश्य है।

हाइवे पर पुलिस के वाहन एवं हाइवे सुरक्षा एवं सहायता केन्द्र दिखने से विशेष तौर पर रात्रि के समय,लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी इस योजना का उपयोग पुलिस एवं आम जनता में दुरी कम करने में भी सहयोगी होगा। प्रदेश को पुलिस पेट्रोलिंग व्हीकल की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सड़क उपभोक्ताओं के घनत्व के अनुपात में तीन भागों में विभाजित किया गया है:-

- अ श्रेणी:- इन्दौर,भोपाल,ग्वालियर,जबलपुर,उज्जैन एवं सागर।
- ब श्रेणी:- रीवा होशंगाबाद, बालाघाट, शहडोल, चम्बल, देवास, छतरपुर, छिन्दवाडा, गुना, खण्डवा, मंदसौर एवं मुरैना ।
- सश्रेणी: रतलाम, घार, झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर, बडवानी, नीमच, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, बैतूल, हरदा, रायसेन, भिण्ड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, श्योपुर, डिण्डौरी, मण्डला, सीधी, सिंगरौली, सतना, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, उमरिया, अनूपपुर, दमोह, पन्ना एवं टीकमगढ़।

वार्षिक योजना 2015-16 की योजना सीमा के अंतर्गत सामान्य में राशि रू. 0.01 लाख, कुल योजना राशि रू. 0.01 लाख प्रावधानित की है।

9.26 जिले में यातायात पुलिसिंग : म.प्र. देश का हृदय स्थल है। अपने ऐतिहासिक, कृषि,व्यवसायिक, शैक्षणिक धार्मिक तथा राजनैतिक स्वरूप में विकासशील प्रदेश है। वर्तमान में यातायात की अव्यवस्थायें निरंतर विकराल रूप धारण ध्वनि और वायु प्रदूषण से जनमानस के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही प्रदेश के राजस्व की हानि भी हो रही है। शहरों में यातायात प्रबंधन एवं आधुनिक संसाधन स्थापित करने पर यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। इस हेतु प्रदेश के जिलों में यातायात व्यवस्था का सुदृढीकरण किया जाना आवश्यक है। इस योजना से यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों में

कमी आयेगी, साथ में यातायात नियमों के पालन के प्रति आम जनता में जागरूकता भी उत्पन्न होगी।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के जिलों में यातायात प्रबंधन किया जाना है। प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या एवं वाहनों की बढ़ती हुई संख्या के कारण निरंतर सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है। सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में युवा पीढ़ी की संख्या अधिक है। युवा पीढ़ी की सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती हुई मृत्यु दर के कारण मृतक परिवार एवं देश दोनों को ही अपूरणीय क्षति हो रही है। यातायात प्रबंधन एवं संसाधन स्थापित किये जाने पर निश्चित ही आम जनता में यातायात नियमों का प्रचार प्रसार होगा जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आयेगी एवं सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मृत्यु दर में निश्चित ही कमी आयेगी। अव्यवस्थित यातायात से बढ़ रहा ध्वनि एवं वायु प्रदूषण भी नियंत्रित होगा।

वार्षिक योजना 2015-16 की योजना सीमा के अंतर्गत सामान्य में राशि ₹. 1285.47 लाख, टीएसपी राशि में ₹ 257.04 लाख तथा एस.सी.एस.पी राशि ₹0 72.44 लाख कुल योजना राशि ₹. 1615.20 लाख प्रावधानित की है।

9.27 सायबर अपराध अन्वेषण योजना आई.डी.क्रमांक 4065 (एस.एस.) : विश्व में सूचना प्रयोगिकी की तेजी के विकास के साथ-साथ कम्प्यूटर तथा सूचना तंत्रों पर आधारित अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई है। इन अपराधों पर निपटने हेतु भारत सरकार द्वारा सूचना प्रयोगिकी कानून 2000 तथा संशोधित कानून वर्ष 2008 लागू हो गया है। कम्प्यूटर एवं सूचना प्रयोगिकी पर आधारित अपराध एवं सायबर अपराध से बचाव एवं सुरक्षा हेतु पुलिस विभाग में निरंतर कार्यवाही प्रचलित है। 2012 को राज्य सायबर पुलिस के अंतर्गत सायबर एवं उच्च तकनीकी अपराध पुलिस थाने का गठन किया गया है कि जिसका कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश है। वर्तमान में राज्य सायबर पुलिस थाना कार्यालय के सभी न्यायालय संबंधित कार्य सायबर एवं उच्च तकनीकी अपराध पुलिस थाने के माध्यम से संपन्न कराये जा रहे हैं।

सायबर अपराध अन्वेषण योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-2016 में राशि रुपये 350 लाख का बजट प्रावधान किया गया था। जिसके विरुद्ध राशि रुपये 272 लाख का व्यय हुआ वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिये इस योजना में कुल राशि 207 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। दिसम्बर 2016 तक इसके विरुद्ध राशि 135 लाख का व्यय किया गया है।

सायबर अपराध अन्वेषण योजना के अंतर्गत राज्य सायबर पुलिस थाने का गठन, सायबर स्पेस एवं कम्प्यूटर आदि उपकरण का क्रय तकनीकी विषय विशेषज्ञों की सेवायें तथा

समस्त तकनीकी सनसाधनों के साथ रैंज स्तर पर राज्य सायबर पुलिस कार्यालय की स्थापना करना आदि प्रमुख उद्देश्य एवं लक्ष्य है ।

सायबर अपराधों की रोकथाम के लिए वर्तमान में सीबीआई, मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगलूर, हैदराबाद, कोलकत्ता, रायपुर एवं त्रिवेन्द्रम में विद्रोषीकृत सायबर पुलिस थाना का गठन किया जा चुका है । वर्तमान में मध्यप्रदेश में बढ़ते सायबर अपराधों की घटना को देखते हुए पुलिस विभाग में राज्य सायबर पुलिस शाखा तथा सायबर एवं उच्च तकनीकी अपराध थाने का गठन किया गया है, जिसमें सायबर स्पेस, कम्प्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स एवं संबंधित उपकरण, उच्च तकनीकी अपराध, कॉपी राईट, बौद्धिक सम्पदा अधिकार से संबंधित मामले तथा अपराध जिसमें सूचना-संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है एवं अन्य विधानों के तहत प्रकरण दर्ज किया जाना है प्रदेश के अन्य जिलों के पुलिस इकाइयों द्वारा सायबर संबंधी अपराधों की विवेचना के दौरान आने वाली समस्याओं का समाधान अथवा जिलों में घटित सायबर अपराधों संबंधित मामलों को हस्तगत करना है । अन्य प्रदेशों के साथ साथ मध्यप्रदेश में भी सूचना प्रौद्योगिकी आधारित अपराधों की संख्या में इजाफा हुआ है। भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध सायबर अपराधों की संख्या में वर्ष 2006 एवं वर्ष 2007 में मध्यप्रदेश का स्थान प्रथम था। राज्य सायबर पुलिस को शिकायतें ई-मेल आईडी हैकिंग, इंटरनेट बैंकिंग फ्राड, जाब फ्राड, अशील फेसबुक/आरकुट प्रोफाइल, मानहानि, अशील एसएमएस एवं मोबाईल चोरी, सिविल/पारिवारिक डिसपुट, डिफेमिंग संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई। हत्या, चोरी, लूट, अपहरण, बलात्कार, गुमशुदा तथा अन्य मामलों में प्रदेश के विभिन्न थानों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है तकनीकी रूप से सक्षम समस्त संसाधनों के साथ जोनल/रैंज स्तर पर राज्य सायबर पुलिस के कार्यालय की स्थापना करने से इस प्रकार के अपराधों में त्वरित रूप से प्रभावी रोक लगेगी।

9.28 राज्य सायबर पुलिस की गतिविधियां/कार्यक्रम एवं वर्तमान स्थिति : राज्य सायबर पुलिस द्वारा सायबर पुलिस का वेब पोर्टल स्थापित कर उसके माध्यम से आमजन को सायबर अपराधों के प्रति जागरूक लगातार किया जा रहा है तथा विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों स्तर पर तथा विभिन्न कार्यालयों जागरूकता सत्र का आयोजन राज्य सायबर पुलिस द्वारा किया जा रहा है । पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं के विसबल/जेल /होमगार्ड /रेल/विद्रोष शाखा कार्यपालिक बल को सायबर क्राइम एवं इन्वेस्टिगेट्रान करने में सक्षम बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्य संचालित किया जा रहा है ।

9.29 भविष्य की योजनाएं एवं प्रस्ताव : राज्य सायबर पुलिस को 12वीं पंचवर्षीय योजना के द्वितीय वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य आयोजना सायबर अपराध अन्वेषण अंतर्गत राशि रु. 370.00 लाख (तीन सौ सत्तर लाख) का आवंटन प्रस्तावित है उपरोक्त राशि से सायबर पुलिस के जोनल कार्यालय ग्वालियर का निर्माण व आधारभूत संरचना विकास का कार्य किया जाना

प्रस्तावित है उपरोक्त प्रस्तावित आवंटित बजट में ग्वालियर जोनल कार्यालय का कार्यालय भवन के निर्माण कार्य के साथ कार्यालय हेतु आवद्ध्यक फर्नीचर , वाहन व सायबर फोरेसिक हार्डवेयर /साफ्टवेयर सह सामग्री का क्रय किया जाना है।

9.30 निर्धारित महत्वपूर्ण वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य : वार्षिक योजना 2015-16 की योजना सीमा के अंतर्गत सामान्य में राशि रू. 350.00 लाख, प्रावधानित की है। व्यय राशि रू. 72.०० लाख हुआ वर्ष 2016-17 में रू; 207.०० लाख बजट प्रावधान है जनवरी 2016 तक इसमें 131.10 लाख रू व्यय हुआ है निर्धारित राशि से जोनल कार्यालय इंदौर एवं जबलपुर के निर्माण कार्य तथा जोनल कार्यालय एवं राज्य सायबर मुख्यालय के लिए वाहन/ उपकरण/टैक्नीकल डिवाइस के लिए व्यय की जायेगी।

9.31 नारकोटिक्स शाखा का पुनर्गठन (आई.डी.क्र0 9112 :डी.एस.) : मादक पदार्थों का उपोग एवं उनको संचालित करने वाली गतिविधियाँ एक विश्व व्यापी समस्या है । हमारे देश एवं प्रदेश में भी इस समस्या का प्रारुभाव बढ़ता जा रहा है । तथा समाज में लाखों की संख्या में नागरिक इन नशीले पदार्थों के शिकार होकर अर्थव्यवस्था पर बोझ बन रहे हैं । स्वास्थ्य सेवाएं भी बड़ी मात्रा में राशि इनके उपचार परव्यय करती है साथ ही निरन्तर इनके प्रयोग से अपराधिक गतिविधियाँ भी बढ़ती जा रही है । कुछ संगठित गिरोहों/आतंकवादी/नक्सली गतिविधियों में संलिप्तता भी चिंता का प्रमुख कारण है । इन नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों को रोकना राज्य के सामने एक चुनौती है ए अफीम की खेती बड़े पैमाने पर म.प्र. में होने के कारण सम्पूर्ण राज्य इन गतिविधियों से प्रभावित हो रहा है । अतः इनकी मांग में कमी लाना अतिआवश्यक है । इसलिये इस ओर प्रभावी कदम उठाए जाना समय की मांग है । अतः 12 वी पंचवर्षीययोजना 2012-17 के अंतर्गत प्रतिबंधित मादक द्रव्यों के सेवन एवं दुष्प्रभावों की रोकथाम के लिये स्थापित नारकोटिक्स विंग हेतु वर्ष 2016-17 के लिये राशि रू 244.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है । इसके अंतर्गत दिसम्बर 2016 तक राशि रू 185.00 लाख व्यय हो चुकी है ।

9.32 आटोमेटिक स्वचलित अंगुल चिन्ह व्यवस्था आई.डी.क्रमांक 9115 (एस.एस.) : एफिस केन्द्रीय सर्वर राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पुलिस मुख्यालय भोपाल में प्रतिष्ठापित है। म.प्र के 48 जिलो तथा 3 रेल्वे इकाईयों में एफिस रिमोट क्वेरी वर्क स्टेशन स्थापित है। रिमोट क्वेरी स्टेशन भोपाल में स्थापित एफिस केन्द्रीय सर्वर से एयरटेल लाईन तथा राउटर के माध्यम से जुड़ा है। प्रत्येक रिमोट क्वेरी स्टेशन पर उस जिले तथा केन्द्रीय सर्वर पर समस्त जिलो का फिंगर प्रिन्ट रिकार्ड उपलब्ध होता है। समस्त एफिस रिमोट क्वेरी वर्कस्टेशन एफिस केन्द्रीय सर्वर से डायल-अप कनेक्शन के माध्यम से जुड़े है।

9.33 प्रस्तावित एफिस के जनता एवं पुलिस को लाभ:- अपराधों की रोकथाम तथा अपराधियों की पतारसी में अत्यन्त मददगार। अंतर्राज्यीय तथा अंतराष्ट्रीय अपराधियों की

त्वरित पहचान होने से राज्य में संभावित घटनाओं की रोकथाम की जा सकेगी। मोबाईल एफिस की स्थापना से घटनास्थल पर ही अपराधियों की त्वरित पहचान स्थापित की जा सकेगी। पुलिस तथा अन्य सरकारी संस्थाओं में भर्ती पूर्व उम्मीदवारों के फिंगर प्रिन्ट की जाँच डाटाबेस में कर अवांछित तथा अपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को रोका जा सकेगा। पासपोर्ट, आर्म्स तथा ड्रायविंग लायसेन्स आदि प्रदान करने के पूर्व उपलब्ध डाटा में सर्च कर अवांछित तथा अपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को रोका जा सकेगा। सुरक्षा सर्विस प्रदान करने वाली एजेन्सी द्वारा सार्वजनिक/प्रायवेट संस्थाओं/कालोनी में सुरक्षा हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले सुरक्षाकर्मियों का फिंगर प्रिन्ट वेरीफिकेड्रान किया जा सकेगा। घरेलू नौकरो को कार्य पर रखने के पूर्व में फिंगर प्रिन्ट वेरीफिकेड्रान किया जा सकेगा।

एफिस परियोजना की कुल लागत 1609.88 लाख एफिस परियोजना में आवश्यक उपकरण तथा सॉफ्टवेयर एक साथ क्रय किया जाना आवश्यक है।

वार्षिक योजना 2015-16 की योजना सीमा के अंतर्गत राशि रु. 1609.88 लाख, टीएसपी राशि में रु 0.00 लाख तथा एस.सी.एस.पी राशि रु 0.00 लाख कुल योजना राशि रु. 1509.00 लाख प्रावधानित किया गया। जिसकी कार्यवाही प्रचलित है।

9.34 समेकित पुलिस प्रशिक्षण कांम्पलेक्स का निर्माण (आई.डी.क्रमांक 4067 एस.एस.) : मध्यप्रदेश पुलिस के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण में एकरूपता लाने के उद्देश्य से एक ही स्थान पर समस्त रैंकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करने एवं मानव तथा भौतिक संसाधनों का सही उपयोग करने के उद्देश्य से ग्राम भौरीए जिला भोपाल में एक कम्पोजिट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर भौरी की स्थापना की जा रही है। ग्लोबलाइजेशन सूचना प्रौद्योगिकी, विकास, सायबर अपराध उग्रवादी एवं नक्सलवादी गतिविधियों तथा अपराधों के तरीकों में परिवर्तन के मद्दे नजर पुलिस विभाग में दिये जाने वाले बुनियादी प्रशिक्षण एवं अन्य प्रशिक्षणों में कुशल नेतृत्व, जनता से अच्छा व्यवहार एवं विषम परिस्थितियों में मानव अधिकारों की रक्षा हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जाना नितान्त आवश्यक है।

इस योजना में वर्ष 2015&16 में 1671-55 लाख का बजट प्रावधान किया गया था। वर्ष 2016-17 में बजट आवंटन प्राप्त नहीं हुआ।

9.35 विशेष सशस्त्र बल तथा अन्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का पुर्नगठन (आई.डी.क्रमांक 8106 एस.एस.)

यह योजना राज्य सरकार के अन्तर्गत म0प्र0 पुलिस के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में कार्यरत बल के प्रशिक्षण कार्यक्रम को अधिक सुदृढ तथा सुविधायुक्त बनाने हेतु प्रस्तावित है। जिसके अन्तर्गत बैण्ड प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षित कर्मचारियों के द्वारा राज्य

स्तरीय परेड, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस, फालो गार्ड आदि महत्वपूर्ण उपलक्ष्यों पर समय-समय पर बैण्ड पार्टी का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भी बैण्ड पार्टी भाग लेकर राज्य को गौरवान्वित करती हैं। वि०स०बल के प्रशिक्षण संस्थानों में कर्मचारी/अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के सीनियर कोर्स एवं तकनीकी/गैर तकनीकी कोर्स कराये जाकर अलग-अलग प्रकार की डियूटियो पर तैनात किया जाता है। अतः उक्त प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक एवं सर्वसुविधा युक्त बनाये जाने के तारतम्य में यह योजना प्रस्तावित है।

9.36 वार्षिक योजना 2014-15 के लिए विभाग के लक्ष्य एवं उद्देश्य-

1. विशेष सशस्त्र बल के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में कर्मचारी/अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण एवं पारंपरिक गैर तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जो विपरीत परिस्थितियों के दौरान नियंत्रण बनाने में पूर्णतः सक्षम होने उपरान्त के भी तकनीकी के अभाव में सफलतम् प्रतीत नहीं होता है। आधुनिक उपकरणों से लैस एवं तकनीकी कौशल के साथ-साथ व्यवसायिक दक्षता उच्चतम् करने उद्देश्य से प्रशिक्षु कर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाना नितांत आवश्यक है। ताकि सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर्मियों के द्वारा बेहतर कानून व्यवस्था डियूटी का संपादन किया जाकर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाये रखने में मुख्य योगदान दिया जा सके।

2. विसबल प्रशिक्षण संस्थानों को तकनीकी कुशल बनाया जाकर इन संस्थानों में प्रशिक्षु विसबल के कर्मचारी/अधिकारियों के माध्यम से विभिन्न जोखिम भरे कार्यों को भी तकनीक से सुगमतापूर्वक त्वरित रूप से संपादित किया जा सकता है, जिससे आम जनता में धन-जन की हानि की स्थिति निर्मित नहीं हो सके। इन प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण उपरान्त विसबल कर्मियों के द्वारा साम्प्रदायिक दंगों, चुनाव डियूटी, उग्र आंदोलन, विरोध प्रदर्शन एवं जुलूस जैसी संवेदनशील स्थिति को भी उच्च कौशल के प्रशिक्षण के कारण नियंत्रित किये जाने में अधिक से अधिक सफलता अर्जित की जा सकती है।

बैण्ड प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित पुलिस बैण्ड पार्टियों के द्वारा समय-समय पर विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया जा कर प्रदेश को गौरवान्वित किया गया है। बैण्ड पुलिस परेड का एक आवश्यक अंग है। बैण्ड प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षित कर्मचारियों के द्वारा राज्य स्तरीय परेड समारोहों- स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस, फालो गार्ड आदि महत्वपूर्ण उपलक्ष्यों पर महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः विसबल के प्रशिक्षण संस्थानों के अन्तर्गत म०प्र० पुलिस के एक मात्र बैण्ड प्रशिक्षण संस्थान को तकनीकीकुशल एवं व्यवसायिक दक्ष बनाने के उद्देश्य से योजना प्रस्तावित की गई है।

9.37 गतिविधियां/कार्यक्रम एवं वर्तमान स्थिति : पुलिस विभाग में विशेष सशस्त्र बल का गठन प्रदेश में डकैती उन्मूलन, साम्प्रदायिक दंगों पर प्रभावी नियंत्रण, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान विपरित परिस्थितियों से निपटने एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले आन्दोलनों इत्यादि पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करते हुये प्रदेश में अमन-चैन बनाये रखने हेतु जिला पुलिस को सक्रिय सहयोग देने के उद्देश्य से स्ट्राइकिंग रिजर्व के रूप में किया गया था । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पर्व जैसे- गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, शहीद दिवस, राज्य स्तरीय परेड आदि महत्वपूर्ण अवसरों पर भी विसबल के कर्मचारियों द्वारा गौरवपूर्ण प्रदर्शन किया जाता है ।

विशेष सशस्त्र बल के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में कर्मचारी/अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण एवं पारंपरिक गैर तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जो विपरित परिस्थितियों के दौरान नियंत्रण बनाने में पूर्णतः सक्षम होने के उपरान्त भी तकनीकी के अभाव में सफलता प्रतीत नहीं होता है । आधुनिक उपकरणों से लैस एवं तकनीकी कौशल के साथ-साथ व्यवसायिक दक्षता उच्चतम करने उद्देश्य से प्रशिक्षु कर्मियों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाना नितांत आवश्यक है । ताकि सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों के द्वारा बेहतर कानून व्यवस्था डियूटी का संपादन किया जाकर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाये रखने में मुख्य योगदान दिया जा सके ।

विसबल प्रशिक्षण संस्थानों को तकनीकी कुशल बनाया जाकर इन संस्थानों में प्रशिक्षु विसबल के कर्मचारी/अधिकारियों के माध्यम से विभिन्न जोखिम भरे कार्यों को भी तकनीक से सुगमतापूर्वक त्वरित रूप से संपादित किया जा सकता है, जिससे आम जनता में धन-जन की हानि की स्थिति निर्मित नहीं हो सके । इन प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण उपरान्त विसबल कर्मियों के द्वारा साम्प्रदायिक दंगों, चुनाव डियूटी, उग्र आंदोलन, विरोध प्रदर्शन एवं जुलूस जैसी संवेदनशील स्थिति को भी उच्च कौशल के प्रशिक्षण के कारण नियंत्रित किये जाने में अधिक से अधिक सफलता अर्जित की जा सकती है ।

भविष्य की योजना एवं प्रस्ताव :- 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में म0प्र0 विशेष सशस्त्र बल प्रशिक्षण संस्थानों हेतु कुल राशि रू0 1100.00 लाख का बजट प्रावधान था । उपरोक्त राशि से विसबल प्रशिक्षण संस्थानों के अन्तर्गत आरएपीटीसी इन्दौर, 6वीं वाहिनी विसबल जबलपुर, 8वीं वाहिनी विसबल छिन्दवाड़ा, मोटर ट्रेनिंग स्कूल रीवा एवं म0प्र0 पुलिस बैण्ड स्कूल भोपाल में निर्माण कार्य के अन्तर्गत भवन निर्माण , फर्नीचर, आफिस इक्यूपमेंट एवं वाहन आदि क्रय किया गया है ।

9.38 निर्धारित महत्वपूर्ण वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य : वार्षिक योजना 2016-17 की योजना सीमा के अंतर्गत योजना राशि रू. 1500.00 लाख निर्धारित है। निर्धारित राशि से वर्ष 2015-16 में म0प्र0 विशेष सशस्त्र बल प्रशिक्षण संस्थानों के अन्तर्गत आरएपीटीसी इन्दौर, 6वीं

वाहिनी विसबल जबलपुर, 8वीं वाहिनी विसबल छिन्दवाड़ा, एमटीएस रीवा, म0प्र0 पुलिस बैण्ड स्कूल भोपाल, एवं पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल इन्दौर के भवन निर्माण, फर्नीचर, आफिस इक्विपमेंट एवं वाहन आदि क्रय पर व्यय का प्रस्ताव है।

9.39 अश्वारोही एवं श्वान दलों का पुर्नगठन (आई.डी.क्रमांक 8106 एस.एस.) :

यह योजना राज्य सरकार के अन्तर्गत कानून-व्यवस्था डियूटी प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु एवं आतंकवादी/अवैधानिक कृत्यों पर अकुंश लगाने तथा नक्सलाईट क्षेत्रों में अमन चैन की स्थिति निर्मित करने के तारतम्य में महत्पूर्ण कार्यों में समय-समय पर अश्वारोही दल का उपयोग किये जाने, जबकि 23 वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल भोपाल स्थित श्वान दल के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात श्वानों का कानून व्यवस्था डियूटियों में महत्पूर्ण योगदान होने के फलस्वरूप इन दोनों दलों को आधुनिक एवं सर्वसुविधा युक्त बनाये जाने के तारतम्य में प्रस्तावित है।

वार्षिक योजना 2015-16 की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाः- वार्षिक योजना 2015-16 की संशोधित योजना सीमा के अन्तर्गत म0प्र0 विशेष सशस्त्र बल के अश्वारोही एवं श्वान दल का पुर्नगठन योजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2015-16 के लिए राशि रुपये 301.00 लाख का प्रावधान था यह राशि व्यय की गई है। वर्ष 2016-17 के लिए राशि रुपये 68.00 लाख प्रावधानित की गई है जिसमें दिसंबर 2016 तक रू0 57.00 लाख व्यय हो गई है।

9.40 वार्षिक योजना 2014-15 के लिए विभाग के लक्ष्य एवं उद्देश्य:-

1. राष्ट्रीय समारोह जैसे-स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के अतिरिक्त शहीद दिवस आदि का सुसज्जित करने के उद्देश्य से अश्वारोही दल का बड़े पैमाने पर भाग लेना ।
2. कानून व्यवस्था डियूटी के दौरान जुलूस आदि पर नियंत्रण रखने में उच्चस्तरीय योगदान देना।
3. कंजर विरोधी अभियानों के अन्तर्गत कंजरो द्वारा कपास फसलों की लूटपाट पर लगाम लगाने, दुर्गम स्थानों पर जहाँ बाहन आदि सरलता से प्रवेश नहीं कर पाते, ऐसे स्थानों पर अपराधिक गतिविधियों के नियंत्रण एवं देशी मदिरा आदि अवैध कार्यों की घर पकड़ के संबंध में महत्पूर्ण कार्य करना ।
4. 23वीं वाहिनी वि.स.बल. भोपाल स्थित श्वान दल के अन्तर्गत म0प्र0 के विभिन्न जिलों में तैनात श्वानों के द्वारा कानून व्यवस्था डियूटी के सम्पादन में महत्पूर्ण सहयोग दिया जाता है। अपराधों पर अकुंश लगाने के संदर्भ में श्वानों के माध्यम से कुख्यात अपराधियों की घरपकड़, चोरी, लूट एवं डकैती जैसे बड़े-बड़े अपराधों के निराकरण में

शानों की सराहनीय भूमिका निहित है। अतः उक्त शानों के प्रशिक्षण, निवास, पोषण एवं चिकित्सा सुविधाओं की उच्चस्तरीय व्यवस्था मुहैया कराना ।

9.41 भविष्य की योजना एवं प्रस्ताव :-

योजना अंतर्गत शान दल में निर्माण कार्य के अन्तर्गत बाउण्ड्रीवाल, ग्राउण्ड, ट्रेनिंग हॉल, ग्रूमिंग शेड, डिसप्ले बोर्ड, हॉस्पिटल भवन का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। इनके अतिरिक्त प्रशिक्षण शाला के निर्माण, प्रथम वाहिनी विसबल इन्दौर एवं 7 वीं वाहिनी, विसबल भोपाल 2 रीं वाहिनी, विसबल, ग्वालियर तथा 6वीं वाहिनी, विसबल, जबलपुर राईडिंग स्कूल का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। अश्व, सेडलरी एवं उनका दाना-पानी क्रय किये जाने के साथ ही म0प्र0 शान दल 23 वीं वाहिनी, विसबल, भोपाल में ट्रेनिंग हॉल, ग्रूमिंग शेड का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

9.42 पुलिस ग्रंथालयों का पुनर्गठन (आई.डी.क्रमांक 8104 एस.एस.) :

वर्तमान में पुलिस को अपराध नियंत्रण के साथ ही आतंकवाद तथा नक्सलवाद जैसी ज्वलन्त समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इससे निपटने के लिए पुलिसकर्मी विभिन्न संस्थानों में व्यावसायिक एवं शारीरिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। व्यावसायिक दक्षता एवं प्रबंधन क्षमता को विकसित करने हेतु उन्हें उत्कृष्ट एवं व्यावसायिक साहित्य सामग्री उपलब्ध कराना ग्रंथालय का मुख्य दायित्व है। जिससे वह अपराधियों द्वारा अपराध करने के नये तरीकें, उनका आपराधिक अनुसंधान, कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु आधुनिक प्रविधियों के प्रयोग के साथ ही सहविषयों पर संबंधित साहित्य का अध्ययन कर अपने कौशल, आत्मविद्रवास एवं आत्मबल में वृद्धि कर सकें।

लक्ष्य:-

- प्रत्येक पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्र एवं अकादमी में ग्रंथालय की स्थापना। ग्रंथालय के माध्यम से प्रशिक्षण को उन्नत बनाने के लिये आवश्यक प्रोत्साहन देना।
- सभी ग्रंथालयों में संग्रहित पुस्तकों का यूनियन केटलाग बनाना।
- समस्त ग्रंथालयों की नेटवर्किंग ।
- प्रत्येक पुलिस कर्मी को कानून व्यवस्था एवं अनुसंधान आदि से संबंधित नियमों एवं अधिनियमों तथा माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों से अवगत कराना।
- शासन की मंशा अनुरूप ई-ग्रंथालय की संकल्पना को मूर्त रूप देना।

विभाग में उपलब्ध सामग्री, सर्कूलर आदि का संग्रहण एवं डिजिटलईजेशन। जिससे उनको सुदूर क्षेत्र में बैठे पुलिस कर्मों भी लाभान्वित हो सकें।

उद्देश्य :-

- पुलिस विज्ञान, अपराध एवं विधि संबंधी साहित्य का संग्रहण।
- सामाजिक एवं साम्प्रदायिक सौहार्द तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रशिक्षणार्थी को अद्यतन एवं ज्ञानवर्द्धक सामग्री उपलब्ध कराना।
- मानसिक एवं शारीरिक तनाव से निपटने के लिये मनोरंजक सामग्री उपलब्ध कराना
- सामाजिक सदभाव एवं देद्रा की सम्प्रभुता बनाये रखने के लिये बने विधि एवं नियमों आदि से परिचित कराना
- पुलिस कर्मियों को ग्रंथालय के उपयोग हेतु प्रोत्साहित करना एवं उपलब्ध सामग्री का संबंधित प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु संदर्भ देखना एवं उपयोग सिखाना।
- सूचना संचार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के साथ ही पुस्तकालयों को डिजिटल स्वरूप प्रदान करना।
- ग्रंथालय में संग्रहित जानकारी को सुदूर क्षेत्र के उपयोगकर्ता को इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराना।
- संग्रहित सामग्री एवं जानकारी की सुरक्षा एवं संरक्षण।
- लाभ:- नवागन्तुक पुलिस कर्मों एवं अधिकारियों के साथ ही सेवारत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ग्रंथालयीन सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा, जिससे वह समाज में कानून एवं व्यवस्था के नियन्त्रण में दक्ष हो सकेंगे।
- नवीनतम तकनीक से किये जाने वाले अपराधों के अनुसंधान एवं विवेचना में अपने को सक्षम कर सकेंगे।
- इसका मुख्यः लक्ष्य द्रासन एवं विधि द्वारा स्थापित लक्ष्यों की पूर्ति एवं अप्रत्यक्ष लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को होगा।
- संग्रहित सूचना का त्वरित प्राप्ति।
- समस्याएँ एवं प्राथमिकताएँ :-
- **समस्याएँ :-** वर्तमान में ग्रंथालय की इस योजना में पदों की मांग की गई है। चटटोपाध्याय समिति एवं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा विभागीय ग्रंथालयों हेतु मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं।, परन्तु उक्त अनुद्रांसाओं पर द्रासन स्तर पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।
- कार्य योजना में नार्म्स एवं प्रस्तावित किये गये पदों पर पुर्नविचार करते हुए मानक के आधार पर संशोधित कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस कारण प्रस्तावित एवं अन्य मदों के लिये प्राप्त टोकन मनी/बजट का उपयोग नहीं किया जा सका है।
- ग्रंथालय में तकनीकी रूप से दक्ष कर्मचारियों का अभाव। जिससे प्रशिक्षण संस्थानों आदि की ग्रंथालय सेवाओं प्रभावित।

- ग्रंथालयीन सेवाओं सीमित क्षेत्र तक की प्रभावित।
- प्राथमिकताएँ :- ग्रंथालयीन सेवाओं के निर्वाह व्यवस्थापन हेतु सर्वप्रथम भवन निर्माण एवं उपलब्ध भवनों का विस्तार।
- ग्रंथालयीन सेवाओं के सुचारु व्यवस्थापन हेतु आवद्रयक पदों का निर्माण एवं स्वीकृति।
- संग्रहित सामग्री एवं जानकारी की सुरक्षा एवं संरक्षण।

संग्रहित सामग्री एवं सूचना के आदान प्रदान हेतु आवद्रयक उपकरण, फर्नीचर आदि का क्रय।

9.43 गतिविधियाँ / कार्यक्रम एवं वर्तमान स्थिति: ग्रंथालय में वर्तमान में लॉ जर्नल्स साफ्टवेयर के माध्यम से न्यायालयों के निर्णय आदि की हार्डकापी का प्रदाय कर विधि संबंधी प्रकरणों में संदर्भों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

भविष्य की योजना एवं प्रस्ताव :- ग्रंथालय, की भावी योजनाओं में ग्रंथालय भवन का विस्तार एवं ग्रंथालयीन सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु तकनीकी एवं व्यावसायिक दक्ष कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव।

निर्धारित महत्वपूर्ण वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य तथा वार्षिक योजना 2015-16 की योजना सीमा के अंतर्गत सामान्य मे योजना राशि रु. 725.30 लाख निर्धारित है। इसके अंतर्गत रु 468.00 लाख का व्यय हुआ है वर्ष 2016-17 में कुल बजट रु 122.00 लाख का बजट प्रावधान है इससे भवन निर्माण, पुस्तकें तथा उपकरणों का क्रय किया जायेगा।

9.44 क्षमता निर्माण एवं दक्षता विकास (आई.डी.क्रमांक 9117 एस.एस.) : पुलिस विभाग (कल्याण शाखा) द्वारा दो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं भोपाल/इन्दौर में संचालित की जा रही है। वर्तमान में पुलिस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भोपाल में मैकेनिक(मोटर व्हीकल,इलेक्ट्रानिक,डीजल), वेल्डर (गैस एण्ड इले.),कटिंग एण्ड स्वीडिंग, स्टेनोग्राफी हिन्दी/अंग्रेजी प्रशिक्षण एवं पुलिस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इंदौर में मैकेनिक(इलेक्ट्रानिक), रेडियो एण्ड टेलीविजन कोर्सेज संचालित किये जा रहे हैं। प्रस्तावित योजना के माध्यम से पुलिस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं सहायक प्रोग्रामर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीन ऑपरेटर, इलेक्ट्रानिक कम्प्युनिकेशन सिस्टम एवं फिटर तथा पुलिस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इंदौर में सूचना प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं सहायक प्रोग्रामर कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, हियर एण्ड स्कीन कैयर, फिटर एवं फल एवं साग सब्जियों की सुरक्षा, नवीन व्यवसायों का पाठ्यक्रम संचालित करना प्रस्तावित है।

उद्देश्य :- पुलिस विभाग में कार्यरत पुलिस कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को गुणवत्ता मूलक और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें दक्ष एवं कार्यकुशलता प्रदान कर आत्म निर्भर बनाना । पुलिस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से युवक/युवतियों को तकनीकी एवं गैर तकनीकी व्यवसायों में व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर रोजगार/नौकरी, प्रतिष्ठानों के लिए शिक्षित दक्ष/कुशल कर्मी तैयार करना।

वार्षिक योजना 2015-16 योजना सीमा के अंतर्गत राशि रु 783.16 लाख था। राशि का पूर्ण व्यय हो गया है। वर्ष 2016-17 में इस योजना के अंतर्गत रु 52.00 लाख का बजट प्रावधान है इसमें लघु निर्माण/ उपकरण आदि पर व्यय होगा।

9.45 जिलों में मेला व्यवस्था (आई.डी.क्रमांक 10030 डी.एस.) : प्रदेश की ऐसे कई जिले हैं, जो धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ मेले का भी आयोजन किया जाता है। जिलों में मेला व्यवस्था हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध न होने के कारण मेला आयोजकों तथा जनता में असुरक्षा की भावना जाग्रत होती है। अभी हाल ही में दतिया जिले के रतनगढ मेले में हुये विभिन्न हादसे को दृष्टिगत रखते हुये भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना घटित न हो इस दृष्टि से ये योजना काफी महत्वपूर्ण है। राज्य योजना आयोग द्वारा लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार योजना वर्ष 2014-15 में मध्य प्रदेश के लिये विकेन्द्रीकृत जिला स्तरीय योजना के तहत राज्य योजना आयोग मध्य प्रदेश द्वारा वार्षिक योजना 2014-15 की योजना सीमा के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में 453.55 लाख का बजट प्रावधान है कार्य प्रगति पर है। निर्धारित योजना सीमा से मेला व्यवस्था हेतु आवश्यक सामग्री क्रय किये जाने का लक्ष्य है।

9.46 हुडको लोन से पोषित आवासीय योजना (आई.डी.क्रमांक 3069 एस.एस.) : पुलिस की आवासीय योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में 600 एनजीओ, 2400 प्र.आर./आर कुल 3000 आवास गृहों के लिए प्रोजेक्ट लागत राशि रु. 368.50 करोड एवं मार्जिन मनी की राशि रु. 39.50 करोड, वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए के लिए 500 एनजीओ, 2000 प्र.आर./आर. कुल 2500 आवास गृह निर्माण किया जाना है। इसके लिए प्रोजेक्ट की राशि रु. 312.39 करोड एवं राज्य शासन की मार्जिन मनी रु. 32.39 करोड वर्ष 2014-15 में 500 एनजीओए 2000 प्र.आर./आर. आवास गृह कुल 2500 आवास गृह निर्माण किया जाना है। इसके लिए प्रोजेक्ट लागत राशि रु. 312.39 करोड एवं मार्जिन मनी रु0 32.39 करोड का व्यय भार आवेगा।

वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक 600 एनजीओ एवं 6400 प्र.आर./आर. कुल 8000 आवास गृहों के लिए रु. 993.38 प्रोजेक्ट की संपूर्ण लागत राशि रु. 993.28 करोड एवं मार्जिन मनी की राशि रु. 104.28 करोड होगी। उक्त परियोजना हेतु म0प्र0 पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा रु0 889.00 करोड का ऋण हुडको से 16 वर्ष के लिए प्रचलित मानको के

अंतर्गत फ्लोटिंग ब्याज दर पर लिया जायेगा। राज्य शासन द्वारा परियोजना के लिए रु. 104.28 करोड़ की मार्जिन मनी उपलब्ध करायी जायेगी इस प्रकार परियोजना के द्वितीय एवं तृतीय चरण में कुल रु. 1012.69 करोड़ व्ययभार आयेगा जिसमें रु. 103.69 करोड़ अंश राशि होगी।

वार्षिक योजना 2015-16 के लिए निर्धारित योजना सीमा के अंतर्गत वृहद निर्माण के अंतर्गत राशि रु 6500.00 लाख का व्यय हो गया है। वर्ष 2016-17 के लिये राशि रु 44695.00 लाख का बजट प्रावधान है।

9.47 राज्य औद्योगिक, सुरक्षा बल वाहिनी की स्थापना (आई.डी.क्रमांक 8110 एस.एस.) :

मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों, प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों, वित्तीय संस्थानों आदि की सुरक्षा के लिये निरन्तर सशस्त्र गार्ड की आवश्यकता प्रतिपादित की जाती रही है, परन्तु राज्य में पुलिस बल की कमी को देखते हुये आवश्यकतानुसार बल उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाता है। केन्द्र शासन द्वारा भी औद्योगिक संस्थानों आदि की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिये राज्यों को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर राज्यों में औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन का सुझाव दिया है। अतएव राज्य में औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाना औचित्य पूर्ण है । इस बल का मध्यप्रदेश राज्य में मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल एक्ट 1968 के अन्तर्गत सशस्त्र वाहिनियों के रूप में गठित किये जाने संबंधी प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। वर्तमान में मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल की 7 कम्पनियों तथा एक प्लाटून सहित कुल 951 पद शासन द्वारा पृथक-पृथक से स्वीकृत किये गये हैं, जो वन विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (इंदिरा सागर/सरदार सागर परियोजना) बाणसागर परियोजना तथा रिजर्व बैंक आफ इंडिया में पूर्व से ही कार्यरत है । इन सभी कम्पनियों व एक प्लाटून को राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की वाहिनियों में विशेष सशस्त्र बल से पृथक कर समायोजित किया जाकर म0प्र0 राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रथम वाहिनी का नाम दिया गया।

वार्षिक योजना 2015-16 के लिए विभाग के लक्ष्य:- औद्योगिक, सुरक्षा बल के गठन एवं नये बल के लिए मांग तथा आवश्यकता के आधार पर 4 वाहिनियों हेतु 18+2949+46 नवीन पदों सहित कुल 3,013 नवीन पदों का सृजन के साथ इस बल की आधारभूत संरचना निर्माण हेतु रु 150.00 करोड़ की एक मुश्त(वदम जपउम) राशि की प्रारम्भ में नितान्त आवश्यकता होगी।

उद्देश्य: राज्य शासन के जाप क्र. एफ-3-14/2009/बी-3/दो, दिनांक 26.03.11 द्वारा स्थाई तथा अस्थाई गार्ड हेतु निर्धारित दरें निम्नानुसार हैं। प्रस्तावानुसार 4 वाहिनियों की स्वीकृति दी जाने पर निम्नानुसार राजस्व की प्राप्ति होगी :-

पद जिसके लिये दरें निर्धारित हैं	स्थाई गार्ड हेतु वार्षिक दर	अस्थाई गार्ड हेतु दैनिक दर	पद संख्या	स्थाई गार्ड हेतु वसूली जो प्राप्त होगी लाख में
उ0पु0अ0/सहा0सेनानी	अनुमानित रु 9.00 लाख		3	27.00 लाख
निरी0/कंपनी कमांडर	रु. 7.50 लाख	रु. 3100/-	8	60.00 लाख
उप निरीक्षक/प्लाटून कमांडर	6.25 लाख	रु. 2600/-	35	218.75 लाख
स0उ0नि0/सेक्शन कमांडर	4.50 लाख	रु. 2500/-	77	346.50 लाख
प्रधान आरक्षक	4.25 लाख	रु. 1700/-	160	680.00 लाख
आरक्षक	4.00 लाख	रु. 1600/-	686	2744.00 लाख
एक वाहिनी की वसूली का योग रु0			969	4076.25 लाख
4 वाहिनियों की वसूली का योग			3876	16305.00 लाख

उपरोक्त विवरण के अनुसार वसूली के रूप में प्राप्त होने वाली राशि हमारी एक वाहिनी हेतु लगने वाले मानक व्यय रु0 24.00 करोड से रु. 16.76 करोड अधिक है। इस प्रकार 4 वाहिनियों के बल की वसूली से कुल रु0 16.76 करोड की प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी । राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन का उद्देश्य प्रदेश में स्थापित विभिन्न औद्योगिक संस्थानों द्वारा की जा रही सुरक्षा की मांग की पूर्ति की जा सकेगी, साथ ही आवश्यकता पडने पर प्रदेश की कानून-व्यवस्था के दौरान इस बल का उपयोग किया जा सकता है ।

समस्याएं एवं प्राथमिकताएं:- प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति एवं नक्सल समस्या से निपटने हेतु कार्यरत वि.स.बल की 21 वाहिनी की सभी कम्पनियों एक्टिव फील्ड डियूटी पर तैनात हैं, जो 24घंटे एक्टिव डियूटी में तैनात रहती है जिस कारण निजी संस्थानों द्वारा निरन्तर की जा रही सुरक्षा की मांग पर सुरक्षा उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन से इन निजी संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की मांग की पूर्ति की जा सकेगी ।

गतिविधियां/कार्यक्रम एवं वर्तमान स्थिति:- वर्तमान में मध्यप्रदेश विशेष सशस्त्र बल की 7 कम्पनियां तथा एक प्लाटून सहित कुल 951 पद शासन द्वारा पृथक-पृथक से स्वीकृत किये गये हैं, जो वन विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण (इंदिरा सागर/सरदार सागर परियोजना) बाणसागर परियोजना तथा रिजर्व बैंक आफ इंडिया में पूर्व से ही कार्यरत हैं।

भविष्य की योजना एवं प्रस्ताव:- म0प्र0 राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का मुख्यालय भोपाल में होगा, जिसके मुख्यालय की स्वीकृति हेतु 18 अधिकारी/कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। शेष 3-अतिरिक्त नवीन राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की वाहिनी के लिए 2,949 पदों के सृजन की आवश्यकता भी परियोजना में दर्शित है।

निर्धारित महत्पूर्ण वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य : वार्षिक योजना 2015 -16 योजना सीमा के अंतर्गत सामान्य में राशि रू0 9295.14 लाख, टी.एस.पी. में राशि रू. 452.55 लाख एवं एस.सी.एस.पी. में राशि रू. 301.70 लाख कुल योजना राशि रू. 10049.39 लाख निर्धारित है। निर्धारित राशि से वर्ष 2015-16 में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की आधारभूत संरचना निर्माण हेतु व्यय की जायेगी। वर्ष 2016-17 में सामान्य में राशि रू 2821.55 लाख की एस पी में राशि रू 452.70 लाख एवं एस.सी.एस.पी. में राशि रू 301.80 लाख सहित कुल राशि रू 3576.00 लाख का प्रावधान है।

9.48 शासकीय भवनो का निर्माण (आई.डी.क्रमांक 9118 एस.एस.) : म0प्र0 पुलिस में विभिन्न प्रशासकीय भवनों की 40 प्रतिशत कमी हैं । इसकी पूर्ति हेतु 4 वर्षीय योजना पृथक से तैयार कर विभिन्न प्रशासकीय भवनों का निर्माण कराना प्रस्तावित किया गया है । पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012-13 से 2016-17 हेतु कुल रूपये 44517.00 लाख की तैयार की गयी है। इस योजना में पुमनि कार्यालय-1, पुलिस अधीक्षक कार्यालय-5, एसडीओपी कार्यालय-26, कन्ट्रोल रूम-18, डीआरपी लाईन- 25, थाना भवन-25, पुलिस चौकी भवन-29, पीटीआरआई होस्टल -1, पीटीआरआई (एसबी-बैरेक)-1, कुल 130 प्रशासकीय भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित हैं। वर्ष 2011-12 में राज्य आयोजना आयोग की बैठक में प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण किया गया। जिसमें राज्य आयोजना आयोग द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वित्त समिति के माध्यम से योजना स्वीकृत कराने का अभिमत दिया गया।

वर्ष 2016-17 में वृहद निर्माण कार्यों के लिये रू 950.00 लाख का बजट प्रावधान है।

9.49 पुलिस पारगमन आवासीय (आई.डी.क्रमांक 9120 एस.एस.) : जिला भोपाल में विधान सभा डियूटी, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु म0प्र0 के सभी जिलो से अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आना-जाना निरन्तर बना रहता है। भोपाल में विधान-सभा, मंत्रालय, सतपुडा, विन्ध्याचल भवन, राजभवन, माननीय मंत्रियों, सासदों एवं विधायकों के आवास एवं कार्यालय स्थित हैं । इसी प्रकार महत्वपूर्ण शहर, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में भी अधिकारियों/कर्मचारियों का आना-जाना निरन्तर बना रहता है जहाँ महत्वपूर्ण स्थल व संभागीय व जिला स्तर के विभिन्न कार्यालय तथा जिला इन्दौर एवं ग्वालियर में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ एवं जबलपुर में मुख्यपीठस्थापित हैं। अतएव प्रमुख शहर

भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर एवं इन्दौर में इन्टरनल सिक्यूरिटी सिस्टम हेतु होस्टल का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक हैं।

प्रमुख शहर भोपाल-2, जबलपुर-1, ग्वालियर-1 एवं इन्दौर-1 इन्टरनल सिक्यूरिटी सिस्टम हेतु 5 होस्टल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित हैं।

वार्षिक योजना 2016-17 की योजना सीमा के अंतर्गत सामान्य में राशि रू0 50.00 लाख, टी.एस.पी. में राशि रू. 105.00 लाख एवं एस.सी.एस.पी में राशि रू. 80.00 लाख कुल राशि रू. 235.00 लाख योजना सीमा निर्धारित है। निर्धारित राशि वर्ष 2016-17 में वृहद निर्माण कार्य एवं उपकरणों पर व्यय की जायेगी।

9.50 पुलिस लाईनो का उन्नयन (आई.डी.क्रमांक 9121 एस.एस.) : रक्षित केन्द्र जिला पुलिस इकाईयों के स्नायुतंत्र की तरह हैं क्योंकि जिला पुलिस की अनेक प्रकार की गतिविधियां यही से संचालित होती हैं। रक्षित केन्द्र के अंतर्गत जिला इकाईयो के आवास गृह का रखरखाव, मरम्मत शस्त्रो का रखरखाव, मोटर वाहनों की मरम्मत एवं रखरखाव के साथ ही कानून व्यवस्था हेतु अतिरिक्त बल तथा अन्य इकाईयो से आने वाले बल की व्यवस्था आदि का प्रबंध, संचालन होता है। अतः पुलिस लाईनो का उन्नयन अत्यन्त आवश्यक है।

वार्षिक योजना 2016-17 की योजना सीमा के अंतर्गत सामान्य में राशि रू0 500.00 लाख, टी.एस.पी. में राशि रू. 1050.00 लाख एवं एस.सी.एस.पी में राशि रू. 800.00 लाख कुल राशि रू. 2350.00 लाख योजना सीमा निर्धारित है। निर्धारित राशि से वर्ष 2016-17 में स्थाई संपत्तियों का अनुरक्षण एवं वृहद निर्माण कार्यों पर व्यय की जायेगी।

9.51 पुलिस स्वास्थ्य अधोसंरचना (आई.डी.क्रमांक 9122 एस.एस.) : पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी दिन-रात कार्य करते हैं इस दृष्टि से व्यवसायिक कर्तव्य निष्पादन के दौरान खतरें बढ़ने की आशंका के साथ-साथ उन्हें गम्भीर किस्म की स्वास्थ्य समस्याएँ जैसे कि दिल की बीमारियों एवं किडनी समस्या आदि निर्मित होने एवं प्रदेश के पुलिस अस्पतालों में आधुनिक संसाधन एवं उपकरणों के अभाव में पुलिस कर्मियों को निकटतम स्थल पर उच्चतम गुणवत्ता वाले अस्पतालों में मजबूरी में इलाज कराने हेतु जाना पडता है। गम्भीर प्रकृति की बीमारियों के इलाज पर व्ययभार ज्यादा आने के कारण उन्हें मानसिक तनाव के साथ- साथ ऋणग्रस्रता की ओर भी इंगित करता है । प्रदेश पुलिस के अस्पतालो के गुणात्मक उन्नयन एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु आधुनिक उपकरणों की अत्यंत आवश्यकता है । प्रदेश में 60 पुलिस इकाईयों में पुलिस अस्पताल हैं तथा उन अस्पतालों में पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक पैथोलॉजी, चिकित्सा जाँच उपकरण जैसे- मल्टी स्लाइड डिटेक्टर, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी मशीन,01, डिजिटल एक्सरे मशीन-3, फुली आटोमेटिक लेब-03 नग,सोनोग्राफी मशीन-04 नग, ईसीजी मशीन, 04 नग, कलर डाप्लर

मशीन-01 नग, बी0पी0 उपकरण,50 नग इलेक्ट्रॉनिक ग्लूको मीटर 50 नग की नितांत आवश्यकता है । इन उपकरणों के क्रय करने पर पुलिस अस्पतालों में पुलिस परिवार के सदस्यों एवं उनके आश्रितों को इलाज/जॉच कराने में सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी ।

वार्षिक योजना 2016-17 योजना सीमा के अंतर्गत सामान्य में राशि रू0 0.00 लाख, टी.एस.पी. में राशि रू0 90.00 लाख एवं एस.सी.एस.पी. राशि रू. 90.00 लाख कुल योजना राशि रू. 180.00 लाख योजना सीमा निर्धारित है।

9.52 फायरिंग रेंज का विकास (आई.डी.क्रमांक 10020 डी.एस.) : फायरिंग रेंज की सतह उबड़ खाबड़ होने एवं आवारा पशुओं के विचरण करने जिससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित होने की संभावना के साथ-साथ फायरिंग सामग्री की सुरक्षा हेतु स्टोर रूम, आदि मूल-भूत सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रत्येक जिले में फायरिंग रेंज का विस्तार की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये राज्य योजना आयोग द्वारा लिए गये महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार योजना वर्ष 2014-15 में मध्य प्रदेश के विकेन्द्रीकृत जिला स्तरीय योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग द्वारा वार्षिक योजना 2015-16 की योजना सीमा के अंतर्गत निर्धारित विषय वस्तु में समाहित फायरिंग रेंज का विकास के लिए सामान्य में राशि रू. 499.00 लाख निर्धारित की गई है। निर्धारित योजना सीमा से फायरिंग रेंज के विकास में व्यय किया गया है। वर्ष 2016-17 में सामान्य में रू 105.23 लाख,टीएसपी में रू 223.48 लाख तथा एससीएसपी में रू 170.28 लाख का बजट प्रावधान है।

9.53 पुलिस थाने /चौकी की अधोसंरचना (आई.डी.क्रमांक 10021 डी.एस.) : पुलिस थाने एवं चौकी के मूल-भूत सुविधाओं की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये राज्य योजना आयोग द्वारा लिए गये महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार योजना वर्ष 2014-15 में मध्य प्रदेश के विकेन्द्रीकृत जिला स्तरीय योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग द्वारा वार्षिक योजना 2016-17 की योजना सीमा के अंतर्गत निर्धारित विषय वस्तु में समाहित पुलिस थाने/चौकी की अधोसंरचना के लिए सामान्य में राशि रू0 450.00 लाख,टी.एस.पी. में राशि रू. 398.08 लाख तथा एस.सी.एस.पी में राशि रू.303.30 लाख कुल राशि रू0 1151.38 लाख योजना सीमा निर्धारित की गई है। निर्धारित योजना सीमा से पुलिस थानों की अधोसंरचना के अंतर्गत बाउण्ड्री वॉल इत्यादि व्यय किये जाने का लक्ष्य है।

मानव विकास

10.1 प्रगति का मुख्य लक्ष्य मानव विकास है और मानव विकास एक ऐसा संसाधन है, जिसके बिना प्रगति संभव नहीं। मानव विकास जहां एक ओर इन्सान की मौजूदा जरूरतों को पूरा करता है वहीं दूसरी ओर यह भविष्य में समाज को प्रगति की ओर ले जाने में मदद करता है। मानव विकास मध्यप्रदेश के लिये बहुत प्रासंगिक हैं। सामाजिक सूचकों की दृष्टि से मध्यप्रदेश दूसरे समृद्ध राज्य से बहुत पीछे है। इस पिछड़ेपन को दूर करने हेतु मानव संसाधनों पर ध्यान केन्द्रित करना तथा उसके लिये आवश्यक क्षेत्रों के विकास के लिये प्रभावशाली कदम उठाना राज्य की प्राथमिकता है।

10.2 मानव विकास के संकेतांक: वर्ष 2010 से पहले मानव विकास संकेतांक में तीन आयामों को शामिल किया गया था। जनसंख्या, स्वास्थ्य और लम्बी उम्र के लिये जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ज्ञान और शिक्षा के लिये वयस्क साक्षरता दर (2/3 भारांक के साथ) तथा प्राथमिक, माध्यमिक एवं तृतीयक कक्षाओं में सकल नामांकन दर (1/3 भारांक के साथ) एवं जीवन स्तर के लिये क्रय सहित समानता पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का प्राकृतिक लघुगणक को संकेत के रूप में लिया गया था।

इन तीन संकेतांकों का औसत ही मानव विकास सूचकांक माना गया था।

2010 की मानव विकास रिपोर्ट में यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए एक नई विधि का उपयोग शुरू किया। निम्नलिखित तीन सूचकांक इस्तेमाल किये गये हैं:

1. जीवन प्रत्याशा सूचकांक: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। जन्म के समय न्यूनतम जीवन प्रत्याशा 20 साल ली गई है जबकि जन्म के समय अधिकतम जीवन प्रत्याशा 85 साल और जीवन प्रत्याशा सूचकांक 0 से 1 होगा।

2. शिक्षा सूचकांक (ईआई):

2.1 विद्यालयी शिक्षा के वर्ष का सूचकांक (MYSI): MYS स्कूली शिक्षा के साल का एक व्यक्ति ने 25 साल की उम्र तक कितने वर्ष स्कूल में शिक्षा के लिये व्यतीत किये हैं।

विद्यालय शिक्षा के वर्षों के सूचकांक पंद्रह साल लिए गए हैं । जो कि इसकी अधिकतम का लिमिट 2025 के लिये हैं ।

2.2 Expected year of schooling (EYSI): EYS: स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष (एक 5 वर्षीय बच्चे को अपने जीवन भर में स्कूल में व्यतीत किये जाने वाले वर्षों की अधिकतम सीमा) अठारह साल के लिए है जो कि अधिकांश देशों में एक मास्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए बराबर है । इस सूचक की अनुमानित अधिकतम सीमा है।

3. आय सूचकांक (GNIpc): प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति समता में सकल राष्ट्रीय आय (अमेरिकी \$ में). प्रति व्यक्ति न्यूनतम जीएनआई \$ 100 ली गई है, जबकि प्रति व्यक्ति अधिकतम जीएनआई \$ 75,000 ली गई है ।

अंत में, मानव विकास सूचकांक में पिछले तीन सामान्यीकृत सूचकांकों के ज्यामितीय मीन है।

10.3 मध्यप्रदेश में मानव विकास सूचकांकों के संकेतांक : मध्यप्रदेश ने मानव विकास में लगातार प्रगति की है, जिसका प्रमाण यह है कि विकास सूचकांक वर्ष 1981 में 0.245 था जो 2011 में 0.451 तक पहुंच गया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 0.504 मापा गया है।

मध्यप्रदेश में मानव विकास सूचकांकों के संकेतांकों में निरंतर प्रगति हुई है । वर्ष 1995 में जब मानव विकास सूचकांकों के आधार पर प्रदेश को देखा गया तो राज्य अन्य राज्यों की तुलना में काफी पिछड़ा राज्य था । पिछले 15-16 वर्षों में प्रदेश मानव विकास के इन सूचकांकों यथा साक्षरता, स्वास्थ्य पोषण तथा प्रति व्यक्ति आय में बढौतरी हुई है । हालांकि अभी भी देश के औसत मानव विकास सूचकांक से राज्य काफी पिछड़ा है । प्रदेश में ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां बडी संख्या में वन हैं, एवं वहां बडी संख्या में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग निवास करते हैं । राज्य की भौगोलिक स्थितियां कृषि के लिये अधिक अनुकूल नहीं हैं । यह सब परिस्थितियां मानव विकास की बढौतरी में बाधा पैदा करती है । मध्यप्रदेश में मानव विकास में सूचकांक में की गयी प्रगति को तालिका 10.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 10.1

मानव विकास सूचकांक

वर्ष	1981	1991	2001	2007-08	2011
मध्यप्रदेश	0.245	0.328	0.394	0.375	0.451

असमानता समायोजित HDI, मानव विकास के विवरणात्मक आयामों को समाहित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। मध्यप्रदेश देश के 19 प्रमुख राज्यों के वर्ष 2011 के मानव विकास सूचकांक तथा असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक में सोलहवें और उन्नीसवें पायदान पर हैं।

असमानता को समायोजित करने से मध्यप्रदेश का HDI, 35.74 प्रतिशत कम हो गया है, जबकि देश का HDI 32% कम हो गया है। जो कि प्रदेश में अधिक असमानता को दर्शाता है।

वर्ष 2014 में भारत मानव विकास में 188 देशों में 130वें पायदान पर है। भारत की स्थिति 2013 के मुकाबले में सुधरी है। भारत पांच पायदान घटकर वर्ष 2014 में 135वें पायदान से 130वें पायदान पर आ गया है। असमानता को समायोजित करने के पश्चात भारत का HDI लगभग 25% नीचे सरक गया। शिक्षा का HDI में अधिकतम असमानता पाई गई।

10.4 मध्यप्रदेश का मानव विकास संकेतांक स्तर :

10.4.1 शिक्षा: शिक्षा मानव विकास के स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। शिक्षा के दो ही ऐसे संकेतांक हैं, जो किसी क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकीय रूप में दर्शाते हैं।

- विद्यालयी शिक्षा के वर्ष (25 साल की उम्र तक कितने वर्ष स्कूल में शिक्षा के लिये व्यतीत किये गये)
- विद्यालयी शिक्षा के अपेक्षित वर्ष (5 साल की आयु से जीवन भर में स्कूल में शिक्षा के लिये व्यतीत किये जाने वाले वर्षों की अधिकतम सीमा)

उपरोक्त में से साक्षरता के आंकड़े जनगणना 2011 में 69.3 प्रतिशत रूप में ली गयी है, वही नामांकन दर के लिये हमें विभक्त आंकड़ों को संचालित करना होता है। वर्ष 2007-08 में जहां प्राथमिक स्कूलों में सकल नामांकन दर 153.44 थी वर्ष 2010-11 में इसका प्रतिशत गिरकर 136.6 हो चुका है। माध्यमिक में यह प्रतिशत 99.98 प्रतिशत से बढ़कर 101.4 जा चुका है। बालिकाओं का भी सकल नामांकन दर प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं दोनों में ही बढ़ा है।

- **साक्षरता** : पिछले दशक की तुलना में साक्षरता का प्रतिशत वर्ष 2001 व 2011 के मध्य अधिक तेजी से बढ़ा है। मध्यप्रदेश में 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में साक्षरता का प्रतिशत 64 से बढ़कर 69.3 रहा, जबकि महिला साक्षरता का प्रतिशत 50 से बढ़कर 59.2 प्रतिशत हो गया है।
- **नामांकन** : वर्ष 2013-14 प्राथमिक स्तर पर बच्चों का सकल नामांकन अनुपात (Net Enrolment Ratio- NER) लगभग 95.03 प्रतिशत रहा। प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति में वृद्धि रही जबकि बालिकाएं एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के बच्चों के सकल नामांकन अनुपात (Net Enrolment Ratio- NER) में कमी परिलक्षित हुई। प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति के बच्चों का शुद्ध नामांकन अनुपात 120.04 प्रतिशत से घटकर 99.69 प्रतिशत हो गया तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों का प्रतिशत 118.09 से घटकर 98.87 प्रतिशत हो गया।

राज्य में साक्षरता, विशेषकर महिलाओं की साक्षरता में वृद्धि हेतु अधिक प्रयास किये जाने आवश्यक है। प्रदेश शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने विशेषकर बालिकाओं के शिक्षा के लिये अच्छा वातावरण तैयार करने की दिशा में प्रयत्नशील है ।

10.4.2 जीवन प्रत्याशा सूचकांक: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। जन्म के समय न्यूनतम जीवन प्रत्याशा 20 साल ली गई है जबकि जन्म के समय अधिकतम जीवन प्रत्याशा 85 साल और जीवन प्रत्याशा सूचकांक 0 से 1 होगा ।

नवीनतम अनुमान के अनुसार मध्यप्रदेश में जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिये 62.5 वर्ष तथा महिलाओं के लिये 66 वर्ष (2010 से 2014 के मध्य) रही जो भारतवर्ष की तुलना में 3.9 वर्ष पुरुषों में तथा 3.6 वर्ष महिलाओं में कम है। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में जीवन प्रत्याशा लगभग 6 वर्ष अधिक है। भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014 में राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर 39 के विरुद्ध मध्यप्रदेश में अनुमानित शिशु मृत्यु दर 52 रही। ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर 43 के विरुद्ध मध्यप्रदेश में शिशु मृत्यु दर 57 रही जबकि शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर 26 की तुलना में मध्यप्रदेश में शिशु मृत्यु दर 35 रही। मध्यप्रदेश में शिशु मृत्यु दर लगभग 33 प्रतिशत राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर से अधिक है। अतः स्वास्थ्य के स्तर में सुधार हेतु प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू करने की आवश्यकता है।

- **स्वास्थ्य** : मानव विकास का मूलभूत आधार है उसका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में दो मुख्य संकेतांक हैं जो मानव विकास की प्रावधारणा को इंगित करते हैं। जीवन जीने की

प्रत्याशा का अर्थ किसी भी व्यक्ति के कुल वर्ष जीवित रहने की प्रत्याशा को दर्शाता है, यह संकेतांक कई महत्वपूर्ण तत्वों सेवाओं पर निर्भर करता है तथा स्वास्थ्य सेवाएं, पर्यावरण, आर्थिक स्थिति और कई सारे तत्व जो जीवित रहने में मदद करते हैं। प्रदेश में 2010 से 2014 के मध्य पुरुषों में जीवन जीने की प्रत्याशा 62.5 वर्ष व महिलाओं में 66.0 वर्ष रही। हालांकि यह भारत वर्ष की तुलना में लगभग 4 वर्ष कम है, तथापि पिछले वर्ष की तुलना में यह लगातार बढ़ रही है। मध्यप्रदेश में MMR (मातृ मृत्यु दर) वर्ष 2011-13 में 221 रही, जो कि भारत वर्ष की MMR 167 से 32.33 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश की मातृ मृत्युदर आसाम, उत्तरप्रदेश, राजस्थान तथा ओडिशा को छोड़ सभी राज्यों से अधिक है। स्वास्थ्य संरचना का सुदृढीकरण, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराकर शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्युदर को घटा कर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में सुधार करना है।

10.4.3 आय सूचकांक (GNIPC): प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति समता में सकल राष्ट्रीय आय (अमेरिकी \$ में). प्रति व्यक्ति न्यूनतम जीएनआई \$ 100 ली गई है, जबकि प्रति व्यक्ति अधिकतम जीएनआई \$ 75,000 ली गई है।

मानव विकास में जीविका के अवसरों का भी मुख्य प्रभाव होता है। प्रदेश में आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2013-14 में 51639 रु. थी, जो बढ़कर वर्ष 2014-15 में 56516 रु. तथा वर्ष 2014-15 में अग्रिम आंकड़ों के अनुसार 65388 रु. हो गई है। वर्ष 2015-16 में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2013-14 की तुलना में 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है।

105 जेण्डर विश्लेषण:

लैंगिक अन्तर (Gender Gap): विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लिंग गैप रिपोर्ट 2013 में 136 देशों के बीच 101 वें स्थान भारत को रखा गया है। भारत में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है। भारत की लैंगिक अंतर सूचकांक 0-1 पैमाने पर 0.655 था। 0 असमानता और एक समानता दर्शाता है।

भारत की स्थिति हाल के वर्षों में मामूली सुधार हुआ है। 2007 और 2011 के बीच 114 और 112 वें स्थान के बाद अब यह 101 वें स्थान है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी स्थिति में अब तक 2006 में था जब 98 वें स्थान पर था और 2012 में 105 वें स्थान पर था।

, भारत के राजनीतिक सशक्तिकरण subindex पर शीर्ष 20 सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देशों में से है। स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के क्षेत्रों में लैंगिक अंतर को पाटने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इससे प्रतीत होता है कि मध्यप्रदेश को लैंगिक अन्तर कम करने के लिये देश की तुलना में अधिक ठोस कदम लेने की आवश्यकता है।

10.6 राज्य मानव विकास संकेतांक: राज्य मानव विकास प्रतिवेदन का महत्वपूर्ण योगदान निम्न क्षेत्रों में रहा है-

- राज्य में मानव विकास के क्षेत्रों को चिन्हित करना ।
- वृहद शोध नीति तथा मानव विकास के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावशाली व दक्ष बनाने हेतु कार्यवाही के विकल्पों को आधार प्रदान करना ।
- यह आंकलन करना कि विकासात्मक योजनाओं को किस हद तक मुख्य धारा में समाहित किया गया है ।

राज्य मानव विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में मध्यप्रदेश देश में प्रथम रहा है ।

10.7 प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन, 1995 : प्रतिवेदन में व्यक्ति के जीवन स्तर की गुणवत्ता में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीविका को केन्द्र बिन्दु बनाकर उसकी हैसियत व संभावनाओं का उल्लेख किया गया है इसमें सरोकार एवं अत्यावश्यकता की सहभागिता को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश में मानव विकास के संकेतकों के आधार पर प्रदेश के स्तर को चिन्हित किया गया है । इस प्रकार नवीन एजेन्डा के प्रयोजन से मानव विकास के लक्ष्यों में उच्च प्राथमिकता के अनुसार जनसामान्य में विचारों का संचार हो सका ।

10.8 द्वितीय मानव विकास प्रतिवेदन, 1998- उक्त प्रतिवेदन में मध्यप्रदेश मानव विकास प्रतिवेदन 1995 का योगदान मुख्य रूप से राज्य में मानव विकास के सदंर्भ में चिन्ता, परिचर्चा एवं की गई कार्यवाही का समावेश किया गया है प्रतिवेदन में जीविका एवं प्राकृतिक संसाधनों में पंचायती राज्य संस्थानों की भूमिका को शामिल किया गया है ।

10.9 तृतीय मानव विकास प्रतिवेदन, 2002- इस प्रतिवेदन में मानव विकास के एजेन्डा पर दर्ज की गई प्रगति का प्रमुख रूप से वर्णन है । साथ ही मध्यप्रदेश के परिप्रेक्ष्य में विकास को मापने हेतु संगत संकेतकों की आवश्यकताओं का प्रस्तुतीकरण है । प्रतिवेदन में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति विकास सूचकांक से संबंधित प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है ।

10.10 चतुर्थ मानव विकास प्रतिवेदन, 2007 : प्रतिवेदन में अधोसंरचना एवं मानव विकास जैसे मुद्दों के बीच सह संबंधों का पता लगाना अधोसंरचना में जननिवेश की आवश्यकताओं पर संवाद के जरिये मध्यप्रदेश में मानव विकास की त्वरित प्रगति को सुनिश्चित करने हेतु प्रगति के विस्तार को गतिशील बनाना राज्य के चहुँमुखी विकास हेतु बिजली, पानी, सड़क आदि प्रमुख पूर्व अपेक्षित वस्तुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है ।

10.11 पंचम मानव विकास प्रतिवेदन, 2014 : इस प्रतिवेदन में जीविका एवं कृषि और मानव विकास के जटिल स्तरों को चिन्हित किया गया है । इसमें अजीविका व जीवन संचालन में कृषि का योगदान की वर्तमान स्थिति को समझने की कोशिश की गयी है ।

परिशिष्ट

मध्यप्रदेश एवं भारत के चुने हुये समाजार्थिक विकास संकेतांक

मद	इकाई	मध्यप्रदेश	भारत
1	2	3	4
जनसंख्या		जनगणना, 2011	जनगणना, 2011
जनसंख्या का घनत्व	प्रति वर्ग कि. मी.	236	362
पुरुष स्त्री अनुपात	प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियां (संख्या)	931	943
जनसंख्या वृद्धि दर (2001-2011)	प्रतिशत	20.3	17.7
कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या	प्रतिशत	72.4	68.9
कुल जनसंख्या में कुल कार्यशील जनसंख्या (मुख्य+सीमांत कार्यशील)	प्रतिशत	43.5	39.8
कुल कार्यशील जनसंख्या में कुल महिला कार्यशील जनसंख्या	प्रतिशत	36.2	31.1
कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषक	प्रतिशत	31.02	19.9
कुल कार्यशील जनसंख्या में खेतिहर मजदूर	प्रतिशत	38.06	17.9
कुल कार्यशील जनसंख्या में पारिवारिक उद्योग कर्मी	प्रतिशत	27.02	2.6
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या	प्रतिशत	15.6	16.6
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या	प्रतिशत	21.1	8.6
प्रति व्यक्ति आय		2016-17(अ)	2016-17 (अ)
प्रचलित भावों पर	रूपये	72599	103
स्थिर (2011-12) भावों पर	रूपये	51352	8

मध्यप्रदेश एवं भारत के चुने हुये समाजार्थिक विकास संकेतांक

मद	इकाई	मध्यप्रदेश	भारत
1	2	3	4
पुरुष	प्रतिशत	78.7	80.9
स्त्री	प्रतिशत	59.2	64.6
जीवनांक		सितंबर 2014	सितंबर 2014
अ. जीवनांक (a)			
जन्म दर	प्रति हजार व्यक्ति	25.7	21.0
मृत्यु दर	प्रति हजार व्यक्ति	7.8	6.7
शिशु मृत्यु दर	प्रति हजार जीवित जन्म पर	52	39
बैंकिंग		मार्च 2014	मार्च, 2014
प्रति लाख जनसंख्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कार्यालय	संख्या	7	8
प्रति व्यक्ति जमा राशि	रूपये	26667	64217
प्रति व्यक्ति ऋण राशि	रूपये	17958	50707
ऋण/जमा अनुपात	प्रतिशत	60.3	78.9

(प्रा.) : प्रावधिक (अनु.) : अनुमानित

(त्व.) : त्वरित (अ.) : अग्रिम

(a) : न्यादर्श रजिस्ट्रेशन सिस्टम पर आधारित ।

टीप : मध्यप्रदेश एवं अखिल भारत के संकेतांक तैयार करने हेतु संबंधित वर्ष की अनुमानित जनसंख्या का उपयोग किया गया है ।

खनिज
प्रदेश में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन

(लाख टन में)

खनिज	2012-13 (सं)	2013-14 (सं)	2014-15 (सं)	2015-16 (प्रा.)
1	2	3	4	5
कोयला	759.48	755.90	876.00	1077.13
बाक्ससाईट	10.17	7.76	8.32	6.80
ताम्र अयस्क	22.54	23.76	23.79	25.37
आयरन ओर	12.25	20.90	41.93	24.64
मैंगनीज अयस्क	7.15	7.96	8.78	7.64
रॉक फास्फेट	2.48	1.31	0.79	0.66
हीरा (कैरेट में)	31988	37517	36107	36070
चूनापत्थर	355.36	378.32	395.30	378.70
डोलोमाईट	6.56	5.96	5.43	-
फायरक्ले	0.71	0.74	0.23	-
गेरू	0.55	0.69	0.70	-

नोट: खनिजों का उत्पादन आई.बी.एम.की जानकारी के आधार पर है।

(सं.) = संशोधित ।

(प्रा.) = प्रावधिक ।

खनिज
प्रदेश के महत्वपूर्ण उत्पादित खनिजों का मूल्य

(राशि लाख रूपयों में)

खनिज	2011-12 (सं)	2012-13 (सं)	2013-14 (सं)	2014-15 (सं.)	2015-16 (प्रा.)
1	2	3	4	5	6
कोयला	833055	937379	1117927	1114782	1370736
बाक्सार्ट	4609	6153	4587	5267	4760
ताम्र अयस्क	29348	29840	33553	24808	29660
आयरन ओर	8016	8874	12464	24647	14246
मैंगनीज अयस्क	40335	48501	51575	52199	34287
रॉक फास्फेट	1592	2266	1451	672	508
हीरा (कैरेट में)	1982	3665	6141	6135	6214
चूनापत्थर	43440	50179	63306	70241	63568
डोलोमाईट	1101	1198	1330	1271	-
फायरक्ले	79	127	162	36	-
गेरू	83	136	131	173	-

नोट: खनिजों का उत्पादन आई.बी.एम.की जानकारी के आधार पर है।

(सं.) = संशोधित ।

(प्रा.) = प्रावधिक ।

खनिज
प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिजों का प्रतिटन औसत मूल्य
(रूपयों में)

खनिज	2011-12 (सं.)	2012-13 (सं.)	2013-14 (सं.)	2014-15 (सं.)	2015-16 (प्रा.)
1	2	3	4	5	6
कोयला	1171	1234	1479	1272	1272
बाक्सार्ट	567	605	592	633	700
ताम्र अयस्क	39007	44116	41989	42317	43106
आयरन ओर	648	724	596	587	578
मैंगनीज अयस्क	6634	6786	6475	5945	4488
रॉक फास्फेट	663	912	1104	851	770
हीरा (कैरेट में)	10721	11457	16368	16991	17227
चूनापत्थर	127	141	167	177	167
डोलोमाईट	239	183	223	234	-
फायरक्ले	91	178	218	156	-
गेरू	154	244	189	247	-

नोट: खनिजों का उत्पादन आई.बी.एम.की जानकारी के आधार पर है।

(सं.) = संशोधित ।

(प्रा.) = प्रावधिक ।

**श्रम एवं रोजगार
रोजगार समंक**

वर्ष	रोजगार कार्यालयों की संख्या	पंजीयत व्यक्तियों की संख्या (हजार में)	वर्ष के अंत में चालू पंजी पर दर्ज व्यक्तियों की संख्या		नौकरी दिलाये गये व्यक्तियों की संख्या			
			समस्त व्यक्ति (हजार में)	शिक्षित व्यक्ति (हजार में)	कुल (हजार में)	महिलाएं (संख्या में)	अनुसूचित जाति (संख्या में)	अनुसूचित जन जाति (संख्या में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011	57	537	2002	1405	07	350	1487	1632
2012	48	540	2069	1677	12	643	1058	1178
2013	48	424	2066	1751	06	154	242	276
2014	48	392	2004	1672	1.3	87	67	71
2015	48	423	1560	1377	0.334	07	30	04
2016	52	345	1411	1301	0.129	01	11	03

स्रोत : आयुक्त, उद्योग विभाग मध्यप्रदेश ।

श्रम एवं रोजगार
सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार

वर्ष	संस्थानों की संख्या			सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार (संख्या)	सार्वजनिक क्षेत्र में महिला रोजगार (संख्या)	सार्वजनिक क्षेत्र में महिला रोजगार का प्रतिशत	प्रतिशत वार्षिक वृद्धि/कमी (स्तंभ 5 की)
	संबंधित	प्रतिचार करने वाले	प्रतिशत (स्तंभ 3 का 2 से)				
1	2	3	4	5	6	7	8
2009-10	9230	6998	75.81	846908	121067	14.2	(-) 0.83
2010-11	9218	7156	77.63	849774	119605	14.07	(+) 0.52
2011-12	9213	6956	75.50	840123	120121	14.3	(-) 1.13
2012-13	9219	7110	77.12	846193	120030	14.18	(+)0.72
2013-14	9230	6998	75.81	846908	121067	14.2	(-)0.05
2014-15(*)	9217	7345	79.69	841382	119502	14.20	(-)0.66

(*) =दिसम्बर- 2013 की स्थिति ।

स्रोत : आयुक्त, उद्योग विभाग मध्यप्रदेश ।

श्रम एवं रोजगार
मध्यप्रदेश में प्रशासनिक क्षेत्र में नियोजन

(31 मार्च की स्थिति)

नियोजन क्षेत्र	2012	2013 (सं.)	2014	2015 (सं.)	2016
1	2	3	4	5	6
शासकीय विभाग (नियमित)	437538	440089	445849	457442	446762
राज्यीय सार्वजनिक उपक्रम एवं अर्द्ध-शासकीय संस्थान	54413	56069	61109	59587	63449
नगरीय स्थानीय निकाय	73976	74474	75134	75261	84079
ग्रामीण स्थानीय निकाय	160398	157320	168182	138785	141236
विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	1784	1762	1706	1746	1739
विश्वविद्यालय	8204	6902	6916	6792	6872
योग	736313	736616	758896	739613	744137

(सं.) = संशोधित ।

स्रोत : आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश भोपाल ।